खण्ड-414, अंक-5
मंगलवार, 18 माघ, शक संवत् 1916
(7 फरवरी, 1995 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(विशेष सत्र विधान सभा, प्रथम सत्र 1995)

खण्ड 414 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को सुने जाने की मांग ...	1
प्रश्नोत्तर	2–77
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	77
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	78
उत्तर प्रदेश बारहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	78
उत्तर प्रदेश बारहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	78
उत्तर प्रदेश बारहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति का प्रथम कार्यान्वयन प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	78–79
उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1995 (पुरस्थापित) ...	79
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 (पुरस्थापित)	79
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 (पुरस्थापित) ...	80
वित्तीय वर्ष 1994-95 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान–	
अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग (स्वीकृत)	80
अनुदान संख्या 2–आवास विभाग (स्वीकृत)	80
अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) स्वीकृत) ...	81
अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत) ...	81
अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत) ...	81–82
अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत) ...	82
अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ...	82–83
अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत) ...	83

विषय			पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत)			83
अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत)	...		84
अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	...		84
अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)	...		84–85
अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)	...		85
अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)			85–86
अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)			86
अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	...		86
अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत)	...		87
अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)			87
अनुदान संख्या 22–खेल विभाग (स्वीकृत)	...	...	87-88
अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	...	...	88
अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)		...	88
अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	...	...	88
अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (नागरिक पुलिस) (स्वीकृत)	...	...	89
अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	...	..	89
अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)		...	90
अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	...	...	90
अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)		...	90
अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) (स्वीकृत)		...	91
अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)			91
अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)		...	91
अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)		...	92
अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)		...	92
अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	...	...	92

विषय			पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	...	...	93
अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग (स्वीकृत)	...	...	93
अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग (स्वीकृत)	...	...	93
अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	...	...	94
अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग (स्वीकृत)	...	...	94
अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग (स्वीकृत)	...	...	94
अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	...	...	95
अनुदान संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत)	...	...	95
अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)		...	95
अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)		...	96
अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)		...	96
अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)			96
अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत)		...	97
अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत)		...	97
अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत)		...	97
अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)		...	98
अनुदान संख्या 60—वन विभाग (स्वीकृत)	...	...	98
अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)		...	98
अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत)	...	...	99
अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)		...	99
अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	...	...	99
अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)		...	100
अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत)		...	100
अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)		...	100
अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...	100–101
अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...	101

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	101
अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	101
अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन (स्वीकृत)	102
अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) (स्वीकृत)	102
अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) ...	102
अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग (स्वीकृत)	103
अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण (स्वीकृत)	103
अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) ...	103
अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (विक्रीकर) (स्वीकृत) ...	104
अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन कर तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	104
अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) ...	104
अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत)	105
अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)... ...	105
अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग (स्वीकृत)	105
उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1995 (पारित)	105–113
बुलन्दशहर के विक्टोरिया पार्क में महात्मा गांधी शिला पट्ट को हटाये जाने संबंधी नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	113–118
आगरा जनपद के थाना अछनेरा के ग्राम साहई स्थित श्री श्यामवीर सिंह के ईंट भट्ठा पर दलित व मुस्लिम मजदूरों की लूट व महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	118–128
उ० प्र० के राज्य स्तरीय सेवा आयोग या बोर्ड की प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उ० प्र० सड़क परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की सूचना	129
श्री गोपाल काली, विधायक (भा० ज० पा) पर हुए प्राणघातक हमले संबंधी नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	129–132

विषय	पृष्ठ संख्या
वित्तीय वर्ष 1995-96 का अन्तरिम आय-व्ययक (प्रस्तुत)	132–133
वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग के लिये लेखानुदान (स्वीकृत) ...	133
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995 (पारित)... ...	133–141
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	141–142
लेखानुदान की प्रतियां प्राप्त न होने तथा उस पर चर्चा व मतदान न कराये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	142–144
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	144–164
दि इडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995 (पारित) ...	165–172
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 (पारित)	172–188
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 (पारित)	188–192
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 (पारित) ...	192–197
मुजफ्फरनगर में उत्तरांचल राज्य की मांग करने वाले आन्दोलन कारी पुरुषों एवं महिलाओं के साथ अत्याचार व बलात्कार विषयक सूचनाओं पर चर्चा (जारी)	197–219
मुजफ्फरनगर कांड चर्चा के दौरान नेता सदन का सदन से अनुपस्थित होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	219–220
मुजफ्फरनगर में उत्तरांचल राज्य की मांग करने वाले आन्दोलनकारी पुरुषों एवं महिलाओं के साथ अत्याचार व बलात्कार विषयक सूचनाओं पर चर्चा ...	220–225
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	225
वाराणसी शहर उत्तरी निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं रिबोरिंग की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	225–226
चीनी मिल औराई, वाराणसी द्वारा गन्ना समिति को अनुदान दिये जाने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	226
फतेहपुर में बिन्दकी क्षेत्रान्तर्गत जिला योजना द्वारा आवंटित सड़कों को वरीयता के आधार पर बनाये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	226

विषय	पृष्ठ संख्या
वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर सिपाहियों द्वारा घायल किये गये युवकों को मुआवजा दिये जाने तथा संबंधित सिपाहियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	226-227
इलाहाबाद की तहसील सोरांव के कतिपय गांवों की हजारों एकड़ भूमि जलमग्न होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	227
जनपद सिद्धार्थनगर के कतिपय राजस्व ग्रामों में पांच बिसवा भूमि के क्रय विक्रय को आवासीय भूमि मानकर चकबन्दी अधिनियम 168-ए को शिथिल करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	228
बैंक ऋण राहत शासनादेश को दुर्बल आय वाले लोगों के हित में व्यवहारिक राय प्रदान करने बिषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	228-230
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	229-230
नत्थियां	231-235

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 7 फरवरी, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

1–श्री अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	6–राज बहादुर, श्री	आजमगढ़
2–काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	7–राम किशोर बिन्द, श्री	वाराणसी
3–निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	8–राम धनी, श्री	गाजीपुर
4–प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली	9–रिजवान जहीर	
5–रघुराज प्रताप सिंह		उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
उर्फ राजा भइया, कुंवर	प्रतापगढ़	10–श्रीराम पाल, श्री	जालौन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 7 फरवरी, 1995

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को सुने जाने की मांग

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या–1 पर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एवं जनता दल के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोर मचाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें । शांत रहें ।

(श्री किरन पाल सिंह एवं उनके सहयोगी सदस्य और कांग्रेस के सदस्य फ्लोर पर आ गए) ।

श्री किरन पाल सिंह–

(फ्लोर में खड़े होकर)–बुलन्दशहर में विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर महात्मा गांधी पार्क कर दिया गया था लेकिन जिलाधिकारी ने पता नहीं किस साजिश के तहत पार्क के शिलाखण्ड को हटाकर पुलिस चौकी के पास लगा दिया जिससे स्थानीय लोग गांधी जी की प्रति अपमान महसूस कर रहे हैं । जिलाधिकारी द्वारा उस पार्क को खाली दिखाकर बेचने का षड़यंत्र किया जा रहा है ।)

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

(फ्लोर पर खड़े होकर) यह सरकार रोज महात्मा गांधी का अपमान कर रही है, ऐसी सरकार को हम नहीं चलने देंगे ।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.20 तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 11 बजकर 1 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।)

प्रश्नोत्तर †

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उ० प्र० माध्यमिक विद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों को राजकीय कोषागार से पेंशन दिए जाने की जानकारी

**1.–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० में माध्यमिक विद्यालयों के अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेंशन राजकीय कोष से दिये जाने का निर्णय जुलाई, 1994 के दूसरे पखवारे में लेकर शासनादेश जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका कार्यान्वयन प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो कब से ?

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री शाकिर अली)–

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 1-2-1995 से ।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में रिक्त, प्रवक्ता, रीडर एवं प्रोफेसर के पदों, को भरे जाने की कार्यवाही

**2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता, रीडर, प्रोफेसर आदि के सैकड़ों पद वर्षों से खाली पड़े हैं ? यदि हां, तो इन पर नियुक्ति हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

जी हां ।

इन पर तदर्थ नियुक्तियां/प्रोन्नतियां शीघ्र ही कर ली जायेगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।

प्रदेश की जेलों में सुधार हेतु जेल मैनुअल में संशोधन

*1.–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों में सुधार के लिये सरकार उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल में संशोधन करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो संशोधन का क्या प्रारूप होगा तथा यह निर्णय कब तक सरकार ले लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–† उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गए ।

कारागार, होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

जी हां ।

इस संबंध में एक प्रश्नावली तैयार की जा रही है जिस पर विभागीय अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त कर प्रारूप निर्धारित किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बाल मजदूरों के पुनर्वासन एवं उद्धार हेतु सरकार की कार्य योजना

*2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कितने बाल श्रमिक नियोजित थे और अब उनकी संख्या बढ़ कर अनुमानतः कितनी हो गयी है ? क्या उन्हें पुनर्वासित कराने अथवा उनके उद्धार के लिये सरकार के पास कोई कार्य योजना है? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

वर्ष 1991 की जनगणना में बाल श्रमिकों की संख्या का उल्लेख नहीं है । इसके बाद भी बाल श्रमिकों की संख्या का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है । ऐसा अनुमान है कि वर्तमान में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 14 लाख है ।

जी हां । बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराकर उन्हें पुर्नवासित करने एवं अनौपचारिक प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु बाल श्रम बाहुल्य वाले क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थानों के माधयम से 79 स्कूल संचालित किये जा रहे हैं । इनमें प्रत्येक बालक को रु० 100/–प्रतिमाह की छात्रवृत्ति तथा मध्यान्ह भोजन भी दिया जाता है । आईपैक के तहत भी स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा परियोजनायें चलाई जा रही हैं । बाल श्रम समस्या के उन्मूलन तथा अवमुक्त बाल श्रमिकों के पुर्नवास हेतु निम्नलिखित परियोजनायें भारत सरकार को भेजी गई हैं :–

(1) कांच एवं चूड़ी उद्योग	6.17 करोड़ रुपये की पांच वर्षीय योजना ।
(2) कालीन उद्योग	30.81 करोड़ रुपये की 5 वर्षीय योजना ।
(3) अलीगढ़ का ताला उद्योग	4.70 करोड़ रुपये की 5 वर्षीय योजना ।

। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।

प्रदेश सरकार द्वारा बेचे जाने वाले निगमों में कार्यरत मजदूरों के हितों के संबंध में नीति निर्धारण

*1–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन निगमों को सरकार बेचने जा रही है ? उनमें कार्यरत मजदूरों के हितों के संबंध में क्या नीति निर्धारित की जा रही है ? क्या कोई निगम

ऐसा भी है जिसको मजदूर स्वयं चला सकते हैं ? यदि हां, तो सरकार उसमें क्या-क्या मदद करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासन द्वारा घोषित नीति के अनुसार सामाजिक उपादेयता एवं जनकल्याण का कार्य करने वाले उपक्रमों को छोड़कर उन उपक्रमों की समीक्षा की जायेगी जिनका घाटा रुपया दस करोड़ से अधिक है तथा जिनका निबल मूल्य आधा या आधे से ज्यादा समाप्त हो चुका है । इसके अतिरिक्त शासन द्वारा घोषित नवीनतम औद्योगिक नीति के अनुसार सार्वजनिक उपादेयता वाले उपक्रमों को छोड़कर सार्वजनिक उपक्रमों का आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से निजीकरण किया जाना प्रस्तावित है, विशेष रूप से मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट का सरकार द्वारा निजीकरण किया जायेगा ।

उपरोक्त नीति के अनुसार समय-समय पर संबंधित विभागों द्वारा निजीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

निजीकरण/विक्रय करते समय कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों के हितों को यथासंभव ध्यान में रखा जायेगा ।

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[मंगलवार, 7 फरवरी, 1995 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में अखबारों को विज्ञापन देने की नीति की जानकारी

*1–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अखबारों को विज्ञापन देने की कोई नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या उसका अनुपालन हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भेदभाव समाप्त करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

विज्ञापन वितरण नीति संलग्न है ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 231 पर)

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[2सरे गुरू में ता० प्र० सं० 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद फैजाबाद के तारुन ब्लाक मुख्यालय में रिक्त पशु चिकित्साधिकारी के पद को भरने की मांग

*3–श्री परशुराम यादव–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के तारुन ब्लाक मुख्यालय स्थित पशु चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी का पद लंबे समय से खाली पड़ा है, जिसकी सूचना उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, फैजाबाद द्वारा पत्रांक संख्या-5267, दिनांक 28-7-94 शासन को भेजी जा चुकी है ? क्या सरकार द्वारा पशुचिकित्सालय, तारुन, फैजाबाद में पशुचिकित्सक की नियुक्ति करने का आदेश जारी किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पशुचिकित्साधिकारी, तारुन का पद दिनांक 3-6-90 से रिक्त है । उपनिदेशक, पशुपालन, फैजाबाद ने पशुचिकित्साधिकारी के पद पर तैनाती का अनुरोध-पत्र दिनांक 28-7-94 निदेशक, पशुपालन को भेजा था ।

पशुचिकित्साधिकारी के चयन परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्रतीक्षित हैं । फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत पशु चिकित्साधिकारी (ग्राम समूह) बीकापुर द्वारा अपने कार्य के अतिरिक्त पशुचिकित्सालय, तारुन का कार्य भी देखा जा रहा है ।

ताज ट्रिपोजियम क्षेत्र के उद्योगों का स्थानान्तरण रोकने हेतु शासन द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी

*4–श्री रमेशकान्त लवानियां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ताज ट्रिपोजियम क्षेत्र के उद्योगों का स्थानान्तरण रोकने के लिये शासन कोई प्रयास कर रहा है ? यदि हां,तो क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

ताज ट्रिपोजियम क्षेत्र में उद्योगों की प्रदूषण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु आयुक्त, आगरा मण्डल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी । कमेटी से प्राप्त सुझाव एवं संस्तुतियां पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित की गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य कताई मिल, अकबरपुर, फैजाबाद में अवैध तालाबन्दी के कारण प्रबन्धकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की मांग

*5–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप श्रमायुक्त, फैजाबाद द्वारा अकबरपुर (फैजादाद) स्थित राज्य कताई मिल के प्रबन्धकों को नोटिस संख्या-119.22/एफ० आर० आई० आर०, दिनांक 7-6-90 को नोटिस निर्गत की गयी थी जिसमें उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियमावली के नियम–4 की ओर

ध्यान आकृष्ट कराते हुए वार्ता के दौरान तालाबन्दी निषिद्ध होने की बात का उल्लेख किया था और साथ ही साथ उक्त कार्यालय द्वारा अपने पत्र संख्या-3721-22/I-RIR/80, दिनांक 13-6-90 द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 6 एस० एवं छः टी० के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में तालाबनदी को अनुचित अवैधानिक होने व अधिनियम की धारा-14 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का उल्लेख किया गया था ? यदि हां, तो श्रम विभाग में प्रबन्धकों के द्वारा उक्त दोनों नोटिसों की अवहेलना करने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

श्रमिकों की मांगों तथा मिल द्वारा की गयी तालाबन्दी से उत्पन्न विवाद को दोनों पक्षों के मध्य समझौता द्वारा सुलझाने हेतु कई स्तरों पर समझौता वार्ता की गई, किन्तु समझौता वार्ता सफल नहीं हो सकी । मिल में तालबन्दी के पश्चात प्रतिष्ठान के श्रमिक संगठन उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल मजदूर मोर्चा, अकबरपुर तथा राज्य कताई मिल मजदूर यूनियन, अकबरपुर द्वारा सम्मिलित रूप से तालाबन्दी की वैधानिकता को चुनौती देते हुए दिसम्बर, 91 में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ में याचिका दायर की गई जो विचाराधीन है । अद्यतन सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल कं० लि० अकबरपुर का मामला बी०आई० एफ० आर० में सन्दर्भित है और शीघ्र ही निर्णय होने की सम्भावना है ।

*6–श्री मनोहर सिंह–

। राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।

*7–श्री राज कुमार शिवहरे–

। राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।

जघन्य महिला अपराधियों के विरुद्ध चल रहे मुकदमों को वापस लेने की मांग

*8–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फूलन देवी की भांति सरकार जघन्य अपराधों जैसे हत्या, लूट व डकैती के मुकदमें जो उ० प्र० के विभिन्न जिलों में अन्य महिला अपराधियों/अभियुक्तों पर चल रहे हैं, उनको भी वापस लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मुकदमें की वापसी के प्रत्येक प्रकरण पर उसकी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है । सामान्य रूप से इस प्रकार के सभी मुकदमें वापस लिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलों में फैक्स सुविधा प्राप्त अधिकारियों की टेलीफोन की एस० टी० डी० सुविधा समाप्त करने की मांग

*9–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार खर्चों में कटौती करने के उद्देश्य से उन जिलों के अधिकारियों के टेलीफोन की एस० टी० डी० सुविधा समाप्त करने पर विचार करेगी जहां शासन द्वारा फैक्स की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जनपद बाराबंकी की टाउन एरिया हैदरगढ़ में गणेश प्रतिमा विसर्जन हेतु जा रहे जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

*10–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत टाउन एरिया हैदरगढ़ में दिनांक 15-9-94 को समय 2 बजे दिन में गणेश प्रतिमा विसर्जन हेतु जा रहे जुलूस पर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक बाराबंकी तथा प्रभारी निरीक्षक, क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ सहित सैकड़ों पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा गणेश प्रतिमा सहित जुलूस को रोक कर बर्बता पूर्वक लाठी चार्ज एवं आंसूगैस छोड़ी गयी तथा प्रश्नकर्ता सहित 57 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और थाने में फर्जी मुकदमा कायम किया गया है ? यदि हां, तो घायलों का डाक्टरी परीक्षण न कराये जाने का कारण क्या है ? क्या सम्पूर्ण घटना की जानकारी मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । यह कहना गलत है कि पुलिस द्वारा जुलूस को रोक कर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया एवं आंसू गैस छोड़ी गयी । वरन् जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ईंट-पत्थर फेंके गये जिससे प्रभारी निरीक्षक सहित सात पुलिस कर्मी को चोटें आईं ।

जी हां ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित सहित 57 व्यक्तियों को कारण बताकर लोक शान्ति व साम्प्रदायिक सौहार्द और अधिक बिगड़ने से बचाने के लिये गिरफ्तार किया गया । जुलूस में शामिल गोविन्द सिंह, वेद बाजपेई आदि 6 से अधिक अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहे । इस सम्बन्ध में थाना-हैदरगढ़ पर मुकदमा अपराध सं०–176/94 पंजीकृत किया गया, जिसमें अभियोग पत्र न्यायालय को भेजा जा चुका है ।

मौके पर पुलिस कार्यवाही से जुलूस में शामिल कोई भी जनता का व्यक्ति घायल नहीं हुआ था । अतः उनके डाक्टरी परीक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता । इसके विपरीत जुलूस में शामिल लोगों द्वारा किये गये पथराव से घायल सात पुलिस कर्मियों का डाक्टरी परीक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैदरगढ़ में कराया गया ।

टाउन एरिया हैदरगढ़ के ब्रहमनान मोहल्ले में श्री माता प्रसाद अवस्थी के मकान के सामने सहन में रखी गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन दिनांक 15-9-94 को अवशोनेश्वर, घाट पर होना था । इस हेतु एक प्रार्थना-पत्र मूर्ति विसर्जन के रास्ते के सम्बन्ध में परगना अधिकारी, हैदरगढ़ को दिया गया जिस पर दिनांक 14-9-94 को परगनाधिकारी, हैदरगढ़ ने मूर्ति विसर्जन के लिए एक मार्ग निर्धारित किया किन्तु उक्त मार्ग से प्रार्थीगण व उनके सहयोगी जिनमें कि मा० विधायक श्री सुन्दर लाल दीक्षित भी शामिल थे, सहमत नहीं हुये और मूर्ति विसर्जन का जुलूस कुरैशी मोहल्ले से घुमाते हुए ले जाने के लिए जिद करने लगे । इस पर परगनाधिकारी, हैदरगढ़ ने दिनांक 14-9-94 को शाम को मौखिक एवं दिनांक 15-9-94 को लिखित आदेश द्वारा अपनी दी गयी अनुमति निरस्त कर दी । दिनांक 15-9-94 को कार्यकर्ताओं द्वारा जिसमें श्री सुन्दर लाल मा० विधायक शामिल थे, 100–150 लोगों के जुलूस में उत्तेजनात्मक एवं विध्वंशात्मक भाषणों द्वारा धार्मिक एवं साम्प्रदायिक उन्माद पैदा करने का प्रयास किया गया है तथा उत्तेजनात्मक नारे लगाये गये । जब स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें समझाया व रोका गया, जुलूस में सम्मिलित लोग और उत्तेजित होकर और नारेबाजी करने लगे । इसी बीच जुलूस में सम्मिलित लोगों के ललकारने पर लोगों ने पुलिस बल पर ईंट-पत्थर सामने व छतों से फेकने लगे जिससे उक्त पुलिस कर्मियों को चोटें आयी । पुलिस बल द्वारा तत्काल लोक शान्ति व साम्प्रदायिक सौहार्द और बिगड़ने से बचाने के लिए 57 व्यक्तियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया तथा इस सम्बन्ध में थाना-हैदरगढ़ पर मु०अ०सं० 176/94 पंजीकृत किया गया । विवेचनोपरान्त इसमें नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 15-11-94 को न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

समस्त कार्यवाही नियमसंगत की गयी । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तराखण्ड की रैली में जा रहे लोगों पर पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने की मांग

*11–डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 2 अक्टूबर, 94 को उत्तराखण्ड की रैली में जा रहे लोगों को किस अपराध में पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा गया ? क्या मुख्य मंत्री के संज्ञान में है कि रुड़की नारसन व मुजफ्फरनगर के बीच हजारों लोगों पर भयंकर लाठी चार्ज हुआ तथा गोली काण्ड कर अनेकों लोगों को हताहत किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि 1 अक्टूबर, 94 की रात उक्त घटना स्थलों पर पुलिस द्वारा महिलाओं की इज्जत भी लूटी गयी ? यदि हां, तो इसके लिये कितने अधिकारियों, कर्मचारियों को दण्डित किया गया ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त विवरण के अनुसार 2 अक्टूबर, 94 को दिल्ली में आयोजित उत्तराखण्ड सम्बन्धी रैली में भाग लेने जा रहे व्यक्तियों द्वारा हथियार आदि न ले जायें, इसलिये उनकी जांच की जा रही थी । जांच न करने देने की नीयत से इन यात्रियों द्वारा उत्तेजित हो कर हिंसा की गई, जिसे नियंत्रित करने के लिये पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया । महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतों सहित इन सभी घटनाओं की जांच मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) से

कराई जा रही है । जांच रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त न होने के कारण किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

*12–श्री राम आसरे वर्मा–

(तीसरे गुरु में ता० प्र० सं० 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश में खादी पर दी जाने वाली छूट निर्णय की जानकारी

*13–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूज्य महात्मा गांधी की 125वीं जयन्ती के अवसर पर परम्परागत रूप से प्रति वर्ष खादी की बिक्री पर दी जाने वाली विशेष छूट को उ० प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा न दिये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो खादी के प्रोत्साहन हेतु इस छूट को बन्द करने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

*14–श्री तीरथ राज–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में ''पुलिस सुधार आयोग'' द्वारा की गई संस्तुतियों की जानकारी

*15–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस के व्यवहार में सुधार लाने आदि अनेक बिन्दुओं को समाहित करते हुए ''पुलिस सुधार आयोग'' का गठन हुआ है ? यदि हां, तो आयोग ने अब तक पुलिस के आचरण में सुधार के लिये क्या संस्तुतियां की हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

आयोग की अभी तक कोई संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में 53 वर्ष से अधिक आयु के इंचार्ज के पद पर कार्यरत थानाध्यक्षों का विवरण

1–श्री शिव बहादुर सक्सेना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष को इन्चार्ज बनाते समय 53 वर्ष की आयु होने का प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो क्या 53 वर्ष की आयु से अधिक के भी थानाध्यक्ष प्रदेश में इन्चार्ज के पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के थाना खण्डासा में वर्ष 1993 में हुई अपराधिक घटनाओं में दोषी हेड मुहर्रिर तथा थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

2–श्री गजराज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993 में थाना इंचार्ज श्री उदय प्रताप सिंह तथा हेड मुहर्रिर श्री लालमणि दुबे की तैनाती थाना खण्डासा, जनपद फैजाबाद में कब हुई थी और उक्त दिनांक से अब तक इनके कार्यकाल में कितनी-कितनी आपराधिक घटनाएं हुईं तथा इनकी सांठ-गांठ से किन-किन अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों की हत्याएं और उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं ? उक्त आपराधिक घटनाओं के संबंध में किन-किन के कितने-कितने प्रार्थना-पत्र शासन/पुलिस अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं ? उक्त आपराधिक घटनाओं के लिये जिम्मेदार तथा उक्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर उक्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाहियां की गयीं ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री उदय प्रताप सिंह दिनांक 17-5-93 से 1-1-94 तक तथा हेड मुहर्रिर श्री लालमणि दूबे दिनांक 26-6-93 से 26-7-94 तक थाना–खण्डासा, फैजाबाद में तैनात रहे । श्री उदय प्रताप सिंह के कार्यकाल में कुल 63 तथा श्री लालमणि दूबे के कार्यकाल में 97 विविध अपराधिक घटनायें हुईं । इनकी सांठ-गांठ से किसी अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जाति के किसी की हत्या/उत्पीड़न की घटना का होना नहीं पाया गया ।

विभिन्न घटनाओं के संबंध में थानाध्यक्ष खण्डासा के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों का विवरण निम्नवत हैं:–

शिकायतकर्ता का नाम	शिकायतकर्ता के पत्रों की संख्या
श्री मित्रसेन यादव	2
श्री डी० के० यादव	1
गुमनाम	1

आपराधिक घटनाओं के लिये उक्त थानाध्यक्ष व हेड मुहर्रिर को जिम्मेदार नहीं पाया गया । प्रार्थना-पत्रों की जांच से उक्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित न होने से कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

मुख्य मंत्री के अधीनस्थ विभागों में पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूर्ण किए जाने की मांग

3–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में कुल कितने पद सृजित हैं ? उसमें सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोटा पूरे करने के लिये प्रयास कर रही

है ? क्या कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना विभाग के अधीनस्थ कुल 1467 पद सृजित हैं ।

308 भरे हुए पदों में से सामान्य जाति के 772, पिछड़ी जाति के 298 तथा अनुसूचित जाति के 239 पद धारक हैं ।

कतिपय संवर्गों में कोटा पूरा नहीं है जिसे पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है ।

कोटा पूर्ण न होने के लिए किसी अधिकारी का दोष नहीं है अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अपराधिक प्रवृत्ति के थानाध्यक्षों को तत्काल हटाए जाने की मांग

4–श्री इन्द्र भद्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद मण्डल के किन-किन जनपदों में कितने ऐसे पुलिस सब-इन्सपेक्टर है, जिन पर भा० दण्ड संहिता की धारा 302/304 इत्यादि तरह के अपराधिक मुकदमें विचाराधीन हैं ?उनके नाम क्या हैं और किस जनपद के किस थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष के रूप में तैनात हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ऐसे गम्भीर अपराधों में पंजीकृत पुलिस सब-इन्सपेक्टरों को थानाध्यक्ष बनाये जाने का कारण क्या है ? थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने हेतु क्या मापदण्ड अपनाया जाता है ? क्या उन मापदण्डों के अनुरूप थानाध्यक्षों को नियुक्ति किया गया हैं ? यदि नहीं, तो क्या ऐसे अपराधिक प्रवृत्ति के थानाध्यक्षों को तत्काल हटाने की सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद-फैजाबाद में 3 तथा जनपद-सुल्तानपुर में एक उप निरीक्षक के विरुद्ध 302/304 भा०दण्ड संहिता के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत है ।

जनपद-फैजाबाद में श्री राम जनम यादव व अवमान सिंह तथा श्री इम्तियाज अहमद, उप निरीक्षक निलम्बित हैं । जनपद-सुल्तानपुर में श्री बिन्ध्याचल यादव, उप निरीक्षक थानाध्यक्ष जामों में तैनात हैं ।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के स्थगनादेश प्राप्त करने के कारण न्यायालय के निर्णय तक थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है ।

जी हां ।

जी हां ।

अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पुलिस कस्टडी में मृत व्यक्तियों की संख्या

5–श्री अफजाल अन्सारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार के गठन के बाद से अब तक पुलिस कस्टडी में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ? किन-किन जनपदों में पुलिस की मार से कस्टडी में मृत्यु हो

जाने की दशा में पुलिस के विरुद्ध मुकदमें दर्ज किये गये ? जिनके विरुद्ध मुकदमें दर्ज हुए, उनमें से कितनों को गिरफ्तार किया गया ? कितनों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में इस सरकार के गठन के बाद से 3 अगस्त, 1994 तक पुलिस कस्टडी में कुल 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ।

पुलिस कस्टडी में मृत्यु के संबंध में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जनपद कानपुर देहात, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बलिया, फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली, झांसी तथा महाराजगंज में मुकदमें दर्ज किये गये ।

किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया ।

उक्त में से चार प्रकरणों में निलम्बन की कार्यवाही की गई थी तथा तीन प्रकरणों में जांच से कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया । शेष तीन प्रकरणों में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ।

प्रदेश में पशु चिकित्सालय खोलने के मानक की जानकारी

6–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सालय (द) श्रेणी तथा पशु औषधालय खोलने का मानक क्या है ? इन संस्थाओं पर अलग-अलग कितना बजट खर्च होता है ? क्या शासन द्वारा पशु चिकित्सा (द) श्रेणी व पशु औषधालयों का सृजन बन्द करने का निर्णय लिया जा चुका है ? यदि हां, तो क्यों ? क्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1981 से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में उक्त तीनों संस्थाओं के सृजन का तुलनात्मक विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान में 30 हजार पशुओं की आबादी पर एक पशु चिकित्सालय खोलने का मानक निर्धारित है । "द" श्रेणी पशु चिकित्सालय तथा पशु सेवा केन्द्रों एवं पशु चिकित्सालय की स्थापना जिला योजना का विषय है जिसमें जिला नियोजन स्थानीय स्तर पर एवं अनुश्रवण समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है ।

पशु चिकित्सालय "द" श्रेणी पशु चिकित्सालय तथा पशु सेवा केन्द्र पर अनुमानित व्यय निम्नवत् है:–

संस्था का नाम	अनावर्तक	आवर्तक	योग
1–पशु चिकित्सालय	12.50 लाख	2.20 लाख	14.70 लाख
2–"द" श्रेणी पशु चिकित्सालय	5.00 लाख	1.00 लाख	6.00 लाख
3–पशु सेवा केन्द्र	3.00 लाख	0.70 लाख	3.70 लाख

जी नहीं ।

तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

(देखिए नम्बर 'ख' आगे पृष्ठ 232-233 पर)

जनपद फैजाबाद की कोतवाली में मुकदमा दर्ज न करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

7–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की नगर कोतवाली में श्री विजय नरायन तिवारी निवासी सराय शेख महमूद थाना तारून, फैजाबाद व अन्य के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज करने हेतु दिनांक 21-6-91 को सं० डी० ओ० (पी० आर० डी० विभाग) के किसी लिपिक का पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या मुकदमा दर्ज किया गया ? यदि नहीं,तो उसका जिम्मेदार कौन पुलिस कर्मी है ? क्या अब मुकदमा दर्ज किया जायेगा व नकल दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। प्रश्नगत पत्र नहीं प्राप्त हुआ था।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि एफ०आई०आर० लिखाने के लिये प्रार्थना-पत्र थाने पर नहीं दिया गया है, अतः प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के ग्राम जियावन का पुरवा की निवासिनी श्रीमती पार्वती के पद पर कृत कार्यवाही की जानकारी

8–श्री इन्द्र भद्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिहर यादव पुत्र श्री राम पियारे यादव, निवासी-जियावन का पुरवा, मौजा तिन्दौली, थाना-कुमारगंज की पत्नी पार्वती देवी ने दिनांक 2-4-93 एवं 12-4-93 का कोई रजिस्टर्ड पत्र जो थाना कुमारगंज की पुलिस द्वारा एकतरफा कार्यवाही किये जाने के विरोध में एवं निष्पक्ष जांच कराये जाने से संबंधित था, पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्या इस संदर्भ में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 27-2-94 जो पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? उस पत्र पर किन-किन बिन्दुओं पर जांच हेतु लिखा गया था और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद के कार्यालय में श्री हरिहर यादव पुत्र श्रीराम पियारे यादव की पत्नी पार्वती देवी का प्रार्थना-पत्र दिनांकित 2-4-94 व 12-4-93 नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि श्रीमती पार्वती देवी पत्नी राम प्यारे, निवासी-जियावन का पुरवा, मौजा-तिन्दौली का प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-1-93 जो उसके गांव के भगवन्त आदि के विरुद्ध था, दिनांक 25-1-93 को प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त उक्त प्रार्थना-पत्र की प्रति रजिस्टर्ड संख्या–246 दिनांक 8-4-93 का प्राप्त हुआ था।

दिनांकित 25-1-93 के प्रार्थना-पत्र की जांच थानाध्यक्ष कुमारगंज द्वारा कराई गई ।

प्राप्त होना नहीं पाया जाता है ।

आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-1-93 में अपने गांव के भगवन्त आदि के विरुद्ध फर्जी मुकदमा लिखाने व दरवाजा आदि तोड़कर जबरन उठा ले जाने विषयक आरोप अंकित किया था जिसकी जांच से यह पाया गया कि आवेदिका के पति राम पियारे यादव व पुत्र श्री हरिहर ने दिनांक 24-11-92 को अपने गांव के गयादीन यादव की हत्या कर दी थी जिसके सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या–180/92 धारा 302 भा० द० वि० थाना कुमारगंज में पंजीकृत है । जांच से आरोप अप्रमाणित रहे । अतएव प्रार्थना-पत्र पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । शान्ति व्यवस्था के उद्देश्य से दोनों पक्षों के विरुद्ध 107/116 जा० फौ० की कार्यवाही अमल में लाई गई है ।

प्रदेश में गाय तथा बैलों की तस्करी रोकने की मांग

9–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि पुलिस संरक्षण में तस्करों द्वारा वध हेतु बड़े पैमाने पर गाय तथा बैलों को राज्य के बाहर भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो इस अवैध धन्धें को रोकने तथा पशुओं को संरक्षण न प्रदान करके तस्करी करने वालों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए गोवध अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश वर्ष 1993–94 में वाहन चोरी के दर्ज मुकदमों की जानकारी

10–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 93 तथा 94 में अब तक वाहन चोरी के कितने मामले राज्य भर में पंजीकृत हुए ? उक्त मामलों को वर्क आउट करने में कितने मामलों में पुलिस को सफलता मिली ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वाहन चोरी के मामलों में बेतहाशा वृद्धि को रोकने में पुलिस की विफलता का कारण क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश में वर्ष 1993 तथा 1994 में 7764 वाहन चोरी के मामले पंजीकृत हुए जिनमें 1374 मामलों को वर्क आउट करने में पुलिस को सफलता मिली है ।

वाहन चोरी की वृद्धि को रोकने के लिये के पश्चिमी जिलों में पुलिस हाईवे पेट्रोलिं की व्यवस्था लागू को गई है जिन्हें वायरलेससयुक्त मारुति जिपसी तथा संचालित कक्ष उपलब्ध कराये गये हैं ।

11–श्री ऊदल–

[पहले बुध में अता० प्र० सं० 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में अधिसूचना विभाग में एल० आई० यू० शाखा में प्रभारी पद पर आरक्षण कोटा भरे जाने की मांग

12–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिसूचना विभाग के शाखा एल० आई० यू० में कुल कितने एल०आई० यू० प्रभारी के पद हैं ? उसमें आरक्षित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के कितने पद हैं ? क्या उक्त विभाग में आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि आरक्षित पदों को सामान्य जाति से भरा गया है, तो क्यों ? क्या संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार अभिसूचना विभाग में 63 एल० आई०यू०, प्रभारी के पद है ।

अभिसूचना विभाग में उपनिरीक्षक, निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक की सीधी भर्ती की प्रक्रिया नहीं है । सभी अधिकारी नागरिक पुलिस से ही अभिसूचना विभाग में स्थानान्तरित किये जाते हैं, उपनिरीक्षक (ना०पु०) एवं निरीक्षक (ना०पु०) का संवर्ग प्रबन्ध पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जाता है एवं पूरे प्रदेश के निरीक्षकों एवं उपनिरीक्षकों के परिप्रेक्ष्य में ही अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण का निर्धारण किया जाता है । अतः अभिसूचना विभाग की एल०आई० यू० में इस प्रकार के आरक्षण की अलग से कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री राम बहाल, निवासी हाथा पाकड़, जनपद फैजाबाद के प्रार्थना-पत्र के संबंध में ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद द्वारा लिखे गये पत्र को सदन के पटल पर रखने की मांग

13–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद द्वारा कोई पत्र संख्या–आर० के०/मेमो–94, दिनांक 6 अप्रैल, 1994 को श्री राम बहाल, निवासी हाथ पाकड़, थाना गोसाईगंज, जनपद फैजाबाद के प्रार्थना-पत्र 30-8-93, 21-10-93, 31-1-94, 6-4-94 के संबंध में लिखा गया है ? यदि हां, तो क्या मूल पत्र को सदन के पटल पर रखते हुये मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अभिलेखागार में रखे गये अभिलेखों को नष्ट करने की अवधि क्या है ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित एफ० आई० आर० के मुकदमें में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या संबंधित एफ० आई० आर० को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मूल पत्र श्री राम बहाल (प्रार्थी) को दिया जा चुका है । कार्यालय प्रति की प्रति संलग्न है । अभिलेखागार में रखे एफ० आई० आर० 3 वर्ष बाद नष्ट कर दिये जाते हैं ।

वर्ष 1974 में पंजीकृत मुकदमें में संबंधित अभिलेख नष्ट किये जा चुकने के फलस्वरूप सम्भव नहीं है। चूंकि प्रश्नगत मुकदमें से संबंधित अभिलेख नष्ट किये जा चुके हैं। अतः सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 234 पर)

प्रदेश में अपराधों की प्रकृति बदलकर पंजीकरण करने की शिकायत तथा धराओं की सूचना अनुश्रवणार्थ मांगने पर उपलब्ध कराये जाने की मांग

14–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि सम्पूर्ण उ० प्र० में भारी संख्या में अपराधों का पंजीकरण नहीं हो रहा है अथवा अपराधों की प्रकृति बदलकर पंजीकरण किया जा रहा है ? यदि हां,तो क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी कि जन प्रतिनिधियों के द्वारा ऐसी घटनाओं की सूचना अनुश्रवणार्थ मांगने पर उपलब्ध करायी जाय तथा उत्तर न मिलने पर अथवा नकारात्मक उत्तर मिलने पर किसी दण्डात्मक कार्यवाही की व्यवस्था की जाय ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ? क्या अपराधों के अनुश्रवणार्थ आयोजित मासिक बैठकों में भी जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सम्पूर्ण उ० प्र० में जिला स्तर पर अपराधों का पंजीकरण सही ढंग से किया जा रहा है। यदि कहीं प्रकृति बदलकर पंजीकरण की बात विवेचना के विश्लेषण/पर्यवेक्षण व अनुश्रवण के समय किसी पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आती है तो वह समुचित धाराओं के अन्तर्गत परिवर्तित कराकर कार्यवाही कराई जाती है। यदि कोई कमी रह जाती है तो विधिक राय लेकर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाती है।

अभियोगों के पंजीकरण पर अंकुश लगाने के अभिप्राय से आकस्मिक रूप से, टेस्ट एफ०आई०आर० अंकित कराये जाने की प्रक्रिया प्रचलित है और जहां कहीं भी अनियमितता पाई जाती है तो दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध समुचित दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

उल्लेखनीय है कि जनपदों के प्रभारी पुलिस अधीक्षकों द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ प्रति माह बैठकें की जाती हैं तथा उन के सुझावों एवं शिकायतों को सुना जाता है और उस पर उचित कार्यवाही की जाती है।

थाना कोतवाली शाहजहांपुर में अपराध सं०-28-ए/94 के सी० बी० सी० आई० डी० को सौंपने की मांग

15–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अपराध संख्या 28/94 थाना कोतवाली शाहजहांपुर के मामले को सी० बी० सी० आई० डी० को भेजा गया है ? यदि हां, तो इसी क्रास केस 28-ए०/94 को सी० बी० सी० आई० डी० को न भेजने के क्या कारण हैं जबकि दोनों केसों की परिस्थिति लगभग समान है और पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने इसकी सी० बी० सी० आई० डी० से जांच किये जाने की संस्तुति भी की है ? क्या मंत्री जी क्रास केस व परिस्थितियों की समानता को देखते हुये 28-ए०/94 केस को भी सी० बी० सी० आई० डी० को सौंपेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी हां ।

थाना कोतवाली शाहजहांपुर पर धारा 147, 148, 149, 324 व 307 भा०द०वि० के अन्तर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संकया–28ए०/94 की विवेचना भीअपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है ।

जनपद बुलन्द शहर के सन्तपुरा में पुलिस चौकी की स्थापना

16–श्री डी० पी० यादव–

क्या मुकय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के सन्तपुरा पुलिस चौकी स्थापना हेतु उनके द्वारा दिनांक 31-3-94 को घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक उक्त पुलिस चौकी की स्थापना क्यों नहीं की गई है ?

श्री मुलायम सिह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत रिपोर्टिंग एवं इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस चौकी की स्थापना की स्वीकृति दिनांक 30-11-94 को प्रदान की जा चुकी है ।

17–श्री डी० पी० यादव–

[दि० 6-2-95 को अता० प्र० सं–176 द्वारा उत्तरित]

जनपद जौनपुर के ग्राम बहेडुवा निवासिनी श्रीमती मीना कुमारी के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

18–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि गृह विभाग को विधान सभा के नेता विरोधी दल, श्री कल्याण सिंह के पत्रांक 2067, दिनांक 22–7–94 जिसके साथ श्रीमती मीना कुमारी उर्फ मीना देवी पत्नी स्व० सूर्यमणि उपाध्याय, निवासिनी ग्राम बहेडुवा, थाना रामपुर, जिला जौनपुर का पत्र, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को संबोधित था, जिसमें ग्राम मई एवं बहेडुवा के जदर व्यक्तियों द्वारा ग्राम

जीतापुर के खेत नं० 355 क्षेत्रफल 1.32 एकड़ की फसल काट लिये जाने की शिकायत की गई थी तथा यह भी उल्लिखित था कि उक्त खेत के सभी खसरा खतौनी में भी श्रीमती मीना कुमारी का नाम दर्ज है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? उक्त मामले पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या बाहुल्य के आधार पर अवैधानिक ढंग से काट ली गई फसल का मुआवजा श्रीमती मीना कुमारी को दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित मा० नेता विरोधी दल का पत्र दिनांक 22–7–94 श्रीमती मीना कुमारी उर्फ मीना देवी ग्राम बहेडुवा जिला जौनपुर के शिकायती पत्र सहित गृह विभाग को नहीं, बल्कि पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को प्राप्त हुआ ।

शिकायती पत्र पर क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूं जौनपुर द्वारा जांच की गयी जिससे यह प्रकाश में आया कि खेत नं० 355 के बैनामा के संबंध में श्री बच्चू प्रसाद यादव एवं श्रीमती मीना कुमारी के मध्य न्यायालय में वाद विचाराधीन है । इसलिये किसी पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी है ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम घटौली थाना खण्डासा के अन्तर्गत जुलाई 93 में श्री राम समुझ की हत्या से सम्बन्धित दिये गये शिकायती पत्रों पर की गयी जांच की कार्यवाही की जानकारी

19–श्री चेतराम–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के 4थे मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस विभाग के अधिकारियों को प्राप्त शिकायती पत्रों में मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं ? उनमें से कौन-कौन सी शिकायतें सिद्ध पायी गयीं और उसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी ? जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त शिकायती पत्रों में उल्लिखित मुख्य शिकायतों का विवरण निम्नवत है –

1–प्रार्थी दुखीराम ग्राम घटौली, पूरेकबीर थाना–खण्डासा, फैजाबाद का पट्टीदार रामनेवल जो थाना–खण्डासा में होमगार्ड में है, को पुलिस प्रश्रय प्राप्त है । तत्परिणामस्वरूप वह प्रार्थी की जमीन पर कब्जा करने के प्रयास में रहता है ।

2–वर्ष 1991 में प्रार्थी के भाई रामऔतार व उसके परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने की नीयत से विपक्षियों ने गम्भीर चोटें पहुंचाईं, किन्तु पुलिस ने उनसे अनुचित लाभ लेकर साधारण मामला दर्ज किया ।

3–दिनांक 9-7-1993 को प्रार्थी के भाई राम समुझ की हत्या उक्त रामनेवल के माध्यम से स्थानीय पुलिस को रिश्वत देकर विपक्षी रामनाथ व उसके दो लड़के रामलाल, बृजलाल ने दिन दहाड़े लाठियों और पचकी से प्रहार कर दी । इसकी लिखित सूचना जब थाने पर प्रार्थी के दूसरे भाई रामऔतार ने दी तो थाना पुलिस ने लिखित तहरीर को अपने मनमुताबिक बदल कर धारा–304 भा०दं० वि० के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज की ।

4–प्रार्थी के उपर्युक्त मृतक भाई की लाश उसी दिन पोस्ट मार्टम हेतु न भेजकर स्थानीय पुलिस द्वारा दूसरे दिन भेजी गई ।

5–प्रार्थी के विपक्षी उक्त रामनाथ का तीसरा पुत्र रामनेवल, होमगार्ड प्रार्थी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या कराने की धमकी दिया करता है ।

उपर्युक्त शिकायतों की जांचोपरान्त वस्तुस्थिति इस प्रकार है :–

1–रामनेवल प्रार्थी के विपक्षी रामनाथ (रिश्ते में चाचा) का पुत्र है । उसके अन्य दो भाई रामलाल, बृजलाल हैं । वह (रामनेवल) होमगार्ड में अवश्य है किन्तु उसे पुलिस का किसी प्रकार का कोई प्रश्रय नहीं प्राप्त है । रामनेवल द्वारा प्रार्थी के जमीन पर कब्जा किये जाने का आरोप पुष्ट नहीं पाया गया ।

2–वर्ष 1991 में दोनों पक्षों में बांस काटने के विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, किन्तु यह सत्य नहीं पाया गया कि प्रार्थी के भाई रामऔतार व उसके परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने क नीयत से विपक्षियों द्वारा गम्भीर चोटें पहुंचाई गई थीं, और पुलिस ने उनसे अनुचित लाभ लेकर साधारण मामला दर्ज किया था ।

3–दिनांक 9-7-93 को रामनाथ रामलाल, बृजलाल द्वारा प्रार्थी के भाई रामसमुझ को गांव के दक्षिण तरफ लाठी डंडों से 9 बजे दिन में मारा गया । प्राथमिक रामसमुझ को घायलावस्था में अपने घर पर उठा लाये । कुछ घरेलू उपचार के बाद लगभग दो बजे दिन में घायल राम समुझ की मृत्यु के अनन्तर थाने पर लिखित सूचना दी गई, जिस पर मु०अ०सं० 94/93 धारा–304 भा०दं०वि० पंजीकृत कर विवेचना की गई ।

राम समुझ की मृत्यु धारदार हथियार की चोटें से न हो कुन्द हथियार की चोटों से होना पाई गई । भा०दं०वि० धारा–304 के अन्तर्गत दर्ज अपराध को विधिक राय से सही पाया गया । पुलिस को रिश्वत दिये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ ।

4–शव को पोस्टमार्टम हेतु विलम्ब से भेजे जाने का कारण समय से उपयुक्त साधन/वाहन न मिल पाना पाया गया ।

5–रामनेवल पर कड़ी दृष्टि रखने व प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश संबंधित अधिकारी को दे दिये गये हैं ।

क्षेत्राधिकारी, इनायत-नगर, फैजाबाद से ।

विवरण ऊपर दे दिया गया है ।

जनपद बस्ती में आरक्षण समर्थकों पर लाठी चार्ज करने वाले दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही

20–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13 सितम्बर, 94 को जनपद बस्ती में स०पा० व ब० स०पा० के आरक्षण समर्थकों द्वारा बन्द के आह्वान पर शान्ति पूर्ण जुलूस पर बर्बर लाठी चार्ज पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया ? क्या उसमें प्रश्नकर्ता व जिला परिषद् अध्यक्ष बस्ती, मा० भगवान दास,

विधान परिषद् सदस्य दया राम चौधरी के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए ? क्या दोषी के खिलाफ कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जुलूस में सम्मिलित व्यक्ति जब हिंसात्मक घटनाए,. तोड-फोड़, पथराव आदि करने लगे तो उन्हें संयम बरतने को कहा गया, किन्तु जब उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ तो शान्ति व्यवस्था के हित में उन पर पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया ।

जी नहीं ।

पुलिस के हल्के बल प्रयोग से श्री भगवान दास के अतिरिक्त सर्व श्रीलाल मणि प्रसाद दयाराम चौधरी सहित कुल पचीस व्यक्तियों को साधारण चोटें आयी ।

शान्ति व्यवस्था के उद्देश्य से पुलिस के हल्के बल की अपरिहार्यता की दशा में प्रश्न नहीं उठता ।

खलीलाबाद पुलिस द्वारा जिला परिषद् अध्यक्ष को अपमानित करने के दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही

21–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी०ओ० खलीलाबाद एवं कोतवाल खलीलाबाद द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष श्री भगवान को साजिश के तौर पर अपमानित किया गया ? यदि हां, तो दोषी उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न होने के कारण वे हत्या की साजिश आरक्षण विरोधियों से मिलकर कर रहे हैं ? क्या उनके खिलाफ कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

ऐसी कोई साजिश प्रकाश में नहीं आई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के ग्राम करबई में अपराधी प्रकृति के व्यक्तियों से गरीबों की सुरक्षार्थ पुलिस-बल तैनात करने की मांग

22–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा स्थित थाना कोतवाली, बांदा देहात के अन्तर्गत संवेदनशील ग्राम करबई में रहने वाले आपराधिक जगत से जुड़े एवं संगीन अपराध करने वाले तथा हिस्ट्रीशीटर अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों से अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति के निःसहाय गरीब लोगों तथा निरीह महिलाओं की जानमाल की सुरक्षा करने के प्रबन्ध किये जाने के आदेश पुलिस अधीक्षक, जनपद बांदा को शासन द्वारा जारी किये जायेंगे ? क्या संदर्भित ग्राम के आपराधिक प्रवृत्ति के तथा

नामजद हिस्ट्रीशीटरों पर पूर्व की भांति कड़ा नियंत्रण रखने के लिये सुरक्षा हेतु पुनः पुलिस बल तैनात किया जायेगा ? क्या दबंगों से पीड़ित अनु० जाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों की आत्मरक्षार्थ बन्दूकों के लाइसेंस दिलाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान में ग्राम करबई में स्थिति पूर्णरूप से शान्तिपूर्ण है । कोई संवेदनशीलता नहीं है । गौसनेली हिस्ट्रीशीटर इस समय शहर बांदा तथा सगीर अहमद हिस्ट्रीशीटर बम्बई में रह रहे हैं तथा सिपाही लाल पुत्र कालीनदीन आरख ग्राम में ही रहकर खेती का कार्य कर रहा है । इन तीनों हिस्ट्रीशीटरों पर स्थानीय पुलिस द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है, अन्य और किसी पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है । इस गांव के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति पीड़ित नहीं है । ग्राम के श्री राम सजीवन पुत्र साधू (अनुसूचित जाति), श्री लल्लू पुत्र परसन साहू (पिछड़ी जाति) एवं श्री ओम प्रकाश पुत्र बाबूलाल (पिछड़ी जाति), द्वारा शस्त्र लाइसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र दिये गये थे जिन्हें जिलाधिकारी बांदा को भेजा जा चुका है ।

जनपद फैजाबाद की तहसील जलालपुर के परगनाधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच की मांग

23–श्री अजय कुमार पोइया_

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील जलालपुर के परगनाधिकारी के विरुद्ध वहां के अधिवक्ताओं द्वारा गत कई माह से उक्त अधिकारी के अदालत का बहिष्कार कार्यक्रम गम्भीर आरोपों के आधार पर चलाया जा रहा है ? यदि हां,तो कब से ? मुख्य आरोप क्या-क्या हैं ? क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी के विरुद्ध उक्त तहसील के चमार संघ द्वारा भी धरना व प्रदर्शन का कार्यक्रम गम्भीर आरोपों के आधार पर किया गया है ? यदि हां, तो वह आरोप क्या-क्या हैं ? क्या यह भी सही है कि ४ अप्रैल, १९९४ को कांग्रेस सांसद पूर्व विधायकों व कार्य कर्ताओं द्वारा भी एक दिवसीय धरना व सभा गम्भीर आरोपों के आधार पर की गयी थी ? उनके आरोप क्या-क्या हैं ? क्या यह भी सही है कि दिनांक 21-4-94 को पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली ने भी कोई पत्र सचिव, राजस्व परिषद्, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आयुक्त, फैजाबाद मण्डल व जिलाधिकारी, फैजाबाद को तमाम तथ्यों के साथ भेजा है ? यदि हां, तो आरोप क्या हैं ? क्या उक्त आरोपों के संबंध में कोई जांच की गयी ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा और क्या तथ्य प्रकाश में आये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

तहसील जलालपुर के अधिवक्ताओं द्वारा तत्कालीन परगनाधिकारी जलालपुर श्री नरेन्द्र सिंह पटेल के विरुद्ध कतिपय शिकायतों को लेकर उनके न्यायालय के बहिष्कार का कार्यक्रम चलाया गया था ।

यह बहिष्कार दिनांक 18-3-94 से किया गया था । तत्कालीन परगनाधिकारी के विरुद्ध मुख्य आरोप इनके आचरण एवं व्यवहार, काश्तकार को गाली देने, मारने पीटने, क्षेत्र में दौरा के समय जीप चालकों व ट्रक चालकों को मारने, मुकदमों में निश्चित निधि को पक्षों को सुने बिना निर्णय देना, बिना शान्ति भंग की सम्भावना तथा बिना साक्ष्य लिये कुर्की आदेश जारी करना, न्यायालय की पत्रावलियों को अपने बंगले पर रखने, राजनीतिक दबाव में आकर या रिश्वत लेकर निर्णय मनमाने ढंग से करने की थी । यह

भी सही है कि चमार संघ द्वारा एक दिवसीय धरना व प्रदर्शन का कार्यक्रम तत्कालीन परगनाधिकारी जलालपुर के समक्ष किया गया था । यह धरना व प्रदर्शन अपनी सामाजिक समस्याओं एवं मांगों को लेकर किया गया था ।

गांव समाज भूमि का आवंटन एवं आबंटन भूमि पर कब्जा दिलाने के संबंध में था ।

जी हां । भूतपूर्व कांग्रेसी विधायक की अध्यक्षता में दिनांक 8-4-94 को एक द्विसीय धरना व प्रदर्शन तत्कालीन परगनाधिकारी के विरुद्ध किया गया था । इसमें तत्कालीन परगनाधिकारी के विरुद्ध अभद्र व्यवहार एवं जातीय पक्षपात के आरोप लगाये गये थे और इसमें उनके विरुद्ध जांच एवं उनके स्थानान्तरण की मांग की गई थी ।

इस पत्र में तत्कालीन परगनाधिकारी जलालपुर श्री नरेन्द्र सिंह पटेल के विरुद्ध भ्रष्टाचार, नियम विपरीत व राजनैतिक प्रभाव से निर्णय करने, ग्राम कजपुरा में प्रधान द्वारा कृषि व हरियाली पट्टों में अनियमितता पर ही कोई कार्यवाही परगनाधिकारी द्वारा राजनीतिक दबाव व पक्षपात में करना मुनासिब न समझने की शिकायत थी ।

तत्कालीन परगनाधिकारी जलालपुर के विरुद्ध उक्त की शिकायतों की जांच तत्कालीन मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा की गई थी । इस जांच में श्री नरेन्द्र सिंह पटेल पर आचरण एवं व्यवहार, वाहन चालकों से मारपीट करने, काश्तकारों के साथ दुर्व्यवहार, मुकदमों की पत्रावलियां अपने बंगले पर रखने, राजनैतिक दबाव के कारण या रिश्वत लेकर निर्णय मनमाने ढंग से करने की शिकायत सत्य नहीं पाई गई थी । परन्तु धारा 145 जा० फौ० 123 (1) ज०वि०अधि० के कुछ मुकदमों में अनियमितता बरते जाने की बातें प्रकाश में आई थीं । श्री नरेन्द्र सिंह पटेल का जनपद फैजाबाद से स्थानान्तरण किया चुका है । मुकदमों के निस्तारण में बरती गई अनियमितता के लिए श्री नरेन्द्र सिंह पटेल का स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

24–श्री लाल मणि प्रसाद–

। राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।

25–26–श्री घनश्याम शुक्ल–

। न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

27–श्री घनश्याम शुक्ल–

। न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जनपद फैजाबाद में ग्राम उसमानपुर में वर्ष 89 में पड़ी डकैती से प्रभावित कतिपय यादव परिवारों को बन्दूक के लाइसेंस दिए जाने की मांग

28–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के पांचवें मंगलवार को उत्तरित अता० प्रश्न संख्या 03 के उत्तर के आधार पर यह बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित व्यक्तियों के लाइसेन्स प्रार्थना-पत्रों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद की आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जिस

परिवार में डकैती के दौरान जिन दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी, उनको शासन की नीति के अनुरूप प्रार्थना-पत्र देने के बावजूद भी अब तक लाइसेंस न प्राप्त होने के क्या कारण हैं ? क्या शासन जिला प्रशासन को उन्हें बन्दूक लाइसेंस देने का आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

शस्त्रअधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस स्वीकृत करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट ही प्राधिकृत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ महानगर स्थित गोल चौराहे पर जनता वाच एण्ड कम्पनी में हुई चोरी की रिपोर्ट पर उचित कार्यवाही न करने वाले पुलिस जनों को दण्डित करने की मांग

29–श्री जगरनाथ चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महानगर गोल चौराहा स्थित गोपालपुरवा में जनता वाच एण्ड कं० में अक्टूबर, 1993 में चोरी हो गयी घड़ियों आदि के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट महानगर कोतवाली लखनऊ में दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में क्या नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी ? चोरी के सम्बन्ध में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे ? चोरी गये सामानों के सम्बन्ध में पुलिस उक्त प्रकरण में किस निष्कर्ष पर पहुंची ? क्या जनवरी, 1994 में जनता वाच एण्ड रेडियो कं० में चोरी करने के लिये किसी व्यक्ति के मकान के अन्दर से सेंध काटी गयी ? यदि हां, तो क्या दुकान मालिक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ? क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करके प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही करके दोषी व्यक्ति को दण्डित करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित दरोगा/थानाध्यक्ष द्वारा स्थल निरीक्षण अभी तक किया गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित दोषी कर्मचारी तथा अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा भविष्य में चोरी की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये क्या कोई व्यवस्था की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं । मकान मालिक व उनके लड़के पर संदेह व्यक्त किया गया था ।

केवल एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

प्रकरण में पंजीकृत अभियोग की विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आये कि श्री राम जीत वर्मा की जनता वाच एण्ड रेडियो कम्पनी (सेल्स एण्ड सर्विस) नामक दुकान श्री लाल राम के मकान में गोल चौराहे के पास गोपालपुरवा थाना महानगर में स्थित है तथा दुकान खाली करने के संबंध में दोनों पक्षों में न्यायालय में सिविल वाद चल रहा है । इसी कारण दोनों पक्षों में वैमनस्यता है । विवेचना से यह भी प्रकाश में आया कि रामजीत वर्मा ने अपनी कटुता एवं वैमनस्यता के कारण मकान मालिक व उनके पुत्र को हतोत्साहित करने के लिये उन पर संदेह व्यक्त किया था । विवेचना से अभियुक्तगण के पता न चलने के कारण विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गयी ।

जी नहीं । ऐसी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गयी थी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके इसके लिये पुलिस प्रशासन द्वारा निरन्तर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है ।

जनपद बांदा की कोतवाली में दर्ज मु० अ० सं० 441-ए/94 के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग

30–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर बांदा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 30-4-94 को मु० अ० सं० 441-ए/94 में धारा 452, 506 एवं 376 आई० पी० सी० के अन्तर्गत दर्ज मुकदमें में नामजद अभियुक्तों को पुलिस द्वारा आज तक गिरफ्तार न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मुख्य मंत्री जी इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच किसी उच्चाधिकारी से करवाने की कृपा करेंगे तथा सम्बन्धित विवेचना अधिकारी के विरुद्ध कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के आरोप में दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार विवेचना एवं डाक्टरी परीक्षण के उपरान्त अपराध का होना न पाये जाने के कारण दिनांक 15-4-94 को अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट मय जुर्म खारिजा के न्यायालय प्रेषित की गयी। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के थाना मिश्रौलिया की पुलिस के विरुद्ध की गई प्रश्नगत शिकायत की जांच-परिणाम की जानकारी

31–श्री जयप्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के पांचवें मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्र० सं० 105 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मामले की जो जांच सी० आई० डी० से कराने के निर्देश दिये गये थे, क्या सी० आई० डी० जांच की कार्यवाही पूरी हुई ? यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरी होने की आशा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अभी सी०आई० डी० द्वारा विवेचना पूर्ण नहीं हुई है।

विवेचनाधिकारी को वरीयता के आधार पर जांच पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।

जनपद सिद्धार्थनगर के थाना मिश्रौलिया में लावारिस दफनाई गई लाश के सम्बन्ध में सी० आई० डी० जांच के परिणाम की जानकारी

32–श्री जय प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के पांचवें मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता० प्रश्न संख्या 103 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मजिस्ट्रीयल जांच पूरी कर दिये जाने का आश्वासन दिया गया था, उक्त मजिस्ट्रीयल जांच पूरी कर ली गयी ? जांच के परिणाम के आधार पर क्या कोई कार्यवाही सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध की जा रही है ? क्या यह सही है कि जांच से सम्बन्धित दरोगा को तीसरी बार पुनः मिश्रौलिया थाना पर ही इन्चार्ज के रूप में नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराई गई ?प्रादेशित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के ग्राम उस्मानपुर में पड़ी डकैती से प्रभावित परिवारों को बन्दूक के लाइसेंस दिये जाने की मांग

33–श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के पांचवें मंगलवार को निर्धारित अता० प्र० सं०–3 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद से [illegible] प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो वह आख्या क्या है ? यदि नहीं, तो आख्या कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या मूलरूप में उप जिलाधिकारी की संस्तुति हेतु प्रेषित की गयी है, जिसमें सभी प्रार्थना-पत्रों पर शस्त्र लाइसेंस दिये जाने की संस्तुति है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मई 94 में हरिद्वार से श्रीमती शंकीर कौर की चोरी गयी कार का पता लगाया जाना

34–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 मई, 94 को श्रीमती शंकीर कौर व श्री प्रमोद कौर की सफेद रंग की मारुति कार यू० जी० एक्स० सं० 4461 विरला रोड नम्बर एक हरिद्वार से चोरी गयी थी ? क्या कारण है कि इस कार का पता पुलिस आज तक नहीं लगा सकी है ? क्या सरकार इस कार का पता लगाने के आदेश देगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

प्रश्नगत कार चोरी के संबंध में मु० अप० सं०–550/94 धारा 379 भा-द०वि० थाना कोतवाली हरिद्वार पर पंजीकृत किया गया । कार चोरी का पता लगाने का भरसक प्रयास किया गया किन्तु सफलता नहीं मिल पायी है । अन्ततः दिनांक 22-11-94 को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी है ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम रैकेपुर, थाना सचेण्डी, जनपद कानपुर (नगर) के निवासी श्री अनिल यादव द्वारा दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

35–श्री भगवती प्रसाद सागर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनिल यादव पुत्र श्री लोकनाथ सिंह, निवासी रैकेपुर, थाना सचेण्डी कानपुर (नगर) द्वारा थाना दन्नाहार, जिला मैनपुरी में तैनात सब-इन्स्पेक्टर गजराज सिंह के विरुद्ध दि० 19-8-93 को डी० आई० जी० रेन्ज, आगरा को प्रेषित प्रार्थना-पत्र के आधार पर उनके

विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की जांच करायी गयी । जांच में श्री गजराज सिंह, उप निरीक्षक के ऊपर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं । इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम घटौली निवासी स्व० राम समुझ की हत्या की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की जानकारी

36–श्री चेतराम–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम समुझ पुत्र स्व० श्री राम भरोसे अनुसूचित जाति (पासी) निवासी ग्राम घटौली (कबीरपुर) थाना खण्डासा, जनपद फैजाबाद की दिनांक 9-7-93 को दिन दहाड़े हत्या कर दी गयी थी, जिनके लाश का शव-विच्छेदन जनपद फैजाबाद के सरकारी अस्पताल में कराया गया था ? यदि हां, तो शरीर के किस-किस भाग में, किस-किस तरह के हथियार के घातक प्रहार करने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी ? उक्त शव विच्छेदन किस डाक्टर ने किया था ? मृतक के सम्पूर्ण शरीर पर कितनी गम्भीर चोटें आयी थीं तथा मृत्यु का कारण क्या था ? क्या सरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के सिर पर घातक चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई थी ।

डाक्टर जे० पी० सिंह ने किया था ।

ग्यारह चोटें ।

सिर में ६ नक चोट से उत्पन्न होगा ।

मा० संसदीय कार्य मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में उसे देखा जा सकता है ।

वर्ष 94 में पी०ए०सी० में हुई भर्ती में पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के भर्ती जवानों की संख्या की जानकारी

37–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, जुलाई, अगस्त, 94 में पी०ए०सी० में कितने जवान भर्ती किये गये ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तथा कितने पिछड़ी जाति के हैं ? अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति में उनकी उप जातियों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत अवधि में पी०ए०सी० में 2128 जवान भर्ती किये गये ।

उनमें स अनुसूचित जाति के 428, अनुसूचित जनजाति के 39 तथा पिछड़ी जाति के 1088 जवान हैं।

आरक्षित वर्गों में उपजाति के वर्गीकरण के अनुसार आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं है। अतः भर्ती किये गये जवानों की उपजाति के आधार पर गणना नहीं करायी गयी है।

जनपद बांदा की कोतवाली में दर्ज मु० अ० सं०-854/93 के नामजद बेकसूर लोगों को रिपोर्ट कर्ता द्वारा गलत फंसाये जाने के कारण वैधानिक कार्यवाही की मांग

38–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के क्षेत्र थाना कोतवाली नगर बांदा में विगत वर्ष दिनांक 7 जुलाई, 1993 को मु० अ० सं०–854/93 में धारा 323, 504, 506 आई०पी०सी० के अन्तर्गत दर्ज अभियोग में जांच विवेचना पूर्ण करके फाइनल रिपोर्ट एवं जुर्म खारिज रिपोर्ट विवेचना अधिकारी द्वारा लगायी गयी है ? यदि हां, तो नगर बांदा के मुहल्ला अलीगंज, नि०–4 व्यक्तियों श्री रफअत अली खान, फरहत अली खान, अजमत अली खान एवं इनायत अली खान को झूठे मुकदमें में फंसाने एवं पुलिस प्रशासन को गुमराह करने के आरोप में संबंधित रिपोर्टकर्ता इशरत खान उर्फ गुड्डू पुत्र कुदरत खान नि० गूलरनाका, बांदा के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

अभियोग की विवेचना के दौरान रिपोर्ट श्री इशरत खान के विरुद्ध 182 भा०द०वि० का अभियोग चलाये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ। अतः रिपोर्टकर्ता के विरुद्ध कोई वैधानिक कार्यवाही धारा 182 भा०द०वि० के अन्तर्गत नहीं की गयी।

जनपद भदोही के चौरी थानान्तर्गत चोरी के अभियुक्तों को रिहा करने के दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

39–श्री रंगनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भदोही जनपद में 17, 18, 19 सितम्बर, 94 की रात में चौरी थानान्तर्गत कपसेठी बाजार में कोई चोरी की घटना हुई है जिसमें भरहरिया निवासी श्री पाण्डेय द्वारा रिपोर्ट रात्रि में ही दर्ज करायी गयी थी तथा उसमें से तीन अपराधियों को मौके पर जनता ने पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था तथा 12 घण्टे उनको चौकी पर बैठाने के बाद पुलिस द्वारा रिहा कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

गलत ढंग से सेवामुक्त किए गए सिपाही श्री विशुन नारायण को पुनः सेवा में लिए जाने की मांग

40–श्री तीरथ राज–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या भू० पू० कान्स० 16 ना० पु० विशुन नारायण राय, पुलिस लाइन, लखनऊ को पुनः सेवा में लिये जाने विषयक शासन के पत्र सं० 3050/धा–2-1600(460)81, दिनांक 13 जुलाई, 1987 के अनुपालन में श्री भूपेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश मुख्यालय इलाहाबाद से मांगी गयी आख्या शासन को प्राप्त हुई ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त श्री विशुन नारायण राय को लगभग 7-8 वर्ष पूर्व ही सेवा मुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो उपरोक्त श्री राय का अपराध क्या था । क्या गलत ढंग से सेवा मुक्त किये गये उपरोक्त श्री विशुन नारायण राय को पुनः सेवा में लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भू०पू० कान्स० 16 ना०पु०, श्री विशुन नारायण राय, पुलिस लाइन, लखनऊ का पुनः सेवा में लिये जाने के प्रत्यावेदनों को सम्यक विचारोपरान्त शासन ने अस्वीकार कर दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती जयन्ती जोशी जूनियर ग्रेड क्लर्क उ० प्र० सचिवालय को रुके वेतन के भुगतान की मांग

41–श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री नरेन्द्र सिंह सदस्य विधान सभा मैनपुरी का दिनांक 6-10-94 का कोई पत्र जो श्रीमती जयन्ती जोशी जूनियर ग्रेड क्लर्क उ०प्र० सचिवालय की सेवा से सम्बन्धित था, उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र में किन-किन बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया था ? क्या यह सही है कि किसी मृतक कर्मचारी के आश्रित को नौकरी में रखने के 7 वर्ष बाद उसको कम वेतनमान में प्रत्यावर्तित करना सेवा नियमावली एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका का उल्लंघन है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में श्रीमती जयन्ती जोशी को कम वेतनमान में पुनः नियुक्ति प्रदान की गई ? उन्हें माह जनवरी, 93 से 10 फरवरी, 93 तक वेतन भुगतान क्यों नहीं किया गया ? इसके लिये कौन व्यक्ति दोषी है ?

जी हां ।

इसमें पूर्व में बकाया वेतन का भुगतान कराने, सेवा में व्यवधान न होने तथा पूर्व वेतनमान को वर्तमान पद पर लागू कराने की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

इस मामले में ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है ।

श्रीमती जयन्ती जोशी की नियुक्ति पूर्व में गृह विभाग द्वारा कम्पाइलर के निःसंवर्गीय पद पर की गयी थी । यह पद दिनांक 31-12-1992 को समाप्त हो गया । तत्पश्चात श्रीमती जोशी के आवेदन करने पर, उन्हें उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अन्तर्गत जूनियर ग्रेड क्लर्क के पद पर दिनांक 11-2-1993 को नियुक्ति प्रदान की गयी । इस प्रकार उन्हें प्रत्यावर्तित नहीं किया गया ।

कम्पाइलर का निःसंवर्गीय पद दिनांक 31-12-1992 को समाप्त हो जाने के कारण कथित अवधि का वेतन भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

42–श्री उमाकान्त यादव–

। स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।

43–श्री उमा कान्त यादव–

।तीसरे मंगल के लिए स्थगित।

44–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

।पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

जनपद इलाहाबाद के श्री परमात्मा राय की रिवाल्वर को वापस दिलाया जाना

45–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री की जानकारी में है कि वर्ष 1964-65 में न्यायालय एवं जिलाधिकारी के आदेश से वर्ष 64-65 में कुल कितने लाइसेन्सियों के रिवाल्वर माल खाने में जमा कराये गये थे ? उनमें से कितने रिवाल्वर सक्षम अधिकारियों के आदेश पर वापस किये गये और कुल कितने माल खाने में जब्तशुदा रिवाल्वर मौजूद हैं ? क्या यह सही है कि जमाशुदा रिवाल्वरों में श्री परमात्मा राय ग्राम जीयनपुर भदाव की रिवाल्वर सं० 64263, 32 बोर की बजारत रजिस्टर के पृष्ठ सं० 6 के क्रमांक 31 पर जमा होना अंकित है ? यदि हां, तो क्या उक्त रिवाल्वर को नाजीरुल्लाह बेन नाजिर द्वारा जिलाधिकारी इलाहाबाद की मांग पर 17-2-65 को इलाहाबाद के जिलाधिकारी को भेज दिया गया है ? क्या सरकार उक्त रिवाल्वर को मंगाकर श्री परमात्मा राय रिवाल्वर मालिक को वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सन्दर्भगत अवधि में लाइसेंसियों के मात्र चार रिवाल्वर माल खाना इलाहाबाद में जमा कराए गए ।

शून्य ।

उक्त रिवाल्वरों में कोई जब्तशुदा रिवाल्वर मौजूद नहीं है ।

प्रश्नगत रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–6 पर क्रमांक 31 नहीं है । सन्दर्भगत रिवाल्वर उक्त रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–152 क्रमांक 42/55 पर अंकित है, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा रिवाल्वर नं०सी/77/बी० 676 के बदले में जमा कराया गया है ।

जी नहीं ।

मालखाना रजिस्टर में श्री परमात्मा राय का नाम अंकित न होने के कारण रिवाल्वर वापस करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

46–श्री सतीश भाटिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

। स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।

47–डा० सरजीत सिंह डंग–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

थाना ठूठीबारी जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा आई०पी०सी० 107–116 के अन्तर्गत निर्दोष लोगों को फंसाने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

48–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना ठूठीबारी, निचलौल जनपद महराजगंज की पुलिस द्वारा दिनांक 1-12-93 से 2-4-94 तक आई० पी० सी० 107–116 के अन्तर्गत कितने मुकदमें दर्ज किये गये हैं ? कितने लोगों का चालान किया गया तथा चालान का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि पुलिस भारी पैमाने पर हिन्दुओं एवं मुसलमानों, दलितों, कमजोर व्यक्तियों का बिना किसी जुर्म के ही चालन कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त धारा के अन्तर्गत चालान करने का आदेश जारी करने का आदेश जारी किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 1-12-93 से 2-4-94 की अवधि में महराजगंज में ठूठीबारी पुलिस द्वारा कुल 35 मामलों में 225 व्यक्तियों, निचलौल पुलिस द्वारा कुल 32 मामलों में 210 व्यक्तियों का (आई०पी०सी० की नहीं) सी० आर०पी० (जा० फौ०) की धारा 107/116 के अन्तर्गत जमीन संबंधी विवाद, पैसे के लेन-देन संबंधी विवाद एवं अन्य आपसी विवादों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से चालान किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । उक्त धारा में चालान हेतु शासन के किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता । क्योंकि कोई भी पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया है ।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना

49–श्री राम सरन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय बीसलपुर पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय बीसलपुर पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति अभी तक प्रदान नहीं की गयी है।

प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों तथा अन्य स्थानों की तुलनात्मक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रस्तावित स्थान पर वर्तमान में फायर स्टेशन स्थापित करना संभव नहीं है।

उ०प्र० राज्य खनिज विकास निगम में रिक्त पड़े अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सहायक प्रबन्धक (लेखा) के पद को शीघ्र भरे जाने की मांग

50–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम में अनुसूचित जाति के आरक्षित सहायक प्रबन्धक (लेखा) एवं अन्य पदों को 12 वर्षों से अभी तक नहीं भरा गया ? यदि हां, तो आरक्षित पदों को कब तक भर दिया जायेगा और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं। निगम में आरक्षित पदों को नियमानुसार भरा गया है। सहायक प्रबन्धक (लेखा) के पद को भरे जाने के सम्बन्ध में आरक्षण नीति के अनुसार नियामानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1993-94 में जनपद गाजियाबाद में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण के विवरण की जानकारी

51–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में गाजियाबाद में कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकार करके किन-किन बैंकों को ऋण प्रदान करने हेतु भेजे गये थे ? किस-किस बैंक ने कितने लाभार्थियों को ऋण प्रदान करा दिया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1993-94 में जनपद गाजियाबाद को आवंटित कुल लक्ष्य 137 के विरुद्ध 406 आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को संदर्भित किये गये, जिसमें से 131 आवेदन पत्र स्वीकृत करके 76 मामलों में धनराशि वितरित की गई है।

विभिन्न बैंकों हेतु निर्धारित लक्ष्य उनको भेजे गये आवेदन पत्र, बैंकों द्वारा स्वीकृत तथा वितरण का विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	बैंक का नाम	लक्ष्य	भेजे गये आवेदन पत्र	स्वीकृत	वितरण
1	2	3	4	5	6
1	सिंडीकेट बैंक	11	27	12	09
2	स्टेट बैंक आफ इंडिया	23	59	21	11
3	पंजाब नेशनल बैंक	15	45	13	09
4	इलाहाबाद बैंक	07	21	06	01
5	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	05	12	05	01
6	बैंक आफ इंडिया	06	17	07	03
7	बैंक आफ बडौदा	06	19	07	06
8	यूनियन बैंक आफ इंडिया	06	17	06	04
9	इंडियन बैंक	08	23	08	03
10	केनरा बैंक	07	23	05	03
11	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	07	19	07	06
12	यूको बैंक	03	14	03	02
13	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	08	22	08	05
14	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	03	11	03	02
15	देना बैंक	03	10	03	02
16	इंडियन ओवरसीज बैंक	03	13	03	02
17	बैंक आफ महाराष्ट्र	03	12	03	01
18	आन्ध्रा बैंक	03	12	03	–
19	विजया बैंक	03	09	02	02
20	स्टेट बैंक आफ पटियाला	04	12	03	03
21	कारपोरेशन बैंक	02	06	02	–
22	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	01	03	01	01
	योग ..	137	406	131	76

जनपद पीलीभीत में अपराधी प्रकृति के मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को दी गई सहायता राशि के सम्बन्ध में

52–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत दिनांक 20 मार्च, 94 को तहसीलदार पीलीभीत द्वारा शासन (उ०प्र०) के निर्देशानुसार शिवराज तथा सरजू नामक मृतकों के आश्रितों को क्रमशः पचास हजार तथा पच्चीस हजार रुपया सहायता प्रदत्त कराये गये हैं ? क्या ये दोनों मृतक अपराधी प्रवृत्ति के रहे हैं ? यदि हां, तो क्या प्रदेश में पुलिस द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से मारे गये दूसरे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के आश्रितों को भी ऐसी सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी ? क्या प्रदत्त करायी गयी सहायता विधि विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित सहायता प्रदान करवाने में सहयोगी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

दिनांक 19/20 जनवरी, 1994 को पुलिस मुठभेड़ में मरा गया व्यक्ति शिवराज, थाना सुनगढ़ी, जनपद पीलीभीत का प्रचलित दुराचारी था जिसकी हिस्ट्रीशीट संख्या 90/ए है तथा उसके विरुद्ध थाना सुनगढ़ी सहित थाना माधौटाण्डा एवं न्यूरिया पर विभिन्न अपराध समय-समय पर पंजीकृत हुये थे । इसके अतिरिक्त दिनांक 4-1-94 को सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में जनता के साथ लूट का प्रयास करते समय ग्रामीणों द्वारा मारे गये सूरज सिंह के विरुद्ध उसी मामले में थाना सुनगढ़ी पर अपराध संख्या 55/94 धारा 393, 398, 307 भा०द०वि० पंजीकृत हुआ था । मृतक सरजू सिंह का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है ।

आर्थिक सहायता प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर परीक्षणोपरान्त मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये दी जाती है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पिकप द्वारा पिछले पांच साल में उद्योगपतियों को वितरित ऋण की जानकारी

53–श्री तीरथ राज–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिकप में पिछले पांच वर्षों में कितने उद्योपतियों को कितना-कितना धन किस-किस उद्योग को स्थापित करने के लिये दिया गया ? उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या क्या है एवं उन्हें किस मद में कितनी-कितनी धनराशि दी गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गत 5 वर्षों में पिकप द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए जितनी इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है, उनका विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	इकाइयों की संख्या	वित्तीय सहायता (रुपया लाख में)
1	2	3
1990-91	222	15945.60
1991-92	219	16768.59
1992-93	202	20676.55
1993-94	84	10147.60
1994-95 (30-11-94 तक)	49	5778.30
योग ..	776	

पिकप द्वारा किसी उद्योग को सहायता पात्रता एवं उपयुक्तता के आधार पर वित्तीय एवं तकनीकी विश्लेषण करके दी जाती है । इस व्यवस्था में निजी व्यक्तियों को ऋण नहीं दिया जाता है बल्कि संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।

जनपद शाहजहांपुर में नियत समय से अधिक काल तक कार्यरत हेड कांस्टेबिलों के स्थानान्तरण की मांग

54–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में कितने हेड कांस्टेबिल ऐसे हैं, जिनका कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक का हो गया है ? कितने ऐसे हैं, जिनका कार्यकाल 12 वर्ष से अधिक हो गया है ? इस सम्बन्ध में शासन की स्थानान्तरण नीति क्या है ? सरकार द्वारा उक्त कर्मियों को कब तक अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद शाहजहांपुर में 3 हेड कान्सटेबिलों का कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक है ।

5 हेड कान्सटेबिलों का कार्यकाल 12 वर्ष से अधिक है ।

शासनादेश दिनांक 11-7-86 के अनुसार हेड कान्सटेबिल को एक जनपद में 10 वर्ष तक नियुक्त रखा जा सकता है ।

स्थानान्तरण नीति के अनुसार सभी हेड कान्सटेबिलों का स्थानान्तरण अन्यत्र किया गया था, किन्तु विशेष परिस्थितियों में पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन, बरेली द्वारा स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया है ।

श्री शमशाद अहमद, उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण

55–श्री रमाकान्त यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश श्री शमशाद अहमद के विरुद्ध कितनी शिकायतें वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 30 जून, 1994 तक निदेशक को प्राप्त हुई ? उन पर कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1992-93 में शून्य वर्ष 1993-994 में 11 शिकायतें तथा 30 जून, 1994 तक 4 शिकायतें प्राप्त हुईं। उन पर अनु सचिव, सूचना, उ०प्र० शासन को जांच करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने अपनी जांच आख्या दिनांक 24-1-95 को शासन में प्रस्तुत कर दी है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

जनपद सुल्तानपुर के पशुधन प्रसार अधिकारी स्व० नरेन्द्र प्रताप सिंह के आश्रित को सेवा में लेने की मांग

56–श्री परशुराम यादव–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र प्रताप सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी जैसिंहपुर, जनपद सुल्तानपुर का स्वर्गवास उनके सेवाकाल में ही दिनांक 21-7-89 को हो गया था ? यदि हां, तो क्या स्व० सिंह के आश्रित को उसकी योग्यतानुसार विभाग में सेवायोजित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक मृतक आश्रित को सेवायोजित कर लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

श्री दिनेश प्रताप सिंह पुत्र स्व० नरेन्द्र प्रताप सिंह को मृतक आश्रित के रूप में दिनांक 18-11-89 को उप निदेशक, पशुपालन विभाग, फैजाबाद द्वारा उनकी लिखित सहमति के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई थी और उन्होंने दिनांक 15-12-89 को सेवा में योगदान दिया था तत्पश्चात् दिनांक 9-6-90 से वे सेवा से फरार हो गये। दिनांक 1-9-92 को उन्होंने पुनः सेवा में रखे जाने का प्रार्थना-पत्र दिया जिस पर सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाते हुये दिनांक 3-9-92 को उन्होंने पुनः नियुक्ति प्रदान की गई, तथापि श्री सिंह ने दिनांक 31-1-95 तक अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद फैजाबाद में पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा किए गए घपलों की जांच

57–श्री पशुराम यादव–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में जिला मुख्य पशुपालन अधिकारी व अन्य कुछ पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा लाखों रुपये का घपला चिकित्सालयों के जीर्णोद्धार हेतु योजना में किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस घपले की जांच किसी समक्ष अधिकारी द्वारा करायी गयी है ? यदि हां, तो कौन-कौन से दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1993-94 में जनपद फैजाबाद के 4 पशु चिकित्सालयों की मरम्मत हेतु शासन द्वारा रु० दो लाख स्वीकृत किया गया था। मरम्मत में अनिमितताओं की जांच उप निदेशक, पशुपालन, फैजाबाद से

करायी गयी तथा मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद द्वारा पुलिस में दर्ज करा दी गयी । डा० आर०पी० गुप्ता, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, डा० पी० एन० त्रिपाठी, पशु चिकित्साधिकारी तथा डा० श्याम सुन्दर सिंह, पशु चिकित्साधिकारी को जनपद से बाहर स्थानान्तरित किया गया । स्थानान्तरित अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण आदेशों के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये हैं ।

गाजियाबाद स्थित राठी इस्पात में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं उनके वेतनमान की जानकारी

58–श्री रमाकान्त यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद स्थित मेसर्स राठी इस्पात में वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 30 जून, 1994 तक कुल कितनी भट्टियां कार्यरत रही हैं ? उनकी क्षमता क्या है ? मासिक कुल कितना उत्पादन इस अवधि में हुआ ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? उनका वेतनमान क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मे० राठी इस्पात लि० में वर्ष 1992-93, 93-94 एवं 30-6-94 तक दो भट्टियां कार्यरत थीं । इनकी क्षमता 60000 मै० टन प्रतिवर्ष 3 पाली के आधार पर है । उत्पादन विवरण इस प्रकार है:–

वर्ष	उत्पादन
1992-93	30777 मै० टन
1993-94	41424 मै० टन
1-4-94 से 30-6-94	9190 मै० टन

इस इकाई में कुल 278 कर्मचारी सीधे तौर पर कार्यरत हैं । इन कर्मचारियों का औसत वेतन रु० 2,319/- प्रतिमाह है । इकाई में कोई फिक्सड वेतनमान नहीं है ।

59–श्री रमाकान्त यादव–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

मेसर्स राठी एलायज स्टील, गाजियाबाद पर बकाया विद्युत देय की जानकारी

60–श्री रमाकान्त यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मेसर्स राठी एलायज स्टील, गाजियाबाद पर किसका स्वामित्व है ? इस फैक्ट्री का अनुबंधित भार क्या है ? इनका माहवार 1 जनवरी, 1993 से 31 जुलाई, 1994 तक का विद्युत खपत एवं डिमाण्ड क्या रही है ? इस फर्म पर विगत 1992-93 व 31 जुलाई, 1994 तक कुल कितना विद्युत देय बिल बकाया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मे० राठी एलायज स्टील एक पब्लिक लि० कं० है, जिस पर श्री चांद रतन राठी का चेयर मैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से स्वामित्व है । यह वर्तमान में राठी सुपर स्टील्स लि० के नाम पर कारोबार कर रही है । इनका अनुबंधित विद्युत भार दो हैं –

प्रथम एक कनेक्शन आर्क फर्नेस हेतु है, जिसका अनुबंधित विद्युत भार 6000 के०वी०ए० है । दूसरा कनेक्शन रोलिंग मिल का है, जिसका अनुबंधित विद्युत भार 3950 के०वी०ए० है । इनकी माहवार । जनवरी, 1993 से 31 जुलाई, 94 तक विद्युत खपत तथा डिमांड इस प्रकार है :–

माह	विद्युत खपत	डिमांड
1/93	638750 यूनिट	3069 के०वी०ए०
2/93	735750 ,,	3100 ,,
3/93	424875 ,,	3250 ,,
4/93	484625 ,,	3575 ,,
5/93	626625 ,,	3438 ,,
6/93	618750 ,,	3612 ,,
7/93	874000 ,,	3681 ,,
8/93	687875 ,,	3762 ,,
9/93	498750 ,,	3712 ,,
10/93	629125 ,,	3850 ,,
11/93	523500 ,,	3725 ,,
12/93	420125 ,,	3737 ,,
1/94	624375 ,,	3713 ,,
2/94	743125 ,,	3581 ,,
3/94	569500 ,,	3456 ,,
4/94		3194 ,,
5/94	913875 ,,	2919 ,,
6/94	384875 ,,	3225 ,,
7/94	580875 ,,	2888 ,,

इकाई के पास 2 विद्युत कनेक्शन हैं । पहला कनेक्शन आर्क फर्नेस हेतु है, जिस पर वर्ष 92-93 तथा 31 जुलाई, 94 तक रु० 24,01,161.74 की धनराशि बकाया थी । दूसरा कनेक्शन रोलिंग मिल का है, जिस पर 1992-93 के अन्त तक तथा 31 जुलाई , 94 तक रु० 2,17,852.30 पैसे की धनराशि बकाया है । इन दोनों बकाओं के भुगतान पर मा० न्यायालय का स्थगन आदेश है ।

लखनऊ में पुलिस के प्रदेश स्तरीय कार्यालयों को एक स्थान पर लाने हेतु पुलिस भवन बनवाए जाने की योजना

61–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में पुलिस के प्रदेश स्तरीय विभिन्न कार्यालयों को जन सुविधा की दृष्टि से एक स्थान पर लाने के लिये एक पुलिस भवन बनाने की योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त योजना पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इस हेतु पुलिस विभाग को 2 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति भी निर्गत कर दी गयी है ।

थानाध्यक्ष, मछली शहर, जौनपुर द्वारा ग्राम मोलनापुर में होली न जलवाए जाने के कारण दोषी के विरुद्ध कार्यवाही

62–श्री तीरथ राज–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या थानाध्यक्ष, मछली शहर, जौनपुर के द्वारा ग्राम मोलनापुर, थाना मछली शहर, जौनपुर में होली जलाने नहीं दी गयी है ? इस सम्बन्ध में क्या उक्त ग्राम के ग्रामवासियों द्वारा उनको दिनांक 29-3-94 को तार द्वारा इस घटना की सूचना दी गयी थी ? यदि हां, तो जिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा प्रदेश प्रशासन को अवगत कराये जाने के बाद कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम गोठवारा, थाना इनायतनगर, जनपद फैजाबाद में जून, 93 में डकैतों एवं ग्रामवासियों की मुठभेड़ में मारे गये व्यक्तियों को मुआवजा देने की मांग

63–श्री परशुराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 24/25-6-93 की रात्रि में ग्राम गोठवारा, थाना इनायतनगर, जनपद फैजाबाद में डकैतों एवं ग्रामवासियों के बीच हुई मुठभेड़ में राम बरन पुत्र छेदी एवं राम गोपाल पुत्र परमेश्वरदीन की मृत्यु हो गयी थी ? क्या मृतक राम गोपाल के परिजनों को सरकार द्वारा रु० 10,000 की धनराशि दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतक राम बरन के आश्रित को भी सरकार रु० 10,000 देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

अनुसूचित जाति का होने के कारण मृतक राम गोपाल के परिवारजन को "अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पुनर्वासन योजना" के अन्तर्गत यह आर्थिक सहायता दी गयी थी।

अनुसूचित जाति का न होने के कारण मृतक राम बरन के परिवारजन को यह सहायता नहीं दी जा सकती है।

स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर द्वारा जानलेवा त्रुटियों को दूर न करने के कारण प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही

64–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि भारत सरकार के निमंत्रण पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई०एल०ओ०) ने स्टार पेपर मिल्स लि०, सहारनपुर का निरीक्षण जनवरी, 1990 में किया गया था, जिसमें 27 अति आवश्यक जानलेवा त्रुटियों की ओर मिल्स प्रबन्धकों का ध्यान आकृष्ट किया गया था ? क्या यह भी सही है कि मिल्स प्रबन्धकों ने एक माह बाद ही आई०एल०ओ० की सभी कमियां पूरी कर लेने की फर्जी रिर्पोट भेज दी थी ? क्या वह सभी कमियां उप निदेशक कारखाना, बरेली सम्भाग ने 1 सितम्बर, 1993 को भी पूरी हुई नहीं पायी हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस गम्भीर अनियमितता तथा अन्तर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार कानून व शासन की प्रतिष्ठा बनाने के लिये कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। आई०एल०ओ० विशेषज्ञ ने जनवरी, 1990 में निरीक्षण के उपरान्त 27 सुरक्षा संबंधी अनुशंसायें की थीं।

जी नहीं।

अधिकांश सुरक्षा संबंधी अनुशंसाओं का पालन पाया गया। पायी गयी कमियों के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के न्यायालय में अभियोग दायर किया जा चुका है।

उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान कतिपय स्थानों पर हुए नर संहार एवं बलात्कार की जांच

65–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति हेतु चलाये गये आन्दोलन में खटीमा, मंसूरी, नारसन (गुरुकुल) एवं रामपुर तिराहे (मुजफ्फरनगर) में हुए नरसंहार तथा सामूहिक बलात्कार की न्यायिक जांच कराने का निर्णय शासन ने लिया है ? यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति हेतु चलाये गये आन्दोलन के संबंध में खटीमा, मंसूरी, नारसन (गुरुकुल) में नरसंहार, बलात्कार की शिकायतों की न्यायिक जांच का निर्णय प्रदेश शासन द्वारा नहीं लिया गया है क्योंकि इस प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय द्वारा सी०बी०आई० को जांच का कार्य सौंपा गया है।

रामपुर तिराहे (मुजफ्फरनगर) की घटनाओं की जांच हेतु मा० उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया था जिसका कार्यकाल दिनांक 7-1-95 तक था ।

66–श्री बालेश्वर त्यागी–

[4थे शुक्र० में अता० प्र० सं० 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद बांदा में भूमि चोरों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी एवं अभियुक्तगणों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों की संख्या का विवरण

67–श्री गया चरण दिनकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में भूमि चोरों से संबंधित थानों में कुल कितने अभियुक्तगणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हैं ? क्या अभियुक्तगणों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कुल कितने अभियुक्तगण जेल में हैं ? कितने जमानत पर हैं और कितने फरार हैं ? फरार अभियुक्तगणों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद बांदा में भूमि चोरों से संबंधित किसी भी थाने में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी, बांदा को भेजे गये आर०टी० सन्देश के फलस्वरूप दर्ज हत्याभियोग के अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग

68–श्री गया चरण दिनकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित आर० टी० सन्देश दिनांक 26-9-94 जो जिलाधिकारी, बांदा व पुलिस अधीक्षक, बांदा को संबोधित था, पर हत्यारों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था ? यदि हां, तो मुकदमा अपराध सं० एवं धारायें क्या हैं ? हत्यारों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब करने का कारण क्या है ? कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित आर०टी० सन्देश प्राप्त हुआ । इससे पूर्व ही राम शरण निवासी अनुथवा, थाना अतर्रा का शिकायती-पत्र इसी आशय का प्राप्त हुआ था । उसमें लगाये गये आरोप जांच से प्रमाणित न होने के कारण अभियोग पंजीकृत कराये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया । अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बांदा की थाना कोतवाली कर्वी में दर्ज अनु० जाति/जनजाति उत्पीड़न निवारण के मुकदमें से संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग

69–श्री गया चरण दिनकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या 496/94, धारा 392/420 आई०पी०सी० व 3(1) दस व 3(2) पांच अनु० जाति/जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम थाना कोतवाली, कर्वी, जनपद बांदा से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार अभियोग अपराध संख्या 496/94 धारा 323/504/506 भा०द०वि० व 3(1) 10एससी/एसटी ऐक्ट मोथा पुत्र भोड़ा निवासी गढ़ी व थाना कर्वी, जनपद बांदा ने श्रीमती गंगादेई पत्नी रामेश्वर प्रसाद ब्राह्मण व रामेश्वर प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद ब्राह्मण निवासी सोनेपुर के विरुद्ध पंजीकृत कराया । विवेचना दौरान अभियुक्त रामेश्वर प्रसाद को दिनांक 1-10-94 को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त श्रीमती गंगादेई ने दिनांक 12-10-94 को आत्मसमर्पण किया । विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु कोई ठोस योजना बनाये जाने की मांग

70–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने शिक्षित बेरोगार हैं ? क्या सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई ठोस योजना बनाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों की 31 दिसम्बर, 1993 तक की सजीव पंजिका के अनुसार प्रदेश में कुल 16,35,559 शिक्षित युवक बेरोजगार के रूप में पंजीकृत थे ।

जी हां । बेरोजगारी को दूर करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति का "बेरोजगारों को रोजगार" संबंधी प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है और उसमें सुझाये गये कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद जौनपुर में न्यू माडल चर्खों की मांग एवं आपूर्ति

71–श्री वासुदेव सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रचलन एवं बढ़ावा देने हेतु विभिन्न स्थानों पर एन०एम०सी० न्यू माडल चरखों की मांग की जा रही है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रबन्धक,

खादी ग्रामोद्योग विभाग, जौनपुर को 29 नं० चर्खा की मांग हेतु भारतीय मजदूर संघ, जौनपुर का पत्रांक 101/दिनांक 30-1-92 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

शासनादेश संख्या 6308/38-6-94–30डी०डी०/94, दिनांक 28 नवम्बर, 1994 के अनुसार पन्द्रह जनपदों में विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत न्यू माडल चर्खा योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसमें जौनपुर जनपद शामिल है । स्वीकृत प्रोजेक्ट के अनुसार 300 चर्खे जौनपुर में श्री गांधी आश्रम, जौनपुर के माध्यम से चलाये जाने हैं । चर्खों की आपूर्ति आदेश खादी आयोग बम्बई को दिया जा चुका है ।

लखनऊ के ऐशबाग स्थित मोहल्ले में "प्रजापति ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विद्यालय" में लड़कियों को विवाह न कर सन्यासियों की भांति जीवन व्यतीत करने हेतु दबाव

72-श्री रतन लाल अहिरवार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के खुर्शेदबाग नामक मोहल्ले में "प्रजापति ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय" नामक कथित अध्यात्मिक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना कब एवं किसके द्वारा तथा किन उद्देश्यों से की गयी थी ? लखनऊ नगर में संस्था से सम्बद्ध प्रमुख व्यक्ति कौन-कौन हैं ? संस्था या उससे सम्बद्ध सदस्यों के विरुद्ध संबंधित थाने में अब तक क्या-क्या आरोप प्रकाश में आये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? संस्था द्वारा लखनऊ की जिन लड़कियों का विवाह न करके सन्यासियों की भांति संस्था में ही जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित या बाध्य किया जा रहा है उनके नाम आयु एवं उनका स्थानीय पता क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्राप्त सूचनानुसार प्रजापति ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना श्री राधे श्याम अग्रवाल एवं उनकी पत्नी श्रीमती किशोरी देवी द्वारा 51, खुर्शेद बाग में वर्ष 1965 में तथा 25 त्रिपाठी नगर खुर्शेदबाग में वर्ष 1972 में स्थानीय लोगों के सहयोग से की गयी । उपरोक्त विश्वविद्यालय की स्थापना मानव जीवन के चरित्र के उत्थान एवं घर गृहस्थी में रहकर पवित्र रहने के उद्देश्य से की गयी थी ।

1–ब्रह्माकुमारी माधुरी 2–अर्चना 3-दिव्या 4-ब्रह्माकुमारी किशोरी 5–ब्रह्माकुमारी कल्पना

कोई आरोप स्थानीय पुलिस के प्रकाश में नहीं आया है ।

संस्था/ आश्रम में किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जाता है और न ही लड़कियों को सन्यासिनी की भांति जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया जाता है ।

पूर्त धर्मस्व विभाग में पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति का कोटा पूरा किये जाने की मांग

73–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ पूर्त धर्मस्व विभाग में कुल कितने पद हैं ? उसमें सामान्य, पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? क्या पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासन के अधीन पूर्त धर्मस्व नाम से कोई अलग विभाग नहीं है । इस नाम से सचिवालय में एक अनुभाग अवश्य है जो सचिवालय प्रशासन विभाग का अंग है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

74–श्री गया चरण दिनकर–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

75-76–श्री महेश चन्द्र–

[दि० 6-2-95 को अता० प्र० सं० 178-179 द्वारा उत्तरित ।

77–श्री महेश चन्द्र–

[दि० 8-3-94 को अता० प्र० सं० 92 द्वारा उत्तरित ।

कानपुर में पुलिस प्रशासन को प्राप्त पत्रों में उल्लिखित समस्याओं के निराकरण की मांग

78–श्री महेश चन्द्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4-12-93 से लेकर 24-10-94 तक पुलिस प्रशासन, कानपुर नगर को प्रश्नकर्ता के कुल कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ? इन पत्रों में उल्लिखित कितनी समस्याओं का निराकरण किया गया कितनी समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही गतिमान है ? लम्बित समस्याओं के विलम्ब से निराकरण के लिए कौन-कौन कर्मचारी उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

79–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री नरेश चन्द्र, पत्रकार द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

80-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री नरेश चन्द्र, पत्रकार, मित्रता न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित कोई पत्र किसी पत्रकार की निर्मम पिटाई के संबंध में दिनांक 16-9-94 अथवा उसके आसपास किसी दिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को मिला है ? यदि हां, तो पत्र का सारांश क्या है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

श्री नरेश चन्द्र, पत्रकार, मित्रता न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ का पत्र दिनांक 16-9-94 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को दिनांक 21-9-94 को प्राप्त हुआ था जिसमें श्री नरेश चन्द्र को दिनांक 13-9-94 को लगभग 1.30 बजे अप्सरा मार्केट पर पुलिस अधीक्षक, नगर तथा अपर जिलाधिकारी, नगर द्वारा पिटाई एवं पुलिस कर्मचारियों द्वारा 435 रुपये व घड़ी छीनने के संबंध में थाना बन्ना देवी पर रिपोर्ट न लिखाने की शिकायत थी । शिकायती-पत्र की तत्परता से जांच करायी गयी जांच से उक्त शिकायत असत्य पायी गयी ।

उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम, कर्वी में धन के दुरुपयोग में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

81-श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, उ० प्र० शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-4 के अर्धशासकीय पत्र संख्या-9505/छ:पु०-4/1991, दिनांक 25-11-1991 द्वारा उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम की कर्वी इकाई में 6.63 लाख रुपये के धन के दुरुपयोग किये जाने के आरोपों की जांच शाखा द्वारा करायी गयी है ? यदि हां, तो दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, बल्कि गोपनीय अर्धशासकीय पत्र संख्या-यू०ओ०111/आठ-4-87, दिनांक 21 मई, 1987 द्वारा जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग को अभिदिष्ट की गयी थी ।

श्री राम मूर्ति सिंह, तत्कालीन शाखा प्रभारी, कर्वी, मुख्तार सिंह, वरिष्ठ लेखाकार, दिनेश प्रसाद, फोरमैन, हीरा लाल व एस० पी० सिंह, सुपरवाइजर, जे० पी० मौर्या, माइनिंग मेट के विरुद्ध अभियोजन संचालित किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं तथा हीरा लाल अग्रवाल, तत्कालीन मुख्य वित्तीय

प्रबन्धक एवं वी० के० सरकार, तत्कालीन परियोजना प्रबन्धक (आर० एण्ड डी०) को कारण बताओ नोटिस दिया जा चुका है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा 1990 से 94 तक दिल्ली की की गयी यात्राओं का विवरण

82–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री बनने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० खनिज विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ में वर्ष 1990 से मार्च, 1994 तक किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों ने नई दिल्ली की कितनी यात्रायें की हैं ? क्या यह सही है कि अधिकतर यात्रायें सार्वजनिक अवकाश के दिनों में ही की गयी हैं ? यदि हां, तो किन अधिकारियों की अनुमति एवं स्वीकृति से फर्जी यात्रायें की गयीं हैं जिससे निगम का लाखों रुपया व्यय हुआ है ? यात्रा का उद्देश्य क्या था एवं निगम को इन यात्राओं से क्या लाभ हुआ ? यदि नहीं, तो क्या जांच करवाकर दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1990 से 1994 की अवधि में निगम के 195 अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नई दिल्ली की यात्रायें की गयीं।

जी नहीं। यात्रायें सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निगम के हित में की गयीं जिससे निगम को लाभ हुआ है।

श्री पी० एल० श्रीवास्तव, दुग्धशाला विकास अधिकारी, लखनऊ द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर उन्हें दण्डित करने की मांग

83–डा० शिव प्रताप यादव–

क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पी० एल० श्रीवास्तव, दुग्धशाला विकास अधिकारी, मुख्यालय, लखनऊ के विरुद्ध गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की चल रही जांच किस अधिकारी द्वारा करायी जा रही है ? उस रिपोर्ट में क्या श्री श्रीवास्तव दोषी पाये गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री पी० एल० श्रीवास्तव, दुग्धशाला विकास अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की जांच तत्कालीन संयुक्त सचिव, दुग्ध विकास विभाग (स्व० श्री बी० एम० सिंह श्रीनेत) से करायी गयी है तथा सिद्ध आरोपों के आधार पर अन्तिम आदेश पारित किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

कानपुर में पराग दुग्ध व्यवसाय काम्प्लेक्स को शीघ्र निर्मित किये जाने की मांग

84–डा० शिव प्रताप यादव–

क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 25 मार्च, 1990 में मुख्य मंत्री जी ने कानपुर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ के अन्तर्गत पराग दुग्ध व्यवसाय काम्प्लेक्स का शिलान्यास किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पराग दुग्ध व्यवसाय काम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त काम्प्लेक्स अब तक न बनाये जाने का क्या कारण रहा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

जी नहीं ।

दुग्ध संघ के पास पूंजी का अभाव होने के कारण उक्त काम्प्लेक्स अभी बन नहीं सका है ।

जनपद उन्नाव के ग्राम माध्यव खेड़ा निवासिनी स्व० शीला के शव को पोस्ट मार्टम हेतु देर से भेजने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

85–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के थाना अजगैन में दिनांक 1-9-94 को प्रातः 10 बजे श्रीमती शीला निवासिनी ग्राम माध्यव खेड़ा, मजरा परसन्दन का मृत शरीर जो अस्पताल ले जाते समय मृतक हुई थी, थाने पर लाया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका पोस्टमार्टम दूसरे दिन 2-9-94 को सायं 4 बजे कराया गया । 30 घण्टे लाश को थाने पर रोके रहने के क्या कारण थे ? क्या जांचोपरान्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

जी हां । शव का पोस्टमार्टम दिनांक 2-9-94 को सायं 16.30 बजे हुआ ।

बारिश होने तथा गवाहों की अनुपलब्धता के कारण रात्रि में पंचायतनामा नहीं हो सका एवं दिनांक 2-9-94 को प्रातः 10 बजे नायब तहसीलदार, हसनगंज ने थाना अजगैन आकर पंचायतनामा की कार्यवाही आरम्भ की, जो कि 12.30 बजे पूर्ण हुई तथा शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया । पोस्टमार्टम सायं 4.30 बजे हुआ ।

पुलिस कर्मियों की लापरवाही की जांच चल रही है । दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद शाहजहांपुर में जलालाबाद मार्ग पर वाम आर्गेनिक ग्रुप द्वारा इण्डस्ट्री लगाने हेतु जमीन का अधिग्रहण

86–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजांपुर जनपद में जलालाबाद मार्ग पर वाम आर्गेनिक ग्रुप के द्वारा कोई इण्डस्ट्री लगाने हेतु जमीन का अधिग्रहण उ० प्र० सरकार या यू० पी० एस० आई० डी० सी० के द्वारा किया गया है ? इस जमीन के अधिग्रहण के समय जिला शाहजहांपुर से जमीन का रेट जो प्रस्तावित होकर प्रारम्भ में आया था उसको किस परिस्थिति में बाद में बदला गया ? क्या मंत्री जी इस संबंध में जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

अभिनिर्णय में निर्धारित दर के अनुसार ही प्रतिकर का भुगतान किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

87–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[पहले बुध में अता० प्र० सं० 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम लि०, अलीगंज, लखनऊ के अधिकारियों द्वारा घरेलू नौकरों को भुगतान हेतु ली जाने वाली धनराशि का औचित्य

88–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लि०, प्रगति केन्द्र (द्वितीय तल) व्यवसायिक केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ के अधिकारियों को किन नियमों के अन्तर्गत घरेलू नौकरों का भुगतान 35/- प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है ? क्या इसकी स्वीकृति शासन से ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्या भुगतान की गयी धनराशि की वसूली करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । निगम के अधिकारियों को घरेलू नौकरों का कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम लि० में अनुसूचित जाति के वरिष्ठ लेखाकार को सहायक प्रबन्धक (लेखा) के पद पर प्रोन्नति देने की मांग

89–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लि०, प्रगति केन्द्र (द्वितीय तल), व्यवसायिक केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ के अधीन कितने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारी सहायक प्रबन्धक (लेखा) के पदों पर कार्यरत हैं ? क्या अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को वरिष्ठ लेखाकार के पद से आरक्षण के आधार पर सहायक प्रबन्धक (लेखा) के पद पर

पदोन्नति देने की कृपा करेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1982 में कम शैक्षिक योग्यता रखने वाले तीन कर्मचारियों को सहायक प्रबन्धक (लेखा) के पद पर पदोन्नत किया गया था ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के कर्मचारी की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होते हुए भी पदोन्नति क्यों नहीं की गयी थी ? क्या इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

निगम में सहायक प्रबन्धक (लेखा) के पद पर अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है ।

आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम लि० में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत क्लर्क/टाइपिस्ट को मूल विभाग में वापस भेजा जाना

90–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लि०, प्रगति केन्द्र (द्वितीय तल) व्यवसायिक केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो जनपद सीतापुर कताई मिल/चीनी मिल से प्रतिनियुक्ति पर क्लर्क/टाइपिस्ट के पद पर रखे गये हैं ? क्या यह सही है कि प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को निगम द्वारा उच्च वेतनमान दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रतिनियुक्ति पर आये हुए कर्मचारियों को अपने मूल विभाग में वापस करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । निगम में सहकारी कताई मिल, सीतापुर से एक कर्मचारी को वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है ।

जी हां ।

संबंधित कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति अवधि 17-4-96 तक है । अवधि समाप्त होने के उपरान्त कर्मचारी को मूल विभाग में वापस किये जाने के संबंध में अग्रिम निर्णय लिया जायेगा ।

उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम लि० में पदोन्नति में रोस्टर प्रणाली लागू किया जाना

91–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लि०, प्रगति केन्द्र (द्वितीय तल) व्यवसायिक केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ में अनुसूचित जाति, जनजाति/पिछड़े वर्ग

की पदोन्नतियां करने के लिये रोस्टर प्रणाली बनायी गयी है ? यदि हां, तो रोस्टर प्रणाली के अनुसार कितनी पदोन्नतियां किन-किन पदों पर की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

अभी किसी पद पर कोई पदोन्नति नहीं की गयी है ।

मामला विचाराधीन है ।

उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम लि० में चिकित्सा सलाहकार की अवैधानिक नियुक्ति की जांच

92–श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लि०, प्रगति केन्द्र (द्वितीय तल) व्यवसायिक केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ (मुख्यालय) द्वारा चिकित्सा सलाहकार के रूप में पति-पत्नी (दोनों को) को किस शासनादेश के अनुसार रखा गया है जबकि पूर्व में ही एक चिकित्सा सलाहकार नियुक्त है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर जो गलत रूप में नियुक्ति की गयी है, को रद्द करने के आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । निगम में पुरुष/महिला कर्मचारियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सक दम्पति को परामर्श हेतु 2000 रु० प्रतिमाह की दर से मानदेय पर सम्बद्ध किया गया है । यह पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं है ।

जनपद शाहजहांपुर के थाना खुदागंज, निगोही व जैतीपुर में वर्ष 94 में हुए अपराधों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी

93–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना खुदागंज, थाना निगोही व जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1994 में कितनी हत्या, डकैती, लूट, अपहरण व बलात्कार के मुकदमें दर्ज किये गये ? इनमें से कितने मुकदमें ऐसे हैं, जिसमें अभियुक्तों का आज तक पता नहीं चला तथा कितने में अभी भी चार्जशीट नहीं लगी । जिन मुकदमों में अभियुक्तों का पता नहीं चला है उसमें क्या आई० ओ० व थानाध्यक्ष की ढिलाई के कारण ऐसा हुआ या अन्य किसी कारणों से ? इनमें कब तक अभियुक्तों का पता कराकर चार्जशीट दाखिल कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

संदर्भित थानों में वर्ष 1994 में हत्या, डकैती, लूट, अपहरण व बलात्कार के कुल 73 मुकदमे दर्ज हुए । इनमें से केवल 10 मामलों में अभियुक्तों का पता नहीं चला है और 13 मामलों में चार्जशीट नहीं लगी है ।

अभियुक्तों का पता न चलने वाले मामलों में आई० ओ० व थानाध्यक्ष की ढिलाई नहीं पाई गई है।

इस संबंध में कोई निश्चित समय निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

कानपुर नगर के थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरियों का विवरण एवं पता लगाने की मांग

94–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के थाना कैन्ट के अपराध संख्या–191/94 धारा 380 आई० पी० सी० के अभियुक्तों का पता अभी तक क्यों नहीं चल पाया ? अगस्त-सितम्बर, 1994 में कितनी चोरियां इस थाने में दर्ज हुई ? इनमें से कितने अभियुक्तों का पता चला तथा कितने मामलों में चोरी गया सामान बरामद हुआ ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री संजय मेहरोत्रा निवासी जी० टी० रोड, 2-ए, लारमन बाग, डिफेन्स कालोनी, कैन्ट, कानपुर नगर की सूचना पर थाना कैण्ट, कानपुर नगर में मु० अ० सं० 191/94 धारा 457/380 भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है।

थाना कैण्ट के अन्तर्गत माह अगस्त में कुल दो तथा माह सितम्बर में तीन घटनाएं चोरी की घटित हुई। काफी प्रयास करने के बाद भी अभी तक चोरी गयी सम्पत्ति बरामद नहीं हो पायी है।

जनपद शाहजहांपुर के थाना मिर्जापुर एवं कलान में वर्ष 94 में हुए अपराधिक मामलों में शीघ्र चार्जशीट लगाये जाने की मांग

95–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मिर्जापुर व थाना कलान में वर्ष 1994 में हत्या, लूट, डकैती व आगजनी के कितने मुकदमे पंजीकृत हुए ? इनमें से कितनों में चार्जशीट लगना बाकी है ? चार्जशीट न लगाने के पीछे क्या कारण हैं ? इनमें कब तक चार्जशीट लगा दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद शाहजहांपुर के संदर्भित थानों में वर्ष 1994 में हत्या, लूट, डकैती व आगजनी के कुल 26 मुकदमे पंजीकृत हुए। इनमें से 18 मामलों में चार्जशीट लगाई गई। एक में अन्तिम रिपोर्ट लगी तथा 6 मामले विवेचनोपरान्त असत्य पाये जाने पर खारिज किये गये।

विवेचनोपरान्त प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की गयी।

96–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने हेतु उद्योग धन्धे लगाने की मांग

97–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार युवकों की गरीबी दूर करने के लिये कोई उद्योग धन्धा लगाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान नीति के अनुसार शासन द्वारा कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है, बल्कि प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु पात्र शिक्षित बेरोजगार युवकों को शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति की संस्तुति पर बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है ।

जनपद फैजाबाद में पशु चिकित्सालयों की स्थापना

98–श्री परशुराम यादव–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में पशु चिकित्सालयों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की बीकापुर तहसील के विकास खण्ड बीकापुर के गोला बाजार एवं तारुन विकास खण्ड के परसांवा महोला तथा हनुमतनगर (हथिगो) पशु चिकित्सालयों का भवन निर्माण इसी वर्ष करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पशु चिकित्सालयों की स्थापना तथा उनके लिये भवन निर्माण जिला योजना का विषय है । जनपद फैजाबाद को वित्तीय वर्ष 1994-95 की जिला योजना में पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु धन का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1991 एवं 93 में हुए मध्यावधि चुनाव में जनपद गोण्डा में परिवहन व्यवस्था में हुई धांधली में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

99–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1991 मध्यावधि चुनाव में लोक सभा/विधान सभा चुनाव संचालन हेतु तत्कालीन अपर जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा ने विगत वर्ष 1993 के मध्यावधि विधान सभा चुनाव की तुलना में अधिक मोटर वाहन लगाकर चुनाव संचालन कार्य दिखाया था जबकि वर्ष 1993 में मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा ने जनपद के 11 विधान सभा क्षेत्रों में कम संख्या में आवश्यकतानुसार

मोटर वाहन का संचालन किया था ? क्या वर्ष 1991 के मध्यावधि चुनाव की तुलना में 1993 के मध्यावधि के चुनाव में कम खर्च किया गया है ? यदि हां, तो सरकार तत्कालीन अपर जिला मजिस्ट्रेट, परियोजना के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या पूरे प्रकरण की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन से करायी जायेगी और अपर जिला मजिस्ट्रेट को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1991 में लोक सभा तथा विधान सभा निर्वाचन एक साथ निर्धारित थे परन्तु दूसरे चरण के मतदान की तिथि दिनांक 26-5-91 से दिनांक 15-6-91 तक स्थगित करनी पड़ी । पुनः किये गये निर्वाचन के लिये पुनः की गयी परिवहन व्यवस्था किये जाने के कारण वर्ष 1993 की अपेक्षा वर्ष 1991 में व्ययाधिक्य हुआ । अतः इसके लिये तत्कालीन अपर जिला मजिस्ट्रेट परियोजना, गोण्डा या किसी अन्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

''हल्ला बोल'' कार्यक्रम की जानकारी

100–श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत दिनों उनके द्वारा ''हल्ला बोल'' के नाम से कोई कार्यक्रम घोषित किया गया था ? यदि हां, तो क्या इस संदर्भ में कोई शासनादेश भी जारी हुआ है ? यदि नहीं, तो किस नियम के अन्तर्गत कुछ जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा समाचार-पत्रों का वितरण बाधित किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

(क) ''हल्ला बोल'' के नाम से कोई सरकारी कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जिलाधिकारियों द्वारा समाचार-पत्रों के वितरण के बाधित किये जाने की घटना प्रकाश में नहीं आयी है ।

101–श्री परशुराम यादव–

[2रे गुरु में अता० प्र० सं० 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया निवासी श्री लाल बहादुर यादव के अपहरण हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

102–श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के थाना उन्नाव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम विरनई खुर्द लालगंज से दिनांक 28-9-94 को श्री लाल बहादुर यादव के अपहरण के संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 27-9-94 को समय 20.30 बजे वादिनी श्रीमती केशिया देवी पत्नी श्री देवेन्द्र यादव नि० ग्राम लालगंज तिरनई खुर्द, थाना उभांव, बलिया द्वारा लाल बहादुर यादव के अपहरण के संबंध में थाने पर रिपोर्ट लिखवायी गयी, जिस पर मु० अ० सं०-89/94 धारा 364 भा० दं० वि० पंजीकृत है।

अभियुक्तगण हरख व ललिता ने दिनांक 1-11-94 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया उसी दिन जेल भेजे गये थे तथा अभियुक्तगण गोरख व बुद्ध ने दिनांक 16-11-94 को आत्मसमर्पण किया व जेल भेजे गये। अदालत से उपरोक्त की जमानतें हो गयी हैं।

भारतीय मजदूर संघ, जौनपुर द्वारा श्रमिक समस्याओं से सम्बन्धित दिये गये पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

103–श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रमिक समस्याओं से सम्बन्धित भारतीय मजदूर संघ, जौनपुर का पत्रांक–102/दिनांक 1-5-1993 सहायक क्षेत्रीय श्रमायुक्त, जौनपुर व जिलाधिकारी, जौनपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो समस्याएं क्या हैं ? अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

संघ के मांग-पत्र में कर्मकारों के कार्य एवं पद के अनुसार श्रेणी व वेतन निर्धारण में न्यूनतम रु० 100 की वृद्धि दुगुनी दर से वार्षिक वेतन वृद्धि, मशीन का कार्य करने वाले कर्मकारों को वर्दी जूता दिया जाना, कर्मकारों का काम मानक के अनुसार निर्धारित किया जाना तथा निलम्बित कर्मकारों की बहाली की मांगों का उल्लेख है।

सहायक श्रमायुक्त, जौनपुर द्वारा संराधन वार्ता के माध्यम से समझौता कराने का प्रयास किया गया। दोनों पक्षों के अपने-अपने मत पर अडिग रहने के कारण मांगों के संबंध में कोई सहमति नहीं हो सकी।

शस्त्र हेतु लाइसेंस देने की प्रक्रिया तथा वाराणसी में दिये गये लाइसेंसों की संख्या की जानकारी

104–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शस्त्र हेतु लाइसेंस देने की सरकार की नीति क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि दिसम्बर, 93 से 29-10-94 तक वाराणसी जिले में लाइसेंस दिये जाने हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कितने लोगों को लाइसेंस दिये गये ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आयुध अधिनियम, 1959 एवं उसके अधीन बनायी गयी आयुध नियमावली, 1962 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आग्नेयास्त्र लाइसेंस प्रदान किये जाते हैं।

प्राप्त सूचनानुसार जनपद वाराणसी में दिसम्बर, 93 से 29-10-94 तक 1758 आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा 604 व्यक्तियों को आग्नेयास्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये गये ।

जनपद बुलन्दशहर के थाना खुपुरा में श्री पुष्पेन्द्र सिंह को गलत फंसाये जाने से संबंधित मामले की जांच की मांग

105–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बुलन्दशहर के थाना खुपुरा में पंजीकृत अपराध संख्या–4/92, दिनांक 30-7-92 में श्री पुष्पेन्द्र सिंह को गलत फंसाया जा रहा है ? यदि हां, तो धरना से संबंधित नियंत्रण कक्ष की दिनांक 30-7-92 की लाग बुक मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 6-10-93 के बावजूद स्थानीय पुलिस द्वारा प्रस्तुत न किये जाने के कारण क्या हैं ? क्या उक्त की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा गलत तथ्यों एवं दबाव में की जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त की निष्पक्ष जांच किसी अन्य अधिकारी द्वारा करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

दिनांक 30-7-92 को श्री नैन सिंह पुत्र प्रह्लाद सिंह निवासी ग्राम नंगला भटौना थाना खूपुरा बुलन्दशहर की देवी सिंह के अपहरण की रिपोर्ट पर दो नामांकित अभियुक्त एवं एक अन्य नाम पता अज्ञात के विरुद्ध थाना खूपुरा पर अप० सं०-84/92 धारा 364 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया जिसमें प्रश्नगत श्री पुष्पेन्द्र सिंह नामित अभियुक्त है ।

मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 6-10-93 के अनुपालन में अपराध शाखा के विवेचक द्वारा जिला नियंत्रण कक्ष की लाग बुक दिनांक 30-7-92 का उद्धरण न्यायालय में दाखिल किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निवर्तमान थानाध्यक्ष, टूण्डला द्वारा वर्ष 1991-92 में दर्ज अपराधों तथा उनके विवेचना की जानकारी

106–श्री राम पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निवर्तमान थानाध्यक्ष, जी० आर० पी० टूण्डला, अलीगढ़ विगत जनवरी, 90 से दिसम्बर, 1991 के मध्य कहां-कहां तैनात रहे ? उनके कार्यकाल में सम्बन्धित थानों में किस-किस धारा में कौन-कौन अपराध दर्ज किये गये ? उनमें से उक्त थानाध्यक्ष द्वारा किन-किन मामलों में तफ्तीश/विवेचना की गयी ? उनका क्या परिणाम निकला ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिलाधिकारी, गाजियाबाद को तहसील दादरी के परगनाधिकारी के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

107–श्री समीर भाटी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी के परगनाधिकारी के विरुद्ध जांच हेतु एक पत्र दिनांक 25-9-94 को जिलाधिकारी, गाजियाबाद को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती रामवती देवी निवासी कोटला मेवतियान जनपद गाजियाबाद को सरकारी सेवा में लिये जाने की मांग

108–श्री गजराज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 30-6-94 का एक पत्र प्रश्नकर्ता ने श्रीमती रामवती देवी निवासी कोटला मेवतियान, हापुड़, जनपद गाजियाबाद को चतुर्थ श्रेणी के पद पर यू० पी० स्टेट हार्टिको से छंटनी शुदा कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति दिलाने के संबंध में दिया था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या श्रीमती रामवती देवी को जनपद गाजियाबाद में जिलाधिकारी ने नौकरी दिला दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

निर्धारित योग्यता न रखने के कारण सेवायोजन में नहीं लिया जा सका ।

उत्तराखण्ड क्षेत्र में आन्दोलन से सम्बन्धित लाठी चार्ज व गोलीकाण्ड की जांच सी० बी० आई० से कराने की मांग

109–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल क्षेत्र में आन्दोलन से सम्बन्धित जिनमें लाठी चार्ज व गोलीकाण्ड हुआ है, 7 अगस्त, 94 को व उनके पश्चात् की घटनाओं की सरकार सी० बी० आई० से जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड आन्दोलन से सम्बन्धित घटनाओं की जांच सी० बी० आई० द्वारा प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपदीय स्तर पर होने वाले स्थानान्तरणों हेतु स्थानान्तरण नीति बनाये जाने की मांग

110–श्री राम सरन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपदों के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर जो भी स्थानान्तरण भिन्न विभागों द्वारा किये जाते हैं ? क्या वह किसी स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत किये जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भविष्य में ऐसे स्थानान्तरणों के संबंध में कोई नीति निर्धारण हेतु किसी समिति का जनपद स्तर पर गठन किया जायेगा जिसमें कि क्षेत्रीय विधायकों की भी भागीदारी अनिवार्य हो ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आबादी से अधिक आरक्षण दिये जाने का औचित्य

111–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 13 करोड़ 91 लाख 12 हज़ार थी जिसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या लगभग 2 लाख 87 हजार 901 थी, जोकि पूरी आबादी का मात्र दशमलव दो प्रतिशत था फिर भी अनुसूचित जनजाति को उसकी आबादी का दस गुना दो प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसे क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

यह आरक्षण प्रतिशत वर्ष 1970 से ही लागू है ।

हैदरगढ़, जिला बाराबंकी के क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

112–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी पुलिस श्री अम्बिका प्रसाद राय के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का 21-4-94 का कोई शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। उक्त शिकायती पत्र पर जांच कराई जा रही है।

उ० प्र० में देहात क्षेत्र के पुलिस स्टेशनों पर स्थापित वायरलेस सेटों की बैट्री चार्जिंग के संबंध में जानकारी

113–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के देहाती क्षेत्र के पुलिस स्टेशनों पर बैट्री द्वारा संचालित वायरलेस सेट की बैट्रियों के चार्जिंग पर विभाग द्वारा प्रति बैट्री कितनी धनराशि खर्च की जाती है ? स्थानीय थाना के समीप के बाजारों में बैट्री चार्जिंग की व्यवस्था समुचित होते हुए भी स्थानीय बाजार से बैट्रियों की चार्जिंग न कराये जाने का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश के देहाती क्षेत्र के पुलिस स्टेशनों पर बैट्री द्वारा संचालित वायरलेस सेट की बैट्रियों की चार्जिंग उनकी क्षमता के अनुसार गुणवत्ता एवं गति शीलता बनाये रखने हेतु विभाग के दक्ष तकनीशियन द्वारा कराई जाती है तथा प्रति बैट्री की रिचार्जिंग पर मात्र बिजली खर्च होती है, जिस पर लगभग रु० 5 से 7/- के बीच में व्यय भार आता है। जबकि बाजार से प्रति बैटरी की रिचार्जिंग पर लगभग रु० 20 का व्यय भार पड़ता है। विभाग के द्वारा कराई गयी बैट्री की रिचार्जिंग की क्षमता अधिक होती है जबकि बाजार की कम होती है।

जनपद पडरौना के प्रसंग में उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस में एक रेंज में सब इन्सपेक्टरों की तैनाती अवधि की जानकारी

114–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० सिविल पुलिस में तैनात किसी सब इन्सपेक्टर को एक रेंज में लगातार 12 वर्षों से अधिक सेवा करने का अवसर न दिये जाने का कोई शासनादेश है? यदि हां, तो क्या यह शासनादेश जनपद पडरौना में तैनात सब-इन्सपेक्टरों के ऊपर लागू हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

अन्य प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पडरौना के थाना सेवरही में भवन निर्माण एवं फायर ब्रिगेड स्टेशन के निर्माण कार्य की जानकारी

115–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पडरौना के थाना सेवरही के भवन निर्माण एवं फायर बिग्रेड स्टेशन के निर्माण हेतु विभाग को धन आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के कारण क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के अन्तु थानान्तर्गत ग्राम काशीपुर डंडवा ताला सिरिस्ताबाद में रामटहल व छेदी की हुई कथित हत्या की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

116–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम काशीपुर डंडवा ताला सिरिस्ताबाद, थाना अन्तु, जिला प्रतापगढ़ में दिनांक 6-12-93 को रामटहल व छेदी नामक दो व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी थी ? क्या इस संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है तथा रिपोर्ट के आधार पर कोई जांच कराई गई ? जांच में सामने आये तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित रामटहल व छेदी नामक व्यक्तियों की दिनांक 6-12-93 को हत्या किये जाने की नहीं बल्कि उक्त तिथि से उनका पता न चलने के संबंध में श्रीमती रंजना पत्नी छेदी लाल द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 28-12-93 के आधार पर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ में धारा 364 भा० द० वि० के अन्तर्गत मुदकमा दर्ज हुआ । विवेचना के मध्य राम टहल का नरकंकाल बरामद हुआ जिस पर अपराध की धारा 364 से धारा 302/201/364 भा० द० वि० में परिवर्तित किया गया ।

अब तक की विवेचना से अभियुक्तगण शेष बहादुर उर्फ मेघई, इन्दु सिंह, सुधीर, भुल्लन सिंह तथा पप्पू सिंह का जुर्म में शरीक होना प्रकाश में आया है । अभियुक्तगण शेष बहादुर व इन्दू सिंह दिनांक 12-12-94 को गिरफ्तार कर जेल भेजे गये ।

सिद्धार्थनगर जनपद के ग्राम प्रधान, ग्राम सभा चेतिया के विरुद्ध उ० प्र० गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की जानकारी

117–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में तहसील बांसी के अन्तर्गत ग्राम सभा चेतिया के ग्राम प्रधान के विरुद्ध वर्ष 1989-90 में गुण्डा ऐक्ट या गैंगस्टर ऐक्ट के तहत जिलाधिकारी के यहां कोई कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही कराई गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । ग्राम प्रधान, ग्राम सभा चेतिया मुन्सरिफ उर्फ मुसरी पुत्र टेकई पठान ग्राम चेतिया, थाना मिश्रौलिया, जनपद सिद्धार्थनगर को दिनांक 10-10-89 को मु० अ० सं० 60/89 धारा 3/4 उ० प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत चालान किया गया था । सम्प्रति मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

118–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

[2रे सोम में अता० प्र० सं० 110 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

119–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

[2रे सोम में अता० प्र० सं० 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

श्री पांचू प्रसाद के भांजे की हत्या विषयक श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी, सांसद का पुलिस अधीक्षक, बहराइच को प्रेषित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

120–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी, संसद सदस्य का पत्र दिनांक 2-10-94 जो श्री गंगा प्रसाद आर्य सहित बुद्धानपुर, थाना कैसरगंज, बहराइच के संबंधी के कत्ल की एफ० आई० आर० दर्ज न किये जाने संबंधी है, पुलिस अधीक्षक, बहराइच को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या गृह मंत्री जी सम्बन्धित मामले में एफ० आई० आर० दर्ज कराकर निष्पक्ष विवेचना कराने के आदेश निर्गत करने का कष्ट करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । उक्त पत्र से पूर्व श्री पांचू प्रसाद आर्य निवासी बुद्धानपुर, थाना कैसरगंज, बहराइच ने दिनांक 6-9-94 को एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 31-8-94 को उनके भानजे श्री हरनाम के लापता होने विषयक था, दिया था । जिसके आधार पर थाना कैसरगंज में मु० अ० सं० 230/94 धारा 344/347/506 भा० दं० वि० बनाम लाल जी पुत्र लालता प्रसाद व विश्वनाथ बढ़ई पुत्र रामसुफल, दर्ज कर विवेचना की गयी । विवेचना से उक्त श्री हरनाम की हत्या का तथ्य प्रकाश में आया । तदुपरान्त अभियोग को संगत धाराओं में तरमीम किया गया । हत्या के तीन अभियुक्तों–विश्वनाथ, लालता प्रसाद, दुखीराम को दिनांक 19-11-94 को जेल भेजा गया । शेष एक अभियुक्त लाल जी ने दिनांक 24-11-94 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यवाही की जा चुकी है ।

जनपद पडरौना के अन्तर्गत जनवरी, 94 से अक्टूबर, 94 तक घटित घटनाओं का विवरण और रोकने हेतु प्रभावी कार्य योजना

121–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जनपद पडरौना अन्तर्गत आने वाले थाना क्षेत्रों में 1 जनवरी, 1994 से अक्टूबर, 94 तक अपहरण, हत्या, डकैती, चोरी, नकबजनी, राहजनी, फौजदारी की कितनी घटनायें घटी हैं ? इन घटनाओं में जंगल पार्टी नाम अपराधी गिरोह से सम्बन्धित कितनी घटनायें हुई हैं ? क्या सरकार ने इन अपराधों को नियंत्रित करने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उक्त अवधि में घटी घटनाओं का विवरण निम्नवत् है :––

अपहरण	2
हत्या	59
डकैती	13
चोरी	112
नकबजनी	105
राहजनी	16
अन्य–	
फौजदारी	446

विवरण निम्नवत है :––

अपहरण	1
हत्या	2
डकैती	2

जी हां ।

जनपद की सीमाओं पर अस्थायी पुलिस चौकी तथा अस्थायी चेक पोस्ट की स्थापना व पी० ए० सी० की तैनाती ।

जनपद पडरौना के थाना नौरंगिया में तैनात सब-इन्सपेक्टर श्री श्याम रथी द्वारा कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितता में जांच की मांग

122–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधायक श्री सुरेन्द्र शुक्ल ने 30-7-94 को प्रमुख सचिव, गृह को जनपद पडरौना के अन्तर्गत थाना नौरंगिया में तैनात सब-इन्सपेक्टर श्यामरथी के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के विरुद्ध जांच हेतु कोई पत्र लिखा है ? उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

123–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

124–श्री राम विशुन आजाद–

[अरे गुरु में अता० प्र० सं० 67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पशुधन विभाग के प्रसार अधिकारी स्व० श्री आर० पी० सिंह के देय अवशेषों का भुगतान

125–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 94 के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-102 के उत्तर के संदर्भ में क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1989 में मृतक श्री आर० पी० सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी/बी० डी० ओ० का वर्ष 1986 से बढ़े वेतन का एरियर धनराशि उनके पारिवारिक आश्रितों को भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो विलम्ब के लिये दोषी कौन है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

दिनांक 31-1-95 ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

126–श्री राम आसरे वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मऊ के थाना हलधरपुर के थानाध्यक्ष द्वारा श्री जयनाथ यादव को प्रताड़ित करने का आरोप

127–श्री राम करन आर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जयनाथ यादव, ग्राम मरुखा मझौली, थाना हलधरपुर, जिला मऊ के खेत का झगड़ा चल रहा है ? क्या यह सही है कि न्यायालय के सारे आदेश श्री जयनाथ यादव के पक्ष में हैं परन्तु विपक्षीगणों से थानाध्यक्ष, हलधरपुर द्वारा बीच-बीच में प्रताड़ित किया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या यह सही है कि माह अक्टूबर, 94 में श्री जयनाथ यादव को थाने में कई दिनों तक बन्द रखा गया है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत और क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रकरण अभी विचाराधीन न्यायालय में है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जनपद में कार्यरत पुलिस जनों के विरुद्ध जनता/जनप्रतिनिधियों के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

128–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में कार्यरत पुलिसजनों/सब इन्सपेक्टरों के खिलाफ जनता/जनप्रतिनिधियों की विगत 31 अक्टूबर, 92 से 31 अक्टूबर, 94 तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? कितने मामले की जांच कराई गई और परिणाम क्या रहे ? कितने दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उक्त अवधि में प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या–285 है ।

प्राप्त सभी शिकायतों की जांच कराई गयी । जांचोपरान्त 25 पुलिस कर्मियों को दुश्चरित्र लेख तथा 3 को चेतावनी दी गयी । उक्त के अतिरिक्त 2 को अर्दली रूम में दण्डित किया गया ।

देवरिया जनपद में दर्ज आपराधिक घटनाओं की जानकारी एवं रोकथाम

129–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 दिसम्बर वर्ष 93 से 31 अक्टूबर, 94 तक देवरिया जनपद में कितने अपराधों की रिपोर्ट विभिन्न धाराओं में दर्ज की गयी है ? उन रिपोर्टों में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उनमें से कितने अपराध देवरिया कोतवाली क्षेत्र के हैं ? बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु कौन सी प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उक्त अवधि में विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दर्ज किये गये अपराधों की रिपोर्ट की कुल संख्या–2251 है ।

उपर्युक्त दर्ज कुल 2251 में से 945 मामलों में चालानी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, 340 में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी एवं 168 मामले खारिज किये गये ।

624 (छः सौ चौबीस)

संवेदनशील स्थलों पर पिकेट्स की व्यवस्था, गस्त में तीव्रता, अपराधिक घटनाओं की समीक्षा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थानाध्यक्ष नेबुआ नौरंगिया, जनपद पडरौना के विरुद्ध पूर्व विधायक श्री सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ल के शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग

130–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, गृह को सम्बोधित श्री सुरेन्द्र प्रसाद शुक्ल, पूर्व विधायक, पडरौना का दिनांक 27-7-94 का पत्र जो थानाध्यक्ष, नेबुआ नौरंगिया, जनपद

पडरौना के विरुद्ध है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर के ग्राम हथिया मल्हपुर के श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र महेन्द्र पाल सिंह के लापता होने की सी० आई० डी० द्वारा जांच

131–श्री धनराज यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर के ग्राम हथिया मल्हपुर के निवासी श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री महेन्द्र पाल सिंह 1 अप्रैल, 1994 से सीतापुर से लापता हो गये जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजू सिंह ने 2-5-94 को स्थानीय थाने में दर्ज करायी ? यदि हां, तो अभी तक प्रश्नगत मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा दिनांक 25-11-94 को सी० आई० डी० विवेचना के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग में पदों की संख्या एवं आरक्षण कोटा

132–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग में कुल कितने पद हैं ? उसमें सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा करने के लिये सरकार प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के नियंत्रणाधीन एक मात्र संगठन वैकल्पिक ऊर्जा विभाग संस्थान, उ० प्र० नामक पंजीकृत सोसाइटी में वर्तमान में कुल 520 पद अनुमोदित है तथा 27 अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति संस्थान की कार्यकारिणी से अनुमोदन की प्रत्याशा में की गयी है ।

संस्थान में सामान्य वर्ग के 339, पिछड़े वर्ग के 110 तथा अनुसूचित जाति के 89 एवं अनुसूचित जनजाति के 9 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

पूर्व अधिनियम एवं तत्संबंधी शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य पिछड़े एवं अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है । नये अधिनियम एवं तत्संबंधी शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य आरक्षण संस्थान में पद रिक्त न होने के कारण पूरा नहीं है ।

संस्थान में रिक्तियां होने पर पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति के बढ़े हुए आरक्षण कोटे को पूरा किया जायेगा।

चूंकि पूर्व अधिनियम के अनुसार आरक्षण कोटा पूर्ण है, इसलिये किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

133–श्री महेश चन्द्र–

[3रे शुक्र में अता० प्र० सं० 88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गुरुकुल नारसन तथा रामपुर तिराहे (मुजफ्फरनगर) में हुए सामूहिक बलात्कार की घटना की सी० बी० आई० द्वारा जांच

134–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 2 अक्टूबर, 94 को गुरुकुल नारसन तथा रामपुर तिराहे (मुजफ्फरनगर) में कितनी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ ? क्या बलात्कार करने वाले दोषी पुलिस एवं पी० ए० सी० के कर्मियों को पकड़ा गया है ? यदि हां, तो उन्हें क्या दण्ड दिया गया ? सरकार ने इस जघन्य कुकृत्य को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत सामूहिक बलात्कार की घटनाओं की विवेचना सी० बी० आई० द्वारा की जा रही है। सी० बी० आई० की विवेचना के परिणाम शासन को अभी नहीं प्राप्त हुए हैं।

135–श्री लालमिण प्रसाद–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

राजकीय नागरिक उड्डयन विभाग में पदों की संख्या एवं आरक्षण कोटा

136–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नागरिक उड्डयन विभाग में कुल कितने पद हैं ? उसमें सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण कोटा पूरा है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा करने के लिये सरकार प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय में कुल 260 पद हैं, जिनमें सामान्य, अन्य पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 120, 33 तथा 28 है।

समूह "क" में केवल 2 पद आरक्षण की परिधि में आते हैं। अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अन्य रिक्त पदों की तरह उक्त आरक्षित पद भी रिक्त हैं। समूह "ख" में मात्र दो पद हैं। अतः आरक्षण नहीं बनता है। समूह "ग" में सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ी

जातियों का प्रतिनिधित्व पूर्ण है किन्तु प्रोन्नति द्वारा भर्ती की रिक्तियों के सापेक्ष पात्रता क्षेत्र में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण कोटा पूर्ण नहीं हो सका है। समूह "घ" में आरक्षण पूर्ण है।

आरक्षण पूर्ति की उक्त स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

ओ० सी० आर०, ए ब्लाक के कक्ष सं० 106 में हुई चोरी की घटना एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

137–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 28 अक्टूबर, 1994 को ओ० सी० आर०, ए ब्लाक के कक्ष सं० 106 में दिन में ताला तोड़कर सामान चोरी किया गया ? यदि हां, तो व्यवस्था कर्मचारियों के ड्यूटी पर रहते ऐसा क्यों हुआ ? इस लापरवाही के लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या प्रश्नकर्ता का 2 नवम्बर, 94 को एक पत्र विभागीय सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। घटना की रिपोर्ट हुसैनगंज थाने में (मुकदमा अपराध) सं० 439/94 धारा 454/380 आई० पी० सी० दर्ज कराई गई। विवेचना में माल मुलजिम का कोई पता नहीं चल पाया है तथा पुलिस द्वारा मुकदमें में दिनांक 25-11-94 एफ० आर० लगा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां, प्रश्नगत शिकायती पत्र के आधार पर ओ० सी० आर० में तैनात कर्मचारियों का स्थानान्तरण ड्यूटी परिवर्तन की कार्यवाही की गयी है।

राजकीय आफिसर्स कालोनी, बी ब्लाक, इन्दिरा नगर, लखनऊ के आवासों के कराये गये अनुरक्षण कार्य की जानकारी

138–श्री रघुवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आफिसर्स कालोनी, बी ब्लाक, इन्दिरा नगर, लखनऊ के आवासों के अनुरक्षण के विगत एक वर्ष में किन-किन आवासों में "ओरिजनल" कार्य कराये गये ? क्या मंत्री जी इन कार्यों के मांग-पत्र प्राप्त होने, स्वीकृति की तिथि का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आवास संख्या–बी-29 तथा बी-147 में ओरिजनल कार्य कराये गये।

सूची संलग्न है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 235 पर)

राजकीय कालोनी, ए ब्लाक, इन्दिरा नगर, लखनऊ के आवास संख्या ए-1203 के गलत आवंटन का आरोप

139–श्री रघुवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कालोनी, ए ब्लाक, इन्दिरा नगर, लखनऊ का आवास संख्या–ए-1203 आवास के पूर्व अध्यासी द्वारा रिक्त किये बिना आवंटित कर दिया गया ? क्या यह भी सही है पूर्व अध्यासी ने राज्य सम्पत्ति विभाग में यह आपत्ति दर्ज करायी थी कि उनके द्वारा आवास रिक्त किये जाने के पूर्व उनका आवास किसी अन्य को आवंटित न किया जाय ? यदि हां, तो उक्त आवास अनियमित तरीके से आवंटित करने के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आवास संख्या–ए-1203 इन्दिरानगर कालोनी के पूर्व अध्यासी के अपने निजी आवास में चले जाने की सूचना प्राप्त होने पर प्रश्नगत आवास रिक्त की प्रत्याशा में नव आवंटी को आवंटित कर दिया गया था।

नव आवंटी को प्रश्नगत आवास आवंटित हो जाने के पश्चत् ही आपत्ति संबंधी पत्र प्राप्त हुआ था। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ग्राम सुखलाल खेड़ा निवासिनी श्रीमती छेदाना आदि का खेतिहर भूमि हड़पने से संबंधित पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

140–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती छेदाना तथा श्रीमती टिब्बों पुत्री स्व० श्री ठाकुर, निवासिनी सुखलाल खेड़ा, मौजा नवीनगर, थाना नगराम, तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ का प्रार्थना-पत्र विधायक श्री हरेन्द्र सिंह मलिक के उपरिपत्र सं०–236/94, दिनांक 18-10-1994 जो उक्त ग्राम के ही निवासी श्री परमेश्वर पुत्र कल्लू द्वारा जायदाद हड़पने तथा खेतिहर भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं जान से मार देने के संबंध में था, प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त मामले की जांच रिपोर्ट क्या है ? दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार जांच से मामला श्रीमती छेदाना व प्रतिवादी परमेश्वर के मध्य विवादित भूमि के संबंध में पाया गया जो वर्तमान में सी० ओ०, चकबन्दी, मोहनलालगंज के यहां विचाराधीन है। मारने पीटने की बात जांच से प्रकाश में नहीं आयी। शांति व्यवस्था पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के थाना रामपुर कला में दर्ज मु० अ० सं० 79/93 के मुल्जिमानों को गिरफ्तार करने की मांग

141–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना रामपुर कला, जनपद सीतापुर में दर्ज मु० अ० सं० 79/93 की जांच कर एस० आई० एस० उपनिरीक्षक, श्री के० सी० पाण्डेय ने जांच आख्या पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को दी थी तथा घटना को सत्य पाये जाने एवं मुल्जिमान गिरफ्तारी हेतु लिखा था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उप निरीक्षक श्री के० सी० पाण्डेय ने पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को एक आख्या प्रेषित की किन्तु उसमें घटना के सत्य पाये जाने एवं मुल्जिमान की गिरफ्तारी शेष होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं था।

एक पक्ष द्वारा इससे संतुष्ट न होने पर उक्त अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी, सिधौली द्वारा की गयी। आठ गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 98 दिनांक 8-9-94 को प्रेषित किया गया। एक अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 98ए, दिनांक 27-9-94 को प्रेषित किया गया। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रोटोकाल विभाग में जातिगत कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

142–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रोटोकाल विभाग में कुल कितने पद हैं ? उसमें सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करने के लिये सरकार प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रोटोकाल अनुभाग में कुल 11 पद स्वीकृत हैं।

इन स्वीकृत पदों में सामान्य वर्ग के कर्मियों की संख्या 9, पिछड़े वर्ग के कर्मियों की संख्या 2 एवं अनुसूचित जाति के कर्मियों की संख्या शून्य है।

पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति का कोटा प्रोटोकाल अनुभाग के पदों की संख्या के विरुद्ध नहीं, अपितु सचिवालय प्रशासन विभाग के नियंत्रण के अधीन विभिन्न समस्त संवर्गों के पदों के विरुद्ध निर्धारित किया जाता है। अतः अनुभाग स्तर पर आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

143–श्री लाल मणि प्रसाद–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

सचिवालय प्रशासन विभाग में जातिगत कोटा पूर्ण न किये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

144–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय प्रशासन में कुल कितने पद हैं ? उसमें सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा करने के लिये सरकार प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सचिवालय प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन कुल संवर्गीय 6622 पद स्वीकृत हैं ।

कार्यरत कर्मियों में सामान्य श्रेणी के 3520, पिछड़ी जाति के 975 तथा अनुसूचित जाति के 872 कर्मी कार्यरत हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्मिक विभाग में जातिगत कोटा पूर्ण किया जाना

145–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "कार्मिक" विभाग में कुल कितने पद हैं ? उसमें सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जातियों का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

47 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 42 कर्मचारी कार्यरत हैं । जिसमें 25 कर्मचारी सामान्य वर्ग, 9 कर्मचारी पिछड़े वर्ग तथा 8 कर्मचारी अनुसूचित जाति के कार्यरत हैं ।

केवल अनुसूचित जाति में कोटा पूर्ण नहीं है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कर्मचारियों की नैनाती केन्द्रीय स्तर पर की जाती है । अतः किसी विभाग में कोटा कम या अधिक भी हो सकता है ।

जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौनी में फायर स्टेशन की स्थापना

146–श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार खतौली (जनपद मुजफ्फरनगर) में नागरिकों की आवश्यकताओं को देखते हुए अग्निशमन केन्द्र (फायर स्टेशन) स्थापित करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों तथा अन्य स्थानों की तुलनात्मक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर में फायर स्टेशन स्थापित करना वर्तमान में सम्भव नहीं है ।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर को धर्मशाला में से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की मांग

147–श्री सुधीर कुमार बालियान–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर का थाना शाहपुर एक धर्मशाला में स्थापित है ? थाने को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का क्या कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त थाना क्षेत्र कब तक अन्यत्र स्थापित हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

148–श्री परशुराम यादव–

| सीमित महत्व होने के कारण निरस्त |

जनपद सुल्तानपुर के थाना अमेठी में नामजद हत्याभियुक्तों को पुलिस द्वारा संरक्षण दिये जाने की शिकायत

149–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मु० अ० सं०–315/94 धारा–302 के अन्तर्गत वादी श्याम लाल निवासी ग्राम बिराहिमपुर, थाना अमेठी, जिला सुल्तानपुर में दिन दहाड़े हत्या की कोई नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायो गयी है ? यदि हां, तो उस घटना के नामजद अभियुक्त कौन-कौन हैं ? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि उक्त गम्भीर घटना की कार्यवाही में उदासीनता बरते जाने के संबंध में जनपद के पुलिस अधीक्षक ने निहित स्वार्थ में अपने प्रभाव का प्रयोग कर अभियुक्तों को संरक्षण प्रदान किया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 21-10-94 को समय लगभग 14.45 बजे थाना अमेठी, सुल्तानपुर में श्री श्याम लाल यादव निवासी बिराहिमपुर, थाना अमेठी, सुल्तानपुर ने यह लिखित सूचना दी कि उनके मकान के अन्दर घुस कर अभियुक्तगण शकील तथा तौफीक पुत्रगण जमां खां निवासी–चचकापुर, थाना अमेठी, सुल्तानपुर द्वारा लगभग 1.30 बजे दिन में तमंचे से फायर करके उनके भाई नन्दलाल को चोट पहुंचाई गई है । उक्त लिखित सूचना के आधार पर थाना अमेठी में मु० अ० सं०–315/94 धारा–307/452/504 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया । नन्दलाल की मृत्यु के पश्चात् मुकदमा धारा 307/452/504/302 भा० दं० वि० मे परिवर्तित किया गया एवं विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट समाप्त की गयी ।

ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है ।

विवेचना से विदित हुआ कि मृतक नन्दलाल घटना के समय अपनी फेट से एक भरा हुआ देशी तमंचा 12 बोर खोसे हुआ था, जो अपने आप फायर हो गया जिससे उसकी जांघ में चोट आयी । विवेचना से यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि मृतक के परिवार से अभियुक्तगण की पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके कारण वास्तविकता को छिपाने के उद्देश्य से तथा अपने दुश्मनों को झूठा फंसाने के लिये उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी द्वारा नामजद किया गया ।

150–152–श्री मोहम्मद अरशद खान–

|3रे अता० प्र० सं० 74-75-73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित |

153–डा० रामबाबू हरित–

| विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त |

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में जातिगत कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

154–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में कुल कितने पद है ? उसमें सामान्य, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा करने के लिये सरकार प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में 96 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 72 पद भरे हुए हैं तथा 24 पद रिक्त हैं। इन भरे और रिक्त पदों में 20 एकल पद हैं। भरे पदों में से 45 सामान्य, 14 पिछड़े एवं 13 अनुसूचित जाति के कार्यरत हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 लागू होने के पूर्व कोटा पूरा है क्योंकि नियुक्तियों की स्थिति में तब से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद अनुसूचित जाति का आरक्षण 18 प्रतिशत के बजाय 21 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 15 प्रतिशत से 27 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जिसका अनुपालन भर्ती करते समय किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री के० के० श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, डिप्टी जेलर की सिक्योरिटी की धनराशि वापस दिलाये जाने की मांग

155–श्री किरन पाल सिंह–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री के० के० श्रीवास्तव, डिप्टी जेलर 30-11-87 को बुलन्दशहर से सेवानिवृत्त हुए ? क्या इनके विरुद्ध 1951 से 1953 तथा 1955 तक जब यह मुजफ्फरनगर में तैनात थे, आडिट आपत्तियां लम्बित हैं ? यदि हां, तो क्यों ? आडिट आपत्तियों का निस्तारण कर इनकी सिक्योरिटी कब तक दिला दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

इनके विरुद्ध लम्बित वर्ष 1981–83 व 83–85 की आडिट आपत्तियों का निराकरण करके इनकी सिक्योरिटी की धनराशि वापस करने के आदेश दिनांक 25-1-95 को दिये जा चुके हैं।

156–श्री बदन सिंह–

[सीमित महत्व होने के कारण निरस्त]

उ० प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पी० सी० एस० परीक्षा में लोक प्रशासन विषय को शामिल करने की मांग

157–श्री जगदम्बा सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पी० सी० एस० की प्रारम्भिक परीक्षा में लोक प्रशासन विषय को सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रारम्भिक परीक्षा के लिये लोक प्रशासन विषय का पाठ्यक्रम तैयार कराया जा रहा है ।

158–श्री गया चरण दिनकर–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

159–डा० राम बाबू हरित–

[दि० 22-8-94 के अता० प्र० सं० 27 द्वारा उत्तरित]

160–श्री राम सरन वर्मा–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

161–श्री घनश्याम शुक्ल–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद बांदा में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत अनुदेशकों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने की मांग

162–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बांदा में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांदा में कार्यरत अनुदेशकों द्वारा प्रशिक्षण संबंधी अनियमितायें बरती जा रही है ? क्या संदर्भित संस्थान में प्रशिक्षार्थियों को विधिवत् प्रशिक्षण दिया जा रहा है ? रेडियो, टी० वी०, रेफ्रिजरेशन एण्ड एअर कन्डीशनर तथा इलेक्ट्रनिक्स, स्टेनों आदि संचालित व्यवसायों में आज तक अनुदेशकों की नियुक्ति न करके प्रशिक्षार्थियों के साथ खिलवाड़ किये जाने के क्या कारण हैं ? सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, लखनऊ तथा निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, लखनऊ को उपरोक्त अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गये पत्र दिनांकित 20-10-94 के अनुपालन में अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं एवं साधनों से विधिवत् प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

अनुदेशक के पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परिधि में है । अतः प्रश्नगत रिक्त अनुदेशकों के पदों पर चयन हेतु अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है ।

मा० विधायक के पत्र दिनांक 20-10-94 में उल्लिखित बिन्दुओं पर संयुक्त निदेशक (शिशिक्षु) कानपुर-इलाहाबाद से जांच करायी गयी । जांच में प्रशिक्षार्थियों को 8 घंटे के बजाय 4 घन्टे प्रशिक्षण दिये जाने तथा नीलामी की शिकायत सही नहीं पायी गयी है । संस्थान में फोरमैन के स्वीकृत पद के विरुद्ध एक फोरमैन कार्यरत हैं ।

थाना आलमबाग की पुलिस द्वारा मोहल्ला कैलाशपुरी में अवैधानिक कार्य किये जाने से संबंधित सी० आई० डी० की जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की मांग

163–श्री किशन लाल दिलेर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना आलमबाग शहर लखनऊ की पुलिस द्वारा दिनांक 26-12-1992 को लगभग 8-9 बेज रात्रि में मोहल्ला कैलाशपुरी, थाना आलमबाग, शहर लखनऊ में अवैधानिक कार्य किये जाने के संबंध में अपने शिकायती पत्र पर शासन ने अपने पत्र सं०-2009ख/छ–4-11(60)–बी/93, दिनांक 21-4-1993 द्वारा घटना की जांच सी० आई डी० द्वारा किये जाने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन से पुलिस कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सी० आई० डी० जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत प्रकरण की सी० आई० डी० जांच से उप निरीक्षक श्रीमती भोली सिंह चौहान एवं प्रभारी निरीक्षक, थाना आलमबाग लखनऊ श्री श्याम जी त्रिपाठी दोषी पाये गये । इन दोनों पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । रिपोर्ट गोपनीय होने के कारण सदन के पटल पर रखा जाना उचित नहीं है ।

उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम लखनऊ में रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को प्रोन्नत किये जाने की मांग

164–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश के अनुसार राज्य में आरक्षित वर्ग के पद पर पदोन्नति आरक्षित व्यक्ति ही रहेगा ? क्या उस पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति होगी ? यदि हां, तो क्या उ० प्र० राज्य खनिज विकास निगम लखनऊ में आर० सी० एल० श्रीवास्तव को पदोन्नति करने के बाद शासन से स्वीकृत मांगी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर स्वीकृत देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार ने इस विभाग में 2200-4000/- के वेतनमान में अनुसूचित जाति के कर्मचारी के पदोन्नति करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के प्रोन्नति का आदेश दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

श्री आर० सी० एल० श्रीवास्तव की पदोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति के अनुसार की गई है तथा निगम में प्रचलित नियमों के अन्तर्गत प्रोन्नति की जाती है । प्रोन्नति के मामले में शासन के निर्देशों की आवश्यकता नहीं है । जी नहीं । भविष्य में कोई भी पदोन्नति शासन से जारी रोस्टर प्रणाली के अनुरूप ही की जायेगी ।

पशुपालन विभाग में वित्तीय अनियमितता करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

165–श्री मुक्ति नाथ यादव–

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त नियंत्रक पशुपालन निदेशालय उ० प्र० में प्रदेश के कुछ पशुपालन विभाग के अधिकारियों के वित्तीय अनियमितता और राजकोष के अनुशासनहीनता की जांच रिपोर्ट शासन को दिनांक 20-10-94 को भेजी गयी है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वित्त नियंत्रक पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश ने वर्ष 1994-95 के द्वितीय त्रैमास (1-7-94 से 30-9-94) की अवधि का त्रैमासिक प्रत्यावेदन भेजा है, जांच रिपोर्ट नहीं ।

इस प्रतिवेदन में अंकित भदावरी भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा की आडिट रिपोर्ट में इंगित अनियमितताओं के संबंध में तत्कालीन प्रयोजना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आदेशित कर दी गई है । शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को आपत्तियों का निस्तारण कराने, स्थिति स्पष्ट करने एवं आख्या भेजने के निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रन बहादुर सिंह सिपाही के स्थानान्तरण रोकने से संबंधित मुख्यमंत्री के आदेशों का अनुपालन

166–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 4-10-94 को श्री रन बहादुर सिंह सी-696 सी० पी० शाहजहांपुर का जी० आर० पी० स्थानान्तरण निरस्त करने के संबंध में दिया था ? यदि हां, तो क्या भी सत्य है कि मुख्य मंत्री ने डी० आई० जी० (के) आर० एच० क्यू० ए० डी० डी० को श्री रन बहादुर का किया गया स्थानान्तरण निरस्त किये जाने के निर्देश दिये ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा श्री रन बहादुर सिंह, कान्स० का स्थानान्तरण दिनांक 30-4-95 तक स्थगित कर दिया गया है । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

खनिज विभाग बांदा में कार्यरत श्री शिव प्रताप सिंह नायब तहसीलदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच से संबंधित रिपोर्ट की जानकारी

167–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में कार्यरत खनिज विभाग के नायब तहसीलदार श्री शिवप्रताप सिंह के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं गुमशुदा लाखों रुपये की पत्रावली के आरोप के उपरान्त शासन के पत्र संख्या–3554/18-12-93 एल० सी० उद्योग–12 लखनऊ दिनांक 25-9-93 व आयुक्त झांसी के पत्र संख्या–4421/30 बी सहायक–33 वर्ष 1992-93 दिनांक 27-8-93 द्वारा उक्त भ्रष्टाचार के संबंध में जांच के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या संदर्भित जांच पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो दोषी नायब तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासन के पत्र सं० 3554/18-12-93-एल० सी० उद्योग–12 लखनऊ दिनांक 25-9-93 व आयुक्त झांसी के पत्र संख्या-4421/30 वि० सहा०-33 वर्ष (92-93) दिनांक 27-8-93 द्वारा प्राप्त निर्देशों के संदर्भ में अपर आयुक्त प्रशासन, झांसी मण्डल झंसी द्वारा जांच की गई । जांचोपरान्त श्री शिव प्रताप सिंह ना० तहसीलदार दोषी नहीं पाये गये । अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

हथकरघा निगम ऋषिकेश के उप महाप्रबन्धक श्री एन० बी० सिंह द्वारा घटिया खरीद फरोख्त करने में दोषी होने के कारण दण्डित करने की मांग

168–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिकेश हथकरघा निगम के उप महाप्रबन्धक श्री एन० बी० सिंह द्वारा कम्बल, शाल, लोई की घटिया खरीद फरोख्त में लगभग 20 लाख का घोटाला किया गया है एवं सिल्क साड़ियों के घटिया किस्म एवं मंहगी खरीददारियों में और फर्जी भुगतान करके 80 लाख रुपये का निगम को नुकसान पहुंचाया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर संदर्भित उप महाप्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रकरण में जांच कराई जा रही है । जांच पूर्ण होने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

होमगार्ड मुख्यालय के वरिष्ठ स्टाफ आफिसर श्री एम० पी० सिंह के विरुद्ध सरकार को प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

169–श्री रमाकान्त यादव–

क्या कारागार एवं होमगार्ड मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होमगार्ड मुख्यालय के वरिष्ठ स्टाफ आफीसर श्री एम० पी० सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार, हेराफेरी एवं पद दुरुपयोग के कुल कितने शिकायती पत्र वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 30 जून, 1994 तक सरकार को प्राप्त हुई ? उनकी जांच किन-किन अधिकारियों ने की और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री एम० पी० सिंह के विरुद्ध वर्ष 1992-93 से जून, 1994 तक कुल 14 शिकायती पत्र होमगार्ड मुख्यालय तथा शासन में प्राप्त हुए थे । इन शिकायतों की जांच उप महासमादेष्टा होमगार्डस द्वारा की गई है । इन शिकायतों पर समय-समय पर महासमादेष्टा, होमगार्डस की जांच आख्या शासन को प्राप्त हुई थी, किन्तु कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से पुनः सूचना मांगी गई है जो अभी प्रतीक्षित है । इसके अतिरिक्त कुछ शिकायतों पर अभी भी जांच आख्या महासमादेष्टा से प्रतीक्षित है, जिसके लिये उन्हें एक निश्चित समयावधि में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है । एक प्रकरण में आयकर विभाग को जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

(12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को सुने जाने की मांग (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, इस सरकार में विधायकों के ऊपर हमले किये जा रहे हैं एक विधायक पर प्राणघातक हमला हुआ ।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गये और खून से लथपथ एक कुर्ता सदन में दिखाया गया "दलितों पर अत्याचार बन्द करो" आदि नारों से लिखी गयी तख्तियां सदन में दिखाई एवं "दलितों पर अत्याचार बन्द करो–विधायकों पर अत्याचार बन्द करो–गुण्डागर्दी की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी" आदि नारे लगाये)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने आसन पर जांय ।

(माननीय सदस्यों के अपने आसन पर जाने पर)

श्री कल्याण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय अगर सदन से संबंधित किसी व्यक्ति का मामला होता है तो उसको उठाने की अनुमति दी जाती है ।

(श्री किरन पाल सिंह एवं श्री हरेन्द्र सिंह मलिक सदन के वेल में आ गये)

श्री किरनापाल सिंह (सदन के वेल से)–

मान्यवर, मेरा मामला बहुत महत्वपूर्ण है मुझे मौका दिया जाय । यह राष्ट्रपिता के मान-अपमान का सवाल है ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, महात्मा गांधी से बड़ा और कौन हो सकता है उनका अपमान हो रहा है ।

श्री कल्याण सिंह–

यह सरकार हत्या करने वालों को संरक्षण दे रही है आज के शासन में विधायकों और विधान परिषद् के सदस्यों पर हमले हो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय किरन पाल सिंह और मैंने जो सूचना 311 में दी है उसको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सुन लूंगा ।

* श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मानीनय सदन की यह परम्परा रही है कि सदन से संबंधित यदि किसी व्यक्ति का मामला होता है तो उसे उठाने के लिये प्राथमिकता दी जाती है । कल माननीय जगदम्बिका पाल जी के भतीजे का मामला यहां पर आया था जिसको उठाने की अनुमति दी गयी थी । मान्यवर, 20 जनवरी को बरनावा में स० पा० के जिला पदाधिकायिरों द्वारा श्री गोपाल काली जो हस्तिनापुर से विधायक हैं उन पर हमला किया गया । उन पर तलवार का वार किया गया जिससे उनका कुर्ता कट गया और बांह कट गयी । यदि वह वार गरदन पर लगा होता तो उनकी हत्या हो गयी होती । मान्यवर, इसी तरह से राम चन्द्र बाल्मीकि जो भा० ज० पा० के सदस्य हैं उन पर स० पा० के लोगों ने प्राणघातक हमला किया । (शोर) आज प्रदेश की हालत यह हो गयी है कि आम नागरिक की जानमाल की सुरक्षा नहीं रह गयी है । विधान सभा के सदस्य और विधान परिषद् के सदस्यों का जीवन भी सुरक्षित नहीं रह गया है । चूंकि यह एक विधायक के जीवन से संबंधित मामला है, उन पर प्राणघातक हमला हुआ है और उन्होंने नियम 311 में नोटिस दी है इसलिये आपसे मेरा निवेदन है कि उनको सुन लिया जाय ।

इसी तरह से आगरा का मामला है, वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है उसको भी सुना जाय । श्रीमन्, बुलन्दशहर में कलेक्टर ने महात्मागांधी की मूर्ति को हटाकर महात्मागांधी का अपमान किया है । वैसे स० पा०, ब० स० पा० के लोग महात्मागांधी का अपमान करने पर तुले हैं । (शेम शेम की आवाजे) मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । माननीय सदस्य सदन में बैठे हैं उनको अपनी बात कहने की अनुमति दें । आप विधायकों के अधिकारों के संरक्षक हैं । नियम 311 में इस पर चर्चा करायें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने गम्भीर प्रकरण सामने रखा है। विधायक चाहे किसी दल का हो, यदि विधायक की जान से संबंधित मामला होता है तो पूरे सदन की सहानुभूति उससे जुड़ जाती है। अगर विधायक के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है तो सदन में चर्चा होनी चाहिये। इसी के साथ-साथ मेरा निवेदन यह है कि एक सूचना माननीय किरनपाल सिंह और मेरे हस्ताक्षरों से आपके पास आयी है। बुलन्दशहर में विक्टोरिया पार्क जो अंग्रेजों की यादगार था उसका नाम मिटाकर, राष्ट्रपिता के नाम पर उसका नाम रखा गया। आज यह जानकारी मिली है कि वहां पर राष्ट्रपिता महात्मागांधी के नाम को जो शिलापट था जिलाधिकारी ने उसको हटाकर कहीं दूर ले जाकर पटक दिया है। (शेम शेम की आवाजें) राष्ट्रपिता के अपमान से स्थानीय जनता में रोष व्याप्त है। वहां के जिलाधिकारी ने शिलापट हटाने का काम किया है और ऐसी साजिश कर रहें हैं कि स्थिति किसी तरह से बिगड़े।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी है।

श्री राम आसरे वर्मा–

राष्ट्रपिता का अपमान करने का दुस्साहस करने वाले अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने के आदेश यहां पर दिये जायं। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग मेरी बात तो सुन लें। (शोर)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है आप लोग अपनी-अपनी बात कहते रहिये।

(श्री उपदेश सिंह के भा० ज० पा० सदस्यों के बीच आकर बैठने पर सदन में भा० ज० पा० सदस्यों द्वारा तालियां बजायी गयी।)

(शोर)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनयमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन पर पटल पर रखता हूं।

(श्री स्वामी परमानन्द दण्डी ने सदन में भा० ज० पा० के सदस्यों की ओर छड़ी दिखायी जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

उत्तर प्रदेश बारहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बारहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायक समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश बारहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन †

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बारहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

उत्तर प्रदेश की बारहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति का प्रथम कार्यान्वयन प्रतिवेदन †

श्री सफदर रजा खां–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश की बारहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति का प्रथम कार्यान्वन प्रतिवेदन, जो नैनीताल–देहरादून जनपदों में किये जा रहे विकास कार्यों से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरी व्यवस्था को आप सुन लें।

---

† छापा नहीं गया।

(श्री किरन पाल सिंह सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये और उसके बाद श्री हरेन्द्र सिंह भी आकर सदन के फ्लोर पर बैठ गये)

(व्यवधान)

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1995 †

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उ० प्र० बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उ० प्र० बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उ० प्र० बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 †

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उ० प्र नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उ० प्र० नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 22-2-95 एवं 23-2-95 को क्रमशः उ० प्र० सरकार के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छापा गया।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 †

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या–1, आबकारी विभाग

लोक निर्माण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 50,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग के अन्तर्गत 50,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 2–आवास विभाग

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 2–आवास विभाग के अन्तर्गत 7,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2–आवास विभाग के अन्तर्गत 7,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 22-2-95 उ० प्र० सरकार के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छापा गया।

अनुदान संख्या–3 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3- उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 2,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 2,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 13,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार किया जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 13,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(किरन पाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह तथा विरोध पक्ष के अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री किरन पाल सिंह (सदन के फ्लोर से)–

मान्यवर, सारा सदन व्यवस्थित है और आप व्यवस्था उठाने की अनुमति न देकर एकतरफा कार्यवाही चला रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 5,98,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 5,98,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 1,35,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 1,35,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने आसन पर जायं ।

(व्यवधान)

(सदन के फ्लोर पर आये हुये सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, यह बजट आप पास करा रहे हैं इसमें चर्चा होनी चाहिये । अब तो सदन शान्त है । इस तरह से करके आप लोकतांत्रिक परम्पराओं का हनन कर रहे हैं ।

अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 59,28,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 59,28,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर सदन व्यवस्थित है । हम सरकार की पोल खोलना चाहते हैं और बगैर चर्चा कराये ही बजट पास कराये जा रहे हैं यह लोकतांत्रिक मान्यताओं और परम्पराओं के खिलाफ है ।

(व्यवधान)

अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 2,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8–उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 2,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 1,39,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 1,39,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, आगे आने वाला इतिहास इसके बारे में क्या कहेगा । आप अरबों रुपये का बजट बिना चर्चा के पास करा रहे हैं, इस पर बहस करायी जानी चाहिए । यह लोकतांत्रिक परम्पराओं और संवैधानिक परम्पराओं का हनन हो रहा है । आगे आने वाली पीढ़ी आपके बारे में क्या कहेगी ?

(विपक्षी सदस्य नारे लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 14,41,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 14,41,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री श्रीराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 12,38,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 12,38,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 28,24,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 28,24,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सदन व्यवस्थित रूप से चल रहा है लेकिन आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं, आपके इस आचरण के विरुद्ध जनता दल के सदस्य सदन का बहिर्गमन करते हैं ।

(जनता दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत हो रहा है उस पर हम विरोध करना चाहते हैं, सदन बिल्कुल व्यवस्थित है उसके बाद भी आप एकतरफा.....

श्री अध्यक्ष–

कोई शोर नहीं मचा रहा है ?

अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 1,66,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 1,66,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

(इसी मध्य श्री किरनपाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह आदि अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और कहने लगे कि महात्मा गांधी के अपमान से सम्बन्धित मामला है, इसे कृपया पहले सुन लें)

(श्री राम विशुन आजाद सदन के फ्लोर पर आकर कहने लगे कि किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने आसन पर वापस जायं ।

अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1,68,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1,68,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री किरन पाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह आदि अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े रहे)

(घोर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, सारी लोकतांत्रिक परम्पराओं का हनन हो रहा है ।

अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 83,62,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 83,62,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, सदन की गरिमा गिर रही है, जनता का विश्वास उठ जायेगा ।

(श्री किरन पाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह सदन के फ्लोर पर बैठ गये । श्री राम विशुन आजाद, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेन्द्र सिंह भी सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये)

अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 4,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, आप इनके सहयोगी न बनें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 4,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 1,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त कई सदस्यों सहित सदन के फ्लोर पर आ गये)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 1,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 41,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 41,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 22–खेल विभाग

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22–खेल विभाग के अन्तर्गत 4,98,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त कई सदस्यों सहित सदन के फ्लोर पर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22–खेल विभाग के अन्तर्गत 4,98,98,000 रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठे रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 20,00,000 रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 9,94,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 9,94,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार)

कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 46,13,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 46,13,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 63,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 63,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना आसन ग्रहण करें ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)-

मान्यवर, आप हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं । आपने लोकतंत्र की [× × ×] की है, संविधान की [× × ×] की है और हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं इसलिये मैं और मेरा दल सदन का परित्याग करता है ।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

नोट :– [× × ×] उपर्युक्त अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 32,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 32,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31 चिकित्सा विभाग चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 8,50,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31 चिकित्सा विभाग चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 8,50,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 69,16,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 69,16,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 29,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 29,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,46,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,46,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 51,88,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 51,88,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 4,36,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 4,36,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 28,00,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 28,00,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री प्रमोद तिवारी अपने कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 13,96,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 13,96,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग के अन्तर्गत 27,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग के अन्तर्गत 27,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 14,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 14,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 25,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 25,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 4,56,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 4,56,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,44,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,44,31,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 3,03,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 3,03,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 42,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 42,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 2,36,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 2,36,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 5,13,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 5,13,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 5,25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 5,25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 4,31,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 4,31,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 4,04,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग अनावासिक भवन के अन्तर्गत 4,04,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 3,02,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 3,02,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग(कार्यात्मक भवन)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 6,10,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 57–लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 6,10,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग ((संचार साधन) के अन्तर्गत 42,00,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 42,00,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 60–वन विभाग

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत 1,38,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत 1,38,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 1,83,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 1,83,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 2,45,50,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वर्त्तमान वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 2,45,50,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 21,93,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 21,93,78,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जावे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 55,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 55,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 9,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 9,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 85,22,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 85,22,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से व श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 22,06,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 22,06,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य राज्य मंत्री (श्री शारदा नन्द अंचल)

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 3,02,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 3,02,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री शाकिर अली)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत 6,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74–शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत 6,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 98,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 98,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 15,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 15,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन के अन्तर्गत 17,24,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 17,24,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80-समाज कल्याण (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत 1,86,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत 1,86,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण (जनजाति कल्याण)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 10,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 10,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 2,59,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 2,59,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 33,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 33,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 17,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 17,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर) के अन्तर्गत 1,21,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर) के अन्तर्गत 1,21,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन-कर तथा बाजीकर)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन-कर तथा बाजी-कर) के अन्तर्गत 3,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन-कर तथा बाजी-कर) के अन्तर्गत 3,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 11,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 11,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग

सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 1,13,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 1,13,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 75,42,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 75,42,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत 6,20,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 95–उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत 6,20,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1995 †

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

---

† उ० प्र० सरकार के दिनांक 22-2-95 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छापा गया ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(प्रतियां वितरित की जायं)

(प्रतियां वितरित होने के उपरान्त)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1994–95 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1995

31 मार्च, 1995 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 1995 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1994–95 के लिये 15,54,12,07,000 रुपये का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 1995 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 15,54,12,07,000 रुपये (केवल पन्द्रह अरब चौवन करोड़ बारह लाख सात हजार रुपये) होता है, अधिक न हो ।

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशि को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	आबकारी विभाग ..	राजस्व	11,40	..	11,40
		पूंजी	38,67	..	38,67
2	आवास विभाग ..	राजस्व	7,50	..	7,50
		पूंजी	..	..	..
3	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	2,50	..	2,50
		पूंजी	..	..	..
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	13,45	..	13,45
		पूंजी	..	..	..
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	3,80,08	..	3,80,08
		पूंजी	2,18,10	..	2,18,10
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	1,09,99	..	1,09,99
		पूंजी	26,00	..	26,00
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	41,50,78	..	41,50,78
		पूंजी	17,77,50	*1,07*	17,78,57
8	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	2,75	..	2,75
		पूंजी	..	..	..
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	1,39,84	*4,07*	1,43,91
		पूंजी	..	..	..

1	2		3	
11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	13,79,23	..	18,79,23
	पूंजी	62,05	..	62,05
13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	5,65,52	*3,14*	5,68,66
(ग्राम्य विकास)	पूंजी	6,72,57	..	6,72,57
14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	28,24,12	..	28,24,12
(पंचायती राज)	पूंजी	..	..	..
15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	1,46,54	*76*	1,47,30
	पूंजी	20,42	..	20,42
16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला	राजस्व	1,58,86	..	1,58,86
विकास)	पूंजी	10,00	..	10,10
18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	59,23	..	59,23
(सहकारिता)	पूंजी	83,02,94	..	83,02,94
19 कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग (प्रशिक्षण	राजस्व	4,11	..	4,11
तथा अन्य व्यय)	पूंजी	..	..	..
20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	1,75	*32,82*	34,57
	पूंजी	..	..	..
21 खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	41,91	..	41,91
	पूंजी	...	...	...
22 खेल विभाग	राजस्व	55,08	..	55,08
	पूंजी	4,43,90	..	4,43,90
23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	20,00	*50*	20,50
	पूंजी	..	...	...
24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	15,42	...	15,42
	पूंजी	9,78,83	...	9,78,83
25 गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	1	...	1
	पूंजी	...	...	...
26 गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	40,46,51	*5,95*	40,52,46
	पूंजी	5,67,25	...	5,67,25

1	2			3	
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	63,50	..	63,50
		पूंजी	..	..	..
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	32,35	..	32,35
		पूंजी	..	..	..
29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	17,21	17,21
		पूंजी	..	..	..
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	25,00	..	25,00
		पूंजी	..	..	..
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	8,50,75	..	8,50,75
		पूंजी	..	..	..
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	61,54,95	..	61,54,95
		पूंजी	7,61,72	..	7,61,72
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा	राजस्व	25,68	4,43	30,11
		पूंजी	3,74	..	3,74
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	राजस्व	2,46,41	..	2,46,41
		पूंजी	..	..	..
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	39,78,05	..	39,78,05
		पूंजी	12,10,62	..	12,10,62
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	4,36,06	..	4,36,06
		पूंजी	..	..	..
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	28,00,62	..	28,00,62
		पूंजी	..	..	..
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	13,96,14	..	13,96,14
		पूंजी	..	..	..
39	भाषा विभाग	राजस्व	27,00	..	27,00
		पूंजी	..	..	..

1	2		3	
40 नियोजन विभाग	राजस्व	14,08	..	14,08
	पूंजी	..	..	..
41 निर्वाचन विभाग	राजस्व	25,00,00	..	25,00,00
	पूंजी	..	..	..
42 न्याय विभाग	राजस्व	4,44,16	*2,81,48*	7,25,64
	पूंजी	12,43	..	12,43
43 परिवहन विभाग	राजस्व	1,44,31	..	1,44,31
	पूंजी	..	..	..
44 पर्यटन विभाग	राजस्व	6,14	..	6,14
	पूंजी	2,97,09	..	2,97,09
46 प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	42,05	..	42,05
	पूंजी	..	..	..
47 प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	..	*26,90*	26,90
	पूंजी	..	..	..
49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	2,36,40	..	2,36,40
	पूंजी	..	..	..
50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	51,39	*35*	51,39
	पूंजी	4,62,31	..	4,62,31
52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	5,25,00	...	5,25,00
	पूंजी	...	...	...
54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	4,31,50	...	4,31,50
	पूंजी	..	..	..
55 लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	1,46,13,	*13,06*	1,59,19
	पूंजी	2,58,27	...	2,58,27
56 लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	1,50,84	*25,50*	1,76,34
	पूंजी	1,51,64	...	1,51,64
57 लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	..	...	...
	पूंजी	6,10,80	...	6,10,80
58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	17,00,22	...	17,00,22
	पूंजी	25,00,00	...	25,00,00
60 वन विभाग	राजस्व	1,38,73	...	1,38,73
	पूंजी	...	...	...

1	2		3		
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	...	5,00,00,00	5,00,00,00
63	वित्त विभाग (कोषगार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	1,52,53	..	1,52,53
		पूंजी	30,86	..	30,86
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	2,45,50,45	..	2,45,50,45
		पूंजी	..	..	..
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	19,95,78	...	19,95,78
		पूंजी	1,98,00	..	1,98,00
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	55,15	...	55,15
		पूंजी	..	..	..
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	9,00	..	9,00
		पूंजी	..	..	..
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	85,22,71	11,06,11	86,28,82
		पूंजी	..	..	..
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	18,83,28	8	18,83,36
		पूंजी	3,23,34	..	3,23,34
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	3,02,45	...	3,02,45
		पूंजी	...	....	...
74	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	राजस्व	6,65	...	6,65
		पूंजी	..	..	...
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	98,28	...	98,28
		पूंजी	...	...	...
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	12,74	...	12,74
		पूंजी	2,27	...	2,27
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	17,24,87	...	17,24,87
		पूंजी	..	..	..
79	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	राजस्व	60,00	..	60,00
		पूंजी	1,26,00	..	1,26,00
80	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	राजस्व	1,99,32,26	2	1,99,32,28
		पूंजी	1,26,00	..	1,26,00

1	2		3	
81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	10,22	...	10,22
	पूंजी	..	..	..
86 सूचना विभाग	राजस्व	2,59,60	..	2,59,60
	पूंजी	..	..	..
87 सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	24,43	..	24,43
	पूंजी	8,77	..	8,77
88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	17,72	..	17,72
	पूंजी	...	..	...
89 संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	66,90	...	66,90
	पूंजी	55,04	..	55,04
90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	3,75	..	3,75
	पूंजी	..	..	..
91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	11,40	..	11,40
	पूंजी	..	..	..
92 सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	1,04,93	..	1,04,93
	पूंजी	8,70	..	8,70
93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	...	*2,53*	2,53
	पूंजी	..	..	..
94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	73,00,99	..	72,00,99
	पूंजी	2,41,72	..	2,41,72
95 उत्तराखण्ड विकास विभाग	राजस्व	4,16,63	..	4,16,63
	पूंजी	2,04,21	*6,20*	2,10,41
योग :	राजस्व	8,42,94,50	*5,24,54*	8,48,19,04
	पूंजी	2,05,85,76	*5,00,07,27*	7,05,93,03
कुल योग :		10,48,80,26	*5,05,31,*	15,54,12,07

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब आधे घण्टे के लिए सदन को स्थगित किया जाता है ।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित कर दी । 1 बजकर 50 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है । तदोपरान्त 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

बुलन्दशहर के विक्टोरिया पार्क में महात्मा गांधी शिला पट्ट को हटाये जाने संबंधी नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत एक सूचना दी गयी महत्वपूर्ण सूचना दी गयी, महत्वपूर्ण सूचनार्थ राष्ट्रपिता के अपमान से संबंधित सूचना थी ।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप मेरी बात सुन लें वर्मा जी ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं व्यवंस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपने वर्मा जी के बाद मुझे व्यवस्था के प्रश्न पर सुनने को कहा था ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आप पूरी बात तो सुन लें, मान्यवर,

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न है, पूरी बात तो सुन लें, यह लोग बीच में बोलने लगते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

आपने मुझे अनुमति दी है मैं निवेदन कर रहा था नियम–311 में एक महत्वपूर्ण सूचना मेरी और माननीय किरनपाल सिह तथा मलिक साहब के हस्ताक्षर से दी गयी थी ।

श्री अध्यक्ष–

यह सुनने के लिये तय कर रखा है, मैं सुनूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आप मुझे अनुमति दे रहे हैं तो कृपा करके सुन लें । मै अपनी बात कह दूं ।

श्री अध्यक्ष–

कहिये, अपनी बात कहिए ।

(व्यवधान)

* श्री राम आसरे वर्मा–

जो महत्वपूर्ण सूचना राष्ट्रपिता के अपमान से संबंधित है किरनपाल सिंह जी ने आग्रह किया, नहीं सुना गया, हमारे दल के नेता को बाध्य होकर वैल मे आना पड़ा । हरेन्द्र मलिक जी सीनियर साथी हैं । उनको वैल में जाना पड़ा, सीनियर मैम्बर्स का ध्यान रखते हुए कम से कम इस महत्वपूर्ण सूचना को सुन लें । उसके बाद में सरकार की तरफ से बात आ जाए कि राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले अधिकारी के खिलाफ उनकी क्या मंशा है, वह क्या करने जा रहे हैं ।

*श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, जो सूचना हमने दी है यह बहुत लोक महत्व की घटना है, सूचना है और बहुत ही अविलम्बनीय है । यह बहुत ही गम्भीर मामला है । मान्यवर, बुलन्दशहर नगर के अन्दर एक बड़ा पार्क वर्षों से है जब अंग्रेजों का शासन था उस वक्त उसका नाम क्वीन विक्टोरिया पार्क था क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति थी और शिलापट लगा हुआ था, श्रीमन् जब देश आजाद हुआ तो हमारे यहां की सरकार ने उसको परिवर्तित करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर उसका नाम रख दिया । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति उस पार्क में लगाई और उसके बाद एक चहारदीवारी पर संगमरमर का सुन्दर शिलापट लगवाया जिस पर महात्मा गांधी पार्क लिखा गया । मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं । महात्मा गांधी की इस देश के प्रति जो कुर्बानी है उसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है । लेकिन आजाद हिन्दुस्तान में छोटे-छोटे अधिकारी इस तरह से बदल जाएंगे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती ।

मान्यवर, बुलन्दशहर में वहां के जिलाधिकारी ने शिलापट को हटवाकर कुछ दूरी पर जहां पुलिस का बूथ बना हुआ है उसके अन्दर उस शिलापट को लगवा दिया है । इससे शर्म की बात और कोई नहीं हो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सकती है । मान्यवर, मैंने अत्यन्त गम्भीर विषय उठाया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए । यदि इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है तो कल तक वहां से सारी जानकारी मंगा लें यदि मेरी बात गलत हो तो मुझे सजा दी जाए । और यदि जिलाधिकारी ने इस तरह से उस शिलापट को उतारकर पार्क का नाम बदलने की कोशिश की है और राष्ट्रपिता के प्रति अपमान किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए ।

मान्यवर, इस तरह से हम महात्मा गांधी का अपमान करेंगे । कहीं उनकी मूर्ति शौचालय में लगवा देंगे, कहीं गन्दी जगह लगवा देंगे तो यह सारे देश की लिए शर्म की बात है । मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि इससे ज्यादा राजनीतिक महत्व का कोई दूसरा प्रश्न नहीं है । महात्मा गांधी सारे देश के राष्ट्रपिता हैं । इस घटना की कल तक रिपोर्ट मंगवा लें और यदि घटना सही है तो मेरा आग्रह है कि उस जिलाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । यदि मेरी सूचना गलत हो तो मुझे भी सजा दे सकते हैं ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आज हमारे लिए इससे ज्यादा दुखद घड़ी नहीं हो सकती है । आजाद भारत में राष्ट्रपिता के अपमान के विषय में यहां चर्चा कर रहे हैं । मान्यवर, ज्यादा दुखद और चिन्तनीय विषय कोई नहीं हो सकता है । जिस तरह से नेता जनता दल ने तथ्य रखे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस किसी अधिकारी या कर्मचारी ने यह कार्य किया हो उसे दंडित ही नहीं किया जाना चाहिए । आज भारतीय दंड संहिता के अनुसार ऐसे अपराधों के लिए उसके आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए तथा उसके खिलाफ गम्भीर कार्यवाही की जानी चाहिए ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नियमों और कानूनों को शिथिल करते हुए आप स्वयं पहल करें । मान्यवर, आज यह घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम राष्ट्रपिता के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं दिखाते हैं । जब कोई सत्ता में आता है तो वह सत्ता के नशे में राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता ही नहीं मानता । कोई आता है वह राष्ट्रपिता के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है । पक्ष बदल जाने से अगर लोगों की भावनाएं बदल गई हों तो मुझे कुछ नहीं कहना है । मेरा आपसे कहना है कि जिस किसी ने बुलन्दशहर में इस तरह का कार्य किया हो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए ।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचना हम लोगों द्वारा दी गई, मान्यवर, आप जिस बापू की तस्वीर के नीचे बैठे हैं, एक शासन का अधिकारी, जिसकी जिम्मेदारी भी थी, जिलाधिकारी का पद बहुत जिम्मेदारी का पद होता है, उसके द्वारा घिनौना कार्य किया गया और मान्यवर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां वह शिलापट लगाई गई है वह दीवार भी करेप्सन से बनी है, उस पर पीक थूका जाता है । मान्यवर, यह बहुत बड़ा अपमान किया गया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन के संज्ञान में ला करके सरकार से अनुरोध करूंगा कि, मान्यवर, इसमें गम्भीरता से आवश्यक कार्यवाही करके ऐसे अधिकारी के खिलाफ जो कार्यवाही हो सके, उसके विरुद्ध कार्यवाही करें। यह भी कहना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध अभियोग चलायें। यह किसी षडयन्त्र के तहत किया गया है। मान्यवर, शिलापट हट गया है। उससे जनता में रोष है। आशंका इस बात की है कि जो गाधी जी की प्रतिमा वहां पर लगी है उसको भी किसी न किसी दिन हटाया जा सकता हैं। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि बुलन्दशहर में जहां पर यह पार्क है यह सत्ता दल के ही किसी विधायक के क्षेत्र में आता है। यह भी बहुत बड़ी चिन्ता की बात है। इसको गम्भीरता से सरकार को लेना चाहिए और जिलाधिकारी जिसने यह कार्य किया है उसको दंडित करने के लिए सदन को आश्वास्त करें, यह मैं मांग करता हूं।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने पूरे सदन को आश्वस्त किया था कि हमारे द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति पूरा आदर दिया जायेगा। गांधी जी के प्रति सरकार ने कहा था कि हम उनके सपने को पूरा करेंगे और उनकी शताब्दी समारोह में उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यदि किसी साधारण व्यक्ति ने इस तरह की कोई घटना की होती या किसी दूसरे व्यक्ति ने की होती, तो यह क्षमा भी किया जा सकता था। लेकिन मान्यवर, वह लोग जो इस शासन की कार्यपालिका के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा इस तरह बात की गई। जो जनता दल के नेता उनके जनपद की बात है।

इस बात का पूरे प्रदेश में संकेत जाएगा, सरकार की उस वचनबद्धता का, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति उसने व्यक्त किया है। यह संकेत जाएगा कि या तो इस सरकार की बात इनके कार्यपालिका के लोग मान नहीं रहे हैं या मान्यवर, कार्यपालिका के लोगों का कहीं न कहीं राजनीतिकरण हो रहा है और वह कहीं न कहीं भावनाओं से प्रभावित होकर ऐसा कार्य कर रहे हैं। वह संविधान के अनुसार शपथ लेते हैं। शपथ लेकर यदि कोई अधिकारी ऐसा कार्य करता है तो वह भी अपने आप में गम्भीर बात है। सदन को इस मामले में, न यह सत्ता पक्ष की बात है, और न प्रतिपक्ष की बात है। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि अगर किसी अधिकारी ने इस तरह को कार्यवाही की है तो उसको कठोर दण्ड देना चाहिए।

* श्री राम बिशुन आजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि इस सरकार द्वारा हमेशा महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है उसी क्रम में आज महात्मा गांधी का अपमान किया गया है। महात्मा गांधी ने दलितों, पिछड़ों के लिये अपना सर्वस्व न्योछावर किया था। आज एक, अधिकारी ने महात्मा गांधी का अनादर किया और जनता की भावनाओं का अनादर किया है। इस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। जिस अधिकारी ने महात्मा गांधी का पट, जो पार्क में लगा था, उसको निकाल कर दूसरी जगह लगवाया है उसने इस प्रदेश का ही नहीं पूरे राष्ट्र का अपमान किया है, पूरे विश्व का अपमान किया है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

अध्यक्ष महोदय, माननीय किरन पाल सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है वह एक महत्वपूर्ण और गम्भीर प्रश्न है । कोई कर्मचारी हो या कोई अधिकारी हो पूज्य गांधी जी का अपमान करे यह किसी से सहन नहीं होगा । श्रीमन्, यह जो लोग हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं यह उसी मानसिकता से मचा रहे है, यह पूरी की पूरी सरकार महात्मा गांधी का अपमान करने पर तुली हुयी है । श्रीमन्, मामला गंभीर है, मैं भी इस पर बल देता हूं । जो माननीय किरनपाल सिंह और माननीय तिवारी जी ने और अन्य नेताओं ने कहा है, इस प्रकार के जिलाधिकारी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही करें और ऐसी कार्यवाही करें जिससे देश के अन्दर किसी को महात्मा गांधी के अपमान करने का दुस्साहस न हो ।

इसी के साथ जैसा मैंने पहले कहा था, आगरा में 8 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है और इस मामले को माननीय बदन सिंह ने उठाया है उस पर सुना जाय । इसी तरह से गोपाल काली जी पर जो प्राणघातक हमला हुआ है और शाहगंज में रेलवे स्टेशन पर सत्तापक्ष के विधायक ने जो गोली चलायी और जिससे तीन लोगों की मृत्यु हो गयी, इस संबंध में नियम 311 में सूचनायें दी गयीं हैं इनको भी आप सुनने की कृपा करें ।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मुझे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल को सुनने के बाद अब किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोगों को कोई सफाई नहीं देनी है और थोड़ा सुधार के लिये हम माननीय नेता विरोधी दल को धन्यवाद जरुर देंगे । माननीय किरनपाल सिंह जी ने, वर्मा जी ने, मलिक साहब ने, पाल साहब ने, और राम विशुन आजाद जी ने, जिन भावनाओं को उन्होंने कहा है उससे ज्यादा सहमत हूं कि महात्मा गांधी विश्व के महानतम लोगों में से हैं । वह हमारे देश के लिये हमेशा प्रासांगिक रहे हैं । आज जो वातावरण हमारे देश में है उसमें उनके आदर्शों का अनुकरण और उनके वाक्यों का अनुश्रवण इस देश को नयी दिशा दे सकता है । आज जो सांप्रदायिक शक्तियां सर उठा रही हैं उस संबंध में वाधा में गांधी जी ने कहा था, मुसोलिनी का फासिज्म और हिटलर की तानाशाही जिस प्रकार की थी, ठीक उसी प्रकार जो आज सांप्रदायिक तत्व हैं, इन्हीं के समान उनकी हरकतें थीं । (शोर) अगर हिटलर और मुसोलिनी के समर्थक भी यहां पर हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन माननीय किरनपाल सिंह और कांग्रेस दल के नेता तिवारी जी की और अन्य नेताओं की भावनाओं से मैं पूरी तरह से सहमत हूं और इस मामले में किसी वरिष्ठ अधिकारी से, आज ही कमिश्नर मेरठ से मौके पर जाकर स्थिति की जानकारी करायी जायगी । अगर किसी ने महात्मा गांधी जी के बारे में अनादर किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने में हमारी ऐसी सरकार संकोच नहीं करेगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप किस स्तर के अधिकारी से जांच करायेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप जिससे कहें ।

आगरा जनपद के थाना अछनेरा के ग्राम साहई स्थित श्री श्याम बीर सिंह के ईंट भट्टा पर दलित व मुस्लिम मजदूरों की लूट व महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 7 फरवरी, 1995 को नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनमें पहली सूचना आगरा जनपद के थाना अछनेरा के अन्तर्गत ग्राम साहई स्थित श्री श्यामवीर सिंह के ईंट भट्ठा पर दिनांक 27/28 जनवरी, 1995 की रात्रि को दलित व मुस्लिम मजदूरों के यहां की गयी लूट व महिलाओं के साथ किये गये सामूहिक बलात्कार के सम्बन्ध में, श्री रमेश कान्त लवानिया, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री बदन सिंह, श्री उदयभान सिंह, श्री छोटे लाल वर्मा, डा० राम बाबू हरित, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवासव, श्रीमती रानी देवलता, श्रीमती शशीबाला पुण्डीर, श्रीमती उर्मिला राजपूत और श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा की है ।

यह जो सूचना दी गयी है, उस पर मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूं ।

* श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आज मैं सदन के सामने एक ऐसी बलात्कार की घटना का उल्लेख करना चाहता हूं जिसने प्रदेश में अब तक हुई बलात्कार की घटनाओं को पीछे छोड़ दिया है । आगरा जनपद के थाना अछनेरा के अन्तर्गत ग्राम साहई स्थित श्री श्यामवीर सिंह के ईंट भट्टा पर दिनांक 27/28 जनवरी, 1995 की मध्य रात्रि को अनुसूचित जाति व मुस्लिम जाट को ईंट थापने वाली मजदूर महिलाओं के साथ पुलिस वेशधारी, शराब के नशे में धुत व हथियारबन्द 2 दर्जन बदमाशों ने बलात्कार किया और जब उन गरीब महिलाओं ने बलात्कार का प्रतिरोध किया तो उनके वस्त्र फाड़कर उनको निरवस्त्र कर दिया और जब उनके पतियों ने भी इसका प्रतिरोध किया तो उनके हाथ बांध दिये और उनके सिर तोड़ दिये और जब पतियों के सामने महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया होगा, तो इस हृदय विदारक दृश्य को उन लोगों ने कैसे सहन किया होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है । कोई बरदाश्त नहीं कर सकता है ।

मान्यवर, यह घटना दो घन्टे तक चलती रही, 12 बजे से 2 बजे तक लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी वहां पर नहीं पहुंचा । इस घटना के पूर्व विचपुरी गांव के नरोत्तम पचौरी के वहां डकैती डाली गयी और उनकी पत्नी श्रीमती सुधा के साथ बलात्कार करने की कुचेष्टा की गयी । अंगूठी गांव में खजान सिंह के यहां पर डकैती डाली गयी और उनकी पत्नी श्रीमती झांझवती के साथ बलात्कार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करने की कुचेष्टा की गयी और फिर साहई गांव के रामेश्वर के यहां डकैती पर पड़ रही थी और उनकी पत्नी श्रीमती राम कटोरी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गयी लेकिन धोखा देकर वह भाग निकली, लेकिन मान्यवर, रिपोर्ट नहीं दर्ज की गयी और वहां पर कोई उच्च अधिकारी नहीं पहुंच सका ।

मान्यवर, इस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धज्जियां उड़ा दी गयीं । यह मान्यवर, साधारण विषय नहीं है । मान्यवर, बोला (इलाहाबाद) की घटना है, उसमें महिलाओं को निवस्त्र किया गया और मुजफ्फरनगर की घटना में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया । मुमताज पत्नी निजाम जो 8–9 महीने की गर्भवती थी, उन बदमाशों ने शराब पीकर उसके पेट पर ठोंकरें मारी और वह चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी सहायता के लिये कोई नहीं पहुंचा । कोई अधिकारी नहीं गया, पुलिस की इस भूमिका की निन्दा करनी चाहिये । उसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं गयी ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बसपा और सपा की सरकार है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की हितैशी बनती है, और मैं कहना चाहता हूं कि अछनेरा थाने का एस०ओ० अनुसूचित जाति का है, डी०एम० अनुसूचित जाति का है, कमिश्नर अनुसूचित जाति का है और एस०एस०पी० अल्प संख्यक वर्ग का है, लेकिन उनके साथ बलात्कार हो रहा है । मान्यवर, उनके होते हुए अब किसी भी प्रकार का रहस्य इसलिए नहीं खोला जा सकता है क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है कि जन्नत के साथ बलात्कार हुआ है लेकिन अन्य 8 महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हुआ है । मान्यवर, इसमें से 4 महिलायें ऐसी हैं जिन्होंने मासिक धर्म बताकर यह कहा कि हमारे साथ बलात्कार नहीं हुआ और 2 अविवाहित जवान लड़की हैं जो अपनी लोक लज्जा के कारण अपने बलात्कार को किसी के सामने जिक्र नहीं होने देना चाहती हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, जब तक इस घटना की सी०बी०आई० से जांच नहीं करायी जायेगी तब तक इसकी पर्तें नहीं खोली जा सकती हैं । यह बलात्कार का मामला दबा हुआ है जबकि इस घटना के अनेक साक्ष्य भी उपलब्ध हुए हैं । वहां पर पैन्ट उतारकर कुण्डे पर टांगकर बलात्कार किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

अब लिखा नहीं जायेगा ।

श्री बदन सिंह–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रमेश कान्त लवानियां–

मान्यवर, जो आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यहां पर श्यामवीर सिंह के ईंट भट्ठे पर 9 परिवार अनुसूचित जाति व मुस्लिम भाइयों के रहते हैं जिसमें करीब 25 सदस्य हैं।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, बदन सिंह जी के मामले में जो तथ्य हैं वह मैं बता देता हूं।

श्री रमेश कान्त लवानियां–

मान्यवर, दिनांक 27/28 जनवरी, 1995 की रात्रि को लगभग 12 बजे करीब 2 दर्जन बदमाशों ने इन दलित व मुस्लिमों के 9 परिवारों की झुग्गियों को घेर लिया और यह कह कर कि हम पुलिस वाले हैं, तलाशी लेंगे, झुग्गियों में घुस गये। झुग्गी में मौजूद ठेकेदार के पुत्र इब्राहीम के हाथ बांध दिये और उसका सामान लूट लिया। इसी प्रकार शरीफ की झुग्गी में घुसकर बदमाशों ने सबसे पहले उसके हाथ पैर बांध दिये। उसके सम्मुख उसकी पत्नी जनन्त जो लगभग 18 वर्ष की थी से बारी-बारी दो बदमाशों ने बलात्कार किया। प्रतिरोध करने पर उसके कपड़े फाड़ दिये व कानों के कुण्डल नोच डाले।

मान्यवर, रघुवीर व राजवीर जाटव दोनों भाई हैं उनकी झोपड़ियों में घुसकर रघुवीर की पत्नी तिलक देवी व राजवीर की पत्नी पार्वती को फावड़े की बटों से मारा और निर्वस्त्र कर दिया। राजवीर की 70 वर्षीया मां की सबसे ज्यादा दुर्गति हुई जो मरणासन्न स्थिति में है इसका नाम कलावती है। राजवीर के सिर पर प्रहार कर उसे मारा गया तथा उसकी पत्नी का जबड़ा तोड़ दिया गया। मान्यवर, अनवर अली की पिटाई कर हाथ पैर बांध दिये और नकदी व सामान लूट लिया इसकी पत्नी शकूरन व पुत्रियों से खिलवाड़ किया गया। अनवर अली की पत्नी के साथ दो लोगों ने बारी-बारी से बलात्कार किया।

मान्यवर, भट्ठे पर रहने वाली महिलाओं को निर्वस्त्र कर पांच महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और अन्य महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। बदमाश दो घण्टे तक मारपीट, लूटपाट और बलात्कार करते रहे और पुलिस जो पास ही में नागर रजवहा के पास थी ग्रामीणों के बताने के बाद भी नहीं गयी। ग्रामीणों ने पुलिस से कहा कि आप चलिये हम आपके साथ चलने को तैयार हैं लेकिन फिर भी पुलिस नहीं गयी। (व्यवधान)

मान्यवर, पुलिस के अधिकारियों ने इन लोगों को डराया धमकाया और यह कहा कि अगर बलात्कार पर जोर दोगे तो आप लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं, बदमाश भी आसपास के होंगे। वह आपकी बेइज्जती कर सकते हैं, आपकी जान खतरे में हो सकती है, आपका डाक्टरी मुआयना होगा। रोज-रोज अदालत में जाना पड़ेगा। इस तरह से उनको निरुत्साहित किया। यह तैयारी की जा रही है वहां के एस०एस०पी डी०एम० के द्वारा कि अलीगढ़ के ठेकेदार के द्वारा जो मजदूर लाये गये थे उन्हें वहां से अलीगढ़ वापस कर दिया जाय। जिससे घटना स्थल पर अन्य लोगों को जाने से बचाया जा सके। इसमें डी०एम० एस०एस०पी० के विरुद्ध कार्यवाही की जाय वे दोषी हैं। घटना के एक हफ्ते बाद वहां बड़े-बड़े अफसर पहुंचे दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के अनके सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह कोई सामान्य चर्चा नहीं हो रही है ।

* श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार, उत्पीड़न, अनाचार और दुराचार बढ़ रहा है और सत्ता पक्ष के लोग, जब यह मामला उठाया जाता है, तो बैठकर हंसते हैं और ऐसा लगता है कि इनके घरों में महिलायें नहीं हैं या यह महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं हैं । (भारतीय जनता पार्टी की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

मान्यवर, यह भारतीय समाज के लिए बहुत ही कलंक का विषय है ।

मान्यवर, मुझे याद है कि एक माया त्यागी काण्ड हुआ था और इस सत्ता पक्ष के लोग उस काण्ड को लेकर, पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार को ही सत्ता से हटा दिये थे । तब इनके अन्दर लज्जा और सारी चीजें थी । लेकिन आज तो इनके अन्दर से सहानुभूति की लहर भी समाप्त हो चुकी है । मान्यवर, जो यह आगरा में काण्ड हुआ है यह लोमहर्षक है । मुझे जानकारी है कि बाराबंकी में अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ । हमारे यहां एस० पी० मुस्लिम हैं । मुस्लिम महिलायें एक क्षेत्र से भागकर मेरे पास आयी और बताया कि पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है ।

मैंने जाकर एस० पी० को बताया कि किस प्रकार दुर्व्यहार और अत्याचार हो रहा है । अगर इस प्रकार की गम्भीर घटनाओं को हंसी में उड़ा दिया जायेगा और दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर व्यवहार नहीं किया जायेगा तो वे समाज के प्रति संवेदनशील कहां रहेंगे ? फिर तो सभी ओर महिलायें असुरक्षित होंगी । आज हमारे ऊपर है कल किसी के ऊपर आ सकती है । यह सरकार दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, महिला विरोधी है । मैं कहना चाहूंगी कि यह सरकार अपना रवैया बदले वरना महिलायें अपना प्रतिशोध समय आने पर बतायेंगी । धन्यवाद । (भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(अनेक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोलने की मांग करने लगे जिससे व्यवधान हो गया)

श्री बिजेन्द्र सिंह (अलीगढ़)–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । मान्यवर, यह सदन सबसे बड़ी अदालत है । मान्यवर, यह मामला थाना अछनेरा के जनपद आगरा का है । मान्यवर, मैं स्वयं शकूरन के पास गया था उसने जो बातें हमें बतायी अगर हम उसे यहां पर पूरे सदन के सामने रखें तो पूरा सदन का सर शर्म से झुक जायेगा । मान्यवर, 12 बजे की यह घटना है । 20–25 लोग हथियारबन्द झुग्गी में घुस आये और उसके पति अनवर अली की पिटायी करके हाथ पैर बांध दिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और उसके बाद पांच-छः लोगों ने एक साथ उसके साथ बलात्कार किया । मान्यवर, जब 8 बजे लोग भट्ठे मालिक के पास गये और उसे पूरी घटना सुनायी तो उसने यह कहा कि आप जाइये हम पुलिस से बात करते हैं । लेकिन मान्यवर, अभी तक कोई रिपोर्ट थाने में नहीं लिखायी गयी है और न ही कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा है और न ही कोई कार्यवाही वहां पर हुई है । वहां एक राजनैतिक व्यक्ति हैं, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हैं, वे अपने को मिनी चीफ मिनिस्टर मानते हैं उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ है मैं 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा करता हूं । लेकिन आज तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है ।

आज वहां पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाया है । मान्यवर, बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज ग्रामीण अंचलों में भय व्याप्त है नारी की इज्जत चौराहे पर लूटी जा रही है । मेरा अनुरोध है कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये और यह भी मांग करता हूं कि उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाय । दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाये जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके ।

(घोर व्यवधान)

श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मामला है अतः मुझे बोलने का अवसर दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अवसर दूंगा । आप लोग शान्त रहिये जब आप दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो आपकी बात कौन सुनेगा ? आप लोक क्यों शोर मचा रहे हैं ? यह संसदीय परम्परा नहीं है । आप लोग अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, माननीय बदन सिंह और माननीय रमेश कान्त लवानियां जी ने आगरा की घटना के बारे में सदन में उल्लेख किया है । मैं सत्ता प्रक्ष के सदस्यों से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई हास-परिहास का विषय नहीं है । महिला कोई भी हो, किसी भी जाति की हो, अगर उसकी इज्जत लूटी जाती है और यह यदि वास्तव में अपनी कथनी के प्रति ईमानदार हैं तो इन्हें दुःख प्रकट करना चाहिए, लेकिन यहां सत्ता पक्ष के लोग बैठकर हंसी उड़ायें, मजाक उड़ायें तो इनकी दलितों, पिछड़ों के हितों की बात करना बेमानी है ।

मान्यवर, 27/28 जनवरी की रात में यह घटना हुई है और इस घटना के तथ्य आपके सामने आ चुके हैं । मुझे केवल एक बात कहनी है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी थोड़ी देर में उसका उत्तर देंगे और मैं समझता हूं कि अपने उत्तर में वह वही कहेंगे, जो उनको वहां के अधिकारियों ने बताया होगा । मैं केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कल सदन में यह कहा था कि हम दलितों की आवाज को डण्डे के बल पर दबाने नहीं देंगे ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हथियारों, बन्दूकों की नोकों के बल पर दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीब महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है और आप चुप बैठे हैं । पुलिस यह कर रही है कि अब

तक वहां कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है । पुलिस का सी०ओ०, एस०ओ० जब वहां जांच के नाम पर गये तो उसने बजाय कार्यवाही करने के पीड़ित महिलाओं को डराया, धमकाया कि बलात्कार की घटना का उल्लेख नहीं करोगी, क्योंकि यह बदमाश इसी इलाके के रहने वाले हैं और आज अगर एक बार इज्जत लूटी है, तो रोज लूटी जायेगी, क्या मान्यवर, पुलिस का यही काम है ? इस घटना के दो महीने पहले नगलापरसी में ईंट के भट्ठे पर महिलाओं की इज्जत लूटी गयी, इसी प्रकार गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर इज्जत लूटी गयी, अब सहाई में ऐसा हो गया है न तो पुलिस कार्यवाही करती है और न ही यह सरकार कुछ करती है ।

आज सरकार का संरक्षण प्राप्त लोग ऐसे कृत्य में संलग्न हैं । मुझे इस बात का दुख है कि वहां के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घटना के एक हफ्ते बाद वहां पहुंचे । दुख इस बात का भी है कि उन्होंने वहां जाकर 100–100 रुपया पीड़ित महिलाओं को उनकी इज्जत के बदले दिया । मान्यवर, आज 100 रुपये में महिलाओं की इज्जत बिक रही है । जो महिलायें इस घटना में पीड़ित हुई हैं, उसमें मुमताज पत्नी निजाम, शकूरन पत्नी अनवर, जन्नत पत्नी शरीफ पार्वती और तिलक देवी पत्नी राजवीर और रघुवीर जाटव प्रमुख हैं । मान्यवर, 2 घण्टे तक आतताइयों ने इनके घरों में लूटपाट की और मारपीट की । कलावती नाम की 70 वर्षीय महिला, जब अपने बच्चों को बचाने के लिए पैरों पर गिर गयीं, तो धारदार हथियारों से उस पर हमला किया गया, आज भी वह महिला जिन्दगी और मौत से बीच झूल रही है, कोई उन लोगों को बचाने वाला नहीं है ।

मान्यवर, सत्ता के विधायक भी मौके पर नहीं पहुंचे, हम लोग वहां गये थे शर्म की बात यह है कि सरकार का कोई भी मंत्री वहां नहीं पहुंचा । इनकी सरकार में आगरा जिले और आगरा मण्डल के मंत्री हैं, हमें खुशी होती है, यदि इनके मंत्रियों के दिल में अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए जरा भी हमदर्दी होती तो यह वहां जाकर उनके आंसू पोछने की कोशिश करते । वहां गांव में आज भी बड़ा आतंक व्याप्त है, मेरी मांग है कि वहां सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाय और पीड़ितों की समुचित सहायता दी जाय और जो अपराध पंजीकृत हुआ है, उसकी जांच सी०बी०आई० से कराकर अपराधियों को दण्डित किया जाय ।

*श्री चन्द्र भान मौर्य–

मान्यवर, आगरे की बलात्कार की घटना के संबंध में माननीय बदन सिंह और विकल जी ने जो कहा है, यह घटना असत्य है । ग्राम किरावली, फतेहपुर क्षेत्र का इतिहास यह रहा है कि वहां पनवारी जैसे काण्ड हुए हैं । हरिजनों, दिलतों पर अत्याचार करने वाले भी यही है और इसका प्रचार करने वाले भी यही है । ईमानदारी की बात तो यह है कि यह घटना केवल लूट की घटना थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने, विशेष रूप से माननीय बदन सिंह के लोगों ने तूल देकर सरकार को बदनाम करने की साजिश की है और इस तरह का प्रचार किया है, जिससे यह सरकार बदनाम हो ।

मान्यवर, मैं भी हरिजन हूं और उस क्षेत्र का रहने वाला हूं । आगरा डा० भीम राव अम्बेडकर का गढ़ कहा जाता है । हमारे हरिजनों में इतना आत्म सम्मान है कि कोई भी महिला मर जाना स्वीकार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करेगी लेकिन बलात्कार की घटना की बात करना भी बर्दाश्त नहीं करेगी । मान्यवर, श्री बदन सिंह और श्री विकल जी द्वारा यह सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है । मान्यवर, ये लोग ही अत्याचार करते हैं उसके बाद उसका प्रचार करते हैं, यह बलात्कार की घटना नहीं है इसकी निश्चित रूप से जांच करवायी जाये । मान्यवर, पनवारी काण्ड भी इन्हीं लोगों ने कराया था और उसी इतिहास को पुनः दोहराया गया है । लूट की घटना इन्हीं के लोगों ने की है और सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है । इसकी ईमादारी से जांच हो जाये तो सत्यता सामने आ जायेगी ।

* श्री उदय भान्न सिंह–

मान्यवर, आज मौर्या का जबाबी वक्तव्य सुनकर बेहद आश्चर्य हुआ । मैं अभी तक समझता था कि मौर्या जी के हृदय में कहीं अनुसूचित जाति और महिला वर्ग के लिए कोई स्थान होगा । यह अपने आप को गरीब और पिछड़े वर्ग का कहते हैं लेकिन उसकी बात नहीं करते हैं । मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र का मामला है, मैं सत्तापक्ष के लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वह इसको ध्यानपूर्वक सुनें । शोर/व्यवधान

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, लूट की घटना हुई उसमें अगूंठी गांव में जाकर खजान सिंह और पवार सिंह के घर में लूटा । मैं बताना चाहता हूं कि थाना जगदीशपुर का बिचपुरी चौकी वारदात की जगह से मात्र 2 कि०मी० दूर है । यदि मौर्या जी के हृदय में जरा सी वेदना होती, हमदर्दी होती तो वह वहां पहुंच गये होते । सत्ता पक्ष के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह 27-28 तारीख की घटना है । इस घटना के संबंध में 29 तारीख को जब मैं और भारीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास गये और उनसे इस संबंध में बात की तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जो कहा उसे सुनकर आपको बेहद आश्चर्य होगा । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मुझसे कहा कि चौधरी साहब आप कैसी बात कह रहे हैं, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि वह महिलायें जवानी को लेकर उस जंगल में क्यों पड़ी हुई थीं, यदि बलात्कार हुआ तो क्या विशेष बात हुई ? मैंने वरिष्ट पुलिस अधीक्षक से कहा कि जरा सोच समझकर बात करो, मैं इन शब्दों को सदन में रखूंगा । मान्यवर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस जबाब में यह कहा कि चौधरी साहब आप बच्चों जैसी बात करते हैं । मुलायम सिंह जैसा व्यक्ति जब तक शासन की गद्दी पर बैठा है मुझे कोई यहां से हटा नहीं सकता ।

मान्यवर, मुझे मौर्या जी वक्तव्य से आश्चर्य होता है कि इतने पुराने राजनीतिज्ञ होने के बावजूद जनता के लिए उनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है, मैं मौर्या जी के वक्तव्य की भर्त्सना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि प्रदान करे । यह व्यक्ति जनता की वोटों से आज इस सदन में आया है लेकिन अनुसूचित जाति और महिला वर्ग की खिलाफत कर रहे हैं, यह बड़े शर्म की बात है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

*श्री छोटे लाल वर्मा–

मान्यवर, 27/28 तारीख की रात में जो यह घटना हुई उसके संबंध में मैं आपसे मांग करता हूं कि विधान सभा के माननीय विधायकों की एक समिति गठित कर दी जाय, जो इस घटना की जांच करे ताकि सच्चाई का पता चल सके। पुलिस प्रशासन ने केवल एक महिला के साथ बलात्कार दिखाया है, जबकि सच्चाई यह है कि वहां पर दर्जनों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। मैं आपके संज्ञान में यह तथ्य भी लाना चाहता हूं कि एस०एस०पी०, डी०आई०जी० व प्रशासन ने वहां पर आतंक मचा रखा है। इसी के साथ ही 30 तारीख को वहां थाने के अन्तर्गत ग्राम पता पुरा से एक लड़के को बसौनी की पुलिस उठाकर ले गयी। आज तक उस लड़के का पता नहीं है। अब पुलिस कहती है कि डकैत सिया, जिसके ऊपर दो लाख रुपये का ईनाम है, जब तक उसका पता नहीं बताया जायेगा, तब तक हम लड़के को वापस नहीं करेंगे। इस गांव के लोग बेकसूर हैं परन्तु प्रशासन ने वहां पर आतंक मचा रखा है।

4 दिसम्बर, 1993 को जब यह सरकार बनी थी तो हम लोग सोच रहे थे कि दलितों, पिछड़ों व गरीब लोगों पर जो अत्याचार होते हैं, वह कम होंगे परन्तु जब से यह सरकार आयी है, तब से इन जातियों के ऊपर अत्याचार बढ गये हैं। इस सरकार को उनसे कोई रहम नहीं है। यह सरकार जानबुझकर गुण्डागर्दी करवा रही है। आज दलितों, अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलिये।

श्री छोटे लाल वर्मा–

इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिन प्रकरणों का मैंने उल्लेख किया है, इनकी जांच हेतु सदन की एक समिति बना दी जाय जिससे सच्चाई का पता चल सके और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो सके। सरकार ने 100-100 रुपये दिये। यह तो उनके किराये के लिए पूरा नहीं होता है। इसलिए मैं मांग करा हूं कि पीड़ित व्यक्तियों को 2-2 लाख रुपये की सहायता दी जाय। साथ ही वहां पर जो डी०आई०जी० व एस०एस०पी० हैं, उन्हें वहां से हटा दिया जाय।

* श्रीमती प्रेमलता कटियार–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बदन सिंह जी, माननीय सदस्य विकल जी, माननीय सदस्या श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा जी ने घटना के संबंध में जो बात रखी उसे मैं दोहराना नहीं चाहती हूं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि वह आत्मचिन्तन करे और विचार करे कि आखिर उनकी सरकार के आते ही ये बलात्कार की घटनायें क्यों बढ़ रही हैं और ये रुक क्यों नहीं रही हैं। इसका एक मात्र कारण यह है कि अराजकतत्वों को, बलात्कारियों को प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश की बहु-बेटियों की असमत की सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो गया है। सत्ता पक्ष में बैठे लोग यह कह रहे हैं कि इतनी सी घटना हुई और उसे इतना बढ़ा-चढ़ाकर कहा जा रहा है। मां सीता का मात्र अपहरण हुआ था, उन्हें किंचित मात्र भी छुआ नहीं गया था परन्तु उसका परिणाम क्या हुआ, यह सब आप लोग जानते हो।

द्रोपदी का चीर हरण हुआ था, जो कौरवों के नाश का कारण बना था। इसलिए सरकार आत्म चिन्तन करे। आज इस तरह की घटनायें बिखरी पड़ी हुई हैं। यदि आप आत्मचिंतन कर लिए होते तो जबाब आपको मिल जाता। मायावती त्यागी काण्ड हुआ था नारायणपुर काण्ड हुआ था, जिसके फलस्वरूप सरकारों को जाना पड़ा। इसलिए महिलाओं के सम्मान को इतने हल्के ढंग से न लिया जाय। यदि आपने कानून में छूट देकर, म्रहिलाओं के सम्मान व अजमत को इस तरह से कुचला गया या लूटा गया, तो इस सरकार का बचना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए मैं चाहूंगी कि सरकार आत्मचिंतन से बलात्कारियों को एक ऐसा सबक देने की कार्यवाही करेगी, जिससे बलात्कारियों का मनोबल न बढ़ सके। मैं फिर कहती हूं कि ऐसे लोगों के मनोबलों को न बढ़ायें। आप कौन सा मैसेज देना चाहते हैं समाज में क्या बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार बनाकर मैसेज देना चाहते है, क्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की तबाही का कारण बनना चाहते हैं ?

(कई सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब समय नहीं है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को जबाब देना है फिर 4 बजे अन्तरिम आय-व्ययक और लेखानुदान प्रस्तुत करना है। इसलिए अब मैं इजाजत नहीं देता। कोई दूसरी सूचना नहीं ली जायेगी (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह जो घृणित अपराधिक घटना हुई है जिसके संबंध में माननीय महिला सदस्या और माननीय बदन सिंह, माननीय विकल जी, माननीय लवानियां ने अपने विचार व्यक्त किये। यह एक बड़ा अपराध है लेकिन कम से कम विपक्ष और सत्ता पक्ष को कुछ मुद्दों पर तो एक मत होना चाहिए। ऐसे मसलों को राजनीतिक प्रचार का मसला नहीं बनाना चाहिए। इसे गम्भीरता से लेना चाहिए और उनका इलाज ढूढ़ना हम सब का दायित्व है। सरकार पर दोषारोपण कर, उसे राजनीतिक प्रचार का माध्यम बना कर लाभ लेने की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों को राजनीतिक मसला बनाकर हल नहीं ढूढ़ा जा सकता है।

हमारे पास जो रिपोर्ट आयी है और आप लोगों ने जो कहा उससे थोड़ा भिन्न है लेकिन हम पूरी तरह से अभी उसको सही इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जांच चल रही है। दो डकैत उसमें गिरफ्तार हुए हैं, 10–15 डकैत रात 2 बजे मजदूरों की झुग्गी-झोपड़ियों में जो सो रहे थे उनके घरों में घुस कर लूटपाट की। अब तक जो प्रकाश में आया है, महिलाओं से जो बातचीत हुई, जो छानबीन की गयी उसमें एक महिला के साथ बलात्कार की घटना प्रकाश में आयी है। (व्यवधान) आप पूरी बात तो सुनें। (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, बिना किसी जांच के संसदीय कार्य मंत्री जी ने कैसे निष्कर्ष निकाला है । (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पूरी बात तो सुन लीजिये (व्यवधान) धैर्य रखें..

श्री जगदम्बिका पाल–

क्या कोई जांच करायी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इस तरह से किसी मसले पर बहस नहीं हो सकती है । सब लोग एक साथ बोलना चाहें तो बोलें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप आसन ग्रहण करें चिल्लाने दीजिये (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

पहले पूरी बात तो आ जाने दीजिये, ओछेपन से न लें । कम से कम माननीय नेता विरोधी दल को भी उन्हें शान्त रहने के लिए कहना चाहिए । दलीय लोकतन्त्र में उनकी भी जिम्मेदारी होती है । जब आप बोलने के लिए खड़े होते हैं तो किस तरह से हम कहते हैं कि नेता जी की बात को ध्यान से सब सुनें । जब आपका अपने दल वालों पर कोई नियंत्रण नहीं है फिर क्या लाभ है ? जो अपने दल को नियंत्रित नहीं कर सकता है वह नेता बनने लायक नहीं है । आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, हम भी बहुमत में हैं हमे भी अपनी बात कहने का अधिकार है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, शोरगुल वह लोग करते हैं जिनके पास कोई तथ्य और मुद्दे नहीं होते हैं, इसलिए वह अपनी बात को शोरगुल से उठाते हैं ।

मान्यवर, हमने पहले ही कहा है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए । ऐसी घटनाओं पर नेता विरोधी दल को और नेता सदन को एक साथ बैठकर विचार करना चाहिए और उनका हल ढूढ़ना चाहिए । इस संबंध में हमने कहा है कि अभी जांच चल रही है । इसमें डकैत 2 गिरफ्तार हुए हैं और 6 को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया हे जिनसे पूछतांछ की जा रही है । इसके साथ ही कुर्की की कार्यवाही भी की जा रही है ।

श्री विकल जी को मैं बताना चाहता हूं कि इसमें पीड़ित व्यक्तियों को 100–100 रुपये नहीं बल्कि 5–5 हजार रुपये दिये गये हैं । श्रीमन्, हम स्वयं इस राय के हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रुके और जो कानून में प्राविधान हैं उनको सख्ती से लागू करके कार्यवाही की जानी चाहिए । व्यक्तिगत रूप से इसमें अधिकारियों से हमने कह दिया है कि अपराधियों के प्रति कोई रियायत न बरतें । इसके साथ ही नेता विरोधी दल से हम इस संबंध मे वार्ता कर लेंगे और जो सुझाव देंगे उन पर विचार कर लेंगे ।

(व्यवधान)

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं केवल एक बात की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसे कुछ गम्भीर मामले होते हैं जिन पर पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होनी चाहिए । श्रीमन्, मैं इससे सहमत हूं कि जहां पर मां-बहनों की अस्मत लूटने की बात हो तो वह नहीं होनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी को एक मत होना चाहिए ।

श्रीमन्, इस प्रकरण में तीन प्रकार की बातें सामने आयी हैं । श्री बदन सिंह, श्री लवानियां और अन्य माननीय सदस्यों ने जो आरोप लगाये हैं कि वहां पर मुस्लिम और अनुसूचित जाति 8 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया है । नाम बतायें, उधर सत्ता पक्ष की ओर से श्री मौर्या जी ने कहा कि यह घटना कतई घटित ही नहीं हुई है और सारे आरोप गलत हैं, उसके बाद तीसरा वर्जन सरकार की तरफ से आ गया कि केवल एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आयी है । इस तरह से इस घटना के संबंध में तीन-तीन पक्ष सामने आये हैं और यह भी बिल्कुल साफ हो गया है कि सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी इस मामले में प्रभावी जांच नहीं कर रहे हैं और मामले को दबाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ।

मैं इस संबंध में आपसे केवल दो मांगें करता हूं, पहली यदि सरकार वास्तव में इस घटना के प्रति गम्भीर है तो वह इस वीभत्स काण्ड की जांच सी०बी०आई० से करा दें और इस बात की यहां घोषणा कर दी जाय या फिर सरकार को यदि सी०बी०आई० जांच में कोई दिक्कत है तो वह इस सदन की एक सर्वदलीय समिति बना दें, जिसमें सत्ता पक्ष के भी लोग हों, जो सारे मामले की छानबीन कर अपनी रिपोर्ट दें और सरकार उसे पूरी तरह मानें । यही दो रास्ते हैं जिनसे निष्पक्ष जांच हो सकेगी और प्रभावी कार्यवाही भी हो सकेगी और इससे जनता को सरकार की मंशा भी मालूम हो जायेगी कि वह इसके प्रति गम्भीर है और वह इसमें किसी दोषी को बचाना नहीं चाहती है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

इसमें यही उचित होगा कि मामले की जांच सी०बी०आई० द्वारा करा दी जाय, जैसा कि समारे सदस्य बृजेन्द्र सिंह जी की ओर से अभी सुझाव आया है । मैं चाहता हूं कि सरकार इसको स्वीकार कर ले (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल, विभिन्न सदस्यों और नेता कांग्रेस, श्री प्रमोद तिवारी तथा संसदीय कार्य मंत्री ने जो तथ्य सामने प्रस्तुत किये हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए, बात साफ है, फिर भी मैं चाहूंगा कि यथोचित कार्यवाही जो भी सम्भव हो की जाय और उस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय सेवा आयोग या बोर्ड की प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उ० प्र० सड़क परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की सूचना

* मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय, हम आपके सामने, इस सदन के सामने कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं । हम सब अवगत हैं कि हमारी सरकार ने राज्य में अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की हैं । लम्बे अरसे से उपेक्षित लोगों को राहत देने के लिये अनेक प्रभावी कदम उठाये गये हैं । इसी क्रम में बेरोजगार युवकों को राहत देने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय सेवा आयोग या बोर्ड आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले युवकों तथा साक्षात्कार हेतु आहूत अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के भीतर परीक्षा प्रवेश-पत्र अथवा साक्षात्कार-पत्र के आधार पर निशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।

श्री गोपाल काली, विधायक (भा० ज० पा०) पर हुए प्राणघातक हमले संबंधी नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

अब अगली सूचना है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना, उत्तर प्रदेश में लाटरी के चलते लाखों परिवारों के भुखमरी के कगार पर आ जाने के संबंध में सर्वश्री प्रमोद तिवारी, नरेश अग्रवाल, जगदम्बिका पाल और नरेन्द्र सिंह की जो सूचना है....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि कल आपने इस सदन में और अपने कक्ष में यह कहा था कि जो आगरा की घटना है और जो शाहगंज की सूचना है, उन दोनों को सदन में सुनेंगे.....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप मुझे कहने तो दें आप मुझे कहने ही नहीं देते हैं । मैं सुना रहा हूं, आपकी बात आ जायेगी.... (घोर व्यवधान) ठीक है आप 12 बजे रात तक बैठें, मैं सब सुनूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा सिर्फ यह कहना है कि जब इनकी बात होती है तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन आप हमारे साथ सहयोग नहीं करते हैं । इसके बाद जौनपुर वाला जो प्रकरण है, उस पर जितने गम्भीर आप हैं, उससे कहीं ज्यादा हम हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नेता कांग्रेस दल ने हम पर आरोप लगाया है कि हम सुनते नहीं हैं..... (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

हमारी मुश्किल तो यह है हमेशा यह हमारी बात को तौलने में गड़बड़ी कर देते हैं..... (घोर व्यवधान)

श्री गोपाल काली–

मान्यवर, मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है, यह सदन के सदस्य के ऊपर हमला हुआ है, पहले इसे सुना जाना चाहिए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नहीं, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। आप लोग शान्त रहें।

(भाजपा के सदस्य श्री छोटे लाल वर्मा, श्री रंगनाथ, श्री उदयभान सिंह व श्री बची सिंह रावत सदन के फ्लोर पर आ गये और सम्बन्धित सदस्य की बात सुनने की मांग करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर तो जायं। यहां से क्या बात कहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी आप इनको सुन लें। माननीय नेता विरोधी दल अपने सदस्यों को क्या ट्रेनिंग देकर आये हैं। यह अपनी सीट पर जाकर बोलें यहां वैल में क्या कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने स्थान पर चले जायं।

श्री गोपाल काली–

मान्यवर, आपने मुझे चर्चा करने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। सत्ता पक्ष की तरफ से इस बात पर बार-बार जोर दिया जा रहा है कि यह दलितों शोषितों की सरकार है। मैं यहां सदन में स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो हस्तिनापुर का हुआ उपचुनाव उसमें बी० जे० पी० की जीत हुई और सपा बसपा प्रत्याशी हार गये। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह दलितों की सरकार नहीं है।

मान्यवर, 20 जनवरी को माननीय नेता प्रतिपक्ष की बुडना मुजफ्फरनगर मेरठ के सिनौली में जनसभाएं थीं। मैं जनसभा में थोड़ा पहले चला आया था। बरनावा से पहले पहुंचने पर आधा किलोमीटर पहले मुझे यह जानकारी मिली कि कुछ लोग बरनावा के विधायक और श्री रामचन्द्र बाल्मीकि को घेर कर वार कर रहे हैं। यह वहां पर स्थित पुलिस चौकी के सामने की घटना है। श्री त्रिपाल धामा के ऊपर किसी ने तमंचे से फायर कर दिया मैंने उनको बचा लिया नहीं तो उनकी जान चली जाती। इससे वहां पर मौजूद कुछ लोग मेरे ऊपर टूट पड़े गोलियों से हमला किया गया और तलवार चलाई गई। मेरे सिर के ऊपर तलवार से हमला किया गया। इस पूर्व नियोजित हमले के

बारे में पुलिस प्रशासन को पहले से ही जानकारी थी। मान्यवर, मैंने अपना सिर हटा दिया नहीं तो मेरा कत्ल हो जाता। रामचन्द्र बाल्मीकि के ऊपर हमला हुआ, त्रिपाल सिंह धामा के ऊपर हमला हुआ। इन तीनों में से हम दो विधायक दलित वर्ग के हैं। मैं मांग करता हूं कि ऐसी घटना पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए।

मान्यवर, मेरे ऊपर हमला होने के बाद मेरे गनर ने मेरी सुरक्षा में फायर किया। मैं पांच घंटे अस्पताल में चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने नहीं सुना। दो किलो खून हाथों से निकल गया। हाथ पूरे जख्मी हैं मैं 12 दिन अस्पताल में रहा । अस्पताल में मैंने संबंधित थाना पुलिस से दोनों घायल विधायकों की सुरक्षा की मांग करता रहा, कहता रहा कि अस्पताल में हमलावर चक्कर काट रहे हैं, सुरक्षा के नाम पर दो डंडे देकर होमगार्ड के लोग सुरक्षा में लगा दिये गये। सूती कुर्ता था इसलिये बच गया।

(खून लगा कुर्ता दिखाया गया)

(शेम-शेम की आवाजें)

मेरे दोनों हाथ टूट गये होते। उसके बाद मान्यवर, हम तीनों विधायकों के ऊपर आधा दर्जन संगीन धाराओं से मुकदमें कायम किये गये। जिला प्रशासन उनका पक्ष ले रहा है। हमलावरों से यह तो चूक हो गयी वरना हमलावर नेता प्रतिपक्ष पर प्राणघातक हमला करना चाहता था। सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने सात महीने पहले राईफल के लिये लाइसेंस के लिये जिलाधिकारी से आवेदन किया था लेकिन शर्म की बात है कि इस सरकार के लिये सात महीन से चक्कर काट रहा हूं मुझे अभी तक लाईसेंस नहीं दिया गया। लाइसेंस न दिये जाने की मैंने आपसे भी शिकायत की थी।

(व्यवधान)

लेकिन आपने कोई ध्यान नहीं दिया जिस हमलावर ने यह सुनियोजित षड़यंत्र किया वह समाजवादी पार्टी का जिला मंत्री नरेन्द्र त्यागी था।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं अपनी बात सुनाना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

आप सब बैठ जायें। अधिकार सबको समान हैं। मैं किसी को नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

व्यक्तिगत बात थी इसलिये उनको समय दिया गया।

श्री हरक सिंह रावत–

विधायक को सुना जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बेकार बात करते हैं ऐसा कैसे होगा । (व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी । आप लोग अपनी बात तो कह देते हैं लेकिन दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते हैं ।

(भाजपा के कई सदस्य इसी मध्य सदन के फ्लोर पर आ गये और "दलित विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" "तानाशाही नहीं चलेगी" [× × ×] की तानाशाही नहीं चलेगी" के नारे लगाने लगे)

(कुछ सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष के आसन की ओर एजेंडे व कागज फेंके और निरन्तर माननीय अध्यक्ष के आसन की ओर जाने का प्रयास करते रहे)

(तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दलित विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी आदि के नारे लगाये जाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने आसन पर जायं ।

(लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी के नारे लगाये गये)

(सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपने आसनों पर खड़े होकर दलितों पिछड़ों की सरकार खूब चलेगी, खूब चलेगी, दलितों पिछड़ों की सरकार बहुत चलेगी–बहुत चलेगी के नारे लगाते रहे ।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने आसन पर जायं ।

(दोनों पक्ष के सदस्य नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

(व्यवधान के मध्य मद संख्या 23 पुकारे जाने पर)

(सरकार पक्ष की ओर से–"दलितों, पिछड़ों की सरकार बहुत चलेगी, बहुत चलेगी" के नारे लगाये जाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांति बनाये रखें ।

वित्तीय वर्ष 1995-96 का अन्तरिम आय-व्ययक

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं वर्ष 1995-96 का बजट अन्तरिम (आय-व्ययक) प्रस्तुत कर रहा हूं ।

(प्रतियां वितरित की गई)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप सभी लोग अनुशासित रहें ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, जैसा आज हो रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें ।

वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग के लिये लेखानुदान

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वर्ष 1995-96 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं ।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1995-96 के माह अप्रैल, मई, जून तथा जुलाई, 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो 7 फरवरी, 1995 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–5 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च, की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाये, जो 59 अरब, 70 करोड़ 27 लाख, 2 हजार रुपये से अधिक न हो ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1995-96 के माह अप्रैल, मई, जून तथा जुलाई, 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो 7 फरवरी, 1995 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-5 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाये, जो 59 अरब, 70 करोड़, 27 लाख, 2 हजार रुपये से अधिक न हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और लेखानुदान का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995 †

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† उ० प्र० सरकार के दिनांक 17-2-95 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छापा गया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाये।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, खण्ड–3 अनुसूची खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995

1 अप्रैल, 1995 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1995 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1995–96 के लिये 80,91,51,29,000 रुपये का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1 अप्रैल, 1995 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के संबंध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता हैं जितना कि अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका सबका कुल योग 80,91,51,29,000 रुपये (केवल अस्सीअरब इक्यानबे करोड़ इक्यावन लाख उनतीस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2			3	
1	आबकारी विभाग ..	राजस्व	4,25,54	*3*	4,25,57
		पूंजी	...	..	...
2	आवास विभाग ..	राजस्व	6,07,85	*16,96,67*	23,04,52
		पूंजी	23,16,67	*11,38,33*	34,55,00
3	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	15,71	...	15,71
		पूंजी	..	..	..
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	1,66,21	*3*	1,66,24
		पूंजी	..	..	..
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	7,32,45	*67*	7,33,12
		पूंजी	25,00	..	25,00
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	10,09,10	*1.93*	10,11,03
		पूंजी	1	*1,91*	1,92
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	12,51	*20.00*	32,51
		पूंजी	1,66,67	*41.67*	2,08,34
8	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	11,48,38	..	11,48,38
		पूंजी	..	..	..
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व	92,33	...	92,33
		पूंजी	2,23,10,67	..	2,23,10,67
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	13,93,57	*7,00*	14,00,57
		पूंजी	1,28,67	..	1,28,67
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	1,03,69,45	*1,04*	1,03,70,49
		पूंजी	10,00,04	*17*	10,00,21
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	राजस्व	16,83,35	..	16,83,35
		पूंजी	16,67	..	16,67

1	2			3
13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	3,73,55,31	*1,33*	3,73,56,64
(ग्राम्य विकास)	पूंजी	16,65,50	..	16,65,50
14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	38,21,48	*7*	38,21,55
(पंचायती राज)	पूंजी	..	..	..
15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	35,96,33	*17*	35,96,50
	पूंजी	53,39	..	53,39
16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	3,28,34	*1*	3,28,35
(दुग्धशाला विकास)	पूंजी	1,56,94	..	*1,56,94*
17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	4,70,22	*2*	4,70,24
	पूंजी	33	..	33
18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	6,98,93	*11,74,98*	18,73,91
(सहकारिता)	पूंजी	2,46,98,70	*9,88,74*	2,56,87,44
19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा	राजस्व	83,53	..	83,53
अन्य व्यय)	पूंजी	..	..	..
20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	35,33	*1,32,67*	1,68,00
	पूंजी	..	..	..
21 खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	18,62,13	*1,66,95*	20,29,08
	पूंजी	6,23,60,67	*23,33,50*	6,46,94,17
22 खेल विभाग	राजस्व	2,89,85	..	2,89,85
	पूंजी	2	..	2
23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	10,08,32	*3,53*	10,11,85
	पूंजी	..	*1,71*	*1,71*
24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	4,97,64	*5,40,13*	10,37,77
	पूंजी	..	*1,60,33*	1,60,33
25 गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	16,12,01	*1*	16,12,02
	पूंजी	2	..	2
26 गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	3,55,73,58	*19,70*	3,55,93,28
	पूंजी	1,66,67	*24,51*	1,91,18
27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	18,21,68	..	18,21,68
	पूंजी	..	..	..

1	2				3
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	9,81,47	..	9,81,47
		पूंजी	..	..	..
29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	*42.18*	42,18
		पूंजी	..	..	..
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	20,27	..	20,27
		पूंजी	..	..	..
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	34,57,34	*8*	34,57,42
		पूंजी	1,67	..	1,67
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	1,15,59,74	*33*	1,15,60,07
		पूंजी	11,26,88	..	11,26,88
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा	राजस्व	19,09,08	*1*	19,09,09
		पूंजी	15,00	..	15,00
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	राजस्व	6,85,16	*7*	6,85,23
		पूंजी	..	..	..
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	57,10,91	*13*	57,11,04
		पूंजी	2,05,94	..	2,05,94
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	52,89,57	*33*	52,89,90
		पूंजी	50,00	..	50,00
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	1,98,31,72	..	1,98,31,72
		पूंजी	25,00	..	25,00
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	2,06,24	..	2,06,24
		पूंजी	6,00	..	6,00
39	भाषा विभाग	राजस्व	76,12	..	76,12
		पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग	राजस्व	21,86,97	..	21,86,97
		पूंजी	16,66,67	..	16,66,67
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	32,48,08	..	32,48,08
		पूंजी	..	..	..
42	न्याय विभाग	राजस्व	33,66,67	*5,63,76*	39,30,43
		पूंजी	1,66,67	..	1,66,67
43	परिवहन विभाग	राजस्व	4,91,60	*4*	4,91,64
		पूंजी	11,81	..	11,81
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	2,27,49	..	2,27,49
		पूंजी	6,77,11	..	6,77,11

1	2			3
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	75,15 ..	75,15
		पूंजी	99 ..	99
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	21,38 ..	21,38
		पूंजी	.. ..	..
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	27,33,67 *1,26,67*	28,60,34
		पूंजी	5,17,33 ..	5,17,33
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	32,05 *91*	32,96
		पूंजी	.. ..	..
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	42,52,26 ..	42,52,26
		पूंजी	3,33 ..	3,33
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	24,46,26 *12*	24,46,38
		पूंजी	1,53,34 ..	1,53,34
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के के संबंध में राहत	राजस्व	15,01,46 *1,18*	15,02,64
		पूंजी	47,08 *12,95*	60,03
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	90,31,72 *16,94*	90,48,66
		पूंजी	3,57 *3,51*	7,08
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	24,74 ..	24,74
		पूंजी	33 ..	33
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	69,83,91 *1,38*	69,85,29
		पूंजी	.. ..	..
55	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	5,86,12 *27,06*	6,13,18
		पूंजी	4,60,30 *33*	4,60,63
56	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	4,03,91 *18,94*	4,22,85
		पूंजी	4,81,65 *3*	4,81,68
57	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	.. *2*	2
		पूंजी	1,46,57 *31*	1,46,88
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	81,20,03 *3*	81,20,06
		पूंजी	1,22,86,34 *17*	1,22,86,51
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	6,01 ..	6,01
		पूंजी	.. ..	..
60	वन विभाग	राजस्व	29,41,09 *7*	29,41,16
		पूंजी	46,69 ..	46,69
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	2,00,15,55 *11,49,19,86*	13,49,35,41
		पूंजी	22,11,67 *7,68,49,96*	7,90,61,63

1	2				3
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व	1,71,93,57	*5,12*	1,71,98,69
		पूंजी	..	..	..
63	वित्त विभाग (कोषगार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	6,83,08	..	6,83,08
		पूंजी	1	..	1
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	2,68,41,58	..	2,68,41,58
		पूंजी	..	..	..
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	11,84,67	*1*	11,84,68
		पूंजी	..	..	..
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	12,34	*19,95,30*	20,07,64
		पूंजी	..	..	..
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	1,38,25	*5,24*	1,43,49
		पूंजी	..	..	..
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	2,68,70	*10,01*	2,68,71
		पूंजी	..	..	..
69	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	..	..	..
	(विधान मंडल)	पूंजी	61,67	..	61,67
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	8,32,23	..	8,32,23
		पूंजी	..	..	..
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	5,69,31,40	*56,00,01*	6,25,31,41
		पूंजी	..	..	..
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	3,38,92,19	*33,35,18*	3,72,27,37
		पूंजी	6,83	..	6,83
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	79,53,26	*1,05,00*	80,58,26
		पूंजी	1,83,67	...	1,83,67
74	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	राजस्व	2,61,01	..	2,61,01
		पूंजी	..	..	...
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक	राजस्व	9,61,96	..	9,61,96
	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्	पूंजी	..	..	..

1	2			3
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	12,55,23	1	12,55,24
		पूंजी	...	...	...
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	16,42,95	7	16,43,02
		पूंजी	33,02	..	33,02
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	18,56,97	1	18,56,98
		पूंजी	..	..	..
79	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	22,86,41	1	22,86,42
	(समाज कल्याण)	पूंजी	1	..	1
80	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों	राजस्व	74,38,38	1	74,38,39
	एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	पूंजी	62,67	..	62,67
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति	राजस्व	1,54,41	1	1,54,42
	कल्याण)	पूंजी	1	..	1
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	1,89,55	11,26	2,00,81
		पूंजी	..	..	..
83	सहायता एवं पुनर्वास विभाग	राजस्व	2,60	1	2,61
		पूंजी	1	..	1
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	13,56	1	13,57
		पूंजी	..	..	..
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	20,34	..	20,34
		पूंजी	..	..	..
86	सूचना विभाग	राजस्व	5,75,58	..	5,75,58
		पूंजी	..	..	..
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	2,76,28	1	2,76,29
		पूंजी	..	..	..
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	20,34	1	20,35
		पूंजी	12,00	..	12,00
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	राजस्व	23,43,03	38	23,43,41
		पूंजी	56,67	..	56,67
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन	राजस्व	1,01,71	..	1,01,71
	तथा बजीकर)	पूंजी	..	..	..

1	2			3
91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	4,31,53	*1*	4,31,54
	पूंजी	..	..	..
92 सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	2,29,36	*1*	2,29,37
	पूंजी	..	..	..
93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	88,41,05	*33*	88,41,38
	पूंजी	35,87,35	..	35,87,35
94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	2,21,13,69	*1*	2,21,13,70
	पूंजी	2,67,62,65	*33*	2,67,62,98
95 उत्तराखण्ड विकास विभाग	राजस्व	60,29,90	*4.40*	60,34,30
	पूंजी	27,79,89	*6.33*	27,86,22
योग :	राजस्व	42,81,01,98	*13,05,59,48*	55,86,61,46
	पूंजी	16,89,25,04	*8,15,64,79*	25,04,89,83
कुल योग :		59,70,27,02	*21,21,24,27*	80,91,51,29

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995 पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बराबर नारे लगाते रहे "बलात्कारियों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" अल्पमत की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी)

(नारेबाजी एवं घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) †

श्री अध्यक्ष–

चर्चा शुरू करिये ।

(घोर व्यवधान)

† दि० 6 फरवरी, 95 की कार्यवाही से ।

श्री विश्राम यादव-

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह सरकार हिन्दुस्तान की पहली सरकार है जिसने दलितों और अल्पसंख्यकों की ओर ध्यान दिया है।

(नारेबाजी और शोर से घोर व्यवधान)

मान्यवर, दलितों और अल्पसंख्यकों के हितों का कार्य करने वाली यह पहली सरकार है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री जगदम्बिका पाल–

(सदन के फ्लोर से) मान्यवर, मैंने मतदान की बात कही है, यह लेखानुदान पारित नहीं हुआ है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को आधे घण्टे के लिये स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 4 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित कर दी। 4 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

लेखनुदान की प्रतियां प्राप्त न होने तथा उस पर चर्चा व मतदान न कराये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, सदन के नियमों और परम्पराओं में यह रहा है, लेखानुदान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, उस पर चर्चा होती है। और चर्चा तभी संभव हो पाती है जब लेखानुदान की प्रतियां हम लोगों को उपलब्ध हो जायें। पढ़ने के बाद ही उस पर कोई राय दी जा सकती है। लेखानुदान की प्रतियां हम लोगों को नहीं दी गयी और उसके कारण हम लोग चर्चा में भाग नहीं ले सके। इसके अलावा लगातार हमारी तरफ से यह मांग होती रही, लगातार हम मत विभाजन की मांग करते रहे। एक तो चूंकि प्रति नहीं रही इसलिये चर्चा में भाग नहीं ले पाये, दूसरे हमारी मत विभाजन की मांग थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां मैंने पूरे सदन में वितरित करायीं।

(सत्ता पक्ष के अधिकांश माननीय सदस्य प्रतियां हाथ में लेकर दिखाने लगे)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हम मान लेते हैं कि प्रतियां आपने वितरित करा दी।

श्री अध्यक्ष–

आप उस वक्त नहीं रहे होंगे। माननीय विश्राम सिंह जी अपनी चर्चा जारी रखें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हम लोग हाथ उठाकर मतदान की मांग कर रहे थे, उस पर आपने कोई निर्णय नहीं दिया।

आपने प्रतियां उपलब्ध करा दी, हम मान लेते हैं कि प्रतियां उपलब्ध हो गयीं ...

श्री विश्राम सिंह यादव–

मान्यवर, यह पहली सरकार है जिसकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। यह पहली सरकार है जिसने एक साल के अन्दर गांवों के विकास के लिये तमाम कार्य किये हैं, यह पांच साल पूरी करने वाली सरकार है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने जो व्यवस्था उठायी है, अगर प्रतियां प्राप्त भी हो गयीं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां मिली हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैंने मत विभाजन की मांग की थी ...

श्री अध्यक्ष–

मैंने आदेश किया, प्रतियां सबको दी गयी, आप स्वयं नहीं थे तो बात दूसरी है। अब प्रश्न ही उठाना चाहते हैं तो उठाइये।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो बात माननीय प्रमोद जी और माननीय पाल जी ने रखी है, उससे सम्बद्ध करके, दोहरा नहीं रहा हूं। मान्यवर, आपको स्मरण है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी वक्तव्य पढ़ने के लिये खड़े हुए, तब आपका ध्यान आकृष्ट किया गया था। हमारे नियमों में, परम्पराओं में यह व्यवस्था है कि जब कोई वक्तव्य शासन के किसी मंत्री की ओर पढ़ा जायेगा तो उसके पूर्व प्रतियां हम लोगों को मिल जायेंगी। अगर प्रतियां मिलती तो हम उसे पढ़कर सप्लीमेंटरी भी कर सकते।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी आप तो संसदीय नियमों के ज्ञाता हैं।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो स्पष्टीकरण चाहता था वह ले नहीं पाया। मतदान जिस अव्यवस्थित सदन में हुआ है उससे तो परम्परायें ही ध्वस्त हो गयीं। हम सब चिल्ला-चिल्ला कर, हाथ उठाकर कह रहे थे, हां–ना के बाद कि ना की संख्या अधिक है, लेकिन गणना नहीं की ...

श्री अध्यक्ष–

केवल सूचना दी गयी थी, वक्तव्य नहीं था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सूचना ही तो वक्तव्य है, अब वक्तव्य में कोई कहानी घर की तो है नहीं । और मान्यवर, उसकी कापी आपके पास भी नहीं थी । अगर आपके पास होती तो भी हम मान लेते इसलिये मान्यवर, आप संरक्षण दें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे संसदीय लोकतंत्र इस आदरणीय सदन में जिन्दा रह जाये ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष दोनों की होती है कि सदन नियमपूर्वक चले । सत्ता पक्ष की मजबूरी होती है कि जो विधायी कार्य हैं, जो ऐजेन्डा में मदें हैं उसे खत्म करें । अगर विरोध पक्ष की ओर से कोई रचनात्मक सुझाव आता तो हम उसे मान लेते । उनका यह कर्तव्य होता है कि वे कोई रचनात्मक सुझाव लायें । आज मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बाहर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कि यह अल्पमत की सरकार है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पूर्ण बहुमत की सरकार है और यह अपनी खीझ मिटाने के लिये हुल्लड़ कर रहे हैं, व्यवधान पैदा कर रहे हैं । हम चाहते हैं कि नियमपूर्वक सारी कार्यवाही हो मगर यह शोर मचाते हैं । हमारी पार्टी में दलितों और पिछड़ों की संख्या ज्यादा है और ये लोग अब इनके डर, प्रभाव और रोब में आने वाले नहीं हैं । ये फासिस्टवादी और नाजियों से हर तरह से निपटना अच्छी तरह से जानते हैं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह हर तरह से निपटने का मतलब क्या है जरा पूछ लें ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, शब्दावली देख लें किस तरह की प्रयोग की गयी है । अगर इन्हें निपटना है तो इस्तीफा देकर जनता के बीच में आयें ।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जो इन्होंने वाक्य कहें हैं यह धमकी भरे हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन वाक्यों को कार्यवाही से निकाल दिया जाये । हम हर धमकी का मुकाबला करना जानते हैं लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और शालीनता में विश्वास करते हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, अगर इनमें जरा भी शर्म होती तो ये चुल्लू भर पानी में डूब मरते ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

(व्यवधान)

* श्री विश्राम सिंह यादव–

मान्यवर, आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । मान्यवर, यह पहली सरकार है जिसमें कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है । मान्यवर, इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार ने जो चुनावी वायदे पांच साल में पूरा करने को कहा था उसे इसने एक वर्ष में ही पूरा कर दिया है और कीर्तिमान स्थापित किया है । मान्यवर, इस सरकार ने साम्प्रदायिकता पर प्रहार करके साम्प्रदायिक दंगे करने वालें को मुंह तोड़ जबाव दिया है और एक साल से कोई भी साम्प्रदायिक दंगा यहां पर नहीं हुआ है ।

आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार ने, समाज बनाओ के नाम पर समाज को जोड़ने का काम किया है । समाज के उपेक्षित वर्ग, चाहे महिलायें हों, विकलांग हों, वृद्ध हों, बूढ़े हों, किसान हों, मजदूर हों, को पेंशन देने का काम किया है और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है । आप यह भी जानते हैं कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया है, दुनिया की कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकी है । हमारे प्रदेश में ऐसी पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल जो भवनहीन थे, जिनमें बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे, के भवनों का निर्माण कराकर उन बच्चों को छत के नीचे बैठाने का काम किया है ।

इस सरकार के आने के पहले बहुत से ऐसे गांव थे, जहां प्राइमरी पाठशालायें नहीं थीं, शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं था, ऐसे ग्रामों में प्राइमरी पाठशालाओं को खोलने का काम किया है, इसी तरह कोई न्याय पंचायत अब ऐसी नहीं बची है, जहां जूनियर हाईस्कूल न खोल दिया गया हो । जहां पर इन्टर कालेज, ब्लाकों में नहीं थे, वहां पर नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत इन्टर कालेज और हाईस्कूल कालेज खोलने का काम किया गया है, आज तक दुनिया की किसी भी सरकार ने ऐसा काम करके नहीं दिखाया है । इस सरकार के आने के पहले नहरों की टेल तक पानी नहीं जाता था, 12-15 साल से नहरें सूखी पड़ी थी, ऐसी नहरों में इस सरकार ने टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है । आप यह भी जानते हैं कि हमारे गांवों में सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, गलियों में जाने का रास्ता नहीं था, इस सरकार ने आने के बाद सड़कों का जाल बिछा दिया है और जगह-जगह सड़कें बनवाने का काम शुरू किया है, चाहे डी० आर० डी० ए० की स्कीम के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई समाज नहीं बचा, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा, जिसको इस सरकार ने लाभान्वित न किया हो, इस सरकार ने सभी क्षेत्रों में खासा काम करके कीर्तिमान स्थापित किया है । मैं एक बार पुनः धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में पूर्व में कही गयी सभी बातों से अपने को सम्बद्ध करते हुए इसका समर्थन करता हूं ।

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं इस बात के लिये आपका आभारी हूं कि आपने मुझे संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । मैं उत्तरांचल के रानीखेत क्षेत्र का विधायक हूं । मैं सबसे प्रथम मूल विंषय पर आता हूं । पिछले 4 महीनों में उत्तराखण्ड/उत्तरांचल का आन्दोलन चला, इसी के क्रम में मुजफ्फरनगर काण्ड पर दो घन्टे की चर्चा स्वीकार भी हो चुकी है । यह आन्दोलन अगस्त से दिसम्बर तक चला । माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा होने के बावजूद अभी भी वहां पर मुकदमें लम्बित हैं और कर्मचारियों का उत्पीड़न अभी भी जारी है । इस विषय में ध्यान देने के लिये मैं आपस अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विषय को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाय । आज मुख्यमंत्री जी ने साक्षात्कार हेतु बस भाड़े की छूट की घोषणा की है, लेकिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बस भाड़े में छूट दी जायेगी, 3 जनवरी, 1994 को योजना भवन में एक बैठक में यह घोषणा की गई थी, उसके बाद 25 अगस्त, 1994 को पुनः माननीय विधायकों की बैठक में यह कहा गया था कि 50 प्रतिशत की छूट उत्तरांचल के छात्रों को दी

जायेगी, लेकिन अभी तक 1995 आ जाने के बाद भी, उनकी घोषणा पर कोई अमल नहीं हुआ है, हम कैसे उनकी घोषणा पर यकीन कर लें कि प्रभावी कदम उठाया जायेगा ?

हमारे रानीखेत क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी और महामहिम राज्यपाल महोदय दोनों को लोगों की मौजूदगी में घोषणा की गई थी कि 40 लाख का स्टेडियम बनाया जायेगा, लेकिन इस बजट में उसके लिये कोई पैसे का प्राविधान नहीं किया गया है । देवीडूंगा की पेयजल स्कीम पता नहीं, कहां चली गई इसकी भी 1.50 करोड़ रु० की घोषणा रानीखेत में 19-6-94 को मुख्यमंत्री जी ने की थी ।

इस अनुपूरक अनुदान को देखकर यह लगता है कि केवल घोषणायें की गयी हैं, घोषणाओं से काम चलने वाला नहीं है । अगर आप जनता को धोखे में रखेंगे और केवल घोषणायें कर राजनैतिक क्षेत्र में आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी लाभ के उठाने के बारे में सोचे तो भ्रम में रहेंगे, तो मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि घोषणा वह की जाय, जिस पर अमल हो, नहीं तो घोषणाओं के अम्बार लग जायेंगे और कुछ नहीं होगा आज पर्वतीय जिलों का उत्तरांचल राज्य बनाया जाय, ऐसा सर्वसम्मति से इस सदन में प्रस्ताव पारित हुआ उसके बाद माननीय कौशिक जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कौशिक समिति का गठन किया गया, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसको इस विधान सभा से 24 अगस्त, 1994 और सम्मानित सदन विधान परिषद् से 25 अगस्त, 1994 को प्रस्ताव पारित हुआ ।

अब राजस्व विभाग रुद्रपुर को अलग जिला बनाकर रुहेलखण्ड से जोड़ना चाहता है और तराई क्षेत्र से हटाना चाहता है, उस पर गहराई से विचार होना चाहिये । अगर रुद्रपुर को रुहेलखण्ड से जोड़ा गया तो यह माननीय मंत्रियों की 5 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ होगा तथा इस सम्मानित सदन के खिलाफ होगा क्योंकि सर्वसम्मति से वर्तमान आठ जिलों का उत्तरांचल राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था । इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

* श्री चैनसुख भारती–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । सपा-बसपा सरकार गठबन्धन ने 14 महीने में जो काम किया है वह बहुत सराहनीय है । मैं अपने जनपद की बात बता रहा हूं, शिक्षा के क्षेत्र में 60 नये स्कूल खोले गये हैं, 200 स्कूल भवन का निर्माण हुआ है, हमारी सरकार की मंशा है कि 3 साल में कोई ऐसा स्थान नहीं बचेगा जहां पर प्राइमरी स्कूल नहीं होगा । मान्यवर, आरक्षण के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के निर्बल वर्ग, दलित असहाय व्यक्तियों के लिये आरक्षण एक सहारा है । जो लोग समाज के गिरे हुए हैं, जिनका मान-सम्मान लुटा है, उनके लिये आरक्षण है ।

हिन्दू धर्म में दलितों को अछूत माना गया । ब्राह्मण की ब्रह्मा जी ने मुख से, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य की उदर से तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति माना है, यह व्यवस्था हिन्दू धर्म की है, आज भी हमारे शूद्र समाज को कोढ़ लगा हुआ है, जिनको नीच माना जाता है । मान्यवर, दलित और पिछड़े समाज को अगर आरक्षण मिलेगा तो वह आगे बढ़ेंगे । आज 3 प्रतिशत लोगों का 75 प्रतिशत नौकरियों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में कब्जा है । मान्यवर, यहां पर जो बलात्कार की बात उठायी गयी, एक ही बात कई माननीय सदस्य कहते रहे, बलात्कार चाहे जिस जाति की महिला के साथ हुआ हो वह हमारी बहिन है, हम उसकी निन्दा करते हैं । मान्यवर, इस तरह के कृत्य मनुवादी विचारधारा के लोग ही करते हैं । एक श्लोक पढ़ रहा हूं जो इनकी भावना को उजागर करते हैं—

"रजस्वला पुष्करं तीर्थ चांणलीत तु काशिका,
चर्मकारी प्रयागः स्याद्रजकी मथुरा गता ॥
अयोध्या वारा वधू प्रोक्तामाया सुनायित स्निधा ।"

अर्थात् रजस्वला स्त्री के साथ सम्भोग करना पुष्कर स्नान के समान है । चांडली से समागम काशी के समान है । चमारिन से सम्भोग करना प्रयाग तीर्थ के समान है । धोबिन से समागम करना मथुरा तीर्थ के समान है तथा वैश्या के साथ सम्भोग करना अयोध्या तीर्थ के समान है, नाइन के साथ सम्भोग करना हरिद्वार के समान है । इसी के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया तथा धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो हमारे विधान मण्डल दल द्वारा संशोधन प्रस्ताव रखा गया है, उस पर बल देने के लिये कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं । मान्यवर, मैं पिछले 14 साल से लगातार, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर, चाहे, वह इस सदन में हो या उस सदन में हो, यह मानकर के यह सरकार की नीतियों को प्रतिबिम्बित करने वाला दस्तावेज है, सरकार के कार्यों को दिग्दर्शित करने वाला दस्तावेज है और योजनाओं को निरूपित करने वाला दस्तावेज है, उत्तर प्रदेश की जनता के कल्याण के लिये जो भी उपयोगी सुझाव हो सकते हैं, हमेशा से मैंने उनको देने का प्रयास किया है ।

मैं आज बड़े भारी मन से, अगर यह कहूं कि सरकार की नीतियों के संबंध में कार्यक्रमों के संबंध में जो बचनबद्धता थी, चाहे वह किसानों को 16 घंटे विद्युत देने की बात हो, किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य देने की बात हो, किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराने की बात हो, कर्मचारियों की बाजिब मांगों की बात रही हो, पत्रकारों की सुरक्षा की बात रही हो, आज सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को छोड़ दीजिये, सरकार की जो बचनबद्धता थी, जिनकी पूर्ति नहीं हुई है, मैं तो सत्ता पक्ष से केवल यह कहना चाहता हूं कि आज जब उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने की जिम्मेदारी आपको मिली है और एक वर्ष से भी ऊपर हो चुका है, कृपा करके आप मूल्यांकन करने की कोशिश कीजिये कि जिन मान्यताओं, जिन अपेक्षाओं और जिन आकांक्षाओं से आप सत्तारूढ़ हुए थे, उसमें आप कितने सफल हुए हैं और कितनी उपलब्धता रही है ?

श्री अध्यक्ष–

श्री पाल जी 5 मिनट में आप समाप्त कीजिये । ताकि और लोगों को भी अपनी बात कहने का अवसर मिल सके ।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।.

*श्री जगदम्बिका पाल–

मेरे जैसे व्यक्ति को भी यह उम्मीद हुई कि यह जो सरकार सत्तारूढ़ हुई है, यह प्रदेश के दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों तथा प्रदेश के जो शोषित वर्ग के लोग हैं, उनका कल्याण करेगी। आज 14 महीने के बाद आप मूल्यांकन करके देख लीजिये, उत्तर प्रदेश का दलित जहां पहले था आज भी वहीं पर है। आज भी हमारे प्रदेश में गरीब, शोषित, कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा है मैं अपने जनपद की बात बताता हूं हमारे यहां 10 अनुसूचित जाति के लोगों को भी नौकरी नहीं मिली।

आज दलितों गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ नहीं पहुंचा है। हां आज इस सरकार के आने के बाद सदन में भी एक लकीर बन गयी है। जो इस देश में सामाजिक लकीर मिट गयी थी, आपस में लोग भाई चारे से रहने लगे थे, जाति की बातें भूल गये थे, लोगों में आपस में सामाजिक रिश्ते बन गये थे आज वह रिश्ते टूट रहे हैं और सामाजिक वर्गीकरण बनने लगा है और वह सदन में भी प्रतिबिम्बित होने लगा है, एक लकीर खिंच गयी है। पिछले दिनों प्रदेश के आई० ए० एस० संवर्ग की कान्फरेंस हुई जो प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है, तो उसकी बैठक में भी जाति के आधार पर लकीर बन गयी, यह बड़े बिडम्बना की बात है कि सर्वोच्च संस्था में, सरकार में और यहां तक कि विधान सभा सदस्यों में जाति के आधार पर विभाजन हो इसका प्रदेश के जनमानस पर क्या असर हो रहा है ? इससे प्रदेश की तरक्की कैसे होगी ?

लगातार माननीय मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि धन्यवाद के प्रस्ताव पर आज तमाम दल के लोग महात्मा गांधी के हत्यारों से हाथ मिला रहे हैं। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि बहुत अच्छी बात है उनके मन में राष्ट्रपिता गांधी जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। अगर वह हत्यारों से हाथ मिलाने की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि सही माने में उनके मन में गांधी जी के प्रति दर्द है तो जो उनका सहयोगी दल है वह महात्मा गांधी के प्रति क्या कहता है, मैं चुनौती देना चाहता हूं कि उनके दल के नेता की महात्मा गांधी के प्रति मन में कितनी श्रद्धा है। वह लोग महात्मा गांधी को शैतान की औलाद कह कर पुकारते हैं, तो उन शैतान की औलाद कहने वालों के साथ मिलकर सरकार में बैठे हैं।

पूरे प्रदेश में उन्होंने "हल्लाबोल" का कार्यक्रम शुरू किया है। उस कार्यक्रम में आर्थिक शोषण की बात नहीं हुई बल्कि उनके लोगों ने प्रदेश के कुछ मकानों पर कब्जा किया, प्रदेश के समाचार पत्रों पर हमला बोला और समाचार पत्रों को जलाया गया। पूरे प्रदेश में मूल्यांकन करें तो उसका क्या परिणाम मिला कहीं भ्रष्टाचार, अत्याचार के खिलाफ कोई बात हुई ? (व्यवधान)

मान्यवर, उत्तर प्रदेश को जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं वह एक खतरनाक रास्ता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शान्त रहें, नियम से बोलें, आप बैठें, माननीय सदस्य बोल रहे हैं (व्यवधान) अब आप समाप्त करें।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, प्रदेश के लाखों कर्मचारियों ने अपने मांगों के समर्थन में 50 दिन तक आन्दोलन चलाया। माननीय मुख्य मंत्री जी प्रजातांत्रिक तरीके से बात करने के लिये तैयार नहीं थे उन्होंने आन्दोलन को कुचलने का प्रयास किया। राज्य कर्मचारियों की बात सुननी चाहिए थी अगर आपके पास संसाधनों की कमी थी, तो उनसे कहना चाहिए था और जितनी मांगें मानी जा सकती थीं उतनी मानते। आपके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यों से कर्मचारियों का मनोबल टूटा है, प्रदेश की सेवा में कार्य करने वालों का मनोबल टूटेगा तो क्या होगा ? वहीं सरकारी कर्मचारी योजनाओं को मूर्तरूप देते हैं अगर उनका मनोबल टूटेगा तो प्रदेश के लोगों का मनोबल टूटेगा । तो इस हड़ताल से करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान हुआ । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें मैंने अतीक साहब को बुला लिया है ।

(व्यवधान)

*श्री अतीक अहमद–

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में आपके माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं । मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह हम निर्दलीय विधायकों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनें । (व्यवधान) मान्यवर, आप भाजपा के विधायकों को शांत करें । यह लोग हमारे भाषण के मध्य व्यवधान और शोरगुल बहुत कर रहे हैं । आप लोग हमें बोलने दें अन्यथा आप लोगों को भी नहीं बोलने दिया जायेगा । (व्यवधान)

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में मुख्य रूप से जो उसके विरोध में बोला गया है उसका मैं प्रतिवाद करता हूं । मान्यवर, मैं उस समय सदन में मौजूद था जब सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोल रहे थे । मान्यवर, उन्होंने मुख्य रूप से 2–3 आरोप लगाये हैं । मान्यवर, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह सरकार जातिवादी है । उनका शांति सुरक्षा बल पर विरोध है और उन्होंने यह भी कहा कि उर्दू को सरकार बढ़ावा दे रही है । उन्होंने कहा कि यह सरकार साम्प्रदायिकता को बढ़ा रही है और ला-एण्ड-आर्डर की स्थिति ठीक नहीं है ।

मान्यवर, मैं प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाये हैं वे गलत हैं । मान्यवर, आप अवगत हैं कि देश की आजादी के बाद जो-जो हुकूमतें यहां रही हैं उन्होंने यदि कोई जातिवाद या साम्प्रदायिकता वाद नहीं किया है तो क्या किया है ? आज जो इस सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है यह सरकार जातिवाद फैला रही है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस जातिवाद से रोटी गरीब के पेट में जा रही है चाहे वह किसान हो, भैंस चराने वाला हो, मछली पकड़ने वाला हो या मजदूरी करने वाला हो इन सबको इस सरकार से लाभ हो रहा है । इसलिये गरीब एक जाति होती है और उसके हिसाब से सबसे पहले गरीब जाति है । इसलिये हमें गर्व है कि यह सरकार गरीबवाद चला रही है ।

गुप्ता जी यह सरकार गरीबों के उद्धार के लिये बराबर प्रयत्नशील है । मेरा सुझाव है कि यह सरकार जातिवाद नहीं चला रही है बल्कि गरीबवाद चला रही है और इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप एक मिनट में समाप्त करें ।

(व्यवधान)

(माइक खराब होने के कारण व्यवधान)

* श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने साम्प्रदायिकता का आरोप इस सरकार पर लगाया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो दल साम्प्रदायिकता का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा हो वह दूसरों पर साम्प्रदायिकता का आरोप कैसे लगा रहे हैं ?

('घोर व्यवधान' श्री अतीक अहमद के साथ भाजपा के अनेक सदस्य भी बोलते रहे)

श्री अतीक अहमद–

हम स्वागत करते हैं ऐसे ला अण्ड आर्डर का जिसमें कोई मन्दिर और मस्जिद नहीं टूटी, हम स्वागत करते हैं ऐसे जातिवाद का जो केवल गरीबों के लिये गरीबवाद है ।

* श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, मुझे आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो संशोधन पेश किया गया है, उस पर बोलने के लिये जो समय दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपको अपने जनपद गोण्डा के बारे में अवगत कराना चाहता हू, खासकर वहां के अपने विधान सभा क्षेत्र मुझैना की ओर, वहां पर जो करीब 300 किलोमीटर सड़क जो मिट्टी की, खड़न्जे स्तर तक की है, आज तक सरकार की घोषणा के बाद एक भी पैसा वहां गांव के लिये नहीं दिया गया है ।

जिला योजना में मात्र एक किलोमीटर सड़क दी गयी । आज ये कह रहे हैं कि यह गांवों की सरकार है, किन्तु यह गांवों की सरकार नहीं, पूंजीपतियों की सरकार है.... (व्यवधान) यह तो जयन्त मल्होत्रा और संजय डालमिया जैसे बड़े-बड़े पूंजीपतियों की सरकार है । यह अपनी सरकार को दलितों की सरकार कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जनपद गोण्डा के अन्दर जितना अधिक दलितों पर अत्याचार हुआ है, उसकी कोई सीमा नहीं है । सपा के जिला अध्यक्ष ने नवाबगंज में दलितों के 12 मकान फुंकवा दिये हल्ला बोल के नाम पर । मेरे विधान सभा क्षेत्र में थाने के अन्तर्गत ग्राम सभा दूल्हापुर आता है, वहां पर 25 घर दलितों के तुड़वा दिये गये । इटियाथोक में उनकी जमीनों पर सपा के जिला अध्यक्ष ने कब्जा कर लिया है हल्ला बोल कार्यक्रम के अन्तर्गत । यह इस सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है ।

आज यह दलितों के उत्थान की बात करते हैं, किन्तु आज हमारे क्षेत्र में गन्ना माफिया सक्रिय हो गये हैं । उनके द्वारा गरीब किसानों को अपना गन्ना बेचने की अनुमति नहीं दी जा रही है । पिछले साल 63 लाख क्विंटल गन्ना बलरामपुर शुगर फैक्ट्री में पेरा गया था, पर आज एक लाख.... ('व्यवधान' 'घोर व्यवधान' भाजपा के अनेक सदस्य उनके भाषण के मध्य बोलने का प्रयास करने लगे ।)

श्री घनश्याम शुक्ल–

आज यहां किसानों को यूरिया खाद की बारी किल्लत है । आज यूरिया खाद वहां से दो ढाई सौ रुपये में मिल रही है, वह भी बड़ी मुश्किल से.... "घोर व्यवधान"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, आपका समय समाप्त हो गया है । आप अपना भाषण समाप्त कीजिये ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री आर० डी० पाल–

मान्यवर, मुझे भी बोलने का समय देने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सबको मौका मिलेगा । प्रतीक्षा कीजिये । इस तरह से बोलते रहेंगे तो कुछ भी नहीं लिखा जायेगा ।

(श्री हरेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माइक व्यवस्था तो ठीक करवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

अभी तक तो ठीक थे आपके बोलने पर ही व्यवस्था खराब हो गयी है । आप दूसरे से बोल लें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसमें भी आवाज नहीं आ रही है ।

श्री आर० डी० पाल–

जब तक इनका माइक ठीक नहीं हो जाता है, मुझे बोलने का अवसर दे दें ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिये आपका आभारी हूं .....

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है ।

* श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, आज सदन में माननीय आजम खां साहब के साथ मानीनय दण्डी स्वामी जी को एक साथ बैठे देखकर बड़ी खुशी हुई और एक साम्प्रदायिक सौहार्द का परिचय दिया । मान्यवर, अभी इस सदन में आरक्षण की चर्चा हो रही थी । मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं । आरक्षण गरीबों, दलितों व पिछड़ों को मिले परन्तु आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से समान होने पर भी जो जातियां, जो वर्ग, जिनमें छोटे-छोटे किसान हैं आरक्षण सूची में शामिल न होने के कारण आज उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है इसलिये मेरी मांग है कि उन्हें भी आरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय मंत्री जी जातियों के बारे में पूछ रहे हैं मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से गूजर कुर्मी और अहीर के समकक्ष होने के बाद भी जाट जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। इसलिये उन्हें भी राज्य पिछड़ा आयोग में शामिल किया जाय और इसकी घोषणा माननीय मंत्री जी आज ही सदन में करें। यदि आज नहीं तो जब वह अपना उत्तर भाषण दें तो इसकी घोषणा करें। जहां तक ग्रामीण विकास की बात है 1993-94 में जनपद मुजफ्फरनगर के लिये जवाहर रोजगार योजना में 5 करोड़ रुपये मिला था सदन में भी यह मामला उठा था। माननीय ऊदल जी ने भी व्यवस्था दी थी परन्तु आज भी मुजफ्फरनगर को वह पैसा नहीं मिल पाया। मान्यवर, अभी भी सरकार के पास जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुछ ऐसे जनपदों से पैसा आ रहा है जहां पर वह 31 मार्च तक व्यय नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि जनपद मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर और हरदोई को उसमें से दो-दो करोड़ रुपया दे दिया जाय ताकि पिछले सालों में जो ग्राम्य विकास की क्षति हुई है उसकी प्रतिपूर्ति की जा सके।

मान्यवर, मिलियन उपयोगी योजना के बारे में भी मेरा अनुरोध है कि इसमें भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाय। मान्यवर, बदमाशों को मारने पर जो प्रोन्नति की बात यहां पर कही गयी थी उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक जनपद मुजफ्फरनगर में गत माह में हुए मुठभेड़ में इन्स्पेक्टर मोती सिंह, वाई पी० सिंह तथा कई अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे जो घायल भी हुए, मेरा अनुरोध है कि ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की तत्काल प्रोन्नति की जानी चाहिए। मुजफ्फरनगर में सहादत को प्राप्त पुलिस उप निरीक्षक मुनिराज सिंह एवं पुलिस कान्स्टेबिल धर्मपाल यादव के बारे में कहना चाहता हूं कि मुनिराज सिंह की सहादत वहां के पुलिस अधिकारियों का षडयंत्र था इसलिये इसकी उच्च स्तरीय जांच करने की आवश्यकता है और साथ ही मांग करता हूं कि मुनिराज सिंह और धर्मपाल यादव को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाय। सहारनपुर की जमीन पर जवान शहीद होता है तो पांच-पांच लाख रुपया मिलता है और मुजफ्फरनगर की जमीन पर जवान शहीद होता है तो दो-दो लाख रुपये की घोषणा होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए।

इसके साथ ही आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास के मामलों पर तथा अन्य कार्यक्रमों के संबंध में जो अन्याय हो रहा है उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिक टूट चुके हैं। कहीं ऐसा न हो रहा हो कि एक दिन किसानों का यह ज्वालामुखी फूट जाय और जनता आन्दोलन पर उतारू हो जाय इसलिये समय रहते मैं मांग करता हूं कि आगरा मण्डल, मुरादाबाद मण्डल और बरेली मण्डल को मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये एक अलग प्रदेश (गंगा प्रदेश) बनाने का प्रस्ताव कर केन्द्र सरकार को भेजा जाय। इसे माननीय मुख्य मंत्री जी बड़ी गम्भीरता से लें। मुजफ्फरनगर के किसान बुलन्दशहर के किसान मेरठ बिजनौर सहारनपुर के किसानों ने बिजली के बकाये की अदायगी की है परन्तु आज भी वहां पर 33/11 के०वी० के सब स्टेशन मेरे क्षेत्र पीना, बरवाला, करौड़ी, हरड़ फतेहपुर, कूरमाली में बनने प्रस्तावित थे उनका निर्माण तत्काल कराया जाय।

सिंचाई पर 50 रुपये हैक्टेयर प्रतिमाह जो बिजली की दर निर्धारित की गई है इसको घटाया जाय। माननीय चौधरी चरण सिंह जी की उस उक्ति पर ध्यान देने की जरूरत है जिसमें उन्होंने कहा था "जब देश का किसान खुशहाल होगा तब ही देश खुशहाल होगा"। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी इस उक्ति को चरितार्थ करने के लिये किसानों को पानी, खाद और बीज आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायें और जो वापसी की दर बढ़ाई गई है उसे घटायें। इसके साथ ही पुनः आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि आरक्षण के मामले में राज्य पिछड़ा आयोग में छोटी जातियों को शामिल करने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाए जाने का प्रस्ताव करने ग्रामीण विकास के संबंध में अतिरिक्त धन देने की बात जो मैंने कही है, मुठभेड़ में शहादत हुए लोगों के परिवारों को सहायता दिए जाने के संबंध में जो मैंने अपने विचार रखे है मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार

करेंगे । अन्त में मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया ।

(व्यवधान)

श्री रामप्रकाश त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके मैं आपका आभारी हूं । सत्तापक्ष की ओर से कहा गया (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवाधन)

(माइक से आवाज न आने पर)

श्री अध्यक्ष–

माइक की व्यवस्था कैसी है ?

(व्यवधान)

आप दूसरे माइक से बोल लें । यन्त्र हैं वह भी बीमार हो जाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री रामप्रकाश त्रिपाठी–

मैं विकास कार्यों के बारे कह रहा था ।

(एक सदस्य माइक ठीक कार्य नहीं कर रहा है ।)

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

माननीय सत्तापक्ष के विधायक विकास कार्यों के बारे में कह रहे थे ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उधर के विधायक बोल रहे हैं उन्हें बैठा दें । अभी हमारे विधायक बोलते तो आप कहते कि आप लोग इन्हें भी सुनिए ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मैं पर्वतीय क्षेत्र के हितों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना हैं । वहां पर अभी भयंकर हिमपात हुआ है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अध्यक्ष महोदय, आपने श्री राम प्रकाश त्रिपाठी को बोलने का समय दिया है लेकिन दूसरे सदस्य बोल रहे हैं और आप उनको बिठाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं । हमारी तरफ के एक भी माइक ठीक नहीं हैं ।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जाएगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, हमारी तरफ के माइक काम ही नहीं कर रहे हैं ।

नोटः–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो यांत्रिक खराबी है जो माइक ठीक हो उससे बोल लें।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं इस सरकार के बारे में एक कहानी सुनाना चाहता हूं एक गांव में एक तेली रहता था उसके एक बैल था वह बैल को कोल्हू में लगा देता था और बाहर आकर अपना काम किया करता था एक दिन जब वह बाहर बैठा हुआ था तो समाजवादी पार्टी के एक नेता आ गये।

श्री आर०डी० पाल–

मान्यवर, माननीय त्रिपाठी जी तेली जाति का अपमान कर रहे हैं।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

नेता जी ने तेली से कहा तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो ? तो तेली ने जवाब दिया कि हमारा कोल्हू चल रहा है। नेताजी ने पूछा कि कैसे चल रहा है तो तेली ने जवाब दिया कि मैंने अपने बैल के पीठ पर एक पत्थर रख दिया और बैल के गले में एक घंटी बांध दी है जब बैल चलता है तो घंटी की आवाज आती रहती है और मैं बाहर का काम करता हूं और घंटी सुनता रहता हूं जिससे पता चल जाता है कि बैल चल रहा है इस पर नेता जी बोले कि अगर तुम्हारा बैल गर्दन हिलाता रहे और न चले तो कैसे पता चलेगा कि वह काम कर रहा है तो तेली ने कहा कि अभी बैल ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय को नहीं देखा है नहीं तो गर्दन हिलाना सीख जाता। वैसे ही यह सरकार चल रही है।

इस सरकार ने जातीय उम्माद को बढ़ाया है। अभी तक जितनी सरकारें आई हैं किसी ने इतना जातीय उन्माद नहीं बढ़ाया है जितना कि इस सरकार ने जातीय उन्माद को बढ़ाया हैं। इसके पहले माननीय राम नरेश यादव मुख्य मंत्री थे उनके जमाने में भी जातीय उन्माद नहीं था। माननीय मुलायम सिंह के जमाने में जातीय उन्माद बहुत बढ़ा है। हमारे जिले में मोटर साइकिलों पर राजदूत मोटर साइकिलों के पीछे लिखा रहता है यादव और यह एक सैम्पुल बन गया है अगर किसी सड़क से वह मोटर साइकिल गुजर गई तो दरोगा कहता है हट-हट यादव आ रहा है आर०टी०ओ० कहता है हट-हट यादव आ रहा है। डिप्टी एस०पी० कहता है हट्-हट् यादव आ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय त्रिपाठी जी, यह सब लोग लिखना बन्द कर दें सिसौदिया, राठौर, त्रिपाठी, द्विवेदी, यादव यह सब बन्द कर देना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट)

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

मान्यवर, सरकारी नौकरियों में भी एक जाति विशेष के लोगों को भर्ती में वरीयता दी जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक पत्र भेजा है एक सिफारिश भेजी है जिसमें चौकीदार के 10 पदों पर एक जाति विशेष के लोगों का नियुक्ति करने की बात कही है। मैं वह पत्र पढ़ रहा हूं। (व्यवधान) यह सब के सब लोग इटावा के हैं इस तरह से जातीय उन्माद को बढ़ावा दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

इन शब्दों के साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

* श्री नसीम–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिये अवसर दिया जिसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हमारे सामने जो लोग बैठे हैं वह आज दलितों और पिछड़ों के बड़े हमदर्द बन रहे हैं। दलितों और पिछड़ों के लिये आज बहुत हमदर्दी दिखा रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि 44 साल हो गये भारत को आजाद हुये लेकिन कोई दलितों का नेता ब्लाक प्रमुख नहीं हुआ, कोई दलितों का नेता जिला परिषद का चेयरमैन नहीं हुआ। यह पहली स०पा० और ब० स०पा की सरकार है जो माननीय कांशीराम के सहयोग से चल रही है। यह स० पा० और ब० स० पा० के सहयोग से बनी हुयी सरकार है जो आज दलितों को ब्लाक प्रमुख, जिला परिषदों के चेयरमैन बनाने जा रही है इसलिये इन लोगों को घबराहट हो रही है।

मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि यह लोग जो बार-बार कर रहे हैं कि दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहें है ; दलितों की हत्यायें हो रहीं हैं तो यह जो आंकड़े दे रहे हैं यह फर्जी आंकड़े हैं। कुछ लोग ही डकैतियां, राहजनी करवाते हैं, दलितों पर अत्याचार करते हैं और यहां पर झूठी सहानुभूति दिखाते हैं यह लोग खुद मुलजिम हैं और कटघरे में खड़े होने के लायक हैं। यह लोग 6 दिसम्बर का दिन भूल गये, इनको शर्म आना चाहिये। यह पहली सरकार है जिसने इन 45 सालों में पहली बार दलितों को उनके हक और हुकूक दिलाये हैं जिनको कांग्रेस ने खत्म किया था। इस सरकार ने दलितों के सारे हक और हकूक बहाल किये हैं। उर्दू अनुवादकों के 13800 पदों पर अल्पसंख्यक लोगों को नौकरियां देने का काम इस सरकार ने किया है जिसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है, काबिल–ए–तारीफ है और मुबारकवाद की हकदार है।

इस प्रदेश में दलित और पिछड़ों की ताकत बढ़ रही है उसको देखा कर यह लोग घबड़ाये हुये हैं। मैं कहना चाहता हूं हाउस के सामने जो नेता विपक्ष ने कहा है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि वह अविश्वास का प्रस्ताव ले आयें और वोटिंग करा लें तो मेरा दावा है कि जो भी शेडयूल कास्ट और पिछड़ी जातियों के लोग उधर बैठे हैं यह कतई उनके साथ जाने वाले नहीं हैं।

(मेजों की थपथपहाहट)

इस देश में दलितों और पिछड़ों की आबादी अधिक है, हमारी संख्या अधिक है, दलित और पिछड़े ही अब इस देश परराज करेंगे। मैं माननीय कांशीराम और माननीय मुलायम सिंह यादव को इस हाउस के माध्यम से मुबारकवाद देता हूं। आने वाले दिनों में बहुसंख्यक समाज इस देश पर राज करेगा। इन शब्दों के साथ मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं।

(डा० सरजीत सिंह डंग का नाम पुकारे जाने पर।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री आर० डी० पाल–

मान्यवर, मैं दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बात कहना चाहता हूं इसलिये मुझे बोलने का मौका दिया जाय ।

* डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं इस सरकार के कुछ कीर्तिमानों की चर्चा करना चाहता हूं । जो कीर्तिमान इस सरकार ने स्थापित किये हैं वैसे कीर्तिमान उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने अब तक नहीं बनाये हैं । मान्यवर, अपहरणों के मामले में इस सरकार ने कीर्तिमान बनाया है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह एक प्रकार का उद्योग बनकर इस सरकार में फलाफूला है । हत्याओं, डकैतियों, महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं, बलात्कार के मामले में इस सरकार ने कीर्तिमान बनाये हैं । अगर यह इन कीर्तिमानों पर अपने को बधाई का पात्र समझते हैं तो मुझे खेद है ।

जब यह सरकार आनी थी तो उसने कहा था कि यह किसानों की सरकार है । इस किसानों की सरकार ने सिंचाई के दाम 3 गुने से लेकर 5 गुने तक बढ़ा दिये । किसानों की सरकार ने बिजली के दाम 3 गुने बढ़ा दिये ।

मान्यवर, किसानों की सरकार ने यूरिया को बाजार से गायब कर दिया । इसी सरकार ने 16 घंटे बिजली देने की बात कही, लेकिन आप देखें कि किसानों को कितने घन्टे बिजली मिल रही है ।डीजल जो टैक्टर्स और पम्पिंग सेट चलाने के काम आता है, उस पर बहुत सारा टैक्स लगा दिया, पता नहीं किस मुंह से यह किसानों की सरकार कहते हैं और अपने को दलितों का मसीहा कहते हैं । दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ जितना अत्याचार और बलात्कार इस सरकार के समय में हुये उतने और किसी सरकार के समय में नहीं हुये ।

मान्यवर, आप पूरक अनुदान के मुद्दों को देख लें । बसपा का नारा था कि "वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा" लेकिन हो क्या रहा है और सच्चाई क्या है ? मान्यवर, मैं शिक्षा की मदों को देख रहा था,जिलों में 18 मदें गयी हैं और 16 केवल 4 जिलों में गयी हैं और वह जिले हैं इटावा, फैजाबाद, बाराबंकी और मैनपुरी । दलितों के नाम पर कोई योजना नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने दल बदल को प्रोत्साहन दिया है । इस सरकार ने जनता दल को तोड़ा है, कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़ा है और हल्ला बोल के नाम पर पत्रकारों का मुंह बन्द किया है । जनता के साथ जो वायदे किये थे, उन को पूरा नहीं किया । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

*श्री आर० डी० पाल–

मान्यवर, नेता प्रति पक्ष ने जो कल सरकार को 21 विशेषणों से अलंकृत किया है, मैं नेता प्रति पक्ष और उनके सहयोगियों को 72 विषेशणों से विभूषित करता हूं । मान्यवर, मैं केवल एक सूत्र में कहना चाहता हूं, सूप बोले, तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव की जो सरकार है उसने 14 महीने में जो वायदे अपने घोषणा पत्र में किये थे, उनको पूरा किया है चाहे 70 प्रतिशत बजट गांव में खर्च करने की बात हो अथवा पिछड़े लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात हो, चाहे उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ने की बात हो, और चाहे किसानों को पेंशन देने की बात हो ।जो भी चुनाव में वायदे किये थे, वे सारे के सारे पूरे किये गये हैं । यह लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिये यह पंचायत राज एक्ट का विरोध करते हैं । इसमें महिलाओं, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण देने की बात कही गयी है । भारतीय जनता पार्टी के लोग कल से यह अलाप कर रहे हैं, मैं उनको जुलाई 1991 को गजरौला में जो 6 ननों के साथ बलात्कार हुआ था, वह इन्हीं के समय में हुआ था ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र डेरापुर (कानपुर देहात) में इनके शासनकाल में जिस तरह से दलितों,अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और गरीबों के साथ अत्याचार हुए थे, वह एक लम्बी कहानी है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि दलितों के कुंवे में गोबर घोलकर पेशाब किया गया और उस पानी को पीने के लिए उन्हें मजबूर किया गया । मान्यवर, कई लोगों को गांव से गोली और लाठी के बल पर भगाया गया । कानपुर देहात में इन्दरूख में चार दलितों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गयी । यह सब इन्हीं के शासनकाल में हुआ था ।

मान्यवर, मैं 16 जून, 1992 की याद दिलाना चाहता हूं जब आल इण्डिया डिफेंस इम्पलाइज फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में हड़ताल की गयी थी उस समय सदन में मौजूद एक माननीय सदस्य जो उस समय श्रम मंत्री थे, ने कर्मचारियों पर लाठी और गोली चलवाई उसमें अनेक लोगों के हाथ पैर टूट गये । मान्यवर, यह अल्पसंख्यकों की वकालत करते हैं मैं इनको 6 दिसम्बर, 1992 की घटना, मैं समझता हूं कि इनको याद होगी, जिसके कारण हमारा मस्तक शर्म से झुक जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री आर० डी० पाल–

–मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

* आचार्य जगदीश मुनि–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जो महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसमें मैं अपने को आबद्ध करता हूं । मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत सारी बाते सरकार की उपलब्धियों की गिनाई गई हैं लेकिन वह नाममात्र की थी और सत्ता पक्ष के लोग जो इसकी बड़ाई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर रहे हैं वह उनका भ्रम मात्र है । इस शासनकाल में जितने अत्याचार, गुण्डागर्दी, अपहरण और उपद्रव आदि गरीबों के साथ हुए हैं उतना मैंने आज तक कभी नहीं देखा है ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शासन से कहना चाहता हूं कि वह हमारा हरिद्वार जिला देख लें जो एक शांत जिला था वहां पर भी अनेक प्रकार के कांड हो गये, अपहरण कांड हो गया । किसने अपहरण किया ? मान्यवर, हमारे यहां एक होटल मानसरोवर है उस होटल के अन्दर एक नवयुवक की दिनदहाड़े हत्या की गयी आज तक उसका पता नहीं चला कि उसे किन जालिमों ने मारा है । मान्यवर, मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ है उसकी रक्त की छीटें हरिद्वार तक जाकर गिरी हैं ।

और माननीय अध्यक्ष जी मैंने उसे अपनी आंखों से देखा उसके जख्मी लोगों का इलाज कराया । इतना अत्याचार मैंने आज तक कभी सुना नहीं । यह जो कांड केवल सरकार के इशारे पर सारा वहां कुछ हुआ है उनकी जांच होनी चाहिये । उनको सजा मिलनी चाहिए ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हरिद्वार जिले के लिये इस अभिभाषण के अन्दर विकास नाम की कोई चीज नहीं दी गयी है । एक वर्ष से अधिक का शासन हो गया है इस बीच में न तो सड़कों के लिये और न स्कूलों के लिये पैसा दिया और उर्जीकरण के लिये पैसा दिया गया । सड़कों के लिये बजट सबसे कम हमारे जिले का है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसमें भी कटौती कर दी है और 25 लाख में से 16 लाख काट दिया है 9 लाख ही बचा है और वह भी अपनी इच्छा के अनुसार एक स्थान पर लगाया है । सारे जिले की जनता सरकार की ओर आंखे लगाये देखती रह गयी । कहीं एक इंच सड़क पक्की नहीं हो सकी । उर्जीकरण के विषय में कहना चाहता हूं हमारा जिला बिजली के माध्यम से सारी जगहों पर प्रकाश करना चाहता है लेकिन उस जिले के गरीब बन्धु अंधेरे में रहते हैं । अम्बेदकर ग्राम चले जाइये बत्ती नहीं है । हरिजन बन्धु अंधेरे में रहने को विवश है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

* श्री जगदीश मुनि–

बिजली विभाग का यह हाल है कि हरिजन बन्धुओं की अनेकों कालोनियां अंधेरे में डूबी हुई हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे जिले के प्रति जो इस तरह का भेदभाव किया गया है उसको दूर करें और जिले के विकास के लिये ध्यान दें ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैंने अखिलेश को बुला लिया है।

श्री जगदीश मुनि–

मैं कटौती के विषय में जो हमारे प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने रखा है उससे सम्बद्ध करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री अखिलेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । कल से लेकर आज तक नेता विरोधी दल और विरोधी दल के साथियों की बातें सुन रहा हूं । मुझे यह महसूस हुआ कि सामाजिक परिवर्तन की जो बयार उत्तर प्रदेश के माध्यम से बिहार होते हुए आज कर्नाटक तक और इस देश में पहुंची है उस परिवर्तन की बयार ने हमारे विरोधी साथियों के मन में सिहरन पैदा कर दिया है । इसकी आंधी उत्तर प्रदेश के माध्यम से पूरे देश में बहने जा रही है ।

मान्यवर, इस सामाजिक परिवर्तन की शुरूआत आज से नहीं हजारों वर्ष पूर्व से शुरू हो गयी थी जब महात्मा बुद्ध ने इस धरती पर जन्म लेकर सामाजिक विषमताओं को लेकर परिवर्तन का कार्य शुरू किया था । यह परिवर्तन केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं रहा, बल्कि अमेरिका में जब काले गोरों की लड़ाई थी तो अब्राहिम लंकन ने काले लोगों का नेतृत्व किया था और उसमें काले लोगों को गोरे लोगों के बराबर अधिकार प्राप्त हुए थे । उसके बाद अमेरिका सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरकर आया । इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में भारत के गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जाकर लोगों का नेतृत्व करने का काम किया । आज उस दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मण्डेला एक सामाजिक क्रांति के रूप में उभरकर सामने आ गये । दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ है वह यह परिलक्षित करता है कि सामाजिक परिवर्तन पूरी दुनिया के पैमाने पर हो रहा है । इस सच्चाई को खुले मन से स्वीकार करना चाहिये ।

विरोधी दल के लोग जो बैठे हुये हैं कल से लेकर आज तक जो उनके विचार मैंने सुनें, आज जो सामाजिक परिवर्तन की बयार उत्तर प्रदेश के माध्यम से पूरे देश में बह रही है, उसने निश्चित रूप से इन्हें तिलमिला दिया है। अगर इस क्रांति में शोषित दलित लोगों का आप लोगों ने साथ देने का काम किया तो निश्चित रूप से एक नये भारत का निर्माण होगा ।

मैं कहना चाहता हूं कि इसलिये आप लोगों को अपने रवैये में परिवर्तन करना होगा । अभी बलात्कार और तमाम बातों के संदर्भ में आरोप लगाये गये । [x x x]

उस समय नेता सदन ने बड़ी बेशर्मी के साथ दवा देने का काम किया था । आज उन्हें सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिये । आज माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने जो बलात्कार की घटना हुई है उसकी सत्यता को खुले रूप से उजागर करने का काम किया है इससे सिद्ध होता है कि पारदर्शी सरकार है । इसमें कोई बात छिपाई नहीं जा रही है ।

आज विकास के नाम पर जो गलत आंकड़े नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें अपने अतीत के दिनों को याद कर लेना चाहिए जब वह पिछले बार चुनकर आये थे तो मुलायम सिंह यादव जी ने पिछली बार बुन्देलखण्ड विकास निधि और पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना करके क्षेत्रीय असंतुलन को दूरे करने का काम किया था और बुन्देलखण्ड विकास निधि को पहले साल ५ करोड़ रुपया और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

दूसरे साल साढ़े सात करोड़ रुपया तथा पूर्वांचल विकास निधि को पहले साल 20 करोड़ रुपया और दूसरे साल 30 करोड़ रुपया देने का काम किया था। अगर इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी। लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष जो उस समय नेता सदन हुआ करते थे, ने पूर्वांचल विकास निधि में से 30 करोड़ में से 20 करोड़ और बुन्देलखण्ड विकास निधि में साढ़े सात करोड़ में से पांच करोड़ रुपया अवमुक्त किया और इस प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया। इसका नतीजा क्या हुआ ? 1993 के चुनाव में बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल से इनकी तस्वीर साफ हो गयी। आज यह विकास की बात कर रहे हैं।

मान्यवर, मुलायम सिंह जी की सरकार के समय में विकास के कार्य हुए हैं।

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, इनकी पिछली हुकूमत में राम नाम के अलावा और कोई कार्य नहीं हुआ है। अन्त में मैं श्री मुलायम सिंह जी द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से भी कई बार निर्णय हुए हैं और यह परम्परा भी रही है कि जो व्यक्ति इस माननीय सदन का सदस्य नहीं है और अपने ऊपर लगाये गये आरोपों का उत्तर नहीं दे सकता है उसके ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता है।मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये और जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया है वह संसद सदस्य हैं और मेरी पार्टी के हैं उनके ऊपर लगाये गये आरोप असत्य हैं, अनर्गल हैं और अप्रसांगिक हैं। आप कृपया इसे कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है मैं इसे दिखवा लूंगा।

श्री तेजपाल सिंह–

[x x x]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अध्यक्ष की व्यवस्था पर चुनौती देने की हिम्मत आप ही कर सकते हैं।

*श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मान्यवर, जिस समय 4 दिसम्बर, 1993 को सपा और बसपा की सरकार सत्तारूढ़ हुई थी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मुझे ऐसा लगा कि ऐसी सरकार जो बैसाखी और व्हील

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चेयर पर चलेगी वह विकलांगो के लिए उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए उनकी चिन्ता के लिए कार्य करेगी । लेकिन महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर गौर करने के बाद मैंने यह पाया कि एक भी योजना विकलांगों के लिए नहीं बनायी गयी है ।

साथ ही विकलांगों, विधवाओं और वृद्धावस्था पर मिलने वाली पेंशन में इस सरकार द्वारा कटौती कर दी गई है, इससे मुझे प्रतीत हुआ कि जो सरकार विकलांग सरकार थी, वह विकलांग विरोधी भी है और इसी प्रकार दलित, शोषित के नाम लेने वाली यह सरकार उनकी भी विरोधी है ।

मान्यवर, मैं जनपद फतेहपुर के बिन्दकी क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं, इस क्षेत्र से जब मैं निर्वाचित हुआ, तो मेरे मन में एक विश्वास था, मेरे मन में एक भावना थी कि जिस उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सदन में मैं पहुंच रहा हूं, वहां अपने क्षेत्र के विकास के लिये, अपने क्षेत्र की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिये वहां प्रश्न उठाऊंगा, चर्चा करूंगा, लेकिन यहां पर जब पिछला सत्र चल रहा था तो नेता सदन ने घोषणा की थी कि टेल तक पानी पहुंचायेंगे और 16 घंटे बिजली देंगे, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नहरों की टेल तक तो क्या, मूंछ तक भी पानी नहीं पहुंच पाया, इन परिस्थितियों में एक सदस्य विधान सभा को आमरण अनशन करना पड़ा। हम कोई पुल नहीं मांग रहे थे, कोई नई योजना नहीं मांग रहे थे; केवल वही मांग रहे थे, जिसकी नेता सदन ने घोषणा की थी, वह हमारे क्षेत्र को मिलना चाहिये, लेकिन आज वहां विकास का कोई काम नहीं हो रहा है । हालांकि लोक सभा सदस्य श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया है, के नाम जो धन आया, वह जिला योजना के अन्तर्गत आ गया ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि लोक सभा सदस्य के नाम पर आने वाली धनराशि का, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों, चाहे विपक्ष के विधायक हों, सभी के क्षेत्रों में बराबर-बराबर का वितरण हों । मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव भिलैनी है, जहां पर मिर्गी की कारगर दवा दी जाती है और वहां पर तमाम गरीब, किसान, मजदूर दवा लेने पुहंचते हैं, वहां पर रात में जब वह दवा लेकर वापस आते हैं तो दीपावली, दशहरा के समय जब वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, तो वहां दुर्गम रास्ता होने के कारण राहजनी हो जाती हैं, वहां पर आज तक मार्ग निर्माण के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई ।

इसी तरह वहां पर जो नलकूप हैं, उनमें से 50 फीसदी नलकूप खराब पड़े हैं । इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैन्डपम्पों का जो कोटा है, वह भी पूरा नहीं हुआ है । हमारे विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी लिफ्ट इरीगेशन योजनायें हैं, वह सारी की सारी ठप्प पड़ी हैं । जिला सिंचाई बन्धु की जब बैठक होती है, उनमें जो निर्णय लिये जाते हैं, उनका भी क्रियान्वयन नहीं होता । मैं इसी के साथ संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया, उसके लिये आभार प्रकट करता हूं ।

* श्री इरशाद–

मान्यवर, आज से बहुत पहले आजाद हिन्दुस्तान में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मुझे गर्व है, मुझे नाज है कि मैं मुसलमान हूं उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे उससे भी ज्यादा गर्व इस बात का है कि मैं हिन्दुस्तानी हूं। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुये अपनी बात शुरू कर रहा हूं। मान्यवर, आजाद हिन्दुस्तान में मुसलमानों को जो उम्मीदें थी, जो आशायें थीं, वह उम्मीदें, आशायें पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं मुलायम सिंह यादव जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की आजादी के 47 सालों के बाद पहली बार इस देश में, प्रदेश में रहने वाले मुसलमानों, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को उन्होंने यह अहसास दिलाया, उनके अन्दर यह विश्वास दिलाया।

हिन्दुस्तान आजाद है और यहां पर लोकतांत्रिक प्रणाली है, यहां पर रहने वाले गरीबों, मजदूरों अल्पसंख्यकों, दलितों के अधिकार है और यह अधिकार हमारे देश का संविधान देता है।

मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुये कहना चाहता हूं कि कल मैं विपक्ष के नेता माननीय कल्याण सिंह जी की बातों को सुन रहा था, उन्होंने हमारी सरकार पर कई इल्जामात आयत किये थे। इस सदन का एक विधायक होने के नाते नहीं बल्कि मानवता और इंसानियत के नाते मैं कहना चाहता हूं कि क्या किसी देश के इतिहास में, पूरी दुनियां के इतिहास में किसी सूबे के मुख्यमंत्री को सुप्रीमकोर्ट ने सजा दी है ? ऐसा किसी देश के इतिहास में नहीं हुआ है, यह कल्याण सिंह जी के साथ हुआ, उन्होंने संविधान की, लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ा।

आज आप मुसलमानों तथा दलितों की बात उठाते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप अपने गिरेवान में झांक कर देखिये, आपका हृदय सच्चाई बोलेगा, भले ही आप दलितों और मुसलमानों को धोखा दें। आपने धर्म, जाति के नाम पर इस प्रदेश को रक्त की सुर्ख आंधी में झोका था, उस आग को माननीय मुलायम सिह जी की सरकार ने बड़ी मेहनत से बुझाया है और ऐसा कार्य किया है जिससे दुबारा ऐसी आग न लगे और ऐसी ताकतें सर न उठा सकें। इसके बाद मैं आपका तबज्जो दिलाना चाहता हूं कि जो सफलतायें हमारे मुलायम सिंह जी की सरकार ने एक साल के अन्दर अर्जित की है और मुसलमानों को नौकरियों में जो अधिकार दिया है वह 48 सालों में इस प्रदेश के मुसलमानों को नहीं दिया गया।

मैं इस प्रदेश के मुसलमानों और दलितों का नेतृत्व का रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसख्यकों के लिये जो काम माननीय मुलायम सिंह की सरकार ने किया है वह हिन्दुस्तान के किसी सरकार ने नहीं किया है।

मान्यवर, यह फिरकापरस्त ताकतें हैं, और हिटलर के उसूलों पर चल रही हैं इसलिये यह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, यह झूठे आरोप लगा करके इस प्रदेश की मर्यादा को समाप्त करना चाहती है। इसलिये सुप्रीमकोर्ट ने इनको सजा दी। इनको यह अधिकार नहीं है कि दूसरों पर कीचड़ उछालें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

श्रीमन्,मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। आप इस सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक हैं, उनकी भावनाओं का आदर करते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी अपने को संसदीय व्यवस्था के प्रकाण्ड विद्वान मानते हैं लेकिन उन्होंने धमकी भरे शब्दों में कहा कि निपट लेंगे। श्रीमन्, आप उत्तर प्रदेश के अन्दर जब विपक्ष में बैठते हैं तो आपको दलितों, हरिजनों का शोषण, उन पर हो रहे अत्याचार याद आते हैं लेकिन जब आप सरकार में रहते हैं तो उन पर हो रहे अत्याचार दिखाये नहीं पड़ते क्योंकि सत्ता के मद में आप चूर हो जाते हैं।

मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि प्रदेश के अन्दर अराजकता, लूटमार और प्रदेश के जनमानस को सुरक्षा देने में विफल हैं, इसलिये वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिये।

वास्तविकता को आपको स्वीकार करना चाहिये था। आप इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि आपने लोकतंत्र पर हमला किया है, न्यायपालिका पर प्रहार किया है। आप संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करना नहीं चाहते हैं। इस सरकार को प्रतिपक्ष के साथ कटुता का भाव नहीं रखना चाहिये। आप लाठी के बल पर विधान सभा मे विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की धृष्टता न करें।

बाराबंकी में छात्रसंघ का चुनाव हुआ और हमारे सब लोग विजयी हो गये। जब उन्होंने जुलूस निकालना चाहा तो उसे रोक दिया गया और छात्रों पर अपराधिक मुकदमें लगाकर जेल में बन्द कर दिया गया और उन पर लाठी चार्ज किया गया। आज वहां पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया है। इसके बावजूद भी वहां की जनता इस वर्तमान सरकार के तानाशाही के खिलाफ लड़ रही है। जब तक हमारे शरीर में एक बूंद खून का रहेगा, हम इस सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे और इस तानाशाही प्रवृत्त को समूल रूप से नष्ट करने का संकल्प लेते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप जो बोलेंगे वह नहीं लिखा जायेगा।

* श्री बशीरउद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आज हमारी सरकार द्वारा उर्दू अनुवादकों का चयन हो रहा है। हमारी 14 महीने की सरकार ने पंचायती राज चुनाव कराने का प्रयास किया लेकिन गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले इन लोगों ने उसमें रुकावट डाली।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इस सरकार ने आरक्षण समर्थन का आन्दोलन चलाया ताकि दबे-कुचले लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके । पिछले वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए हमारी सरकार से भरसक प्रयास किया और यह साबित कर दिया कि पिछली जितनी भी सरकारें थीं, उनकी कथनी और करनी में अन्तर था, परन्तु इस सरकार ने अपने वायदों को पूरा किया । हमारी सरकार ने, पेंशन योजना के तहत, समाज कल्याण विभाग द्वारा जो दी जाती है, हमारे जनपद हमीरपुर में, 1 करोड़ 18 लाख रुपये गरीबों में वितरित किये।

हमारी सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया और सिंचाई के लिए पानी गांव के अन्तिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जिस कार्य को 47 सालों में कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी की सकरार नहीं कर पाई, उसे हमारी सरकार ने 14 महीने में कर दिखाया । सबसे खास बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो दंगा कराने की योजना थी, वह फेल हो गई है । यह हिन्दुस्तान की पहली सरकार है जो दंगा रोकने में कामयाब हुई है । दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का उत्थान करने के लिए यह सरकार समर्पित है । इसी के साथ ही मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री अध्यक्ष–

जो कभी नही बोले हैं उनको आप मौका दे दीजिये । (कई सदस्य बोलने के लिये खड़े थे)

समय 6 बजकर 20 मिनट

* श्री प्रीतम सिंह (मुरादाबाद)–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं । आज यह सरकार दलितों, पिछड़ों और गरीबों का ढोल पीटती है जो बिल्कुल गलत है । आज प्रदेश में जंगल राज्य कायम है, विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, उस पर कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है और यश भारती के नाम पर करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है ।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र मुरादाबाद का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है गंगेशरी क्षेत्र बहुत पिछड़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय माननीय कल्याण सिंह जी ने 40 कि० मी० पक्की सड़क का प्रस्ताव स्वीकार किया था जिसकी मंजूरी भी चली गयी थी लेकिन इस सरकार के आने के बाद उस 40 कि० मी० सड़क पर कलम फेर दी । मेरे क्षेत्र में सड़कों की गंभीर समस्या है । वहां बगर नदी है जिसमें गजरौला फैक्ट्री का कैमिकल बहता है । उस नदी की गंदगी से कम से कम 180 गांव के लोगों का जीना दूभर हो गया है । लोगों के हैण्डपम्पों में गंदा पानी निकलता है, वहां की सारी फसल खराब हो गयी है जिससे लोगों में त्राहि-त्राहि मची है।

मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को इस संबंध में लिखा भी लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया । मैंने अपने क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के संबंध में लिखा उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । हमें सड़कों का कोटा प्रदान नहीं किया गया । मेरे क्षेत्र से 8 भा० ज० पा० के विधायक हैं इसलिये वहां कोई काम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी पार्टी को वहां से एक भी सीट नहीं मिली । मेरा तराई क्षेत्र है वहां 40 पुलों के संबंध में कई बार लिखा गया लेकिन बड़े दुख की बात है उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया । यह सरकार केवल घोषणाओं पर टिकी है । उधर के लोग बिके हुये हैं, यह किराये के लोग हैं और बोलने के आधार पर पैसा लेते हैं ।

हमारे यहां अम्बेडकर गांव मे 150 गांव लिये गये लेकिन वहां आज तक कोई काम विकास का नहीं हुआ है मैं चाहूंगा कि जितनी घोषणायें हुई हैं उन पर काम हो और यह पक्षपाती अल्पमत सरकार जल्दी से जल्दी खत्म की जाय ।

* श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं मान्यवर, अभी जो लोग चिल्ला रहे थे, जो ला एण्ड आर्डर की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं तो मान्यवर, उनके नेता को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है,वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजायाफ्ता है । सुप्रीम कोर्ट की बात पार्लियामेंट भी मानती है हम भी मानते हैं तो वहां से सजा आपको मिली है । सजा चाहे एक दिन की हो या आजीवन कारावास की सजा सजा है । मैं बताना चाहता हूं कि जिसने एक दिन की भी सजा काटी हो वह अपराधी ही है सजा आजीवन और एक दिन की बराबर होती है..

श्री अध्यक्ष–

माननीय समरपाल सिंह जी आपका भाषण जारी रहेगा,अब मैं दूसरी मद ले रहा हूं उस पर चर्चा होगी ।

दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक,1995 पर विचार किया जाय ।

माननीय गुप्ता जी आपको कुछ कहना है आप कह लें मैं बाद में बोलूंगा ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

मान्यवर, यह एक विधेयक आया है जिसमें उन्होंने पूरी तरह से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में संसाधनों की कमी है । हालांकि संसदीय कार्य मंत्री जी जब सदन के बाहर भाषण देते हैं तब कहते हैं कि योजना पूरी होगी,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन सदन में जब कोई काम करना होता है तो संसाधनों की कमी का बहाना यह सरकार लेती है। वर्ष 1994-95 के बजट में जो प्राविधान किये गये हैं उनको छोड़कर आपने कंटेन्जेन्सी से रुपया निकालकर अनुत्पादक कार्यों में खर्च कर रहे हैं और यशभारती पुरस्कार बांट रहे हैं, तो संसाधनों में कमी होगी ही। इसलिये बजट में जो प्राविधान किया है उसके अनुसार ही आपको धन खर्च करना चाहिए। लेकिन विचार करने की बात है कि धन की कमी है तो आप निजी स्रोतों से पुल, पुलिया और सड़कें बनवायेंगे।

इस प्रकार जो निजी व्यक्ति अपना रुपया इन चीजो के बनवाने पर लगाएगा तो वह अपना रिटर्नस भी चाहेगा। इसमें व्यवस्था किया है कि निर्धारित समय के लिए पुल दें देंगे और वह टोल टैक्स इकट्ठा करेंगे। प्राविधान किया है कि 10 करोड़ रुपये का पुल बनना है तो इस पर वह इन्टेरेस्ट लगायेगा लेकिन टोल टैक्स वह कितना लेगा, इसका आपने कोई प्राविधान नहीं किया है ? इससे निजी क्षेत्र में और प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए प्राविधान होना चाहिये कि जो पुल बनता है उसकी जब कीमत वसूल हो जाय निर्धारित समय में तो उसके बाद फ्री कर दें। लेकिन मैं समझता हूं कि यह सरकार आज नियमों और वित्तीय अनुशासन की कोई कीमत नहीं समझती है।

इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। नेशनल हाई–वे सीतापुर से दिल्ली जाता है, इस बीच पेरई नदी पर एक सेतु बना है, तो इसकी जितनी लागत थी वह वसूल हो चुकी है और शासन से आदेश चला गया कि अब इस सेतु पर पथकर आगे से वसूल न किया जाय। मान्यवर, जो लोग कार से या बस से सड़क मार्ग से शाहजहांपुर, बरेली दिल्ली जाते हैं उनको टोल टैक्स इस सेतु पर देना पड़ता है जबकि आदेश यहां से चले गये हैं कि पथकर न वसूल किया जाय। शिकायत हुई तो डी० एम० ने कड़ाई दिखाई तो डुप्लीकेट टिकट लोगों को देकर आज भी पथकर की वसूलयाबी की जा रही है। यह मेरी सही जानकारी है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इस अनियमितता को रोका जाय।

लेकिन जब आपके अधिकारियों का, आपके जिलाधिकारी का कर्मचारी आदेश नहीं मानते हैं तो निजी लोग जब आयेंगे तो उन पर आपका कैसे प्रभावी नियंत्रण होगा ? इसलिए मैंने इसे इस सदन की एक प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव किया है। आप तय करें कि किससे अनुबन्ध होगा, उसमें कितना रुपया उसको मिलना है, कितना टोल टैक्स वसूल किया जायेगा ? इसलिए आडिट और चेकिंग की व्यवस्था करनी चाहिए थी जो आपने नहीं किया है। इससे ज्यादा रुपया इकट्ठा किया जायगा और कम दिखाया जायेगा और फिर भी कमी का बहाना बनाया जायगा। आप पूंजीपतियों को सड़क और पुल बनाने का काम देंगे तो वह जनता की गाढ़ी कमाई को लूटेंगे और इसका भार जनता पर पड़ेगा। इसलिए सुझाव है कि हम उसके ऊपर कैसे नियन्त्रण करेंगे, जिससे जनता की गाढ़ी कमायी का पैसा, आवश्यकता से अधिक उनको न दे दिया जाय। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि इसको आप प्रवर समिति में भेज दें। इसको मैंने पहले स्वीकार किया है कि संसाधनों की कमी इसलिए है कि यहां कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है और अरबों खरबों रुपये की बर्बादी की जा रही है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक बात कहना चाहता हूं कि इस सदन की एक लोक लेखा समिति बनती है, किन्तु बड़े दुख की बात यह है कि वित्तीय अनुशासन कायम रखने हेतु बनने वाली यह समिति इस सरकार में 93 से नहीं बनी है। सारे सदनों में इस प्रकार की समिति बनती है, सारी दुनियां

में एक भी सदन ऐसा नहीं होगा । यही हमारा अनोखा सदन है, जहां लोक लेखा समिति नहीं है । इसलिए इसको प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं कि कैसे इस धन पर प्रभावी अनुशासन रखकर उन पर नियनत्रण लगायें ? इसको आप प्रवर समिति में भेजें । इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में और साथ ही पूरे देश में सन् 71 से बराबर हर क्षेत्र में राष्ट्रीकरण होता रहा है, लेकिन सन् 94 से हर तरफ जोरों से निजीकरण होना प्रारम्भ हो गया है । यह जो प्रक्रिया है जो आप पुलों और सड़कों को निजी क्षेत्रों में, निजी हाथों में दे रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश में माफिया राज्य कायम करने का अभियान है । जो पुल नहीं पार करते हैं, ये लोग उनसे भी जबरदस्ती वसूली करेंगे और उन पर से जो हल और ट्रैक्टर गुजरेंगे, उन्हें ये माफिया चलने नहीं देंगे । इसलिए मान्यवर, एक गम्भीर खतरा जो इस व्यवस्था के पीछे है, वह यह है कि उपभोक्ता के हित इससे पूरी तरह समाप्त हो जायेंगे और आप इसके द्वारा प्रदेश के आम नागरिकों की रक्षा की अनदेखी करने जा रहे हैं ।

अगर विकास कार्यों की भी सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी, तो सरकार का क्या औचित्य रह जायगा ? उसके जिम्मे क्या काम रह जायगा ? यदि वह नहरों, पुलों और सड़कों का प्रयोग जनता के कल्याण के लिए नहीं करेंगे । इन सारे बिन्दुओं पर विचार करने की आवश्यकता है । इसलिए राजेन्द्र जी का जो प्रस्ताव है, उसको प्रवर समिति में भेजने का, उस पर मैं भी बल देता हूं ।

(इस समय 6 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, माननीय गुप्त जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, इसमें सिद्धान्तः जो नीति अपनायी जा रही है, उससे उन्होंने एक प्रकार से सहमति ही व्यक्त की है । साथ ही कुछ आशंकायें उन्होंने व्यक्त की हैं और इस विधेयक के परे भाषण भी दिया है । वह वरिष्ट सदस्य हैं, मैं उनकी आशंकाओं को दूर करूंगा और जो यह विधेयक लाने की आवश्यकता पड़ी है उसे भी बताऊंगा । वित्तीय अनुशासन की जो बात है, अधिष्ठाता महोदय, गुप्त जी भी वित्त मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अपने कार्यकाल और हमारे कार्यकाल को वह देख लें । हर माह में अनुशासन के मामले में हम प्लस में रहे हैं और विकास कार्यों में आपसे ज्यादा डेढ़ गुना हमने खर्च किया है और उसके बावजूद ओवरड्राफ्ट में हम बहुत कम गये हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

गुप्त जी हर मामले को गुप्त रखते हैं । (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रमोद तिवारी जी ने हमारी बात को और बल दिया है । गुप्त जी ने सीतापुर जिले की एक बात कही है, वह यहां पर पहले बताते तो हम जानकारी ले लेते । फिर भी यह सरकारी आदेश चले गये और यदि अनियमित रूप से वहां टोल टैक्स वसूला जा रहा है, तो मैं आश्वासन देता हूं कि वह अधिकारी सजा से बचेंगे नहीं, उन पर ऐक्शन होगा । आपके शासन में जो दस-दस और बीस-बीस लाख के भी

पुलं बनते थे, उन पर बीसों साल तक इस टैक्स की वसूली होती थी, पुलों के ठेके माफिया ले लेते थे। अब हमने इसको रोकने के लिए यह कर दिया है कि एक करोड़ से कम के जितने पुल हैं, उन पर भविष्य में कोई टोल टैक्स नहीं लिया जायगा। गुप्त जी काफी अनुभवी हैं, प्रदेश के संसाधनों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं।

हमारे यहां गंगा जमुना घाघरा ऐसी नदियां हैं जिन पर पुल यदि बनवाया जाय तो एक पुल की कीमत लगभग 100, 150, 200 करोड़ रुपये से अधिक आयेगी। हम मानते हैं कि आज जितने पुलों की आवश्यकता हमारी जनता को है हम अपने सीमित संसाधनों के हिसाब से उन्हें नहीं बना सकते हैं इसलिये हमने शब्द जोड़ दिया है कि चुने हुए पुल, छोटे-छोटे पुल नहीं बल्कि चुने हुए जिन्हें सरकार नहीं बनवा सकती है बड़ी कीमतों के पुल होंगे उन बड़ी कीमत के पुल को प्राइवेटाइज करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। सड़कें हों या पुल हों आज विकसित देशों में इसकी व्यवस्था पहले से ही है।

अभी हमारे पास कोई पार्टी नहीं आई है जो पुल का काम लें लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हम इसको एडवरटाइज करेंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर से कोई इस काम को करने के लिये आगे आय। हम जानते हैं कि यह आसान काम नहीं है कि प्राइवेट पार्टी कोई 100, 200 करोड़ रुपये पुल में लगाये जिससे कि 20 साल में रिटर्न मिल सके। यह हम प्रयास कर रहें हैं गुप्ता जी को इसकी सराहना करनी चाहिये। हमारे पास जो संसाधन हैं उसमें बढ़ोत्तरी करके भी इस मद में हम ज्यादा खर्च करेंगे तो भी प्रदेश की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते हैं। बड़ी लागत के पुल हैं जिन्हें सरकार तत्काल नहीं बना सकती है इसीलिये हम इस विधेयक के द्वारा यह प्रयास कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में लोग आयें और पूंजी लगायें।

सरकार जो पुल बनाती है उस पर तो कोई टैक्स नहीं है। एक करोड़ रुपये के नीचे के पुल पर मुक्त कर दिया गया है। यह विधेयक प्रदेश के हित में है, विकास के हित में है, गुप्ता जी को इससे सहमत होना चाहिये और इस प्रकार के जनहित के जो कार्य हैं उसमें अपना सहयोग देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी आप वापस ले रहें हैं ?

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नहीं मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि यह प्रयास कर रहे हैं और हमें उसकी सराहना करनी चाहिये। मैंने पहले कहा कि निजी स्रोतों से या केन्द्र सरकार से कहीं से पैसा लें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उनका पैसा प्रदेश के विकास में लगे, उनका पैसा बर्बाद न हो और जनता के हित में सुरक्षित रहे उसको देखना चाहिये। मान्यवर, आज प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की जो स्थिति है, उसके कारण निजी इन्टर किसी तरह आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। जो बात आपने कही है हम पर आरोप लगाये हैं, हम उसका जवाब देंगे। कभी कभी सवाल का जवाब सवाल से दिया जाता है। आज एक ही सवाल का उत्तर आया है जिसमें सरकार ने कहा है कि वार्षिक योजना में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

4663 करोड़ रुपये थी जिसमें से 1532 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है । मुझे आपत्ति है कि इसमें उपलब्धता की कोई जानकारी नहीं दी गई है ।

माननीय मंत्री जी का बयान है इन्होंने कहा है कि अवस्थापना कोष 20 करोड़ रुपये का बनाने जा रहे हैं । जब पत्रकारों ने पूछा कि आप इसे कैसे बनायेंगे तो इन्होंने कहा कि विभिन्न मदों में जो सब्सीडी देते हैं उसमें कटौती कर देंगे । मान्यवर, विकास की मद में से कटौती करेंगे तो विकास किस तरह से होगा । इनके विधेयक लाने से मेरा कोई विमत नहीं है कोई विरोध नहीं है । मैं इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने की मांग इसलिये कर रहा हूं ताकि एक विधि विधान बन जाये । इसलिये मैं इस पर बल देता हूं और वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रवर समिति में भेजे जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह इतनी बड़ी कीमत का काम है हम चाहते हैं कि इसमें शीघ्र कोई कार्यवाही हो । प्रवर समिति में भेजकर आप इसमें क्यों विलम्ब करवाना चाहते हैं ? हम जानते हैं कि मुश्किल है यह काम फिर भी प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि यह विधेयक पास हो ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995 को इस सदन को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–10 तक व खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में दि इण्डियन टोल्स ऐक्ट, 1851 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह 10 जनवरी, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

ऐक्ट संख्या 8 सन् 1851 में नई धारा 1–ख का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित दि इण्डियन टोल्स एक्ट, 1851 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा-1-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी,अर्थात्:–

"1-ख–इस ऐक्ट में,–

परिभाषा

"प्राधिकृत व्यक्ति" का तात्पर्य धारा 2-ख के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति से है ।"

धारा–2 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 2 में, शब्द "बनाया गया या मरम्मत किया गया" के स्थान पर शब्द "बनाया गया, अनुरक्षित या मरम्मत किया गया" रख दिए जायेंगे ।

धारा 2-क का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 2-क में,–

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "निगम" के स्थान पर शब्द "प्राधिकृत व्यक्ति" रख दिए जायेंगे;

(ख) शब्द "उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड, जो कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सरकारी कम्पनी है (जिसे आगे निगम कहा गया है) के व्यय पर बनाया गया, अनुरक्षित या मरम्मत किया गया हो अथवा जिसे एतद्पश्चात् उक्त निगम के व्यय पर बनाया जाय, अनुरक्षित या मरम्मत किया जाय" के स्थान पर शब्द "प्राधिकृत व्यक्ति के व्यय पर बनाया गया अनुरक्षित या मरम्मत किया गया हो अथवा जिसे एदद्पश्चात उक्त प्राधिकृत व्यक्ति के व्यय पर बनाया जाय, अनुरक्षित या मरम्मत किया जाय", रख दिऐ जायेंगे;

(ग) शब्द "बनाई गई या मरम्मत की गई" के स्थान पर शब्द "बनाई गई अनुरक्षित या मरम्मत की गई" रख दिए जायेंगे ।

धारा 2-ख का प्रतिस्थापन

5–मूलअधिनियम की धारा 2-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:–

पथकर आदि का प्रबन्ध और उसे वसूल करने की किसी प्राधिकृत व्यक्ति की शक्ति

"2–ख धाराऔर 2-क के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम के अधीन बनाये गए किन्हीं नियमों या राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, और इस निमित्त किए गए किसी करार के अनुसार राज्य सरकार किसी व्यक्ति को ऐसी किसी सड़क या पुल पर जिसे ऐसे व्यक्ति के व्यय पर बनाया गया, अनुरक्षित या मरम्मत किया गया हो या जिसे एतद्पश्चात् ऐसे व्यक्ति के व्यय पर बनाया जाय, अनुरक्षित या मरम्मत किया जाय या जिसका अनुरक्षण और मरम्मत राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति को अन्तरित किया गया हों या एतद्पश्चात् उदगृहित किया जाय पथकर का प्रबन्ध करने औरउसे वसूल करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है ।"

धारा 2-ग का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 2-ग में,–

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द "'निगम" के स्थान पर शब्द "प्राधिकृत व्यक्ति" रख दिए जायेंगे,

(ख) उपधारा (1) में जहां कहीं भी शब्द "राज्य सरकार या निगम" आए हों, उनके स्थान पर शब्द "राज्य सरकार या प्राधिकृत व्यक्ति" रख दिए जायेंगे ।

(ग)उपधारा (2) में शब्द "निगम की दशा में उसका प्रबन्ध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर)" के स्थान पर शब्द "प्राधिकृत व्यक्ति की दशा में यदि वह व्यष्टि हो, तो प्राधिकृत व्यक्ति स्वयं,और किसी अन्य दशा में उसके कार्यकलापों, का प्रभारी व्यक्ति (चाहे जिस नाम से पुकारा जाय)" रख दिए जायेंगे ।

धारा 2-घ का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 2-घ में, शब्द "निगम" के स्थान पर शब्द "प्राधिकृत व्यक्ति" रख दिए जायेंगे ।

धारा 2छ का बढ़ाया जाना

8–मूल अधिनियम की धारा 2-च के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी,अर्थात्–

2 छ–"तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई स्थानीय प्राधिकारी, दि इडियन टोल्स, उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ के दिनांक से, ऐसे पथ कर का प्रबन्ध उसे वसूल नहीं करेगा जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार या प्राधिकृत व्यक्ति इस ऐक्ट के अधीन पथकर का प्रबन्ध या उसे वसूल कर सकता है ।"

स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पथकर के प्रबन्ध या वसूल करने पर रोक

धारा-8 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 8 में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वसूल किए गए पथकर को लोक राजस्व नहीं समझा जायेगा ।"

निरसन और अपवाद

10-(1) दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 1995.

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1)में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड 10 तक व खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाए ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक ,1995 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री शाकिर अली)–

मान्यवर, मैंआपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

कुछ बोलेंगे नहीं ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

चार बोर्ड को खत्म करके एक कमीशन बना दिया गया है यह तो साधारण सा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी का नाम अखबारों में पढ़ता था, सोचा था आज उनके श्रीमुख से कुछ सुनने का मौका मिलेगा लेकिन उससे हम लोग वंचित रहे हैं। कुछ उद्देश्य, कारण बता दें कि क्यों ला रहे हैं ?

श्रीअधिष्ठाता–

आप स्वयं विद्वान हैं जानते हैं।

(हंसी)

श्री प्रमोद तिवारी–

आपने मान लिया विद्वान हैं आप हम लोगों को क्या मानते हैं ?

(व्यवधान)

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

पंडित के ऊपर एक शब्द लग जाता है "महा"–

(हंसी)

मान्यवर, सरकार 'ढपोरशंखी' है मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करता,लेकिन आपकी घोषणाओं में सार नहीं होता है। इस समय उत्तर प्रदेश में 25 हजार माध्यमिक शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं आज से नहीं काफी समय से रिक्त पड़े हैं। जिस समय कल्याण सिंह की सरकार बनी उस समय युद्ध स्तर पर नियुक्तियां करने का फैसला लिया। तदर्थ नियुक्तियों में भाई-भतीजाबाद हो जाता है इसलिए तदर्थ नियुक्तियां बन्द कर दी। धारा–18 लगा दी। चार चयन बोर्ड बना दिए, पहले एकल था, यह सोचा गया कि चार चयन बोर्ड बनाकर बम्पर तरीके से नियुक्तियां हो जाएंगी।

लेकिन मान्यवर, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, उसने उस सरकार की नीति को यथावत रखा, लेकिन जो चार बोर्ड थे उनकी नियमावली नहीं बनी चारों बोर्ड की फंग्शनिंग नहीं हो सकती थी। अब आपने घोषणा कर दी चारों बोर्डों को खत्म करके एकल बना दिया जायगा। जो चार बोर्ड

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बनाने पर भी नाकाफी था उसको आपने एक कर दिया । मेरी जानकारी है नियम नहीं बने हैं जब नियम नहीं बने हैं तो बोर्ड क्या काम करेंगे ? बोर्ड नियुक्तियां नहीं कर सकेगा । कोई नियमावली नहीं बनी है । डिसीजनल मामले को देखेगा उसमें विवाद खड़ा हो जायेगा । अध्यापकों के पद भरेंगे ? आशा थी 25 हजार अंग्रेजी, हिन्दी उर्दू तथा समाज विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति करने की ? आपने एक विषय की विशेष चिन्ता की और बाकी विषयों की तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया । आपने तदर्थ नियुक्तियों को खोल दिया लेकिन कोई नियमावली नहीं बनायी ।

आप अपने को समाजवादी कहते हैं लेकिन शिक्षा व्यवस्था निजीकरण की ओर ले जा रही है । आपने चार बोर्डों को एक कर दिया । इस प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में भी बाकी क्षेत्रों की तरफ ला एण्ड आर्डर की हालत खराब होगी । जो शान्ति व्यवस्था इस समय शिक्षा के क्षेत्र में थी वह भी खराब हो जायेगी । हमारा मत है कि शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए । डाक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए चाहे वह राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का बेटा हो । लेकिन आज आपने प्रत्येक बच्चों को एडमीशन की गारन्टी नहीं दी । हम आरक्षण के समर्थक हैं लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ने को इच्छुक हो तो उसको रिफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए । इसके लिए चाहे आपको अध्यापक भले ही बढ़ाने पड़े ।

हमारी सरकार की नीति थी कि प्रत्येक ब्लाक में एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला जायगा लेकिन आपने उसको भी बदल दिया । आपकी सरकार ने कहा कि हम निजी संस्थाओं को आमंत्रित करेंगे लेकिन कितने स्कूल खुल रहे हैं ? कल में अनुपूरक बजट पढ़ रहा था । हम उसकी गहराई में नहीं जायेंगे । सैफई और मा० संसदीय कार्य मंत्री के गांव के अलावा शायद ही प्रदेश में लड़कियों का इण्टर कालेज खुला है । आज शिक्षा के क्षेत्र में जितनी अव्यवस्था है, उसकी कल्पना करना मुश्किल है । हमारी सरकार ने अपने शासन काल में हो सकता है गलती की हो, हमने अपनी जिम्मेदारी का पालन न किया हो और हमसे जो अपेक्षायें थीं वह पूरी न हुई हों, लेकिन अब तो आपकी सरकार है । अब यह आपकी जिम्मेदारी है । आप कोई बहाना बनाकर बच नहीं सकते । जब हम क्षेत्र में जाते हैं या कोई माननीय सदस्य क्षेत्र में जाता है तो जनता पूछती है कि कितने स्कूल खोले गये ? कितने मास्टर रखे गये ? आप यहां पर सदन में हमारी आवाज को रौंद सकते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता जो आलोचना कर रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे ? इसलिए मैं इसकी आलोचना करा हूं । आपने 4 बोर्ड को एक कर दिया लेकिन नियमावली नहीं बनायी । तदर्थ नियुक्तियां खोल दीं अध्यापकों की नियुक्ति हो । नये पद सृजित किये जायं ताकि स्व० लोहिया की भावनाओं के अनुरूप कोई बच्चा ऐसा न रहे जिसका प्रवेश में गारन्टी का हक मारा जाय । सरकार जो 20 हजार –25 हजार शिक्षकों के रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए कृत संकल्प है तो मैं इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि मंत्री जी से कि इन 25 हजार में से इस वित्तीय वर्ष में कितने पद भरेंगे व अगले वित्तीय वर्ष में कितने मद भरे जाएंगे तथा पूरे 25 हजार पद कितने समय बाद भर लिए जाएंगे ।

मैं किसी पूर्वाग्रह से बात नहीं कर रहा हूं । मैं खुद 5 वर्ष तक अध्यापक रहा हूं और हमने कई विद्यालय खुलवाये हैं मैं समझता हूं कि अगर देश को सुधारना है तो शिक्षा को सुधारना पड़ेगा इसके लिए बच्चों को अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है इसलिए आप अगर यह बता देंगे कि इन 25 हजार रिक्त पदों को कब तक भर लिया जाएगा और हमारा समाधान हो जाएगा तो मैं वादा करता हूं कि

अपने प्रस्ताव को वापस ले लूंगा और अगर मेरा समाधान नहीं हुआ तो मैं इसे प्रवर समिति में भेजने की सिफारिश करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने पर बल देता हूं।

श्री शाकिर अली–

आपने मेरे संशोधन विधेयक को काफी हद तक सराहा है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं साथ ही साथ आपने शिक्षा की उपयोगिता पर बल दिया है इसके लिए आप सराहना के पात्र हैं। जहां तक सब को शिक्षा देने की बात है तो आप जानते हैं कि हमारी सरकार तीन वर्षों में हर उस गांव को, हर न्याय पंचायत और हर ब्लाक में जहां स्कूल नहीं हैं हम स्कूल खोलने जा रहे हैं।

काफी फाईलें हमारी वित्तीय विभाग में पहुंच चुकी हैं। इसके साथ-साथ इस साल लगभग 32 नए जूनियर और प्राइमरी विद्यालय खुल रहे हैं जो रिकार्ड हैं। जो एक रिकार्ड है इसके अलावा लगभग 20 हजार विद्यालय जो गत वर्ष लम्बित थे इस वर्ष तैयार हो गये हैं। आपने टाट-पट्टी की बात कही यह हमारी सरकार की देन नहीं इसके पहले सरकार ने काफी हद तक स्थिति को बिगाड़ रखा था जिसको हम संभालने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है जल्दी ही इस पर काबू पा लेंगे। इसके पहले की सरकार के दिनों में पैसा कैसे लूटा जाय उस पर ही ध्यान दिया जाता था इसमें हमारा कहीं दोष नहीं है। हम स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तदर्थ नियुक्तियों के लिए कहा है।

आपने आयोग बनाये थे उसके बाद राष्ट्रपति शासन हुआ और वह कार्य नहीं कर सके थे। इसलिये 1991 के बाद से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो तदर्थ नियुक्तियां की जानी थीं उनको भर सकते। हम तीन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं एक तो प्रधानाचार्य, प्रधान अध्यापकों, अध्यापकों की समय के अन्दर नियुक्ति हो सके उसके लिए चारों बोर्डों को भंग एक बोर्ड बनाये जा रहे हैं जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे। जिससे एकरूपता होगी और अभ्यर्थियों को बहुत दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पठन-पाठन कार्य के लिये अध्यापकों की बहुत कमी पड़ गई थी किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया था सन् 91 से कोई ऐसी नियमावली नहीं बनी थी, कि हम इसकी व्यवस्था कर सकें इस विधेयक की धारा 18 के अन्तर्गत तदर्थ नियुक्तियां करने का अधिकार प्राप्त करने जा रहे हैं उसके लिए साक्षात्कार नहीं होंगे।

गणना के आधार पर पदों को भरने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि डी०डी०आर० के अन्तर्गत समिति बन रही है जो चयन करेगी। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि अब तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी के मृतकों को उनकी योग्यतानुसार सेवा में लिया जाय। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई शिक्षक या शिक्षणेत्तर कर्मचारी की उसके कार्यकाल में मृत्यु हो जाय तो उसकी योग्यता के हिसाब से उसके आश्रित को एल०टी० ग्रेड में नौकरी दी जायगी।

जहां तक अध्यापकों, प्रधान अध्यापकों और प्रधानाचार्य के भरने के लिये तदर्थ नियुक्तियां करने की बात है इसके लिये जल्दी व्यवस्था की जायगी। यह विधेयक जनहित में है, मेरा आपसे निवेदन है कि इसको पास किया जाय। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अभी आपने कहा कि 4 हजार पद एल०टी० ग्रेड के खाली हैं। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि कुल मिलाकर 7 हजार पद अध्यापकों के भरे जायेंगे। हमारी कोशिश है कि आगे आने वाले दिनों, शैक्षिक सत्र में पूरे अध्यापक हों ताकि

शिक्षा का कार्य सुचारु रूप से चल सके । मैं चाहूंगा कि यह जो प्रवर समिति में भेजने का संशोधन है इसको वापस लिया जाय और इसको पारित किया जाय ।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा नाम है, मुझे अवसर दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप पहले बोले होते, इस समय आप यदि कोई स्पष्टीकरण करना चाहते हों तो कर लें ।

* श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जिस प्रकार से अभी माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने शंका जाहिर की कि एक चयन बोर्ड द्वारा इन 25 हजार पदों को भरना संभव नहीं होगा वह सही है । मैं कहना चाहता हूं कि जो अशासकीय महाविद्यालय हैं उनके लिये एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाये हैं और आज तक वहां तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति नहीं कर पाये हैं । एक चयन बोर्ड से यह नियुक्तियां नहीं हो पायेंगी और विवाद होंगे और मामले हाई कोर्ट के अन्दर जायेंगे । इसलिये मैं अपने संशोधन पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

गुप्त जी, क्या आप अपने संशोधन को वापस लेते हैं ?

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी का भाषण सुना, पोर्टफोलियो के डिस्ट्रीव्यूशन की जानकारी मुझे नहीं है । कदाचित मंत्री जी के पास प्राइमरी शिक्षा भी है । उन्होंने कहा कि 20 हजार अधूरे विद्यालय पूरे कर दिये गये हैं तो यह प्राइमरी के हैं, मैंने इसकी चर्चा नहीं की थी । माध्यमिक शिक्षा की बात उन्होंने नहीं की । जब वह मेरी बात ही नहीं पकड़ सके तो मैं कैसे अपने संशोधन को वापस ले लूं । मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 की इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकार हुआ ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधयेक, 1995 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड–2 से खण्ड–22 तक व खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा ।

(2) यह 28 दिसम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 के जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, दीर्घ शीर्षक में, शब्द "सेवा चयन बोर्ड" के स्थान पर शब्द "सेवा आयोग" रख दिये जायेंगे ।

धारा 1 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 1 में उपधारा (1) में, शब्द "सेवा चयन बोर्ड" के स्थान पर शब्द "सेवा आयोग" रख दिये जायेंगे ।

धारा 2 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 2 में :—

(क) खण्ड (क) निकाल दिया जायेगा ;

(ख) इस प्रकार निकाले गये खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(ख) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष की अनपस्थिति में, तत्समय अध्यक्ष के कृत्यों का सम्पादन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी है ;

(ग) आयोग का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग से है ;" ;

(ग) खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(छ) 'सदस्य' का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत आयोग का अध्यक्ष भी है ;" ;

(घ) खण्ड (ज) निकाल दिया जायेगा ;

(ङ) इस प्रकार निकाले गये खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(जज) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है :

(झ) "विनियम" का तात्पर्य धारा 34 के अधीन बनाये किसी विनियम से है ;" ।

अध्याय दो और धारा 3 से 11 का बढ़ाया जाना

5–मूल अधिनियम की धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय, जिसमें धारा 3 से 11 दी गयी है, बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

अध्याय–दो

आयोग की स्थापना और कृत्य

आयोग की स्थापना

3–(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, एक आयोग स्थापित किया जायगा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग कहलायेगा ।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा । यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में शक्ति का प्रयोग करेगा और इसका मुख्यालय इलाहाबाद में होगा ।

आयोग की संरचना

4–(1) आयोग में एक अध्यक्ष और छः से अनधिक अन्य सदस्य होंगे जो उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ।

(2) अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किये जायेंगे जो––

(क) राज्य सरकार की राय में, विख्यात शिक्षाविद् रहे हों, या जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यवान योगदान दिया हो ; या

(ख) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में या ऐसे किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे संबद्ध किसी महाविद्यालय में, दस वर्ष से अनिम्न अवधि के लिये, प्राचार्य के रूप में कार्य किया हो; या

(ग) प्रदेश की न्यायिक, प्रशासनिक या शिक्षा सेवा में, दस वर्ष से अनिम्न अवधि के लिये, ज्येष्ठ अधिकारी के रूप में कार्य किया हो; या

(घ) किसी संस्था के पन्द्रह वर्ष से अनिम्न अवधि के लिये, प्राचार्य के रूप मे कार्य किया हो।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

5–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेगा।

(2) कोई व्यक्ति निरन्तर दो पदावधि से अधिक के लिये सदस्य नहीं होगा।

(3) कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्यागपत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय।

(4) सदस्यों का पद पूर्णकालिक होगा और उनकी सेवा के निबन्धन और शर्त ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निदेशित करे।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, यदि उसने बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, न तो सदस्य नियुक्त किया जायेगा और न इस रूप में बना रहेगा।

सदस्यों को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति

6–(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को पद से हटा सकती है यदि वह—

(क) दिवालिया न्याय-निर्णीत किया जाय; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक सेवायोजन में कार्य करें; या

(ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्ध कदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिये अनुपुक्त हो; या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अनर्हता का भागी हो जाय ।

स्पष्टीकरण––जहां कोई सदस्य किसी संस्था द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या करार से, किसी प्रकार से संबद्ध हो या उसमें हितबद्ध हो या उसके लाभ में या उससे प्राप्त होने वाले किसी फायदे की उपलब्धि में किसी प्रकार से सदस्य से भिन्न रूप में सम्मिलित हो, वहां उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कदाचार का दोषी समझा जायेगा ।

(2) इस धारा के अधीन कदाचार के अन्वेषण और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

सहयुक्त करने की शक्ति

7–आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये जो धारा 34 के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये लेना चाहे ।

आयोग का कर्मचारी वर्ग

8–(1) आयोग का सचिव राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जायगा, और उसकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे ।

(2) ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त जारी करे, आयोग ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिये आवश्यक समझे, और सेवा के ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें आयोग उचित समझे, नियुक्त कर सकता है ।

9–आयोग की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

आयोग की शक्तियां और कर्तव्य

(क) अध्यापकों को भर्ती और पदोन्नति की रीति से सम्बन्धित विषयों पर मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना ।

(ख) अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना और चयन करना ;

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विशेषज्ञों का चयन करना और उन्हें आमंत्रित करना ;

(घ) चयन किये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति और उनकी पदोन्नति के संबंध में सिफारिश करना ;

(ङ) अध्यापकों की पदच्युति, हटाये जाने या पंक्तिच्युति से संबंधित विषयों में प्रबन्धतंत्र को सलाह देना ;

(च) अध्यापक वर्ग की सदस्य संख्या और अध्यापकों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति, पद से हटाने, सेवा समाप्ति या पंक्तिच्युति के संबंध में नियतकालिक विवरणियां या अन्य सूचनाएं संस्थाओं से प्राप्त करना ;

(छ) विशेषज्ञों की उपलब्धियां और यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते नियत करना ;

(ज) आयोग में विहित निधि का प्रबन्ध करना ;

(झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसी विहित की जांय, या जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आनुसंगिक या सहायक हों ।

चयन की प्रक्रिया

10–(1) किसी अध्यापक की नियुक्ति करने के प्रयोजन के लिये प्रबन्धतंत्र विद्यमान या भर्ती के वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की संख्या और, संस्था के प्रधान के पद से भिन्न पद की स्थिति में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और रिक्तियों को ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के माध्यम से, जैसा विहित किया जाय, आयोग को अधिसूचित करेगा ।

(2) अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय :

परन्तु आयोग प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करने की दृष्टि से उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना रिक्तियों का राज्य में व्यापक प्रचार करेगा ।

अभ्यर्थियों का पैनल

11–(1) आयोग, धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगा और जो नियुक्ति के लिये सर्वाधिक उपयुक्त पाये जायें, उनका पैनल तैयार करेगा ।

(2) आयोग उपधारा (1) में निर्दिष्ट पैनल की धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय अग्रसारित करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन पैनल प्राप्त होने के पश्चात् संबद्ध अधिकारी या प्राधिकारी धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों के संबंध में संस्था के प्रबन्धतंत्र को चयन किये गये अभ्यर्थियों के नाम विहित रीति से सूचित करेगा ।

(4) प्रबन्धतंत्र, ऐसी सूचना की प्राप्ति के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर ऐसे चयनित अभ्यर्थी को, नियुक्ति पत्र जारी करेगा ।

(5) जहां ऐसा चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र में अनुमत समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा प्रबन्धतंत्र इस निमित्त स्वीकार करे ऐसी संस्था में पद का कार्यभार ग्रहण नहीं करता है या जहां ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये अन्यथा उपलब्ध नहीं है, वहां सम्बद्ध अधिकारी या प्राधिकारी प्रबंधतंत्र के अनुरोध पर आयोग द्वारा उपधारा (2) के अधीन अग्रसारित पैनल से नया नाम या नये नाम, विहित रीति से सूचित करेगा ।"

अध्याय–तीन और धारा 12 से 15-ख का निकाला जाना

6–मूल अधिनियम का अध्याय–तीन जिसमें धारा 12, 12–क, 12–ख, 12–ग, 13, 14, 15, 15–क और 15–ख दी गयी है, निकाल दिया जायगा ।

धारा 16 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (1) में,–

(क) शब्द, अंक और अक्षर "किन्तु धारा 21-ख" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "किन्तु धारा 18, 21-ख" रख दिये जायेंगे ।

(ख) शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्धतंत्र द्वारा बोर्ड की सिफारिश पर ही की जायेगी" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्धतंत्र द्वारा आयोग की सिफारिश पर ही की जायेगी ।" रख दिये जायेंगे ।

(ग) द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह भी कि सेवा काल में मृत किसी अध्यापक का या किसी संस्था के अन्य कर्मचारी का आश्रित, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन विहित अर्हताएं रखता हो, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है ।"

धारा 17 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (1), में शब्द "अध्याय तीन" के स्थान पर शब्द "अध्याय दो" रख दिये जायेंगे ।

धारा 18 का प्रतिस्थापन

9–मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"18–(1) जहां प्रबन्धतंत्र ने धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार आयोग को, किसी रिक्ति की सूचना दी हो, और किसी अध्यापक का पद वास्तव में दो मास से अधिक रिक्त रहा हो, वहां प्रबन्धतंत्र इस धारा में एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से, किसी अध्यापक को पूर्णतया तदर्थ आधार पर सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा, नियुक्त कर सकता है ।

तदर्थ अध्यापक

(2) प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक से भिन्न किसी अध्यापक को, जिसे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाना हो, उपधारा (8) में निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जा सकता है ।

(3) प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक से भिन्न किसी अध्यापक को, जिसे पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाना हो—

(क) प्रवक्ता ग्रेड में किसी रिक्ति के मामले में, विहित अर्हता रखने वाले प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में ज्येष्ठतम अध्यापक को प्रवक्ता के रूप में ;

(ख) प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में किसी रिक्ति के मामले में, निहित अर्हता रखने वाले सर्टिफिकेट आफ टीचिंग ग्रेड में ज्येष्ठतम अध्यापक की प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में अध्यापक के रूप में ;

विहित रीति से पदोन्नति करके नियुक्त किया जा सकता है ।

(4) प्रधानाचार्य के पद में किसी रिक्ति को प्रवक्ता ग्रेड में ज्येष्ठतम अध्यापक की पदोन्नति करके भरा जा सकता है ।

(5) प्रधान अध्यापक के पद में किसी रिक्ति को प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में ज्येष्ठतम अध्यापक की पदोन्नति करके भरा जा सकता है ।

(6) उपधारा (2) और (3) के अधीन नियुक्तियां करने के प्रयोजन के लिये प्रबन्धतंत्र रिक्तियों की संख्या और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसके पश्चात् यथाशक्यशीघ्र सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित करेगा और यदि प्रबन्धतंत्र रिक्तियों

को सूचित करने में विफल रहता है और अध्यापक का पद वास्तव में तीन मास से अधिक रहता है तो जिला विद्यालय निरीक्षक, ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जैसा कि निदेशक जारी करे, ऐसी संस्था से या अपने अभिलेख से सत्यापन के पश्चात् स्वयं ऐसी रिक्तियों को अवधारित कर सकता है ।

(7) जिला विद्यालय निरीक्षक, उपधारा (6) के अधीन, यथास्थिति, रिक्तियों की सूचना की प्राप्ति पर या, रिक्तियों का अवधारण करने के पश्चात्, सम्भाग के प्रभारी उपशिक्षा निदेशक को रिक्तियों की सूचना अग्रसारित कर देगा, जो, इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 या तद्धीन बनाये गये विनियमों के अधीन विहित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों से, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक से भिन्न, अध्यापकों के पद पर तदर्थ नियुक्ति के लिये ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय से आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा ।

(8) (क) प्रत्येक सम्भाग के लिये सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन के लिये एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे--

(एक) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक ;

(दो) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक (द्वितीय) ;

(तीन) सम्भागीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) ;

सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक में जो ज्येष्ठ होगा वह अध्यक्ष होगा ।

(ख) खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति अभ्यर्थियों का चयन करेगी, चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी, उन्हें संस्थाओं को आवंटित करेगी और उपधारा (2) के अधीन नियुक्ति के लिये प्रबन्धतंत्र को उनके नाम की सिफारिश करेगी ।

(ग) अभ्यर्थियों के चयन के लिये मापदण्ड और प्रक्रिया और चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने की और संस्थाओं को उनके आवंटन की रीति ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय ।

(9) उपधारा (1) के अधीन तदर्थ अध्यापक की प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावहीन हो जायेगी जब वह अभ्यर्थी जिसकी सिफारिश आयोग द्वारा की गयी हो, कार्यभार ग्रहण कर ले ।

(10) धारा 21-घ के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, ऐसे अध्यापकों पर लागू होंगे जिन्हें इस धारा के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किया जाना हो ।"

धारा 19 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 19 में,–

(क) शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "आयोग" रख दिया जायगा ;

(ख) शब्द और अंक "धारा 14" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 9" रख दिये जायेंगे ।

धारा 20 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 20 में, शब्द "बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "आयोग के सचिव या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति" रख दिये जायेंगे ।

धारा 21 का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा 21 में, शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "आयोग" रख दिया जायेगा ।

धारा 22, 23 और 26 का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 22, 23 और 26 में, शब्द "बोर्ड", जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "आयोग" रख दिया जायगा ।

धारा 27 का प्रतिस्थापन

14–मूल अधिनियम की धारा 27 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जायेगी, अर्थात् :–

अधिप्रमाणीकरण

"27–आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय, निम्नलिखित अधीक्षण सचिव या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे ।

धारा 28 का संशोधन

15–मूल अधिनियम की धारा 28 में, शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "आयोग" रख दिया जायगा ।

16–मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

प्रत्यायोजन

"29–आयोग धारा 34 के अधीन बनाये गये विनियम द्वारा अपने अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य या अधिकारी को आयोग द्वारा या आयोग में किये गये कार्य के सामान्य अधीक्षण और उनके संबंध में निदेश देने की अपनी शक्ति, जिसके अन्तर्गत कार्यालय के अनुरक्षण और आयोग के आन्तरिक प्रशासन के संबंध में किये गये व्यय से सम्बन्धित शक्ति भी है प्रत्यायोजित कर सकता है ।"

धारा 32 का संशोधन

17–मूल अधिनियम की धारा 32 में, शब्द "या इसके अधीन बनाये गये नियमों" के स्थान पर शब्द "या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों" रख दिये जायेंगे ।

धारा 33 का संशोधन

18–मूल अधिनियम की धारा 33 में, उपधारा (1) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा, अर्थात्––

"परन्तु ऐसा कोई आदेश उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं दिया जायेगा ।"

धारा 33–ख का संशोधन

19–मूल अधिनियम की धारा 33-ख में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (तीन) में, शब्द और अंक "जैसी कि वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा निकाले जाने के पूर्व थी" के स्थान पर शब्द और अंक "जैसी कि वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने के पूर्व थी" रख दिये जायेंगे ।

नई धारा 34 का बढ़ाया जाना

20–मूल अधिनियम की धारा 33-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्–

"34–(1) आयोग चयन करने के लिये, साक्षात्कार करने के लिये, फीस विहित करने हेतु और इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आयोग द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया निर्धारित करने के लिये राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियम बना सकता है या उन्हें संशोधित कर सकता है :

विनियम बनाने की शक्ति

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रथम विनियम राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम, इस अधिनियम या धारा 35 के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे" ।

संक्रमण कालीन उपबन्ध

21–मूल अधिनियम की धारा 12 के, जैसी कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, अधीन नियमित निकाय के रूप में गठित माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, ऐसे प्रारम्भ पर विघटित हो जायेगा और ऐसे विघटन पर–

(क) ऐसे बोर्ड की सभी सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां और बोर्ड के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यता, चाहे किसी संविदा के अधीन हो या अन्यथा हों, मूल अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित आयोग को अन्तरित हो जायेंगी;

(ख) ऐसे बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले सभी व्यक्ति अपने मूल विभागों में प्रत्यावर्तित हो जायेंगे;

(ग) ऐसे बोर्ड के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवाएं मूल अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित आयोग को अन्तरित हो जायेगी;

(घ) मूल अधिनियम के अध्याय तीन के, जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व था, अधीन ऐसे बोर्ड के समक्ष लम्बित कोई विषय और मूल अधिनियम की धारा 21 के अधीन ऐसे बोर्ड के समक्ष लम्बित कोई सन्दर्भ मूल अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित आयोग को अन्तरित हो जाएगा ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 31 सन् 1994

22–(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अब कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 22 तक व खण्ड 1, प्रस्तावन और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शाकिर अली–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरी इस पर आपत्ति है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इसमें तो कोई संशोधन भी नहीं है ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरी आपत्ति है । वह मैं कह रहा हूं । मान्यवर, कल सप्लीमेटरी एजेन्डा प्रस्तुत किया गया था, संशोधन प्रस्तुत करने के लिये 36 घन्टे की छूट मिलनी चाहिये । मैंने आज सुबह लिखकर दे दिया है ।

मान्यवर, यह गरीबों के हित विरोधी विधेयक है और इसे मैं विभेदकारी समझता हूं, इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये । मान्यवर, मैं गरीबों के लिये कह रहा हूं । जो मूल एक्ट है, वह रेंट कन्ट्रोल के लिये है । इसको रेंट पर कन्ट्रोल करने के लिये बनाया गया था । मैं इसका पक्षधर हो सकता हूं कि आप रेंट का कन्ट्रोल करें, लेकिन अगर किराया मात्र बढ़ाने की बात होती, मैं इसको स्वीकार कर लेता लेकिन आपने धार्मिक ट्रस्ट के नाम पर गरीबों को परेशान करने जा रहे हैं । इससे क्या होगा, जो गरीब लोगों की दुकानें किसी धार्मिक ट्रस्ट में हैं, उनको निकाल बाहर किया जायेगा, उनकी रोजी छिन जायेगी, वह बेघरबार हो जायेंगे और उनके बच्चे भूखों मरने लगेंगे । यह गरीबों के हित के विरुद्ध हैं ।

मुझे स्मरण है कि आपने 25 प्रतिशत किराया बढ़ा दिया था, लेकिन किरायेदारों को बेदखल नहीं किया गया था । मैं हिन्दू मुसलमान की बात नहीं करता । इसमें मुस्लिम वक्फ और अलग औलाद की बात कही गयी है । अगर किसी ने अपने संतानों की ट्रस्ट बना दी, ट्रस्ट को भी अक्जम्पशन मिल गया । वह तो एक प्राइवेट ट्रस्ट है । तो यह विभेदकारी है । गरीबों का हमदर्द होने के कारण मैंने यह बात रखी है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, हम बजट पर बोलेंगे वह सरकार का स्टेटमेन्ट है । हमें इस बात को देखना चाहिए कि जब हम उधर बैठेंगे तो हमें भी इन कानूनों का पालन करना पड़ेगा । मान्यवर, हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कोई बात बोलते हैं तो हमें किस बात का विरोध करना है । जब आप शहर में निकल कर जायेंगे तो पायेंगे कि इस कानून के बन जाने के बाद हम जिस जिस दुकान पर 50 साल से थे वहां से हमारा सामान निकालकर फिकवा दिया जायेगा और आप कलेक्टर के पास एस०डी०एम० के पास दौड़ेगें ।

मान्यवर, हमारे पर्वतीय क्षेत्र के विधायक भी बैठे हैं जितनी चट्टियां हैं और उन पर जितनी दुकाने हैं वह किसी न किसी ट्रस्ट की हैं, वह ध्वस्त कर दी जायेंगी । यह गरीबों के विरुद्ध है इसलिए मैं इस कानून का विरोध करता हूं । अंशतः इसको स्वीकार करता हूं कि अगर कोई सार्वजनिक ट्रस्ट है तो उसको किराया बढ़ाने का अधिकार दिया जाना चाहिए इवेक्टमेन्ट का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए । मान्यवर, जो हमने आंशिक समर्थन की बात है उसको ध्यान में रखकर आप इस प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें एक अच्छी चीज देंगे जिससे कि लोगों को लाभ हो और यह डिसक्रिमिनेशन न हों, मैं इन शब्दों के साथ इसका विरोध करता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, गुप्ता जी तो इससे सहमत हैं ही, इससे तो उनको प्रसन्नता भी होनी चाहिए, उनको इसका स्वागत करना चाहिए कि जितने धार्मिक स्थान हैं उन्हीं को रेन्ट कंट्रोल से मुक्त किया जा रहा है । उसमें मुस्लिम वक्फ कोई की प्रापर्टी है, श्री कृष्ण मंदिर की है, फारेन मिशन की प्रापर्टी है । यह एक दशक विधायकों की मांग भी चल रही थी कि इस तरह का एक विधेयक लाया जाय कि इस तरह की जितनी सम्पत्ति है उसको रेन्ट कंट्रोल से मुक्त किया जाय । इसमें अगर माननीय गुप्ता जी मन से विरोध करते तो संशोधन देने में न चूकते ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

संशोधन मैंने भेजा है ।

श्री अधिष्ठाता–

संशोधन विलम्ब से मिला था इसलिए स्वीकार नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, गुप्ताजी, होशियार सदस्य हैं उनको संशोधन देना ही नहीं था इसलिए विलम्ब से भेजा है ।

श्रीमन्, इसमें मुस्लिम वक्फ बोर्ड आ गया है इसलिए इनको खल रहा है । इसमें और भी धार्मिक स्थान है और फारेन मिशन की प्रापर्टी है उसको रेन्ट कन्ट्रोल से मुक्त किया जा रहा है इसलिए इसको पारित किया जाय । गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि जो विरोध है, संशोधन है नहीं, सर्वसम्मति से इसे पारित करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 4 तक व खण्ड–1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गण राज्य के छियालसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा ।

(2) यह 26 सितम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 13 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,–

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम" के पश्चात् शब्द "या कोई कन्टोनमेन्ट बोर्ड" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

"(ख) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था या उसमें निहित किसी भवन पर;";

(तीन) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्–

"(खख) किसी सार्वजनिक पूर्त या सार्वजनिक धार्मिक संस्था के या उसमें निहित किसी भवन पर ;

(खखख) किसी वक्फ, जिसमें वक्फ-अलल-औलाद भी सम्मिलित है, के या उसमें निहित किसी भवन पर;";

(चार) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्–

"(छ) किसी ऐसे भवन पर जिसका मासिक किराया दो हजार रुपये से अधिक हो;

(ज) किसी ऐसे भवन पर जिसका कोई विदेशी मिशन या कोई अर्न्राष्ट्रीय अभिकरण किरायेदार हो;";

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी ।

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में, खण्ड (ध) में, शब्द "और इसमें भी सम्मिलित है जो वक्फ-अलल-औलाद न हो" निकाल दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 1994

4–(1) उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधन मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक व खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

* डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

यह जो विधेयक है इसमें मुझे कुछ आपत्ति है । इसमें तीन कारण और उद्देश्य बताये गये हैं जिसके लिए विधेयक लाया गया है इसमें अभी तक की व्यवस्था है कि जो प्रोफेसर या रीडर का चयन है, उसमें तीन विशेषज्ञ रहते हैं और इसमें परिवर्तन करके 2 की अनिवार्यता की जा रही है । वैसे तो यह कारण ठीक है, मान्यवर, प्रदेश के अन्दर 8 विश्वविद्यालय हैं, लगभग सैकड़ों पद इनमें रिक्त चल रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगभग 118 पद रिक्त चल रहे हैं । इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिससे विशेषज्ञ हर विषय के भेज दिये जायें जिससे कि जो सेलेक्शन कमेटियां होती हैं, उसमें डिले न हो ।

इस प्रकार की व्यवस्था करने से हमें लगता है कि जो चयन समिति उसमें डिले होगा । इसमें जो अधिकार की बात है महामहिम कुलाधिपति को, अगर कार्य समिति निश्चित समय के अन्दर निर्णय नहीं लेती है तो महामहिम कुलाधिपति उसको निर्देशित कर सकते हैं । इसमें मेरा यह भी मानना है इसमें इस प्रकार की व्यवस्था होनी चहिए, जो कार्य समिति हैं, उनकी अपनी कार्य शैली हैं, वह ठीक से करें । इसके लिए भी सुनिश्चितता की जानी चाहिए । सबसे बड़ा कारण क्या है आज हमारी कार्य परिषद् ठीक से काम नहीं करती हैं, वर्तमान सरकार के समय में कार्य परिषद् में जो नामांकन हो रहे हैं वह पूरी तरह से पाल्टिकल हो रहे हैं जिसकी वजह से कार्य समिति की कार्य शैली पूरी तरह से प्रभावित हो रही है । मेरा स्पष्ट मानना है कि विश्वविद्यालयों के अन्दर, आप प्रदेश के अन्दर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो एकेडिमिक शिक्षाविद् को ही नामांकन कार्य परिषदों में होना चाहिए । मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूं । मुझे देखने को मिलता है कि और अन्य जगहों की भी जानकारी है पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ लोग कार्य परिषदों में पहुंच जाते हैं । उनकी कार्य शैली ठीक से नहीं हो पाती है ।

आज हमारी जो कार्य परिषदें हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 सदस्यों का कार्यकाल काफी समय से पूर्ण हो गया है लेकिन वहां इलेक्शन नहीं कराया जा रहा है । इसके लिए सरकार सोचे और सबसे बड़ी जो इसमें खामी है, हम सब सहमत होंगे कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बरकरार रहे । लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसमें अधिकार सरकार को दिया जा रहा है जिसमें कि अगर कार्य समिति नियम के बावत कार्य नहीं करती है, तो वह अधिकार राज्य सरकार को जायेगा ।

इससे हमारे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होगी । जो यहां पर संशोधन रखे गये हैं उसका मैं विरोध करता हूं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय तो विस्तृत चर्चा हो जायेगी और उसको सही रूप में यहां पर लाया जा सकता है ।

* श्री सुरेश संगल–

मान्यवर, इस संशोधन के बिन्दु 3 में जो अन्तिम अधिकार कुलाधिपति को दिया जा रहा है या सरकार को दिया जा रहा है उससे जो आटोनोमी विश्वविद्यालयों की है, वह प्रभावित होगी । इसमें बहुत से नियम उप नियम ऐसे बनेंगे जो विश्वविद्यालय के लिए ठीक न हों हर विश्वविद्यालय की अलग परम्परा रही है कार्य करने का तरीका रहा है । यह नियम बनाने का जो अधिकार है, अगर कार्य परिषद नहीं बनाती तो अन्त में मजबूर होकर शासन बनायेगा । इसमें यह भी है कि शासन द्वारा नियम या उप नियम बनेंगे उसमें संशोधन करने का अधिकार विश्वविद्यालय को नहीं रहेगा । चाहे वह उस विश्वविद्यालय को सूट करते हों या न करते हों ।

निवेदन है कि इस पर से विचार करें उनकी आटोनोमी न खत्म करें, विश्वविद्यालय का वातावरण दूषित न हो । बन्धन के कारण दिक्कत न हो यह अधिकार विश्वविद्यालय का, परिवर्तन करने का बनाये रखा जाना चाहिए ।

*श्री हरख सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो नियम सरकार बनाने जा रही है, जैसा कि माननीय श्री गौड़ जी ने कहा कि विश्वविद्यालय में चयन एक प्रक्रिया है । राज्यपाल के यहां से, जो कुलाधिपति होते हैं, एक पैनल जाता है और उस पैनल के आधार पर कुलाधिपति, लेक्चरर प्रोफेसर और रीडर के पद पर चयन होता है और उस चयन के बाद कार्य परिषद् में एक लिफाफा जाता है । कार्य परिषद् को यह अधिकार नहीं होता है कि वह सहमति या असहमति व्यक्त करे लेकिन इस नियम के बन जाने से यदि कार्य परिषद असहमत हो जायेगी और विहित अवधि के भीतर निर्णय नहीं लेगी तो वह कुलाधिपति के यहां चला जायेगा और इससे विलम्ब हो सकता है । दूसरा जो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह जो विधेयक लाया गया है इससे जो अध्यापकों के चयन में जो दिक्कतें आती थीं वह दूर हो जायेंगी । जो गौड़ साहब ने कहा है वह दिक्कत नहीं आयेगी । मान्यवर, अध्यापकों के चयन के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति की कार्य प्रणाली को और निष्पक्ष बनाने के लिए यह आवश्यक किया जा रहा है कि चयन समिति में कम से कम दो विशेषज्ञ अवश्य उपस्थित रहें । वर्तमान में आचार्य तथा उप आचार्य पद के चयन के लिए चयन समिति में 3 विशेषज्ञ कुलाधिपति द्वारा नामित किये जाते हैं तथा प्राध्यापक (लैक्चरर) पद के लिए दो विशेषज्ञों को नामित करने की व्यवस्था है । अब यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रतिबन्ध भी रखा जा रहा है कि आचार्य और उपाचार्य पद हेतु चयन समिति में कम से कम दो विशेषज्ञ अवश्य सम्मिलित हों। प्राध्यापक पद के लिए एक विशेषज्ञ की उपस्थिति पूर्व से ही आवश्यक है।

2–अध्यापकों की नियुक्ति के क्रम में चयन समिति की संस्तुतियों पर कार्य परिषद द्वारा निर्णय लिया जाता है। यह निर्णय चयन समिति की बैठक से 4 माह के अन्दर लिया जाना आवश्यक है। यदि यह निर्णय कार्य-परिषद् द्वारा नहीं लिया जाता है तो प्रकरण कुलाधिपति को संदर्भित हो जाता है। अब यह व्यवस्था की जा रही है कि यदि कार्य परिषद् में बिना किसी दोष के यदि 4 माह में निर्णय नहीं होता है तो इस प्रकार कुलाधिपति को संदर्भित प्रकरण उनके द्वारा पुनः कार्य परिषद् की बैठक हेतु निदेशित किया जा सकता है।

3–अध्यापकों की अर्हताओं की व्यवस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में है। इसमें संशोधन का अधिकार दिसम्बर, 90 तक राज्य सरकार में था परन्तु इसके उपरान्त यह अधिकार विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् में निहित है जो कि कुलाधिपति के अनुमोदन से संशोधन कर सकती है। अब यह अधिकार कार्य-परिषद् के साथ-साथ राज्य सरकार में भी इस सीमा तक लाया जा रहा है कि राज्य सरकार पहले कार्य-परिषद् से वांछित संशोधन का अनुरोध करें एवं निर्धारित समय में यदि यह संशोधन नहीं होता है तो राज्य सरकार संशोधन कर सकेगी। इनकी आवश्यकता इस हेतु आवश्यक है जिससे कि अध्यापकों की अर्हताओं में एकरूपता बनायी जा सकें और चयन की प्रक्रिया में तेजी लायी जा सके। जो माननीय रावत जी की शंका है कि इसमें विलम्ब हो जायेगा तो वह नहीं होगा इससे अध्यापकों की नियुक्ति में तेजी आयेगी और जो चयन में दोष था उसको समाप्त किया गया है। इसमें संशोधन नहीं किया गया है। अतः इसको पारित किया जाय।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा, जो मेरा प्रश्न था कि दो विशेषज्ञों की अनिवार्यता कर रहे हैं। इस समय तो चयन में बहुत देरी होती है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, जिससे हर विषयों में जितने विशेषज्ञों के नाम हों, वह विश्वविद्यालय में पहुंच जाया करें, जिससे देरी न हो ?

[समय 7 बजकर 20 मिनट पर।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जो आपकी आशंका है, उसी को दूर करने के लिए यह विधेयक लाया गया है ताकि चयन प्रक्रिया में शीघ्रता आवे और जो तमाम काम्प्लीकेशन्स हैं, वह दूर हों।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 4 तक व खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गण राज्य के छियालसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा ।

(2) यह 17 दिसम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित तथा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधि-नियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 31 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 31 में,-

(क) उपधारा (7) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् "परन्तु आचार्य या उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे ।";

(ख) उपधारा (8) में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्-

(कक) जहां खण्ड (क) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य-परिषद् द्वारा विनिश्चय करने की विफलता कार्य परिषद् के किसी दोष के कारण न हो तो कुलाधिपति कार्य परिषद् से ऐसे समय के भीतर जैसा कुलाधिपति समय-समय पर अनुमति दें विनिश्चय करने की अपेक्षा कर सकता है और कुलपति को प्रयोजन के लिए कार्य परिषद् की बैठक बुलाने का निदेश दे सकता है ।

परन्तु–

(एक) यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से सहमत नहीं है तो कार्य परिषद् ऐसी असहमति के कारणों सहित मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ;

(दो) यदि कार्य परिषद् कुलाधिपति द्वारा अनुमत समय के भीतर विनिश्चय नहीं करती है तो कुलाधिपति मामले का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।"

धारा 50 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्–

"(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अध्यापकों की अर्हताओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किये गये, किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए, कार्य परिषद् से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने या उपधारा (1) या उपधारा (1–क) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्य परिषद् ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या उपधारा (1) या उप धारा (1–क) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकती है ।

(7) कार्य परिषद् को राज्य सरकार द्वारा उपधारा (6) के अधीन बनाये गये परिनियमों को संशोधित या निरसित करने या ऐसे परिनियमों से असंगत नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने की शक्ति नहीं होगी ।"

निरसन और अपवाद

4–(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 30 सन् 1994

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 4 तक व खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मुजफ्फरनगर में उत्तरांचल राज्य की मांग करने वाले आन्दोलनकारी पुरुषों एवं महिलाओं के साथ अत्याचार व बलात्कार विषयक सूचनाओं पर चर्चा

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहे पर 1/2 अक्टूबर की रात्रि एक दुखद, हृदयविदारक और मानवता को कलंकित करने वाली घटना घटी, उस पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। घटना की पूरी जानकारी मुझे है, क्योंकि इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से तथ्यों की जानकारी के लिए एक कमेटी भेजी गयी थी, उस कमेटी में मैं भी गया था। वहां जो तथ्य हमारे सामने आये हैं, वह अत्यन्त हृदयविदारक हैं। मैं उसका पूरा वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पर्वतीय क्षेत्र के विधायक भी इस पर विचार प्रकट करना चाहते हैं, मैं केवल दूसरे तथ्यों पर विचार प्रकट करना चाहता हूं।

मान्यवर, वहां पर लोगों पर गोलियां चलीं, लोग मारे गये, बलात्कार कुकर्म किया गया, निर्वसन किया गया, यह सब करने के बाद जो सबसे गम्भीर बात है, वह यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रकरण पर पर्दा डालने का प्रयास किया। उन्होंने जो बयान दिया, उसमें कहा कि इसमें दिल्ली सरकार की गलती है और दिल्ली की सरकार ने कहा कि इसमें आपकी गलती है, इस तरह दिल्ली-लखनऊ की सरकारों द्वारा इस मामले को एक तरह से उलझाने की कोशिश की गयी। बाद में वहां खोजी दल गये, सभी ने इस बात की पुष्टि की, कि बलात्कार हुआ।

सी०बी०आई० की जांच की घोषणा हुई, तो सी०बी०आई० की जांच न होने पाये, इसे रोकने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया, पहले यह माननीय उच्च न्यायालय में गये, सर्वोच्च न्यायालय में गये, लेकिन न्यायालय ने आदेश दिया और सी०बी०आई० की जांच हुई, जांच से तथ्य प्रकाशित हुए, सी०बी०आई० केन्द्रीय जांच एजेन्सी है, उसका अपना एक स्टेटस है, सम्मान है, उस एजेन्सी ने जो जांच की और लोगों से बात की, साक्ष्य लिए, उसने भी यह निर्णय कर दिया कि बलात्कार हुआ, 17 महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ छेड़छाड़ हुई, निर्वसन किया गया तथा 7 महिलाओं को जंगल में ले जाकर बलात्कार किया गया, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को भी नकारा और कहा कि ऐसा नहीं हुआ और यहां तक कह दिया कि यह साबित हो जायेगा तो वह जनता से माफी मांग लेंगे और अपने पद से हट जायेंगे।

मान्यवर, सी०बी०आई० की रिपोर्ट में यह बात भी आयी है कि वहां पर जो 24राउण्ड गोलियां चलायी गयीं, वह भी अनावश्यक था। सरकार की ओर से कहा गया कि बस में बैठे लोगों के पास गैर जरूरी असलहे थे, उनकी खोज के लिए गाड़ियां रोकी गयी थीं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि उनको इस प्रकार की जानकारी थी, तो पहले ही वहीं पर उनकी तलाशी लेनी चाहिए थी, रात्रि में बस को क्यों रोका गया, यह तो दोनों सरकारों का गठबन्धन था, एक साजिश थी कि जिस काम के लिए यह जा रहे थे, वह न जाने पायें। मान्यवर, यह तो वह काम था, जिसमें न इनका विरोध है, न हमारा विरोध है, जब हम सरकार में थे तो हमने प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार को भेजा था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

वहां पर अलग से उत्तराखण्ड राज्य बना दिया जाये ।

आपने प्रस्ताव पारित कर दिया, हम आपके प्रस्ताव पर बल देने के लिये, उसके समर्थन में प्रदर्शन करने के लिये जा रहे थे, उस प्रस्ताव के मार्ग में बाधा पैदा करने नहीं जा रहे थे । सरकार जानती थी कि अगर उनको रोका जायेगा तो उत्तेजना बढ़ेगी, उनमें आक्रोश होगा । वह यह सोचते थे कि उनको रोककर हम सिखायेंगे कि यदि प्रदर्शन करने के लिये जाओगे तो तुम्हारे साथ पुलिस क्या अंजाम करेगी, इसी अंजाम को लेकर कुकर्म किया गया, महिलाओं को निर्वसन किया गया और उनके साथ बलात्कार किया गया ।

सी० बी०आई० ने जो जांच रिपोर्ट न्यायालय को दी, उसमें उन्होंने कहा कि यह जांच रिपोर्ट सरकार को न भेजी जाये क्योंकि यदि आपने भेज दिया तो जो साक्ष्य हैं उनको समाप्त करने के लिये दबाव डाले जायेंगे और इससे साक्ष्य देने वालों के जानमाल को खतरा पैदा हो सकता है । इससे बड़ी अविश्वसनीयता है वह अगर उजागर हो गयी है । इसलिये आज समय का तकाजा है, अगर सरकार के पास तनिक भी नैतिकता शेष है तो माननीय मुख्य मंत्री जी को स्वतः अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए और प्रदेश की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए, यदि वह ऐसा करते तो एक संसदीय परिपार्टी की भी रक्षा करते लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है ।

यह सीता, सावित्री का देश रहा है । यहां नारी के सम्मान की रक्षा के लिये बड़े-बड़े महाभारत हुये हैं, मांता सीता के सम्मान के लिये भीषण युद्ध हुआ है लेकिन यह सरकार आज नारी के सम्मान की रक्षा कर पाने में असफल रही । अगर सरकार उनकी सम्मान की रक्षा कर पाने में असफल रहेगी तो हमारे प्रदेश का क्या होगा और इसका परिणाम है कि आये दिन एक न एक घटना सामूहिक बलात्कार, शील हरण, निर्वसन किये जाने की घटनायें हो रही है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह वादा किया था और यह घोषणा की थी कि अगर कोई आरोप सिद्ध हों गया तो मैं राष्ट्र से माफी मांग लूंगा और पद त्याग दूंगा । सी० बी० आई० ने अपनी जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है, जिसमें यह साबित हो गया है कि महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है । अगर हम इस बात को कहेंगे तो आप इसे सबजुडिस कहेंगे लेकिन जांच रिपोर्ट सबजुडिस नहीं है और सी० बी० आई० की रिपोर्ट को सही मानना चाहिए, लेकिन आपको विश्वास नहीं है ।

आपको न्यायालयों के निर्णयों, व परिपाटी पर विश्वास नहीं है और आपने न्यायालयों के निर्णयों का उल्लंघन किया है । आपने बार-बार कहा था कि सी० बी० आई० से जांच न करायी जाये क्योंकि आपको डर था कि सी० बी०आई० दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देगी । मान्यवर, मैं पुनः इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी में नैतिकता का अंश किंचित भी शेष है तो अपने वायदे के अनुसार अपने पद से त्याग-पत्र दे देना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस डिवेट को ओपेन करता हूं ।

* श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय अधिष्ठाता जी, जिस बिन्दु पर आज यह चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि यह इस प्रदेश, देश बल्कि पूरी दुनिया में शर्मनाक उदाहरण है। इससे इस प्रदेश की गरिमा घटी हैऔर इस प्रदेश के रहने वाले लोगों को सिर शर्म से झुका है। मान्यवर, इस सरकार के कृत्यों को देखकर मुझे संस्कृत का एक श्लोक याद आता है–होता यही है कि जब-जब किसी के जाने के दिन आते हैं तो मति भ्रष्ट हो

असम्भवः हेम मृगस्य जन्मः,

तथापि रामो तलभेः मृगाय....

जाती है, यही शायद इस सरकार की नियत भी रही है। इसीलिये मान्यवर, इस सरकार ने ऐसे कृत्य किये। संविधान के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखते हुये नये राज्यों के निर्माण का प्रावधान है। जिस प्रकार मिजोरम, मणिपुर, हिमालय प्रदेश, सिक्किम राज्यों का गठन किया गया उसी प्रकार हिमालय के इस वेल्ट में आज नहीं बल्कि 1950 में अलग हो जाना चाहिए। लेकिन उत्तरांचल राजनीति का शिकार रहा। 1992 में उत्तरांचल के लोगों के साथ न्याय हुआ और 12 अगस्त, 1992 को प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा गया। उसके बाद इस सरकार ने जो पृथक प्रदेश के हिमायत की बात करती है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब पहली बार उत्तराखण्ड क्रान्ति रथ का उद्घाटन किया था तो उस समय हम लोगों ने सोचा था कि यह पहाड़ के हितैषी हैं। परन्तु इस सरकार ने प्रस्ताव पास करने के बाद यह कहना शुरू कर दिया कि पहाड़ के लोग देशद्रोही हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि उन देश भक्तों के परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं पर सीना तानकर देश की रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ है उन्हें देशद्रोही कहना शुरू कर दिया। पहाड़ पर जब पृथक राज्य की मांग के लिए जन-आन्दोलन हो रहा था तो जो यह सरकार पृथक प्रदेश की हिमायती की बात करती है, इसे उस आन्दोलन को पूरा सहयोग देना चाहिये था। पिछले महीने से पहाड़ का बच्चा-बच्चा आन्दोलनरत है। सरकारी कर्मचारी, महिलायें, भूतपूर्व सैनिक और ढाई-ढाई व तीन-तीन वर्ष के छोटे-छोटे बच्चे सड़कों पर आकर पृथक प्रदेश की मांग कर रहे हैं।

मान्यवर, 8 अगस्त को पहली घटना पौड़ी में हुई, गोली-काण्ड हुआ। एक नवयुवक को गोली लगी तथा सैकड़ों लोग घायल हुए परन्तु अभी तक उस घटना की न्यायिक जांच तक नहीं की गई और न ही उन लोगों को मुआवजा दिया गया। । सितम्बर को खटीमा के अन्दर नरसंहार किया जाता है आन्दोलनकारियों पर। आखिर उन का दोष क्या था। 2 सितम्बर को मसूरी में गोलीकाण्ड हुआ, जिसमें एक डी० वाई० एस० पी० की मृत्यु भी हो गई, तमाम लोग मारे गये तथा कई लोग घायल हुए, परन्तु सरकार के कांनू में जूं तक नहीं रेंगी। पहाड़ में जिस तरह से आतंक मचाया गया और वहां के लोगों पर कहर बरपाये गये उसकी परिणति 2 अक्टूबर को हुई। यदि 1/2 अक्टूबर की रात में जो घटना हुई, उसका अगर वर्णन किया जाय तो सारी दुनिया के लोगों का हृदय विदीर्ण हो जायेगा। मां-बहिनें सबकी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होंगी,अधिकारियों की भी होंगी परन्तु वहां का जिलाधिकारी ए० के० सिंह कहता है कि यदि कोई अकेली महिला होती है तो वह बलात्कार को निमंत्रण देती है ।

मैं उस जिलाधिकारी से कहना चाहता हूं कि यदि उसकीमां-बहिन भी अगर कहीं अकेले किसी के पास जायेगी तो वह भी बलात्कार की शिकार होगी । इस घटना में न्यायिक जांच होती और दोषी लोगों को दण्डित कियाजाता, परन्तु ऐसा नहीं हुआ । एक तारीख को 5 बजे से जिस तरह से स्थान-स्थान पर लोगों को खड़ा किया जा रहा था, स्थान-स्थान पर बसों को रोका जा रहा था, पौड़ी से, चमोली से,टिहरी से, देहरादून से, नैनीताल से, अल्मोड़े से,पिथौरागढ़ से सैकड़ों बसें चल रहीं थी परन्तु जिस तरह से चैकिंग के नाम से उनलोगों को रोका गया और उत्पीड़ित किया गया, इस तरह की मिशाल इतिहास में और कोई दूसरी नहीं हो सकती है ।

मैंने आज ही इस संबंध में एक प्रश्न किया था और उसके उत्तर में यह कहा गया चैकिंग के नाम पर उन्हें रोका गया था और भीड़ के उत्तेजित होने पर बल प्रयोग करना पड़ा ।यह भी नहीं कहा कि गोलियां चलानी पड़ी और लाठी चार्ज करना पड़ा । वहां पर 50 हजार लोग मौजूद थे, आप कल्पना कीजिए कि अगर वह सारी भीड़ उत्तेजित होती तो उन्हें रोकने के लिए आपके पास कितनी फोर्स थी । मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि उस उत्तेजित भीड़ ने कितने लोगों को घायल किया, कितने पुलिस वालों को घायल किया, कितने अधिकारियों को घायल किया और उसमें से कितने लोग अस्पताल में भर्ती हुए परन्तु मान्यवर, वास्तविकता यह नहीं है । हम लोग रामपुर तिराहे, सिसौनी और मुजफ्फरनगर 3 तारीख को गये और वास्तविकता का पता लगाया ।

हमने पाया कि इस सरकार ने एक दिन पहले ही वहां पर वाकायदा प्रशिक्षण दिया । सहारनपुर से पुलिस कर्मचारियों को बुलाकर, देहरादून से बुलाकर कर एस०पी० और डी०आई०जी० के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर के अन्दर प्रशिक्षण दिया जाता है । 5 कि०मी० दूरी पर सारी बसें रोक दी जाती हैं यह कह कर कि बसों की चेकिंग होगी । तो अगर बसों की चेकिंग ही होनी थी तो जिस जिले से बसें आ रही हों वहां पर हथियारों की चेकिंग होनी चाहिये और कहते हैं कि हथियार न ले जायें । तो मुजफ्फरनगर के अन्दर सारे लोगों को इकटठा कर चारों तरफ से घेर लिया और वहां की लाइट काट दी गयी । सिसोना से लेकर रामपुर तिराहे तक बसों के पहले सीसे तोड़े गये फिर लाठी बरसायी गयी और लोगों को खींच-खींच कर मारा गया लोग फिर भी संयत रहे क्योंकि हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं हमारा लक्ष्य केन्द्र सरकार के सामने प्रदर्शन करना था । इतना संयमित होने के बाद भी पुलिस दल ने लोगों को भगा कर मारा, नग्न नृत्य पुलिस ने किया, मां बहनों की इज्जत लूटी, सत्ता में बैठने वालों को शर्म होती तो मेरे प्रश्न का उत्तर जो दिया है वह इस तरह का नहीं होता.

यह प्रश्न भाषण का नहीं है, यह प्रश्न मानवाधिकार का नहीं है मूल बिन्दु मां बहनों का नहीं है बिन्दु मां बहनों की इज्जत का है । कल किसी की मां बहन के साथ भी यह हो सकता है हमें गोली लग जाती तो हमें परेशानी नहीं होती क्योंकि हम पृथक राज्य के लिये जान न्योछावर करने के लिये तैयार थे हमें कष्ट इस बात का है कि यह सरकार पृथक राज्य की हिमायती बनती है और ऊपर से लाठी गोली चलाती है और यही नहीं मां बेटियों की इज्जत पर हाथ डलवाया तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है । यही नहीं मां बहनों को निरवस्त्र ही नहीं किया गया उनको दौड़ा दौड़ा करके चीर हरण

किया गया, नंगा किया गया, खेतों में दौड़ा कर मारा गया चार पांच युवकों ने इसका प्रतिकार किया तो उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया । उन चार लोगों को जिन्हें गोली से मारा गया उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 फिट की दूरी से हत्या की गयी है । तो यह काण्ड नियोजित तरीके से किया गया और महिलाओं की इज्जत नियोजित तरीके से लूटी गयी । आज पहाड़ की महिला इस देश की रक्षा की दूसरी पंक्ति में हैं । पहली पंक्ति उनके लड़के फौज में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं ।

मान्यवर, लालबत्ती अभी न जलायें, यह पहाड़ों की दर्दनाक कहानी का मामला है परसों से हम बड़े धैर्य रखे हुये हैं कि उन बिन्दुओं पर चर्चा का मौका हमें मिलेगा। इस पर दो घंटे की चर्चा है जो हमारे लिये है अभी मुझे केवल 5 मिनट हुये हैं ।

आश्चर्य की बात यह है कि पत्थर भी इस तरह की घटना में संवेदनशील हो जाते हैं लेकिन यह सरकार संवेदनहीन है क्योंकि इतना बड़ा काण्ड हो गया, लोगों की लाशों को लाद-लाद कर गायब कर दिया गया । आज भी पचासों लोग गायब हैं, वह गायब नहीं है उनकी हत्या कर दी गयी है और रात रात में ही लाशों को नदी में फेक दिया गया । इतनी बड़ी शर्मनाक घटना हो गयी यह प्रदेश के लिये नहीं दुनिया भर के लिये शर्मनाक घटना है । उसके बाद भी सरकार का उत्तर आता है कि सी०बी० आई० से जांच हो रही है । जांच होती रहती इस सरकार को अपनी तरफ से कुछ भी करना चाहिये था अगर थोड़ी भी संवेदना होती, यह संवेदनहीन हो चुकी है इसलिये किसी को प्रताड़ित नहीं किया । और इस संबंध में डी०आई०जी०, आई०जी०, डी०एम० और एस०पी० के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

मान्यवर, इतना ही नहीं 3 तारीख की प्रातः जब लोग अपने खेतों में जा रहे थे तो एक नौजवान को गड्ढे में दबाया गया था उसे जिन्दा वहां से निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गयी । इस प्रकार जिंदा लोगों को पुलिस ने वहां गड्ढों में दबाया था । मान्यवर, इस घटना के संबध में श्री खंडूरी जी के नेतृत्व में मुझे भी वहां भेजा गया था तो वहां पाया गया कि महिलाओं के अन्डरवियर खून से रंगे थे । पांच किलोमीटर तक खून ही खून के धब्बे थे और बसों के शीशे और सड़कें खून से लाल थीं । मान्यवर, रामपुर तिराहे और सिसौनी के लोग चिल्ला चिल्लाकर इस वीभत्स कांड की बात कह सकते हैं ।

मान्यवर, पहाड़ में तमाम जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया । देहरादून में नरसंहार हुआ और काफी लोग मारे गये हैं । तो इस वीभत्स काण्ड की जिम्मेदार यह सरकार है, इसलिये यदि इस सरकार में और मुख्य मंत्री में जरा भी संवेदनशीलता होती तो अपने पद से इस्तीफा देते और कह देते कि मुझे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है । लेकिन ऐसा नहीं किया ।

मान्यवर,कहा गया कि मानवाधिकारों का हनन मुजफ्फरनगर में किया गया और मुजफ्फरनगर में जो हुआ वह बड़ा ही शर्मनाक कांड हुआ । सी०बी०आई० अपनी रिपोर्ट देती है और उसमें कहती है कि वहां महिलाओं के साथ बड़ा ही अत्याचार हुआ है । सी०बी०आई० सिद्ध करती है कि वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और मानवाधिकार आयोग इस बात को सिद्ध करता है लेकिन उसके बावजूद भी यह सरकार सत्ता में बनी है । इसलिये इस सरकार को एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक

अधिकार नहीं है । मान्यवर, मैं तो इस सरकार से चाहता हूं कि इस कांड पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे ।

मान्यवर, मेरी मांग है कि उत्तरांचल को प्रदेश का दर्जा दिया जाय और जब तक उत्तरांचल को प्रदेश का दर्जा नहीं मिलता है तब तक आंदोलन जारी रखा जायेगा । लेकिन सरकार चाहती है कि इस आन्दोलन को कुचल दिया जायेगा तो मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि वह इस आंदोलन को तब तक समाप्त नहीं कर सकती है जब तक उत्तरांचल को प्रदेश का दर्जा नहीं दे देगी ।

मान्यवर, सरकार की ओर से अब यह कहा जाता है कि पहाड़ में जो आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये गये थे उन्हें वापस ले लिया गया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितने केसों को वापस लिया है ? इसलिये मैं चाहता हूं कि इस दौरान जितने लोगों के खिलाफ उत्पीड़न के मुकदमें चलाये गये थे उन सभी को वापस लिया जाय और तत्कालीन जिलाधिकारी को बर्खास्त किया जाय तभी वहां शांति स्थापित हो सकती है । इन बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं ।

* श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । जैसा कि आपको मालूम ही है उत्तराखण्ड आन्दोलित था, पूरा जनमानस इस आन्दोलन से जुड़ा हुआ था भावनात्मक ढंग से । अहिंसात्मक ढंग से यह आन्दोलन चल रहा था और वहां का हर नर-नारी, माता, बुजुर्ग और बच्चे उससे जुड़े हुए थे और यह मानकर चल रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित किया है और उनके उसी प्रस्ताव पर जोर देने के लिए वह सब दिल्ली जा रहे थे । किन्तु बीच में मुजफ्फरनगर में यह जो काण्ड हुआ, उससे हमारा सर शर्म से झुक जाता है । यह कांड जिस निम्न स्तर पर हुआ और उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को आज तक बर्खास्त नहीं किया गया है । यदि प्रदेश सरकार ने उन्हें रोकने का आदेश नहीं दिया तो उन्हें क्यों रोका गया और किसके कहने पर रोका गया ?

यह सारे समाज में एक अत्यन्त अमानवीय व्यवहार हुआ है और इसमें सारी सीमायें पार हो गयी थीं । यह दुखद घटना ऐसे समय में हुई जब लाखों लोग करोड़ों रुपया व्यय करके आपके ही प्रस्ताव को मनवाने के लिए दिल्ली जा रहे थे । ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि उनको रोका गया और मातृशक्ति के साथ इतना वीभत्स दुर्व्यवहार किया गया । मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इसके लिए उत्तराखण्ड की जनता उत्तर प्रदेश सरकार को बरदास्त करने की स्थिति में नहीं है । वहां किसी भी व्यक्ति का इस सरकार के प्रति विश्वास नहीं रह गया है ।

इस सरकार को सारे के सारे लोग वहां अविश्वास की दृष्टि से देख रहे हैं । इसलिए हमारा नैतिक दायित्व है और हमारे मुख्य मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था यदि थोड़ी भी इन लोगों में मानवता होती । मैं जानना चाहता हूं कि इतने बड़े अमानवीय काण्ड के लिए दोषी डी० एम० और एस० पी० को क्यों नहीं बरखास्त किया गया है अब तक । ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं, ऐसा कौन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सा कार्य वह लोग करने जा रहे थे कि निहत्थे लोगों पर निर्लज्जता पूर्वक लाठियां चलाई गई और महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए । ऐसे समय में जब पूरा उत्तराखण्ड उद्वेलित था और दो तारीख को इस घटना तक अहिंसक था । एक ओर यह काण्ड हुआ और उसके बाद पहाड़ पर कोटद्वार, अगस्तमुनि, लैंसडाउन, उत्तरकाशी और देहरादून आदि स्थानों पर कर्फ्यू लगा दिया गया और इसके दौरान भी उनके साथ अत्याचार किये गये । इन तमाम बातों के लिए यह सरकार दोषी है । इसमें किसी भी प्रकार की शर्म नहीं है । इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाय वह कम है । इन पर हम सब लोगों को विवेचना करनी होगी ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अब सिर्फ सार्वजनिक रूप से माफी मांगने से काम नहीं चलने वाला है, उन लोगों के पुर्नवास की व्यवस्था भी की जानी चाहिए । जिनके साथ ज्यादती हुई है, उनके आश्रितों को 10-10 लाख रुपया दिया जाना चाहिए । यहां जो नरसंहार हुआ है, उसमें पराकाष्ठा समाप्त कर दी गई है । मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इन बिन्दुओं पर ध्यान दे और उनके प्रति संवेदना ही न प्रकट करे, बल्कि नैतिक आधार पर इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए ।

* श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे एक दर्दनाक और दुखद घटना पर चर्चा करने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं । मान्यवर, पहाड़ की माता, बहिन और बेटियां जो कि 15-15 किलोमीटर दूर से पानी सिर पर रखकर लाती हैं । सुबह उठती हैं । गाय भैंस के लिये घास लेने जाती हैं, खेतों में काम करती हैं । अपने खून और पसीने से उन्होंने पहाड़ की ऊंचाइयों और समाज को जीवित रखा है, अपने त्याग और तपस्या के बल पर इस देश के स्वाभिमान को जीवित रखा है । इन के बच्चों के हाथों में आज काम नहीं है, वह विकास के लिये तड़प रहे हैं । जिनकी आंखों में एक सपना था कि हमारा देश आजाद होगा और उस आजाद देश में हमको विकास की रोशनी दिखाई देगी ।

मान्यवर, लोकतंत्र में उनको मालूम था कि जो दिल्ली में सरकार बैठी है, उत्तर प्रदेश में सरकार बैठी है उन्होंने सुना था वह सरकार हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है । इस देश का प्रधानमंत्री कोई नौकरशाह नहीं है । इस देश का प्रधानमंत्री हमारे मतों से, हमारे विश्वास से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है । यह माताएं, बहनें अपने विकास के लिए अलग राज्य का सपना लेकर दिल्ली की ओर जाना चाहती थीं । उनको क्या मालूम था कि जो सपना लेकर वह दिल्ली की ओर जा रही हैं, जो बात कहने के लिये प्रधान मंत्री तक पहुंचना चाहती हैं उसके लिये उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जायेगा, उनका अपमान ही नहीं किया जायेगा बल्कि उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ भी किया जायेगा ।

यह अपमान केवल पहाड़ की महिलाओं का नहीं है, यह अपमान तमाम उत्तर प्रदेश की बहुओं, बेटियों का नहीं है । यह पूरे देश का अपमान है । इस भारत मां की सीताओं का अपमान है, द्रोपदियों का अपमान है, इस भारत की लक्ष्मीबाई का अपमान है । जिस देश के अन्दर अगर द्रोपदी का चीर हरण दुःशासन ने किया था, उस दुःशासन के हाथ काट दिये गये थे और जिसकी वजह से महाभारत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुआ था । सीताहरण हुआ था तो सोने की लंका जला दी गई थी । मान्यवर, यह उसी देश का अपमान है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब अंग्रेजों का शासन था उस समय वारेन हेस्टिंग्ज गर्वनर जनरल हुआ करता था । उन्होंने भारत की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके आदेश से भारत की जनता के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया । हाउस आंफ लार्डस में उनके खिलाफ महाभियोग चला था ।

हमने मान्यवर, जलिया वाला बाग का नाम सुना है । मान्यवर, वहां जनरल डायर हमारा मित्र नहीं था वह हमारा शत्रु था अगर वह हमारी माताओं बहनों के साथ कोई दुर्व्यवहार करता तो वह शत्रु था लेकिन हमारे मित्रों के द्वारा, अपनी चुनी हुई सरकार के द्वारा अपनी माताओं, बहनों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है, यह बहुत दुखद है। मुजफ्फरनगर की घटना के बारे में मैं डीटेल में नहीं जाना चाहता । अगर वहां पर महिलाओं को जाने से रोका गया तो इसकी सूचना तो प्रशासन के पास पहले से ही थी कि वह एक रैली कर रहे हैं जिसमें महिलाएं भी प्रदर्शन में भाग लेने जा रही हैं, वहां पर महिला पुलिस की व्यवस्था की जानी चाहिए थी लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी ।

डी० आई० जी के सामने एस० पी० के सामने बसों से खींचकर गन्ने के खेतों में ले जाया गया । जब यह दरिन्दे हमारी माताओं-बहनों की इज्जत के लुटेरे, माता बहनों की इज्जत को लूट रहे थे तो माता-बहनें कह रही थीं भाई मुझको गोली मार दो, लेकिन मेरी अस्मिता के साथ खिलवाड़ मत करो । कोई कब मरना चाहता है वह माता-बहनें मरने को तैयार थीं लेकिन अपनी अस्मिता खोने को तैयार नहीं थी । उनको क्या पता, जिनको वह भाई कहकर पुकार रही हैं वह लुटेरे हैं । उनके सिर पर राक्षसीपन सवार है । यह डा० लोहिया की बात करते हैं वह देश के माननीय नेता रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं । डा० लोहिया के जमाने में कोचीन की मेयानू पिल्लई की सरकार ने जनता पर गोलियां चलाई तो डा० लोहिया ने अपनी सरकार को भंग करने का निर्देश दे दिया । एक मात्र ऐसी सरकार लोहिया जी की थी । ग्वालियरमें छात्रों के ऊपर गोपीकृष्ण की सरकार ने गोलियां चलाई तो तत्कालीन गृहमंत्री बल्लभ भाई पटेल ने उस सरकार को इस्तीफा देने को बाध्य किया । ऐसे मुख्य मंत्री और मंत्री इस देश में रहे हैं । लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल की दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया ।

बड़े गर्व से हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अगर किसी के साथ बलात्कार हुआ होगा वो सत्य पाया जायेगा तो मैं देश के सामने माफी मांग लूंगा । मान्यवर, सी० बी० आई० ने हाई कोर्ट के अन्दर 17 महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार को स्वीकार किया । सात महिलाओं के साथ बलात्कार को स्वीकार किया गया । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं हमारी बहुत सी माता-बहनें आपकी बहनें हैं हमारे समाज के अन्दर, अपनी इज्जत के कारण, अपने सम्मान के कारण, सिपाही के सामने बयान नहीं दे पाई कि हमारी इज्जत लूट ली गई है । केवल 17 महिलाओं के साथ ही नहीं अधिकांश महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनकी इज्जत लूट ली गई ।

मान्यवर, उत्तराखण्ड में पचास से अधिक लोगों की हत्या हुई । सरकार ने तो कम लोगों के मरने की सूचना दी है । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड में पचास से अधिक लोग शहीद हुए हैं । एक सितम्बर, 1994 को खटीमा में प्रताप सिंह, भुवन सिंह, सलीम, परमजीत सिंह तथा 2 सितम्बर, 1994 को मंसूरी में बेलमति चौहान, हंसा धनाई, रायसिंह बंगारी, धनपत, मदन मोहन ममगाई, बलवीर सिंह,

उमाशंकर त्रिपाठी (पुलिस के उप अधीक्षक) 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में वीरेन्द्र रावत, पंकज त्यागी रामगोपाल, सतिन्दर चौहान, राजेन्द्र सिंह, बालगोविन्द उनियाल, अतुल त्यागी, ओम नागपाल, तीन अक्टूबर को देहरादून में राजेश रावत यह युवाजन के राष्ट्रीय महा सचिव थे मैं भी युवा छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं, वह भी अध्यक्ष रहे, राजीव मोहन, दीपक वालिया इन पर गोलियां चलाई गई । तीन अक्टूबर को नैनीताल में प्रताप सिंह विष्ट अक्टूबर में ही पौड़ी में जोगा सिंह दुग्गल पर गोलियां चलवाई गई । 50 से अधिक लोगों की हत्या मुठभेड़ के दौरान इस सरकार द्वारा कराई गई हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस सरकार के अन्दर नैतिकता है, हमारे सत्ता पक्ष के लोग बड़ी नैतिकता की बात करते हैं । यह पहाड़ के लोगों को देशद्रोही कहते हैं । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पहाड़ के लोगों को देशद्रोही कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है । इस देश में एक माया त्यागी काण्ड हुआ था तो पूरे देश की सरकार की चूलें हिल गई थीं । आपमें अगर जरा सी भी नैतिकता है, जनता की चिन्ता है तो देर आए दुरस्त आए की कहावत चरितार्थ करते हुए तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए । मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है । यह सरकार महिलाओं के बलात्कार की दोषी सरकार है इसके हाथ खून से सने हैं और यह बात सी० बी० आई० द्वारा भी साबित हो गई है । इसलिए इस सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, सत्ता पक्ष के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मेरी बातों को सुना । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री हरबंश कपूर–

मान्यवर, मा० रमेश पोखरियाल "निशंक" मा० हरक सिंह रावत, आदि पूर्व माननीय सदस्यों के विस्तार से इस घटना का वर्णन किया है । जिसका बार-बार वर्णन करने से हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। मान्यवर, आज उत्तरांचल का क्षेत्र पिछले आठ महीनों से उद्वेलित है । वह अपनी बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहा है । वहां एक-एक बच्चा, एक-एक पुरुष, एक-एक महिला इस लड़ाई में शामिल है ।

मान्यवर, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्तारूढ़ थी तो उसने प्रथम पर्वतीय राज्य का प्रस्ताव पारित किया था और उसे केन्द्र को भेजा था । उसके पश्चात् इस सरकार ने भी प्रस्ताव पास कर केन्द्र को भेजा है । आज पर्वतीय क्षेत्र में पृथक उत्तरांचल की लड़ाई चल रही है । वह बेरोजगारों की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है । मान्यवर, दो अक्टूबर को दिल्ली में रैली आयोजित की गई थी और उस रैली में हम अपनी बात कहने जा रहे थे, उस दिन जो घटना घटित हुई उसका वर्णन करने में बड़ा ही दुख होता है । हम क्या उम्मीद कर सकते हैं उस सरकार के जिलाधिकारी से जिसने यह कहा कि कोई महिला अगर रात को 12.00 बजे सुनसान सड़क पर जाती है तो वह बलात्कार को आमंत्रण देती है । यह इस सरकार का आदर्श है। मुझे ध्यान है । माननीय कल्याण सिंह जी कहा करते थे कि मैं तब मानूंगा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो गयी है जब एक महिला रात को भी हजरतगंज की सुनसान सड़कों से गुजर जाए और उस पर कोई उंगली न उठा सके ।

मान्यवर, इतना अन्तर है दोनों मुख्य मंत्रियों के चिन्तन में एक मुख्य मंत्री के अधिकारी कहते हैं कि जो महिला रात में सड़क पर जायेगी वह बलात्कार को आमंत्रण देगी और दूसरा मुख्य मंत्री कहता

कि अगर कोई किसी महिला पर उंगली उठायेगा तो मैं समझूंगा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है ।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने राष्ट्र से एक वायदा किया था कि अगर मुजफ्फरनगर कांड में कोई बलात्कार की घटना सामने आती है, वह राष्ट्र से माफी मांगेंगे और अपना इस्तीफा दे देंगे । मान्यवर, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और सी० बी० आई० ने इस बात को साफ कर दिया है कि 2 अक्टूबर को 17 महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है और 7 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है । मुख्य मंत्री जी ने, जिन्होंने माफी मांगने और अपना इस्तीफा देने की बात कही थी,अगर इस सरकार में जरा भी शर्म होती तो स्वतः इस्तीफा देती ।

मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद यह सरकार कोई भी तरीका क्यों न आजमा ले, इस सरकार को जाना है, वैसे भी यह सरकार अल्पमत की सरकार है । मान्यवर, जिस प्रकार से डाक्टर हरक सिंह ने बताया, लगभग 50 से अधिक नवयुवक आज भी लापता हैं । मैं जानना चाहता हूं कि देहरादून के राजेश नेगी का पता क्या है, उसका आज तक कोई अता-पता नहीं है । कोई यह बताने के लिये तैयार नहीं है कि वह कहां है ? इसी प्रकार से तमाम ऐसे नवयुवक हैं जिनका आज तक कोई अता-पता नहीं है ।

(माननीय हरी किशन श्रीवास्तव के नेता विरोधी दल के आसन पर बैठने पर ।)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, संसदीय परम्परा है कि माननीय नेता विरोधी दल के आसन पर नहीं बैठना चाहिये ।

श्री हरी किशन–

ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई बैठ नहीं सकता ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, संसदीय परम्परा है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के आसन पर कोई नहीं बैठता । यह परम्परा आज से नहीं बहुत दिनों से है ।

श्री अधिष्ठाता–

परम्परा तो यही रही है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के आसन पर किसी दूसरे को नहीं बैठना चाहिये ।

श्री हरीकिशन–

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं यहां गुप्ता जी से बात करने के लिये बैठ गया था अगर आपका निर्देश है तो मैं बात नहीं करता हूं, चला जाता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय हरीकिशन जी की इच्छा पूरी करवा दें । जहां पर वह बैठ गये हैं वहां वह बैठना चाहते हैं, माननीय गुप्त जी, उनकी इच्छा पूरा कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

वह तो राजेन्द्र जी पर है कि आपके सुझाव पर वह कितना ध्यान देते हैं।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि पहाड़ के लोगों को देशद्रोही कहा जा रहा है।

इस सदन के माननीय सदस्यों को यह मालूम नहीं है कि पहाड़ के प्रत्येक परिवार से कम से कम एक सदस्य फौज में है। प्रत्येक परिवार में आधे से अधिक सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने फौज में सेवा की है। माननीय सदस्य को शायद यह भी मालूम नहीं है कि पहाड़ की महिलायें जंगल अकेले जाती हैं और पशुओं को चारा लाती हैं और इतनी बहादुर होती हैं कि कभी-कभी शेर का शिकार करके लाती हैं। तो मान्यवर, ऐसे देश भक्तों को देश द्रोही कहा जाये, इस पर मुझे आपत्ति है। जो घटनायें हुयीं हैं, उनके बारे में सारे तथ्य सी० बी० आई० ने उजागर किये हैं और उनको जनता के सामने ला दिये हैं।

अगर यह सरकार अब भी सन्तुष्ट नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि विधायकों की एक सर्वदलीय समिति बना दी जाये, जो क्षेत्र में जाकर पूरी स्थिति की जानकारी करे, जिससे जो भी शंका किसी के मन में हो, उस को दूर किया जा सके, परन्तु यह जरूर है कि अगर सरकार दोषी पायी जाती है, तो सरकार को अपने आप इस्तीफा दे देना चहिये और ऐसी नौबत न आये कि उच्च न्यायालय जब निर्देश दे, तब सरकार इस्तीफा दे और अपना मुंह दिखाने लायक न रह जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री केदार सिंह फोनिया–

मान्यवर, उत्तराखण्ड में पिछले दिनों जो कुछ हुआ, उससे सभी माननीय सदस्य अवगत हैं। मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहे की घटना सभी लोग जानते हैं, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर की घटना के खून के जो धब्बे हैं, उनको मिटाने का प्रयास किया। लेकिन ये धब्बे इस सरकार के चेहरे के दाग बन गये हैं, अब वह दाग कैसे मिटें। इस पर चिन्तन इस सरकार को करना है। इस देश की समस्त जनता से माफी मांगें, माफी मांगे उत्पीड़ित महिलाओं से और पीड़ित आन्दोलकारियों से, या यह सरकार इस्तीफा दे। इनको कुछ सोंचना चाहिये और कुछ चिन्तन करना चाहिये।

मान्यवर, हम लोग यहां पर एक दूसरे की भलाई के लिये आये हैं। हमारे मतदाताओं ने हमें यहां पर इस दृष्टिकोण से भेजा है कि हम उनकी भलाई की बात सोंचेंगे। मेरे माननीय साथियों ने विस्तार से विवरण दिया और मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी माताओं और बहनों के आंसू नहीं सूखे हैं और इस सरकार ने एक भारी साजिश के अन्तर्गत एक बहुत बड़ा आघात उत्तराखण्ड की आर्थिक व्यवस्था पर कर दिया। मुजफ्फरनगर की घटना षड़यंत्र की बड़ी चेन की एक कड़ी है। प्रयास यह किया जा रहा है कि उत्तराखण्ड के मनोबल को तोड़ दिया जाये।

यह षड़यन्त्र नहीं है तो क्या है ? षड़यन्त्र का पहला पहलू यह था कि उत्तराखंडियों का मनोबल तोड़ दिया जाय और षड़यंत्र का दूसरा पहलू यह है कि उत्तराखण्ड की आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त की जाये। इसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं।

मान्यवर, उत्तराखण्ड में कोई उद्योग धन्धा नहीं है, खेती भी बहुत अल्प किस्म की होती है। फलफूल होते हैं और अधिकांश लोग नौकरी पर निर्भर रहते हैं लेकिन एक बहुत बड़ा उद्योग हमारे पास है, और पर्वतीय क्षेत्र के 50 प्रतिशत व्यक्ति उसी उद्योग पर पलते हैं लकड़ी बेचकर, सब्जी बेचकर, जगह-जगह पर भोजन चाय बेचकर और अपने मैदानी क्षेत्र से आये हुए भाइयों की सेवा करके पर्यटन व्यवसाय और यात्रा व्यवसाय से। इस पर्यटन व्यवसाय के बढ़ावा के लिए कांग्रेस सरकार में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र में एक अलग से महानिदेशक का कार्यालय खोला था, महानिदेशक पर्यटन। एक बहुत बड़ी चीज मैं कह रहा हूं कि अभी हमारी बहनों के आंसू भी नहीं सूखे थे आन्दोलन कारियों के घाव नहीं भरे थे कि इन्होंने इस पर्यटन निदेशालय को बन्द कर दिया। इससे पर्यटन व्यवसाय को बहुत बड़ी क्षति होने की संभावना है। पिछले 3 साल से इस निदेशालय ने बहुत बड़े-बड़े काम किये थे।

तीसरा, पर्यटन व्यवसाय में एक बहुत बड़ी चीज यह है कि पर्यटक क्षेत्र में भारतीय पर्यटक भी आये और विदेशी पर्यटक भी आये औली स्कीइग का बहुत बड़ा केन्द्र बन चुका है। बर्फ में फिसल कर खेल करना स्कीइग कहलाता है। इसी 22 फरवरी, को स्कीइग की अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन उसी पर्यटन महानिदेशालय ने किया था। इसमें 18 आदमी यूरोप से आने वाले थे, 84 आदमी अमेरिका से आने वाले थे और 65 लोग आस्ट्रेलिया और जापान से आने वाले थे। एक बहुत बड़ा मेला होने वाला था और अपने भारत मुल्क के दो हजार खेल प्रमियों का जमावड़ा होने वाला था। भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मेला 7 दिन का होने वाला था। उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश का ही पर्वतीय क्षेत्र है। इसको वर्ल्ड वाइड कवरेज मिलना था। जी० टी० वी०, स्टार टी० वी०, दूरदर्शन सभी जाने वाले थे। और उत्तर प्रदेश मान्यवर, विश्व के पर्यटन के नक्शे में प्रथम स्थान लेने वाला था लेकिन इस सरकार ने सोचे समझे षड़यंत्र के तहत उस प्रतियोगिता को भी निरस्त कर दिया। यह उत्तराखण्ड पर तीसरा प्रहार है।

मान्यवर, पहला प्रहार मुजफ्फरनगर, दूसरा प्रहार महानिदेशालय को बन्द करना और तीसरा प्रहार इस प्रतियोगिता को बन्द करना अब चौथा प्रहार फिर होने वाला है, उत्तराखण्ड पर। मान्यवर, उत्तराखण्ड की धरती देवी देवताओं की धरती है, इस धरती को बेचने की साजिश हो रही है। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने एक पर्यटन नीति बनाई है। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं, इसमें मैं आपको बताऊंगा उस पर गौर करिये, मनन करिये।

उस नीति का एक अंग यह है कि जो पूंजीपति बम्बई से, दिल्ली से, कलकत्ता से या लन्दन से आकर के उत्तराखण्ड में कोई पर्यटन स्थल डेवलप करेंगे तो उसको वहां की भूमि चाहे किसी भी विभाग की हो। चाहे वह सिंचाई विभाग, म्युनिसपल बोर्ड की जमीन हो या किसी भी विभाग की जमीन हो, उस भूमि को उस इन्टरप्रिन्यूर को बाजार भाव के 20 प्रतिशत दाम पर दिया जायेगा। भूमि के चारों ओर जो हरित भूमि बाकी होगी, वह हरित क्षेत्र के नाम पर उस इन्टरप्रिन्यूर को निशुल्क दी जायेगी। मंसूरी

में एक जार्ज एवरेस्ट इस्टेट है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 3 करोड़ रु० की है, कोई बम्बई की पार्टी है जिसको इस इस्टेट को बेचने की साजिश है उसको 20 प्रतिशत कीमत पर बेची जायेगी । इस तरह से कीमत में 80 प्रतिशत का गेप रखा गया है । उसे सौदेबाजी के लिये रखा गया है ।

उत्तराखण्ड की भूमि को, तीन करोड़ की भूमि को, 20 प्रतिशत के हिसाब से 60 लाख रु० में बेचने की साजिश की जा रही है । ताकि उत्तराखण्ड वासी उसे पर्यटन के लिये वहां पर कुछ बना न सके । इसी प्रकार पिथौरागढ़ में जो हरित क्षेत्र है उस सारे क्षेत्र को बेचने की साजिश की जा रही है, 20 प्रतिशत दाम पर । हमारे होम टाउन में जोशीमठ में, वहां पर ओली के स्नो फील्ड हैं उसको भी बेचने की साजिश हो रही है 20 प्रतिशत दाम पर । इसलिये कहता हूं कि मुजफ्फरनगर की घटना जो है अकेली नहीं है, पूरे उत्तराखण्ड सामाजिक एवं आर्थिक संहार की योजना इस सरकार के द्वारा बना दी जा रही है क्योंकि पिछले इलेक्शन में इस सरकार को 100 प्रतिशत वहां की जनता द्वारा नकार दिया गया था । यह उसका बदला लेने की साजिश है। और इस तरह की साजिश मानवता पर इस तरह का दमनचक्र जो सरकार करना चाहती है उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं होता है । धन्यवाद ।

समय 8 बजकर 20 मिनट

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मैं निर्दलीय विधायक हूं, अकेला खड़ा हूं, सुन लें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अगर इन्हें बुलाना चाहें तो बुला लें, मैं बाद में बोल लूंगा ।

* श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि प्रस्तुत चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है । और घटना जब घट जाती है तो उसके लिए सीधे-सीधे सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है । यह देखा जाता है कि घटना घटित होने के बाद सरकार का रुख क्या रहा, क्या कार्यवाही हुई ? मान्यवर, घटनाएं तो बहुत बड़ी-बड़ी हुई हैं । मुजफ्फरनगर में भी कुछ हुआ मैं वहां पर गया तो नहीं लेकिन अखबारों में मैंने पढ़ा ।

मेरा सौभाग्य है कि मैं इलाहाबाद का निवासी हूं और वहां पर उच्च न्यायालय है। वहां पर प्रकरण आया हुआ था जिसके कारण मुझे कुछ जानकारी हुई । 2 अक्टूबर को यह घटना घटित हुई । अब यह देखा जाता है कि सरकार का रुख क्या है ? सरकार न्याय कर रही है या आंख मूंदें बैठी है । 6 अक्टूबर को जस्टिस रामेश्वर सिंह की अध्यक्षता में जांच बिठायी गयी और 7 तारीख को नोटिफिकेशन हो गया । इससे सरकार की मंशा जाहिर हो गयी कि सरकार कितनी संवेदनशील है । मान्यवर, यही नहीं 8 अक्टूबर को प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि इस घटना की सी० बी० आई० से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जांच करायी जाये इससे प्रदेश सरकार की मंशा जाहिर हो जाती है कि इसकी नीयत कितनी साफ है। 5 दिसम्बर को सी० बी० आई० की रिपोर्ट भी आ जाती है। मान्यवर, 3 जनवरी को जब उच्च न्यायालय में उस रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़े गये और प्रदेश सरकार को उसमें ऐसा लगा कि इसमें एस० पी० और डी० एम० का हाथ है तो अदालत के बिना किसी निर्देश के उन्होंने तत्काल डी० एम० और एस० पी० को हटा दिया।

मान्यवर, इन आइ० ए० एस० और आई० पी० एस० अफसरों के लिए सरकार कितना कर सकती है वह तो आप जानते ही हैं, प्रदेश सरकार ने जो किया उसे हटा दिया जबकि उच्च न्यायालय से कोई निर्देश भी नहीं आया। मान्यवर, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि किन कारणों से जो मामला माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है उस पर यहां इस सदन में चर्चा की जा रही है। जो प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में था उसने वह किया। इससे साफ जाहिर होता है कि इस सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। जो भी गलत होगा वह बख्शा नहीं जायेगा चाहे वह सरकार का साथी क्यों न हो। मान्यवर, इसको जो हवा दी गयी है वह इन्हीं लोगों द्वारा दी गयी। योजनाबद्ध तरीके से सरकार को चारों तरफ से घेरकर फर्जी आरोप लगा रहे हैं और फर्जी जानते हुए भी इस सरकार ने कार्यवाही की है। यह एक उदाहरण है किसी भी सरकार ने जिसकी जांच सी० बी० आई० कर रही हो और जो मामला माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित हो फिर भी कदम उठाया है। मान्यवर, अगर इनके अन्दर जरा भी बुद्धिमत्ता है, जरा भी सोच है तो यह प्रस्ताव को वापस ले लें।

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो मुजफ्फरनगर के संबंध में जो प्रस्ताव रखा है, मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर वे मेरे उत्तर से संतुष्ट हो गये हों जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है उसे वापस ले लें।

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर चर्चा हो रही है। जब सारा राष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्ष-गांठ मना रहा था, उसी समय इतिहास को कलंकित करने वाली घटना लिखी जा रही थी। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपिता की हत्या तो 30 जनवरी को हुई थी, पर अगर उनके विचारों की हत्या 1/2 अक्टूबर को हुई है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह अत्यन्त ही शर्मनाक और दुखद घटना घटी है, इस सच्चाई से कोई इन्कार नहीं कर सकता। यह घटना इतनी दुखद यदि न होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उत्तेजित न होते और यह न कहते कि बलात्कार की घटनायें यदि साबित हो जायेंगी तो समूचे राष्ट्र से क्षमा मांग लूंगा। मैं नहीं जानता, इसके पीछे उनका आशय क्या था ?

मानवाधिकार आयोग जो पूरी दुनिया में सम्मान के साथ देखा जाता है, उसने कहा कि बलात्कार की घटनायें वहां हुई। उसके बाद महिला आयोग आया, उसने एक-एक महिलाओं से बात की और बात करने के बाद यह बात सामने आई कि बलात्कार हुआ। मान्यवर, और बात तो छोड़ दें, भारतवर्ष की शीर्ष संस्था, जिस पर पूरा राष्ट्र विश्वास करता है, जिसे सी०बी०आई० कहते हैं। उस समय हम सभी ने कहा था कि सरकार अपने को इस दुखद घटना से अलग कर ले और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित कर दे, लेकिन मेरे सुझाव को नहीं माना गया और सरकार की तरफ से यह प्रयास किया गया कि कर्मचारियों/अधिकारियों की गलतियों पर पर्दा डाला जाय और उनकी रक्षा की जाय। नतीजा आज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सबके सामने है, आज इसके लिये सरकार भी उतनी ही दोषी है और उन लोगों के साथ कठघरे में खड़ी है।

मान्यवर, यदि इस घटना की तीव्रता का अहसास मुख्य मंत्री जी को न होता तो वह उत्तेजित होकर यह न कहते कि घटनायें साबित हो जायेगीं तो राष्ट्र से क्षमा याचना करूंगा। मैं नहीं जानता कि यह कब साबित होंगी, क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने कह दिया, महिला आयोग ने कह दिया, सी० बी०आई० ने भी कर दिया, लेकिन यह कहेंगे कि अभी न्यायालय ने नहीं साबित किया है। मान्यवर, न्यायालय के अन्दर वादकार तो आप ही बनेंगे, आप ही दोषियों को सजा देंगे। सी०बी०आई० भी जब जांच कर लेगी, तो पुलिस के साथ ही केस रजिस्टर करेगी। सी० बी० आई० ने यह कहा कि साक्ष्यों को मिटाया जा रहा है, साक्षियों को डराया जा रहा है। सी०बी०आई० की यह टिप्पणी की इस सरकार के राज में सच्चाई उभरकर सामने नहीं आ सकती, तो यह किस बात का इन्तजार कर रहे हैं। मान्यवर, यदि मुख्य मंत्री जी क्षमा मांग लेते तो इससे लोगों में उनका विश्वास ही बढ़ता, उनहोंने क्षमा न मांगकर पूरे राष्ट्र का अपमान किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि त्याग-पत्र देकर पूरे राष्ट्र से क्षमा मांग लें।

मान्यवर, मुझे यह कहते हुये बहुत ही दुख है कि यह घटनायें अनायास ही नहीं हुई, बल्कि यह सब एक सोची-समझी साजिश के तहत घटी। इससे पहले खटीमा में, मंसूरी में गोलीकाण्ड हुये, इन गोलीकाण्डों के लिये जब हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं तो मांग को नहीं माना जाता। बाद में जब तथ्य आते हैं और उच्च न्यायालय निर्देश देता है कि सी०बी०आई० से जांच करायें, तो यह मान्यवर, इस सरकार की सबसे बड़ी पराजय है। यदि पहले ही सी० बी० आई० से जांच करा ली जाती तो सरकार बेदाग होकर निकलती, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया,फिर उच्च न्यायालय को निर्देश देना पड़ा और जांच हुई। जांच से जो तथ्य सामने आये हैं, उसमें कहा गया है कि साक्ष्यों को मिटाया जाना ही अपने आप में एक अपराध है और इसके लिये सरकार दोषी है और यह सब एक कान्सपीरेसी के तहत हो रहा है।

मान्यवर, 1989, 91 तथा 94 के चुनाव परिणामों को देख लें, 1989 में इनके दल को भी बहुत कम स्थान मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सफलता मिली थी, 1991 में भी इनका जनाधार खिसका। हमारा दल तो 28 पर आ गया, जिसमें से 6 स्थान उत्तराखण्ड की जनता ने, पर्वतीय अंचल की जनता ने हमको दिये, इनके लिये यह अशुभ संकेत था, जब इनके सामने समस्या ही उत्पन्न हो गई तो उन्होंने बेमन से एक प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार को भेज दिया और जब यह सरकार में बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इन्होंने भी उनकी भावनाओं से खेला, बिना मन से बिना संविधान सम्मत एक प्रस्ताव भेज कर छुट्टी कर लिया।

मैं एक सवाल पूछता हूं कि सचमुच आप उनका हित चाहते हैं आप उत्तराखण्ड में जिला, तहसील व विकास खण्ड क्यों नहीं बनाते हैं ? प्रदेश केन्द्र सरकार बनायेगी, पर जिला, तहसील, एवं विकास खण्ड बनाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होती है। अगर आप पर्वतीय जनता के सचमुच शुभ चिन्तक हैं तो पर्वतीय अंचल में जनपदों की घोषणा क्यों नहीं करते हैं, तहसील व विकास खण्ड क्यों नहीं बनाते हैं। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कथनी और करनी में अन्तर रखने वाला दल हिन्दुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का यह आचरण दुर्भाग्यपूर्ण है।

....घोर/व्यवधान

(श्री रंगनाथ मिश्र जी के कुछ बोलने पर)

श्री रंगनाथ मिश्र जी का यह आचरण ठीक नहीं है। अधिष्ठाता महोदय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है। मान्यवर, मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ वह एक षडयंत्र के तहत हुआ है क्योंकि लगातार इनका जनाधार खिसक रहा है, मण्डल मुद्दा ठंडा पड़ने लगा तो आरक्षण के मुद्दे पर इन्होंने पहाड़

बनाम मैदान कराने की ठान ली । भारतीय जनता पार्टी के राजनैतिक चुनाव के इतिहास को देखें तो जब तक ये लाशों के व्यापारी नहीं बने हैं तब तक सफलता का दरवाजा इन्हें नहीं मिला है । इसी षडयंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने चुनौती दे डाली कि जो लोग दिल्ली की रैली में आये वह अपने हथियार लेकर आये । उधर अपनी सरकार से यह बता दिया कि जो लोग आ रहे हैं उनकी तलाशी लेकर दिल्ली आने दिया जाये ।

मान्यवर, एक तरफ संसद सदस्य ने यह कह दिया कि अपने हथियार लेकर आओ दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार ने सांसद के कहने पर यह निर्णय लिया कि वहां पर तलाशी ली जाये । अब प्रदेश सरकार के सामने असमंजस की स्थिति आ गयी । मान्यवर, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर की घटना इनकी षडयंत्र का परिणाम है । अधिष्ठाता महोदय, [xxx]

श्री रंगनाथ मिश्र–

[xxx]

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करता हूं कि अगला चुनाव वह हमारे क्षेत्र से लड़ जाये, अगर वह चुनाव जीत कर आ जायें तो उन्हें मैं सजा सवांरकर रखूंगा जैसे आर० एस० एस० वाले रखते हैं ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मुझसे आप क्या चुनाव लड़ेंगे, पहले आप इलाहाबाद.....शोर/व्यवधान

श्री प्रमोद तिवारी–

अधिष्ठाता महोदय, दंगल का यह नियम है कि बराबरी वाले से ही लड़ा जाये ।आप मुझे चुनौती देने चले आये हैं, भूल से विधायक बन गये हैं मैं पांच बार विधायक रहा हूं ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

यह हमसे मुकाबला करने में सक्षम नहीं है इसलिये यह ऐसी बात कह रहे हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं जब मुकाबला करूंगा तो पुरूषों से मुकाबला करूंगा, बहादुरों से मुकाबला करूंगा, [x x x] से मुकाबला करूंगा, बहादुरों से मुकाबला करूंगा, [शिखण्डियों] से मुकाबला नहीं करूंगा ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, इन्होंने एक शब्द [शिखण्डी] कहा है । मैं कहना चाहता हूं कि इधर पाण्डव बैठे हुये हैं, उधर सत्ता पक्ष कौरव बैठे हुये हैं, बीच में बैठने वाले माननीय प्रमोद जी [शिखण्डी] हैं । मान्यवर, एडस के रोग से पूरा हिन्दुस्तान त्रस्त है, इसलिए एडस के रोगी [प्रमोद तिवारी जी] को सदन से निकलवाइये, वरना यह रोग फैल जायेगा । ....

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं सिर्फ इनको यह बताना चाहता हूं कि इनके परिवार के सदस्यों ने जो इन्हें यह सूचना दी है, वह गलत है। मुझे कोई ऐसा रोग नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

इतनी गम्भीर बहस हो रही है। इसलिये आप कृपा करके शांत रहिये।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, यह मेरी चुनौती को स्वीकार करें तो इनको पता चल जायेगा कि इनकी हैसियत क्या है। मैं इनके इतिहास को पूरी तरह से जानता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं इनके इतिहास को ही नहीं अपितु इनके भूगोल को भी जानता हूं। दिक्कत यह है कि ये लोग दूसरों की बात को सुनने के आदी नहीं हैं और लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है।

श्री रंगनाथ–

लोकतंत्र में आपकी कितनी आस्था है, यह हम भलीभांति जानते हैं। एक तरफ तो श्री नारायण दत्त तिवारी जी को गाली दी जा रही है तो दूसरी तरफ आप सरकार को समर्थन दे रहे हो।

(श्री हरवंश कपूर व श्री बची सिंह रावत के खड़े होने पर – व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैंने खण्डूरी जी का नाम तो अभी लिया नहीं।

श्री हरवंश कपूर–

जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम लिया गया है, इसलिये उसे सदन की कार्यवाही से निकाला जाय। (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मुझे संरक्षण दीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री तिवारी जी आप विषय पर ही बोलें।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, श्री तिवारी जी केवल उत्तराखण्ड पर ही बोले किसी दूसरे दल के बारे में नहीं बोलें।

(श्री हरवंश कपूर व श्री बची सिंह रावत जी के खड़े रहने पर – व्यवधान)

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी इस समस्या पर कितने गम्भीर हैं यह इनकी बातों से लग जाता है।

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं गम्भीरतापूर्वक इतना ही कहना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल हमारे देश की सीमाओं पर स्थित है उसकी संवेदनशीलता पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। वहां कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जिससे अलगाववाद को बल मिले क्योंकि जिस देश की सीमाओं से जो हमारा पर्वतीय अंचल मिला हुआ है उस देश से हमारे बहुत मित्रतापूर्ण संबंध नहीं हैं। हमे अपने पर्वतीय अंचल के लोगों पर गर्व है और गौरव करना चाहिए वहां की जनता पर, वहां के वीरों पर। वहां कोई ऐसी बात नहीं होने पाये जिससे वहां की बहादुर जनता को कष्ट हो। हमें गौरव है हमारे दल के तीन-तीन मुख्य मंत्री वहां से हुए चाहे माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा हों, या माननीय नारायण दत्त तिवारी जी हों या माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त हों जिन पर हमें पूरा गर्व है, वहां से अच्छे से अच्छे प्रशासक मिले हैं, वहां से हमें बहादुर सैनिक प्राप्त हुए हैं। उस जनता का सम्मान किया जाना चाहिए।

इस कांड के सभी तथ्यों की जानकारी के लिये यह उचित होगा कि सी० बी० आई० को सरकार द्वारा पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाय, जो सहायता उनको चाहिए वह दी जाय ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। उचित यह होगा कि इस सदन की एक सर्वदलीय समिति बना दी जाय। वह वहां जाकर छानबीन करे और उसके बाद उन तथ्यों से आपकी पीठ को अवगत कराये। इन शब्दों के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सी० बी० आई० की रिपोर्ट न्यायालय में आ चुकी है, न्यायालय ने पढ़ ली है वह न्यायालय की सम्पत्ति का अंग बन गयी है।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि पर्वतीय जनता की भावना का आदर किया जाय और उसके साथ जो अलगाववाद की बात की जा रही है वह समाप्त हो, जिस तरह से इस बात का राजनीतिकरण किया जा रहा है वह भी दबाया जाय और वहां लगी हुई आग को बुझाया जाय जो सुविधायें वहां के लोगों को मिली, पूर्व की सरकारों द्वारा वह दी जायं। जो दो प्रतिशत का आरक्षण वहां के लोगों को मिलता था जिसे पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त किया, उसे दिया जाय। इनके पास उसका कोई जवाब नहीं है वह क्यों समाप्त किया गया है ?

श्री प्रताप सिंह यादव–

मान्यवर, आज मुजफ्फरनगर काण्ड पर चर्चा के लिये आपने समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री बची सिंह रावत–

इस चर्चा का लाभ क्या हुआ जब हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला, हम वहां के विधायक हैं हमें समय क्यों नहीं मिल रहा है ?

* श्री प्रताप सिंह यादव–

मान्यवर, अभी तक यही पक्ष बोला है हमें भी मौका दें। यह अभी तक जितना बोले हैं सब बलात्कार पर ही बोले हैं चाहे गुप्ता जी हों या हरक सिंह रावत जी हों लेकिन जहां तक मुजफ्फरनगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की घटना का सवाल है मैं उस दिन देहरादून से आ रहा था मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। हरिद्वार से ।। बजे भीड़भाड़ मिलना शुरू हुई। मान्यवर, देहरादून से जब रुड़की को आते हैं तो दो रास्ते निकलते हैं एक रास्ता सीधे मुजफ्फरनगर को जाता है दूसरा नहर के रास्ते जाता है। चूंकि रैली जा रही थी जबर्दस्त भीड़ थी मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था किसी तरह से मुझे रास्ता मिल गया और नहर के किनारे से रुड़की पहुंचा। जब रुड़की पहुंचा तो एक टोली आगे जा चुकी थी, वहां भी भीड़ थी, तो बैरियर लगा दिया गया जिसे पुलिस कर्मचारियों ने उठाया और देखा। सड़क पर 4-5 बसों की लाईन इकट्ठी हो गयी थी। तो अधिक से अधिक लोग बसों से उतरकर गंदे नारे लगाकर पुलिस पर नारे उछाल रहे थे, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके आगे जब टोली चली तो मुजफ्फरनगर भीड़ के साथ पहुंची तो जो घटना पीछे हुई थी वहीं क्रम वहां भी हुआ। एक दो किलोमीटर तक बसें लगातार खड़ी थीं और फिर पीछे धक्का मुक्की में यह घटना बनी।

मान्यवर, आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था और उसमें किसी ने एक ढेला फेंका तो एक जबरदस्त काण्ड बना था। उसी प्रकार यह काण्ड मुजफ्फरनगर में भी हुआ। हमारे एक भी माननीय सदस्य वहां हों तो उनसे पूछ सकते हैं।

मान्यवर, जहां तक इसमें बलात्कार की बात जो कही जा रही है वह सफेद झूठ है। जो कहा जा रहा है कि लोग मरे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि वहां खेतों में मुर्गों को मारकर कपड़े में लपेट कर खेतों में फेका गया है और सरकार को बदनाम किया गया है। इसलिये ऐसा वहां कोई काण्ड नहीं हुआ है।

मान्यवर, जहां पर आई० जी, डी० आई० जी० और पुलिस प्रशासन के अधिकारी हों वहां बलात्कार खींच कर नहीं होता है। लेकिन चूंकि आप लोगों को बलात्कार से लगाव है इसलिये उसको यहां लाकर हमारी सरकार को बदनाम आप लोग, भाजपा के लोग करना चाहते हैं और उन्होंने ऐसा कार्यक्रम बनाया था। मान्यवर, पहाड़ में जितने उपद्रव हुए हैं उसके यही भाजपा के लोग दोषी हैं।

मान्यवर, मैं अपने जिले की बात बताना चाहता हूं कि हमारे जिले में भाजपाईयों ने क्या-क्या बलात्कार किये हैं। (व्यवधान) इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुजफ्फरनगर काण्ड पर मुझे बोलने का समय दिया। सर्वप्रथम नेता कांग्रेस श्री प्रमोद तिवारी ने जो बातें रखी हैं उनके संबंध में कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो भाजपा सांसद के बारे में कहा है उसका मैं पुरजोर खण्डन करता हूं चूंकि वह हमारे सांसद यहां उपस्थित नहीं हैं इसलिये उन पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिये। मान्यवर, 2 अक्टूबर को पर्वतीय क्षेत्र के विधायक और 4 सांसद श्री खंडूरी जी के नेतृत्व में श्री राव, प्रधानमंत्री, से मिले थे और सारे तथ्यों से उनको अवगत कराया था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के नेता ने जो कहा है और आरोप लगाया है, वह बहुत ही लज्जा की बात है। इसका मैं खण्डन करता हूं।

मान्यवर, हमारे पूर्व सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने जो निराधार आरोप लगाया है और कहा है कि मुजफ्फरनगर में जैसा कहा जा रहा है वैसा नहीं हुआ था चूंकि घटना के समय हम वहां मौजूद थे। कोई बलात्कार, हत्या, लूट लाठीचार्ज नहीं हुआ ऐसा सपा के मा० विधायक ने कहा है.. तो निश्चित रूप से

सी० बी० आई० तक आपको अपनी एप्रोच करनी चाहिये और वहां पर अपना बयान दर्ज कराना चाहिये ।

यह मुजफ्फरनगर काण्ड मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध है । यह भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी का ही सवाल नहीं है । मैं यह नहीं कहता कि इसमें मुख्यमंत्री, मंत्रियों या उनके सदस्यों का सीधा साधा हाथ है, लेकिन जो एक और दो तारीख की रात में घटना हुई है वह पुलिस के जालिम और निरंकुश चेहरे का खुलासा करती है, उनकी मानसिकता को बताती है । चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो यह लोग ऐसा करते रहे हैं और आज इनकी सरकार के समय में संरक्षण पाकर इस पुलिस बल ने और अधिकारियों ने यह उत्पीड़न और वीभत्स काण्ड वहां किया है । इन दोषियों के खिलाफ कोई भी सख्त कार्यवाही न करके, यह सरकार उनको एक प्रकार से राजतनैतिक संरक्षण दे रही है । उस डी० एम० को इस घटना के तत्काल बाद बर्खास्त कर दिया जाता, तो उसको और साथ ही दूसरे अधिकारियों को सबक मिल जाता तो इस सरकार के माथे पर लगा यह बड़ा धब्बा धुल जाता, हमें आलोचना करने का अधिकार नहीं रहता और आप जनता के सामने कह सकते थे कि जो 12वीं विधान सभा की सरकार है, उसने कहा ही नहीं, करके दिखाया है ।

जो 24 अगस्त को सर्वसम्मति से उत्तराखण्ड का प्रस्ताव यहां से पास हुआ और उसके साथ ही माननीय कौशिक जी की रिपोर्ट पर, जिसमें तमाम जनता ने अपनी भागीदारी की थी, अपने अपने सुझाव दिये थे और सारे के सारे लोगों ने विश्वास प्रकट किया था.. "व्यवधान" बाद में मुख्य मंत्री ने यह बात कही थी कि पहाड़वालों के भरोसे पर हमारी सरकार नहीं चल रही है, वहां से तो हमारा केवल एक सदस्य जीता है । यह बहुत ही गलत बात थी । दिल्ली में लोकतंत्र के अन्तर्गत नरसिम्हा राव की सरकार कांग्रेस की सरकार बैठी है, यदि वह कहे कि उत्तराखण्ड से कांग्रेस का कोई सांसद जीतकर नहीं आया है, इसलिये हमारे मन में दुर्भावना पैदा होनी चाहिये, तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इससे अधिक घातक कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है ..(व्यवधान)... मान्यवर, मुझे पांच मिनट का और अभी समय चाहिये ...

श्री अधिष्ठाता–

दो मिनट आप ले लें ।

श्री बची सिंह रावत–

मैं पुलिस उत्पीड़न के संबंध में यह कह देना चाहता हूं कि आज सी० वी० आई० ने जब एक बात कह दी है, तिवारी जी के कहने से उसका खण्डन नहीं हो सकता है, यह पूरी महिला जाति के साथ, पूरे महिला जगत के साथ बहुत बड़ा अपमान है, और इसके सारे के सारे प्रमाण मिल गये हैं । चाहे मानवाधिकार आयोग हो या महिला आयोग हो या फिर आपकी जांच हो सबने उसकी पुष्टि की है । एक भी बार हम ऐसे गलत किसी आदमी को कोई सजा न दें तो उसे निश्चित रूप से संरक्षण मिलेगा ।

एक दिन हमारी सरकार बनेगी तो एक चीज साफ है कि निश्चित रूप से वह अधिकार दण्ड का भागी होगा, वह कतई नहीं सजा से बचने पायेगा । वह फिर चाहे कितना ही मजबूत या पहुंच वाला आदमी क्यों न हो । जब भाजपा की सरकार आयेगी तो निश्चित रूप से ऐसे दोषियों और अपराधियों को दंडित किया जायेगा । इसलिये अब भी समय है ...(व्यवधान)... इन्हीं श्ब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इस बारे में आप गम्भीरता से विचार करें और जिस प्रकार के दोषारोपण नेता जी ने किये हैं, वैसी बात

वह कतई न करें। आगे वह ऐसा न कहें। मैं सरकार के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके सामने मुजफ्फरनगर काण्ड का आंखों देखा हाल वर्णन करना चाहता हूं और इस सदन में शपथ के साथ कहता हूं यदि मेरी एक बात भी गलत साबित हो तो आप मुझे दंडित कर सकते हैं। मैं इस काण्ड में मौके पर गया था, तो मैंने देखा कि सड़क खून से लथपथ थी, क्योंकि बस के शीशे टूटे हुए थे सड़कों पर बिखरे हुए थे जब हमने स्थानीय लोगों से पूछा कि यहां पर क्या हुआ, तो वहां पर जनता कह रही थी कि हमसे मत पूछो कि क्या हुआ क्या नहीं। लोग बता रहे थे कि वायरलेस पर यह सूचना आ रही थी कि रैली में जाने वाले लोगों को रोक दिया जाय। शांतिपूर्ण ढंग से वह लोग दिल्ली जा रहे थे। दो अक्टूबर का दिन इसलिये चुना था क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और हम इसी मार्ग पर चलने वाले हैं।

हम एक अलग राज्य लेना चाहते हैं क्योंकि हमारा विकास नहीं हुआ है, हम विकास के लिये तड़प रहे हैं। हम विकास के लिये लड़ रहे हैं यह पहाड़ और मैदान की कोई लड़ाई नहीं है, न मैदान और पहाड़ का सवाल है। हम पहाड़ और मैदान की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। हम तो देशभक्त हैं, सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं। मान्यवर, मुजफ्फरनगर की बात बता रहा हूं वहां पर 16 वर्ष की लड़की जब नग्न अवस्था में खेत से गुजर रही थी तो एक शख्स ने अपना पजामा कुर्ता दे दिया। मुजफ्फरनगर वासियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मानवता दिखाई। मान्यवर, इस तरह का अन्याय हुआ है। सूर्य प्रकाश थपलियाल को गोली से भून दिया गया क्योंकि वह इन पुलिस वालों को महिलाओं के साथ बलात्कार करने से रोक रहा था।

पुलिस वाले महिलाओं के साथ बलात्कार करना चाहते थे, उसने कहा कि मैं अपने जीते जी बलात्कार नहीं होने दूंगा। मान्यवर, यह टिहरी गढ़वाल का रहने वाला था। अंतिम समय तक यह उनसे जूझता रहा और अन्त में उसे गोली का शिकार होना पड़ा। पुलिस वाले एक बस जिसमें महिलाएं बैठी थी, को अनजान जगह पर ले गये। तीन महिलाओं के साथ बस में बलात्कार किया गया और कइयों के साथ गन्ने के खेतों में बलात्कार किया गया। मान्यवर, यह घृणित कार्य था। सरकार को चाहिये था कि तुरन्त जांच करवाती लेकिन लापरवाही बरती गई। हम एक अलग राज्य के लिये इसलिये लड़ रहे हैं क्योंकि हमारा विकास नहीं हुआ है। जिस तरह से त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, गोआ, छोटे-छोटे राज्य बने हैं उस तरह से क्या उत्तरांचल अलग राज्य नहीं बनाया जा सकता ? यहां की जनसंख्या भी 62 लाख है। यहां पर नियोजन का भी कार्य यहां के अनुरूप नहीं है यहां का नियोजन मैदान से किया जाता है। मैदान में आप मेरठ में कुंआ खोद सकते हैं, कानपुर में कुंआ खोद सकते हैं, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में नहीं खुदवा सकते हैं। इसीलिये हम अलग राज्य की मांग करते हैं जिससे हमारा विकास हो। हम देशभक्त हैं देश की रक्षा करते हैं। हमारा इलाका सीमा से लगा हुआ है पड़ोस में चीन, तिब्बत और नेपाल की सीमा है।

जो लोग कहते हैं कि दिल्ली दूर है और पेचिंग नजदीक है वह उग्रवादी हैं। भारत एक अखण्ड देश रहे। हम यही चाहते हैं। हम अलग राज्य की मांग करते हैं ताकि हमारा विकास हो सके। मैं निवेदन करता हूं कि इस घटना की जांच की जाय और जैसा कि वहां पर रोडवेज की 15 बसों को

सड़क पर बिछा दिया गया था और कर्मचारियों और अधिकारियों को दण्डित अवश्य किया जाय । उत्तराखण्ड राज्य के मामले में विचार कर सरकार केन्द्र पर दबाव डाले, यही मेरा सुझाव है । धन्यवाद ।

(अधिष्ठाता द्वारा श्री बेनी प्रसाद वर्मा का नाम पुकारे जाने पर कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर अवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप इनको बुलवा लीजिये, हमको कोई आपत्ति नहीं है ।

* श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुजफ्फरनगर काण्ड पर बोलने का मुझे अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । यह मुजफ्फरनगर काण्ड हुआ इसकी शुरुआत 8 अगस्त को एक आन्दोलन में लाठी चार्ज से हुई जिसमें कुछ लोग, एक वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो इस सदन के सदस्य भी रहे श्री इन्द्रमणि बडोनी जी अनशन पर बैठे थे । और आठ अगस्त को जो आरक्षण विरोधी छात्रों के ऊपर लाठी-चार्ज हुआ वह सब उनके आन्दोलन में सम्मिलित हो गये । जहां तक भारतीय जनता पार्टी का नहीं यह पूरे उत्तरांचल की जनता का, सैनिकों का, कर्मचारियों का, भाईयों का, सबका आन्दोलन था ।

मुजफ्फरनगर काण्ड के दौरान मेरे ऊपर सरकार ने मुझे रासुका में निरुद्ध कर दिया, लेकिन जब मसूरी काण्ड हुआ मैं दस किलोमीटर की दूरी पर था उस समय आई० पी० सी० की जितनी धारायें हो सकती हैं मेरे ऊपर लगाई गई । इसके साथ-साथ जो व्यक्ति इस काण्ड में शहीद हो गये उनके ऊपर भी यह धारायें लगाई गई उनको मुआवजा भी दिया गया उनके ऊपर धारायें भी लगाई गई । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहंगा देहरादून में मुझे पता चला, कि दो सितम्बर को पौड़ी में भी छात्रों का भारी प्रदर्शन था और देहरादून के डी० आई० जी० और आई० जी० श्री नसीम कन्ट्रोल रूम में बैठे थे मैंने उन्हें टेलीफोन पर अवगत करा दिया । साढ़े दस बजे शान्तिप्रिय ढंग से आन्दोलन होगा कोई वारदात न हो, शान्तिप्रिय ढंग से अनशनकारी बैठे हुए थे ।

मान्यवर, जहां अनशनकारी बैठे थे उस झूलाघर को खाली कराने के लिये पांच लाख की मोटी रकम ले ली गई थी और उस झूलाघर को खाली कराने का आश्वासन दिया गया था । श्री उमाकान्त त्रिपाठी को रात में वहां से हटा दिया गया ताकि आन्दोलनकारियों को अज्ञात स्थान पर भेज दिया जाय । सुबह जब वहां की जनता को पता चला तो उन्होंने नारे लगाये प्रदर्शन किया, घेराव किया, जो हमारे अनशनकारी थे उन्हें यह नहीं बताया गया कि 49 लोगों को गिरफ्तार करके देहरादून भेज दिया है । उमाकान्त त्रिपाठी जो शान्तिपूर्वक आन्दोलन कराने को कह रहे थे ; वह शहीद हो गये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मुझे पता चला, मैंने वहां जाना चाहा वह जगह दस किलोमीटर दूर थी मुझे पुलिस ने रोक दिया कि वहां आन्दोलनकारियों को रोक रखा था । मैंने ग्राम प्रधान के यहां से टेलीफोन से जिलाधिकारी को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

टेलीफोन किया कन्ट्रोल रूम को फोन किया, वहां की व्यवस्था कैसी है ? जिलाधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया वह तो मोटी रकम ले चुके थे मुझे पता चला वहां स्थिति ठीक नहीं है मैं पैदल दस किलोमीटर गया मेरे क्षेत्र में सब हो रहा था । दस किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र में जाना था मैं 12.00 बजे चला और 3.00 बजे पहुंचा । वेलमति चौहान के सिर पर रायफल चलाकर उसे मार दिया गया था । हंसा धनाई के सिर के पीछे से गोली निकल गई थी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

* श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसके बाद मैं अस्पताल गया । सब मरीजों को देखा वहां उमाकान्त त्रिपाठी सी० ओ० थे, उनको देखा । उनकी डैड-बाडी पर चादर डलवाई वह शहीद हो गये थे । चादर डालने के बाद वहां के एस० डी० एम० फोर्स के साथ उनको देखने आये मैंने उनसे कहा आप एक पुलिस अधिकारी को देख रहे हैं आप और मरीजों को भी देख लें, सब शहीद हुए हैं उनकी भी कोई गलती नहीं थी लेकिन वह वापस चले गये और उन मरीजों को नहीं देखा । मैंने उनसे कहा कि सबको देखकर उनके संबंध में भी शासन को सूचना दे दें इसके देखने में सदस्य विधान परिषद् नव प्रभात, हरवंश कपूर जी और देवेन्द्र शास्त्री पहुंच चुके थे । जिन आन्दोलन कारियों को पुलिस रात में पकड़ कर ले गई थी उन्हें जो नये ट्रेनीज थे उनसे निर्दयतापूर्वक पिटवाया ।

यह तीनों काण्ड जनता को आतंकित करने के लिये कराये गये । जिससे देश की जनता आतंकित रहे । इसका परिणाम यह है कि 30 जनवरी, 1995 को दो वनरक्षक राजा नेशनल पार्क के दो कर्मचारियों को जो वन माफिया को पेड़ काटने से रोक रहे थे । दस बारह पेड़ काट भी दिये थे उनमें से एक की गोली मारकर, पीताम्बर की गोली मारकर हत्या कर दी और नरेश सिंह को जिन्दा पेड़ से बांधकर आरे से कांट दिया । इन सब चीजों से पर्वतीय क्षेत्र की जनता में भय व्याप्त है । इसमें विधायकों की एक सर्वदलीय समिति बनाकर जांच कराई जाय । मैं केवल जनता की आवाज को यहां कह रहा हूं । वहां के जिलाधिकारी ने जबर्दस्ती प्रताड़ित किया । पुलिस से कहा कि इस विधायक को बन्द कर दो । उसके बाद मुझे हिरासत में ले लिया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब अपनी बात समाप्त करें ।

मुजफ्फरनगर काण्ड पर चर्चा के दौरान नेता सदन का सदन से अनुपस्थित होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, यह चर्चा मुजफ्फरनगर की बड़े गम्भीर विषय पर हो रही है । इसमें मुख्यमंत्री जी पर भी आरोप लगाये गये हैं । उनसे त्यागपत्र की मांग भी की गई है । उन्होंने इस घटना पर परदा डालने के लिये यह भी कहा था कि अगर यह घटना सही होगी तो मैं राष्ट्र

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

से क्षमा मागूंगा और त्याग-पत्र दे दूंगा । लेकिन मुख्यमंत्री यहां पर सदन में उपस्थित नहीं है । इस गम्भीर मामले पर मुख्यमंत्री जी को सदन में उपस्थित होना चाहिए था । उन्हीं के द्वारा दिये गये उत्तर से हमारी संतुष्टि होगी । वैसे अगर मुख्यमंत्री में जरा सी नैतिकता होती तो उनको त्याग-पत्र दे देना चाहिये था ।

मान्यवर, पूर्व दृष्टांत हैं कि ऐसे मामलों पर जब कभी चर्चा होती रही है तो प्रभारी मंत्री को सदन में बुलाया जाता रहा है । मा० संसदीय कार्यमंत्री का उत्तर तो फारमेलिटी होगी । इसलिये मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अगर इस समय शहर में नहीं हैं तो भी उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिये था । मेरी जानकारी के अनुसार वह शहर में मौजूद हैं । इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है । उनका सदन में उपस्थित न रहना इस सदन की अवमानना है । इसलिये मेरी मांग है कि इस कार्यवाही को रोककर मुख्यमंत्री जी को बुलायें क्योंकि हम लोग उन्हीं के उत्तर से संतुष्ट होंगे ।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मैं राजेन्द्र कुमार गुप्त की बात पर बल देता हूं । मुख्यमंत्री को यहां सदन में उपस्थित होना चाहिये था । लेकिन नेता विरोधी दल को भी यहां उपस्थित होना चाहिये था । नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों इस मामले में गम्भीर नहीं हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, वहां के नगरपालिका के जो अध्यक्ष हैं उनकी मूछें उखाड़ डाली गई ।..

श्री अधिष्ठाता–

7.22 पर चर्चा प्रारम्भ हो गयी थी यह चर्चा 9.22 पर समाप्त हो जायेगी इसलिये आप कृपा करके बैठ जायं । आप अपनी बात समाप्त करें ।

मुजफ्फरनगर में उत्तरांचल की मांग करने वाले आन्दोलनकारियों पुरुषों व महिलाओं के साथ अत्याचार व बलात्कार विषयक सूचनाओं पर चर्चा (क्रमागत)

* श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस आदरणीय सदन में मुजफ्फरनगर काण्ड के बारे में जो चर्चा हो रही थी उसे मैं बड़े शान्ति से सुन रहा था । मुझे बड़ा दुख है कि अगर किसी माननीय सदस्य के द्वारा कोई भावना रखी जा रही थी तो उसके लिये माननीय सत्ता पक्ष द्वारा केवल प्रतिवाद किया जा रहा था मान्यवर, महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो मुजफ्फरनगर काण्ड हुआ और यह जो घटनायें हुईं और उनकी जो परिणति हुई उससे पूरे उत्तराखण्ड में एक सन्देश गया और पूरे उ० प्र० तथा भारत में एक संदेश पहुंचा कि इस घटना पर सरकार संवेदनशील नहीं है ।

आज इस घटना के बाद और उसके पहले जो घटनायें हुई हैं वह महत्वपूर्ण हैं । सरकार की तरफ से जब उत्तर भाषण होगा तो जो प्रश्न इस काण्ड के बारे में उठाये गये हैं उनका उत्तर सरकार देगी । मुजफ्फरनगर काण्ड के बारे में सी० बी० आई० की रिपोर्ट है और जो हाईकोर्ट में अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसमें बलात्कार की पुष्टि हुई है । अभी सरकार इस बात को न माने और कहे कि वह रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है इसलिये कार्यवाही करने में समय लगा है । सरकार सी० बी० आई० की रिपोर्ट न

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माने, हाईकोर्ट की रिपोर्ट न माने, महिला आयोग और दूसरे लोग जो वहां गये हैं उनकी टिप्पणियों को न माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन इस प्रदेश की जनता निश्चित रूप से इस मामले में अपनी धारणा बनायेगी ।

आज उत्तराखण्ड का हर निवासी यह महसूस करता है कि देश की मुख्य धारा से उसको काटा जा रहा है । पहाड़ के निवासियों का योगदान इस देश के लिये कम नहीं है । मुजफ्फरनगर की घटना और आरक्षण के आन्दोलन में माननीय मुख्यमंत्री का यह वक्तव्य कि हमारी सरकार उत्तराखण्ड की बदौलत नहीं बनी है उससे वहां के लोग मर्माहत हैं । खटीमा में जो गोलीकाण्ड हुआ और लाठीचार्ज हुआ और इसी तरह से अन्य जो घटनायें हुई हैं उससे आज उत्तराखण्ड के लोगों के मन में एक धारणा बन गई है कि पर्वतीय अंचल के लोगों के साथ उ० प्र० के लोग पक्षपात का व्यवहार कर रहे हैं । उ० प्र० से सदियों से उनका हिस्सा था । हिमालय जो इस देश का मुकुट रहा है वहां के लोगों के दिल मर्माहत हुए हैं उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये आप क्या कार्यवाही करेंगे । सी० बी० आई० ने कुछ पुलिस अधिकारियों और डाक्टरों के खिलाफ घटना के साक्ष्य मिटाने के प्रयास में मुकदमा दर्ज कराया है । तो यदि ऐसी स्थिति हुयी है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ, आपको कार्यवाही करनी चाहिये । आप अधिकारियों को दंडित नहीं कर रहे हैं और उन्हें डी० आई० जी० रेंज गोरखपुर बना रहे हैं और इधर-उधर दूसरी जगहों पर ले जा रहे हैं । यह अच्छी बात नहीं है ।

एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुयी, मुख्य मंत्री को उस समय सूचना दी गयी कि बलात्कार नहीं हुआ है इसलिये उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह दिया कि अगर बलात्कार की पुष्टि हुयी तो वह पूरे राष्ट्र से माफी मांगेंगे और अपना त्याग-पत्र दे देंगे । लेकिन यदि बाद में जांच से यह पता चलता है कि बलात्कार हुआ है तो मुख्य मंत्री जी को जरूर कहना चाहिये कि हमने अमुक अधिकारी की सूचना पर ऐसी बात कही थी और उस अधिकारी को दंडित किया जायगा । लेकिन जब घटना की पुष्टि हो जाय और उसके बाद अधिकारियों को बचाया जाय तो यह नैतिकता के विरुद्ध है ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा का समय अब समाप्त हुआ ।

समय 9 बजकर 20 मिनट

श्री जगदम्बिका पाल–

ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये और सदन की एक सर्वदलीय समिति बनानी चाहिये जो इस घटना की जांच करे और सारे तथ्यों को सामने लाये ताकि यह धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में न बन सके कि यहां पर पुलिस निरंकुश हो गयी है और बलात्कारियों को सरकार बचा रही है ।

एक सदस्य–

मान्यवर, कांग्रेस के लोगों ने और भा० ज० पा० के लोगों ने बलात्कार किया होगा, उनको हर वक्त बलात्कार ही दिखायी देता है । (शोर)

(संसदीय कार्यमंत्री जी को पुकारे जाने पर ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जैसा कि यादव जी ने कहा, अगर इस घटना के लिये कोई जिम्मेदार है तो वह इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं । मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं इसलिये कौन इसका उत्तर देगा, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, उत्तर उनको देना चाहिये । मैं इसके विरोध में सदन त्याग करता हूं ।

(श्री प्रमोद तिवारी और जगदम्बिका पाल सदन त्यागकर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया है । उनको यहां क्षमा याचना करनी चाहिये थी और त्यागपत्र देना चाहिये था । हम संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनना नहीं चाहते हैं । यह सरकार हृदयहीन है । जैसा कि यादव जी ने कहा, उनकी जिज्ञासा है कौन दोषी है, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के शासन के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी इसके दोषी हैं और तत्काल उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिये । मैं इस सरकार के खिलाफ अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये ।)

("बलात्कारी सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी" के नारे लगाये गये ।)

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मुजफ्फरनगर की घटना के बारे में विपक्ष कितना संवेदनशील है, यह उनके वाक आउट से ही जाहिर है । नेता विरोधी दल ने नोटिस पर दस्तखत किये और वह आज इस समय उपस्थित नहीं है और एक बहाना बनाकर कि मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, वाक आउट कर गये । मान्यवर, मंत्रि-मंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है और कल मुख्य मंत्री जी का भाषण होना है और जो भी प्रश्न यहां पर उठाये गये हैं, उनका उत्तर विस्तार से वह देंगे, लेकिन चूंकि दोषी खुद हैं, इसलिये सरकार के बयान को सुनने की हिम्मत उनमें नहीं है । जो प्रतिगामी शक्तियां होती हैं, जो साम्प्रदायिक लोग हैं, जो फासिस्ट हैं और जो नाजीवादी हैं, यह सारे लोग अपनी ही बात कहते हैं और दूसरों की बात सुनने का उनमें साहस ही नहीं है ।

कायर वह होता है, जो दूसरों की बात को सुन नहीं सकता है और बहादुर वह होता है जो दूसरों की बात को सुनता है और अपने तर्कों से उसका उत्तर देता है । जो साम्प्रदायिक शक्तियां हैं, जिनको अपना जनाधार उत्तराखण्ड से खिसकता नजर आया, तो वह ऐसा करने लगीं । मैं कहना चाहता हूं आरक्षण के संबंध में राजाज्ञा जारी हुई, जिसमें संशोधन किया गया, आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में जारी रहेगा, लेकिन अगर एक निश्चित अवधि तक आरक्षित जाति के बच्चे नहीं मिलते हैं, तो उन स्थानों को अनारक्षित मानकर भर लिया जायेगा ।

उत्तराखंड के बारे में विशेष रूप से कहा गया है । उत्तराखण्ड में चाहे शिफ्ट चलानी पड़े और चाहे नये कालेज खोलने पड़े, किसी भी छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं किया जायेगा । मान्यवर, यह आरक्षण

विरोधी लोग हैं और वहां पर साम्प्रदायिक जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंसक आन्दोलन को बढ़ाने की कोशिश की और पुलिस कर्मी और राज्य कर्मी जब बल का प्रयोग हुआ तो कुछ की जाने गयीं । मान्यवर, मुजफ्फरनगर की घटना, जिसको लेकर प्रतिपक्ष बड़ा गम्भीर लग रहा था, आज मुख्य मंत्री सदन में नहीं हैं, इसलिये वाक आउट कर गया । उनको शर्म आनी चाहिये । जिन्होंने नोटिस पर पहले से दस्तखत किये थे, वह नेता प्रतिपक्ष स्वयं यहां पर उपस्थित नहीं हैं । इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है । मुख्य मंत्री जी की ओर से कोई भी उत्तर दे सकता है, लेकिन जिसने कम से कम सूचना दी है, उसको तो यहां पर उपस्थित होना चाहिये, उसको तो गम्भीर होना चाहिये । उन्होंने पाप किया है मुजफ्फरनगर काण्ड में ।

जब दिल्ली में रैली का आयोजन हुआ और जब दिल्ली शासन को मालूम हुआ कि लोग हथियारों के साथ आ सकते हैं, तो दिल्ली के पुलिस कमश्निर ने और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि उनकी तलाशी ली जाये । भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि शस्त्र लेकर आने की अनुमति न दी जाये । तलाशी ली गयी, तो विरोध किया और दुखद प्रकरण है कि बल का प्रयोग करना पड़ा और जो राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट आयी है उसमें बिल्कुल यह कहा गया कि किसी भी महिला के साथ बलात्कार नहीं किया गया । संक्षेप में जो रिपोर्ट है, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा । कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिससे प्रतीत हो कि कोई बलात्कार या दुर्व्यवहार की घटना हुई हो ।

आयोग ने रामपुरा गांव की 10 महिलाओं से चर्चा की । बात करते समय यह सुनिश्चित कर लिया गया था कि जिले का कोई भी अधिकारी वहां पर उपस्थित न रहे । उन औरतों ने बताया कि लगभग 35 औरतें एवं 2500 आदमियों ने फायरिंग के स्थान से भागकर 2 अक्तूबर, 1994 को प्रातःकाल रामपुरा गांव में शरण ली थी । उन लोगों ने पुलिस के विरुद्ध किसी प्रकार की बदसलूकी या बलात्कार की शिकायत नहीं की थी । गांव के परिवारों ने उन सभी को रखा और खाना पका कर खिलाया । ये लोग अपने पते छोड़कर उन्हें उत्तराखण्ड आने का आमंत्रण भी दे गये हैं । श्रीमन्, महिला आयोग की तरफ से जो गवाही ली गयी उसमें अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे श्री सोमरन प्रसाद, अखिल भारतीय ट्रेजरार, जनता दल, श्री संजय सिंह कांग्रेस (आई), श्री विजय पाल सिंह भूतपूर्व सांसद, मो० बद्दार, अमन सुधार कमेटी, सुश्री परवीन भाटिया, पंजाबी समाज, श्रीमती सरोज जैन, कांग्रेस (आई), श्री वीरेन्द्र मलिक भूतपूर्व विधायक कांग्रेस (आई), श्री नकली सिंह के अतिरिक्त गुरु सिंह समाज समिति के सदस्य और श्री राजेन्द्र सिंह परमार के नेतृत्व में एक शिक्षक, वकील और विद्वानों के दल से भी चर्चा की गयी । यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि आयोग ने जांच के समय पत्रकार एवं विशेषकर राष्ट्रीय सहारा, जनसत्ता, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर बुलेटिन के प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पदाधिकारियों, सिटी कांग्रेस के प्रेसिडेन्ट, उत्तर प्रदेश इमामों के प्रेसिडेन्ट तथा घटना स्थल के भट्टा मालिकों आदि से भी चर्चा की । इन सभी ने किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात्कार के विषय में शिकायत नहीं सुनी । लेकिन श्रीमन्, कुछ दिनों के बाद उक्त रिपोर्ट को कतिपय विभिन्न तत्वों ने, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की छवि खराब करने में दिलचस्पी है, संतोष नहीं हुआ और आयोग की पुनः जांच करके 16 नवम्बर, 1994 को अपनी रिपोर्ट पुनः देनी पड़ी कि 2 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था ।

राज्य सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के बाद भी जनता को आश्वास्त करने और यह अहसास दिलाने के लिये कि यदि कोई भी अधिकारी जनता पर अत्याचार का दोषी है, को सरकार दंडित करने में सबसे आगे आयेगी, एक जांच तत्काल शुरू कराई गई । हमने स्वयं भारत सरकार के गृह मंत्री जी से भी आग्रह किया कि इस बलातकार और महिला के प्रति दुर्व्यवहार की जांच राज्य सरकार के अनुरोध पर सी० बी० आई० द्वारा कराने के निर्देश प्रसारित कर दें । हमने इसके अतिरिक्त एक न्यायिक जांच के आदेश भी प्रसारित किये । श्रीमन्, यह सब हमने इसलिये नहीं किया कि हमें मुजफ्फरनगर में हुई घटना के संबंध में कोई संदेह था, हमारा उद्देश्य केवल यह था कि राज्य की जनता को यह विश्वास रहे कि कभी भी यदि कोई इल्जाम राज्य के प्रशासन के विरुद्ध लगेगा तो यह साबित करने के लिये कि यदि सरकार का कोई कर्मचारी उक्त विषय में दोषी है, तो उसे बख्शा नहीं जायेगा और सरकार इसके लिये निष्पक्ष जांच करायेगी । यही हमने खटीमा काण्ड में किया था और यही मंसूरी काण्ड के संबंध में किया । यद्यपि वहां पर एक पुलिस अधिकारी को सुनियोजित ढंग से बर्बरतापूर्वक मारा गया था फिर भी वहां पर उपस्थित अतिरिक्त जिलाधिकारी के स्थानान्तरण के बाद ही वहां पर जांच की गयी । आज यह प्रकरण न्यायालय के समक्ष है और उन्होंने सी० बी० आई० को कमीशन के रूप में जांच के लिये अधिकृत किया है । इसमें भी राज्य सरकार ने पूरा सहयोग दिया है ।

हमारा पूरा प्रयत्न है कि उत्तराखण्ड के हमारे भाई बहन इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त रहें कि बदसलूकी के बारे में फैलाई गयी अफवाह आधार रहित है और यदि किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार किया गया है तो राज्य सरकार दोषियों को दण्डित करने में पूरी तरह से तत्पर है ।

श्रीमन्, सी० बी० आई० ने जो अन्तरिम रिपोर्ट दी है उच्च न्यायालय इलाहाबाद को उसमें भी श्रीमन्, आपके आदेश से विस्तृत चर्चा इस पर हो गयी । जबकि परम्परा यह है कि जब कोई मामला किसी भी जांच में प्रचलित होता है तो उस पर विधान सभा में विस्तृत चर्चा नहीं की जाती है । श्रीमन्, सी० बी० आई० ने न्यायालय से स्वयं अनुरोध किया है यह अन्तरिम रिपोर्ट है, इसको न्यायालय स्वयं देख लें परन्तु इसे सार्वजनिक न किया जाय । श्रीमन्, इसकी सी० बी० आई० में जांच चल रही है । हम पूरी तरह से इस बात पर ईमानदारी से कृतसंकल्प हैं कि अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने में हम लोग देरी नहीं करेंगे । उत्तराखण्ड का जहां तक मसला है वह हमारी प्राथमिकता में पहले था और आज भी प्राथमिकता में है ।

यह प्रतिगामी शक्तियां चाहे जितना जातिवादी और साम्प्रदायिक जहर फैलाती रहें लेकिन मुलायम सिंह की सरकार ईमानदारी से उत्तराखण्ड का विकास और समस्याओं के निदान का रास्ता खोजती रही हैं । इन्होंने वहां हिंसा फैलाई है, आज उत्तराखण्ड शांत है और इनका चर्चा करके फिर अशांति पैदा करने का उद्देश्य है । जो इन्होंने अनर्गल प्रलाप किया है हमारा विश्वास है कि उत्तराखण्ड के लोग उसमें न पड़कर हमारी मंशा को समझेंगे और साम्प्रदायिक और फासिस्ट शक्तियां परास्त होंगी । अगर वहां के लोग ईमानदारी से हमारी सरकार की मंशा को समझ गये तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी परास्त होगी, पूरी तरह से समाप्त होगी और समाजवादी पार्टी आयेगी । श्रीमन्, जो प्रतिगामी और फासिस्ट लोग हैं वह यहां पर हैं नहीं वर्ना जो स्पष्टीकरण मांगते हम देते । लेकिन यह कायर लोग कभी तर्कों के सामने टिकते नहीं हैं । यह कायर लोग कभी भी मुकाबला नहीं करते लोकतंत्र में पीठ

दिखाकर भाग जाते हैं । यह कायर, फासिस्टवादी हल के मन से इसे ले रहे हैं । मैं इनकी निन्दा भी करना चाहता हूं ।

(इसी मध्य भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन में आ गये)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 42 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई । पहली सूचना श्री अमर नाथ यादव की है ।

श्री यादव सदन में मौजूद हैं । दूसरी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की है । वह सदन में मौजूद हैं । अगली सूचना श्री अमरजीत सिंह जनसेवक की है । श्री अमरजीत सिंह जी सदन में मौजूद हैं । अगली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी जी की है । श्री चौधरी सदन में मौजूद हैं । अगली सूचना श्री नजम उद्दीन की है । वे सदन में मौजूद हैं । अगली सूचना श्री महेन्द्र सिंह माहरा की है । श्री माहरा सदन में नहीं हैं । अगली सूचना श्री धनराज यादव की है । श्री यादव सदन में मौजूद हैं । अब मैं प्रतीक्षा सूची से लेता हूं । पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है । वे सदन में मौजूद नहीं हैं । अगली सूचना श्री मुरलीधर की है । वे सदन में मौजूद हैं । श्री महेन्द्र सिंह माहरा के स्थान पर श्री मुरलीधर की सूचना को लिया जाता है ।

यह सातों सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

वाराणसी शहर उत्तरी निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं रिबोरिंग की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमर नाथ यादव–

। महोदय, मैं आपका ध्यान उक्त जनहित के प्रश्न की ओर दिलाते हुए आपके संज्ञान में लाकर यह मांग करना चाहता हूं कि उक्त हैण्ड पम्पों की मरम्मत एवं रिबोरिंग जनहित में अति आवश्यक है । जल ही जीवन है इसे साकार करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति से आवश्यक मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना शासन एवं प्रशासन का उत्तरदायित्व है ।

उक्त विधान सभा क्षेत्र ही नहीं सम्पूर्ण वाराणसी शहर में ही शुद्ध पेयजल का अभाव है । यहां पर इस संबंध में कोई योजना भी नहीं बनायी गयी है । आज भी ग्रीष्मकाल तक यदि पानी की सुगमता नहीं करायी गयी हो तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को पानी उपलब्ध हो पाना सम्भव नहीं हो पायेगा । यदि उक्त खराब व मरम्मत योग्य हैण्ड पम्पों का रिबोरिंग व मरम्मत करा दिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि आगामी ग्रीष्म काल में शुद्ध पेयजल के संकट से उक्त क्षेत्र के निवासियों को कुछ हद तक उबारा जा सकता है ।

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः उक्त अविलम्बनीय विषय को जनहित में आपके संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उक्त क्षेत्र के समस्त खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत तत्काल कराया जावे । ।

चीनी मिल औराई, वाराणसी द्वारा गन्ना समिति को अनुदान दिये जाने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रंगनाथ मिश्र–

। महोदय, जिला योजना वाराणसी में 6 लाख रुपया गन्ना विभाग (गन्ना समिति औराई) वाराणसी को सड़क निर्माण हेतु डबटेलिंग के अन्तर्गत इसलिये दिया कि इतना ही धन उसे चीनी मिल औराई से मिल जायेगा जिससे 12 लाख में मगहर से परवां तथा उगापुर से भैसहटा तथा भरतपुर की अधूरी सड़क लेपन तक निर्मित हो जायेंगी । किन्तु चीनी मिल औराई द्वारा धन न दिये जाने से जिला योजना का 6 लाख रुपया पड़ा हुआ है जो काम में नहीं आ पा रहा है ।

अतः माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह है कि शासन को निर्देश दें कि वह चीनी मिल औराई से मिलने वाला गन्ना समिति को अनुदान दिलवाने तथा सदन में चर्चा कराने की कृपा करें । ।

फतेहपुर में बिन्दकी क्षेत्रान्तर्गत जिला योजना द्वारा आवंटित सड़कों के बरीयता के आधार पर बनवाये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी, फतेहपुर में जिला योजना के अन्तर्गत आवंटित सड़कों में मेट द्वारा बरीयता से खसुहा पहुर मार्ग में मवइया से आगे 2 कि०मी० व सकूरा मुसाफा मार्ग से जरारा 1.5 कि० मी० तथा चौडगरा व केवर मार्ग से हिम्मतपुर 700 मीटर पुराई हेतु लिया गया था, किन्तु प्रथम बरीयता वाले मार्ग को मवइया से आगे न बढ़ाकर पहुर की तरफ से निर्मित कराया जा रहा है । जिससे सदस्य, विधान सभा व विधायिका की अवमानना है ।

उक्त विषय पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराने की मांग करता हूं । ।

गोदौलिया चौराहे पर सिपाहियों द्वारा घायल किये गये युवकों को मुआवजा दिये जाने तथा सम्बन्धित सिपाहियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी–

। महोदय, दिनांक 4 फरवरी, 95 को दशाश्व मेघ थाने के दो सशस्त्र सिपाहियों श्री काशी लाल व श्री श्रीनाथ द्वारा एक ठेलेवाले से 5 रुपये की मांग की गयी और न देने पर उक्त सिपाहियों द्वारा गरीब ठेलेवाले का सर कुन्दे से मारकर फोड़ दिया गया तथा बीच-बचाव करने पर उसके बड़े भाई की भी बुरी तरह पिटाई की जाने लगी । जिसको राहगीरों द्वारा विरोध करने पर उक्त दोनों सिपाही बुरी तरह उत्तेजित हो गये और अपनी बन्दूक से भीड़ भरे चौराहे पर फायरिंग की गयी जिससे तीन युवक बुरी तरह घायल हो गये जिन्हें नागरिकों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया । बाद में थाने से और सिपाही

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आ गये और लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर बुरी तरह लाठियों से पीटना शुरू कर दिया जिससे भगदड़ मच गयी और महिलाओं तथा छोटे-छोटे बच्चों सहित अनेक लोग घायल हो गये।

बाद में उक्त दोनों गरीब ठेलेवाले भाइयों श्री भरत जैसवाल तथा बबलू जैसवाल निवासी जंगमबाड़ी को पुनः बुरी तरह पिटाई करते हुए थाने ले गये और उल्टे उन्हीं दोनों को पुलिस के कार्य में दखलन्दाजी के आरोप में तथा अन्य आरोप लगाकर दफा 145, 147, 332, 353, 336 तथा 427 के तहत चालान कर दिया गया और उक्त अवैध रूप से धन उगाही करने वाले तथा गोली चलाकर लोगों को घायल करने वाले सिपाहियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी जिससे आम नागरिकों में भयंकर आक्रोश की स्थिति बनी हुई है।

अतः मैं उपरोक्त दुखद घटना की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने तथा उपर्युक्त दोनों गरीब खोमचेवालों के विरुद्ध कायम की गयी मुकदमे को वापस लिये जाने, उन्हें मुआवजा दिये जाने तथा गोली चलाने वाले सिपाहियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग नियम 301 के तहत करता हूं।।

इलाहाबाद की तहसील सोरांव के कतिपय गांवों की हजारों एकड़ भूमि जलमग्न होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नजम उद्दीन–

।महोदय, मैं इस सदन के संज्ञान में लाते हुए लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जनपद इलाहाबाद की तहसील सोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा नं०–1 मुरलीनगर 2–सरगापुर 3–विरसिंगपुर उर्फ रामगढ़ 4–सर्वागौहान उर्फ सिंघड 5–उमरिया बादल 6–जोगीपुर 7–सुलेमपुर 8–सराय बादशाह फुली 9–हरखपुर 10–सेमरा बरिघानपुर 11–मलाक पयागी आदि ग्रामों की भूमि वर्षा एवं नहरों व ड्रेनों से पानी गिरने के कारण हमेशा जल मग्न रहती है इससे कृषि करने के लिये कृषकगण वंचित रह जाते हैं।

उक्त कृषि योग्य भूमि बनाने के लिये मड़ियाहूं ब्रांच के कि० मी० 14.825 पर एक साइफन का निर्माण शारदा सहायक खण्ड–8 इलाहाबाद द्वारा कराया गया था परन्तु बड़े खेद के साथ लिखना पड़ रहा है उक्त साइफन क्षतिग्रस्त हो गया क्षतिग्रस्त साइफन की जांच हेतु शेर सिंह मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या सी–502 सी० ई० शासकीय सं०–दिनांक 8-5-85 द्वारा जांच गठित की गयी एवं श्री शेर सिंह मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या सी–503 सी० ई० दिनांक 8-5-84 द्वारा समिति का कार्य क्षेत्र भी निर्धारित किया था इसके अतिरिक्त मा० मुख्य मंत्री तत्कालीन ने मड़ियाहूं कि० मी० 15.810 पर पुरखीपुर, ड्रेन के साथ नये साइफन के निर्माण के विभाग को आदेश दिये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि मड़ियाहूं ब्रांच के कि०मी० 14.825 पर साइफन निर्माण में अनियमितता करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उसी नहर बंदी के समय मड़ियाहूं ब्रांच के कि०मी० 15.810 पर साइफन निर्माण एवं पुरखीपुर ड्रेन को पूर्ण कराने का आदेश करने का कष्ट करें।।

जनपद सिद्धार्थनगर के कई राजस्व ग्रामों में पांच बिसवा भूमि के क्रय विक्रय को आवासीय भूमि मानकर चकबन्दी अधिनियम 168 ए को शिथिल करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनराज यादव–

[महोदय, जनपद सिद्धार्थनगर का मुख्यालय सिद्धार्थनगर एक छोटे से ग्राम से विकसित होकर बड़ी तेजी से नगर का रूप धारण करता जा रहा है ।

सिद्धार्थनगर राजस्व ग्राम तेतरी पिठनी बुजुर्ग पिठनी खुर्द बर्डपुर नं० 14 धरौली रोमापार पोखर भिटवा दतरगवा, जगदीशपुर बेलसड मुडिया, खजुरिया, सांडी, मधुकरपुर, सक्तपुर, सर्नी-पिपरा, महनगर, भीमा पार एवं सेमरनार के क्षेत्र में विकसित होकर सिद्धार्थनगर का रूप धारण कर रहा है ।

किन्तु चकबन्दी अधिनियम उत्तर प्रदेश के 168-ए भूमि क्रय विक्रय न होने से जनसमस्याओं में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है । लोगों मे हाहाकार मचा हुआ है । आवासीय समस्या भयंकर स्थिति मे पहुंच गयी है अत्यन्त ऊंचे रेट पर भी आवास नहीं मिल रहा है । जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सामान्य जन भी पीड़ित हैं ।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का सुनिश्चित प्रश्न है जिसे आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि प्रश्नगत राजस्व ग्रामों में पांच बिसवा भूमि के क्रय विक्रय को आवासीय भूमि मानकर 168-ए को शिथिल कर दिया जाये जिससे सिद्धार्थनगर के विकास को गति मिल सके ।]

बैंक ऋण राहत शासनादेश को दुर्बल आय वाले लोगों के हित में व्यवहारिक राय प्रदान करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुरलीधर–

[महोदय, ससम्मान आपके संज्ञान में लाना है कि शासनादेश सं०–2214/12 सी-1-1990-1(5)/1989, दिनांक 30-5-1990 एवं संशोधित शासनादेश सं०–2888/12सी-1–1990–1(5)/1989, दिनांक 11-7-1990 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कृषकों, बुनकरों, दस्तकारों, शिल्पकारों, भूमिहीन कृषक मजदूरों के दिनांक 2-10-1989 से पूर्व सहकारी एवं अन्य बैंकों से लिये गये ऋण में राहत प्रदान की गयी थी, उपरोक्त शासनादेशों से भू-स्वामी आर्थिक स्थिति से सम्पन्न लोगों को तो राहत मिल गयी, किन्तु भूमिहीन, वेतनहीन एवं फर्जी, साजिशान बनाये गये कर्जदारों को एक भी राहत/लाभ नहीं मिल सका । व्यवहारिकता में यह शत-प्रतिशत कटु सत्य है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनु० जा०/जनजा० एवं अति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अमानवीयता एवं धोखाधड़ी की गयी । काल्पनिक नामों से या कमजोर लोगों के नाम का उपयोग करके लगभग 70 प्रतिशत साजिशान कर्जदार बनाया गया है । प्रत्येक जनपद में चयन सूची एवं लाभान्वित सूची में धरती-आसमान का अन्तर है मैंने अपने पत्र सं०–10183/एस०पी०वी०/डी-94-95 दिनांक 25-4-94 के जरिये अनेक माननीय विधान सभा सदस्यों की संयुक्त हस्ताक्षरित रिपोर्ट मा० मुख्य मंत्री जी के समक्ष रखी थी, कि वर्ष 1993 के पूर्व में लिये गये 10 हजार रुपये तक के समस्त ऋण माफ कर दिये जायें, किन्तु जनहित में स्पष्ट निर्णय के बजाय जिलाधिकारी, बांदा से आख्या मांगी गयी थी । वर्तमान सरकार को सत्तारूढ़ करने में अनुसूचित जाति/जनजा० तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की 90 प्रतिशत सहर्ष भूमिका रही है और ऐसी दशा में उनका संरक्षण, सम्वर्धन सरकार हेतु न्याय प्रदान किया जाना मानवीय दृष्टिकोण है । यह उल्लिखित वर्गों की जिन्दगी मौत से जुड़ा हुआ प्रदेश स्तर का महत्वपूर्ण प्रकरण है ।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि अनु० जा०/जनजा० एवं अन्य पिछड़े वर्ग के नाम वर्ष 1993 से पूर्व दर्शाये गये रुपये 10 हजार तक के समस्त बैंक ऋण तत्काल प्रभाव से माफ किये जाने हेतु स्पष्ट एवं तात्कालिक निर्णय जारी करने हेतु उ० प्र० सरकार को सहर्ष आदेश पारित करने का कष्ट करें ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

नियम 51 के अन्तर्गत आज दिनांक 7-2-95 को 34 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र व वाणिज्य विभाग में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण) अधिनियम, 1994 को जानबूझकर विफल करने के उद्देश्य से उल्लंघन करके प्रोफेसर, रीडर व अध्यापक पदों पर की गयी नियुक्तियों को अभी तक निरस्त न करने से उत्पन्न आक्रोश के संबंध में है, इसे वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है । दूसरी सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की जनपद गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद के अन्तर्गत राजेन्द्र नगर में घर में घुसकर डाकुओं द्वारा 2 अवैध बालकों की हत्या व 3 व्यक्तियों को गम्भीर रूप से घायल करके डकैती डालने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है । तीसरी सूचना सर्वश्री प्रमोद तिवारी, नरेश अग्रवाल, जगदम्बिका पाल, हरिशंकर तिवारी की जनपद बस्ती के महुली थाना अन्तर्गत कस्बे के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं पत्रकार को पुलिस द्वारा उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । चौथी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की आवास विकास कालोनी सीतापुर में सीवेज पम्पिंग स्टेशन के बिगड़े होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । पांचवीं सूचना श्री चैनसुख भारती की जनपद जालौन के कौंच विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के भूमिहीन व निर्बल वर्ग के, सीलिंग भूमि के पट्टेदारों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाये जाने के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । छठी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की जनपद भदोही के ज्ञानपुर डिवीजन के लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितनओं के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । सातवीं सूचना श्री जनमुद्दीन की जनपद इलाहाबाद के सोरांव तहसील के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों की कृषि योग्य भूमि नहरों में ड्रेनों के पानी से जलमग्न रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । आठवीं सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की जनपद देवरिया में बढ़ते अपराधों एवं विरोध स्वरूप नागरिकों द्वारा बन्द आयोजन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । नवीं सूचना डा० रमेश पोखरियाल "निशंक" की जनपद पौड़ी गढ़वाल में कतिपय क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । दसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह गौर की जनपद इलाहाबाद की बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

ग्यारहवीं सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की जनपद टिहरी गढ़वाल के विद्या निकेतन जूनियर हाई स्कूल कैलाश गेट मुनि की रेती के अध्यापकों को तीन वर्षों से वेतन भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

बारहवीं सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित एवं श्री हरबंश कपूर की राज्य निधि से सहायता प्राप्त उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पेंशनरों की पेंशन भुगतान के संबंध में है इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

तेरहवीं सूचना श्री अमित अग्रवाल की है । (नियम 311 में प्राप्त हुई) यह जनपद मेरठ में इस्लाहउल कमेटी द्वारा समानान्तर सरकार चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

शेष सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि श्री सुन्दर लाल दीक्षित की बारहवीं सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लें । उस पर आपने ध्यान आकृष्ट किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है । श्री दीक्षित की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया जाता है ।

अब हम उठते हैं । कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन रात्रि के 9 बजकर 38 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
7 फरवरी, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 4 पर)

उत्तर प्रदेश विज्ञापन विवरण नीति

शासकीय विज्ञापन यथा–सम्भव बिना एजेन्सी के माध्यम के ही प्रसारित किये जायें । शासकीय सजावटी विज्ञापन यदि किसी विभाग को किसी विशेष अभियान के लिए विज्ञापन देने के लिए एजेन्सी की आवश्यकता समझी जाती है तो वह विभाग एजेन्सी में प्रतियोगिता के आधार पर चुनकर सूचना विभाग को संस्तुत कर सकता है । ऐसे अभियान के लिए अनुमति देने के लिए सूचना निदेशक सक्षम होंगे । एजेन्सियों के माध्यम से विज्ञापन सामान्य रूप से केवल 25,000 से ऊपर के प्रसार वाले समाचार पत्रों को दिया जाये । इससे नीचे के प्रसार वाले समाचार पत्रों को विभाग द्वारा ही दिया जायेगा ।

2–राज्य सरकार के विज्ञापन व्यवसायिक दरों पर न जारी किये जायें । इसका अपवाद केवल इस दशा में हो सकता है अब किसी ऐसे पत्र या पत्रिका में सरकार विज्ञापन देना चाहती है, उसमें डी०ए०वी०पी० की दरें अस्वीकार कर दी हों ।

3–राज्य सरकार जब प्रदेश के बाहर के समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करना चाहती हो और सम्बद्ध समाचार पत्र विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा स्वीकृत हो तो उसके बिलों का भुगतान डी०ए०वी०पी० की दरों के अनुरूप ही किया जाय, लेकिन उन्हें विशेष परिस्थितियों में ही विज्ञापन जारी किया जाय ।

4–उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों को विज्ञापन न जारी किया जाय, अपवाद स्वरूप अति प्रतिष्ठा प्राप्त पत्रों को सूचना निदेशक के विवेकानुसार विज्ञापन जारी किया जा सकता है ।

5–राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों में नये समाचार पत्रों के प्रवेशांक के लिए, यदि उक्त दैनिक चार पृष्ठ का है तो 2,000/- रुपये, यदि अधिक है तो 3,000/- रुपये का विज्ञापन दिया जा सकता है । साप्ताहिक के प्रवेशांकों के लिए उसी प्रकार यह धन 1,000/- रुपये और 1,500/- रुपये होगा । स्मारिका के लिए किसी भी दशा में 3,000/- रुपये से अधिक का विज्ञापन न जारी किया जाय ।

6–वर्गीकृत विज्ञापन यथासम्भव समानता, गुणवत्ता के अनुसार जारी किया जाय । आमतौर पर ऐसे विज्ञापन बहुसंस्करणीय समाचार-पत्र के एक संस्करण के लिए ही जारी किये जायें ।

7–प्रदेश के कुल बजट का "यथा सम्भव" 70 प्रतिशत लघु एवं मध्यम समाचार -पत्रों के लिये उपयोग हो ।

8–साप्ताहिक समाचार-पत्र को एक वर्ष में यथासम्भव टेण्डर सहित 10 पृष्ठ विज्ञापन जारी किये जायें । अन्य नियतकालिक पत्रों को भी समुचित विज्ञापन जारी किये जायें ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13 पर)

वर्ष 1981-82 से 1993-94 तक जनपदवार तुलनात्मक विवरण

क्र०सं०	जनपद का नाम	पशु चिकित्सालय	प्र० से० केन्द्र	"द" श्रेणी पशु चिकित्सालय
1	2	3	4	5
1	आगरा	4	20	3
2	मैनपुरी	4	10	2
3	एटा	2	7	3
4	मथुरा	1	4	3
5	अलीगढ़	9	99	–
6	फिरोजाबाद	3	–	–
7	झांसी	5	–	2
8	ललितपुर	–	11	7
9	हमीरपुर	6	13	1
10	जालौन	3	10	1
11	बांदा	–	31	1
12	इलाहाबाद	11	–	1
13	फतेहपुर	7	8	3
14	प्रतापगढ़	17	9	1
15	कानपुर (नगर)	9	21	3
16	कानपुर (देहात)	10	4	5
17	इटावा	11	12	2
18	फर्रूखाबाद	7	9	3
19	वाराणसी	7	1	–
20	मिर्जापुर	10	4	1
21	गाजीपुर	9	8	1
22	बलिया	24	13	3
23	जौनपुर	9	4	3
24	सोनभद्र	5	–	5
25	गोरखपुर	32	17	3
26	आजमगढ़	26	23	2
27	बस्ती	15	24	–
28	देवरिया	11	16	–
29	सिद्धार्थनगर	–	–	–
30	मऊ	–	–	–
31	महराजगंज	5	–	–
32	फैजाबाद	9	–	–
33	सुल्तानपुर	25	25	1
34	गोण्डा	44	2	–
35	बहराइच	16	–	1
36	बाराबंकी	12	7	1
37	लखनऊ	6	–	2
38	रायबरेली	11	18	–
39	उन्नाव	15	4	–
40	सीतापुर	11	5	–

क्र०सं०	जनपद का नाम	पशु चिकित्सालय	प्र० से० केन्द्र	"द" श्रेणी पशु चिकित्सालय
1	2	3	4	5
41	खीरी	12	3	–
42	हरदोई	8	9	1
43	बरेली	9	–	2
44	बदायूं	8	7	3
45	पीलीभीत	4	13	2
46	शाहजहांपुर	10	4	1
47	मुरादाबाद	3	3	–
48	बिजनौर	6	8	1
49	रामपुर	3	4	5
50	मेरठ	4	2	1
51	गाजियाबाद	11	–	5
52	सहारनपुर	10	14	1
53	बुलन्दशहर	13	10	2
54	मुजफ्फरनगर	11	13	1
55	हरिद्वार	–	–	–
56	नैनीताल	13	5	–
57	अल्मोड़ा	25	19	–
58	पिथौरागढ़	20	12	–
59	पौड़ी	20	22	–
60	टेहरी	20	34	–
61.	चमोली	12	22	–
62	उत्तरकाशी	17	7	–
63	देहरादून	11	11	–
	योग	561	544	90

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 16 पर)

कार्यालय ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद

पत्र संख्या–आकटके०/मेमो–94 दिनांक अप्रैल 6, 1994

सेवा में,

श्री राम बहाल,

निवासी हाथ पाकड़,

थाना–गोसाईगंज,

फैजाबाद ।

आपका प्रार्थना-पत्र दिनांकित 30-8-93, 21-10-93, 31-1-94 तथा 6-4-94 द्वारा इस कार्यालय में मु०अ०सं०–1/74 धारा 460 भा० दं० वि० थाना गोसाईगंज फैजाबाद से सम्बन्धित एफ०आई०आर० की प्रतिलिपि मांगने के संबंध में प्राप्त हुआ है ।

इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि उपरोक्त एफ०आई०आर० की प्रतिलिपि आपको इसी समय थाने द्वारा प्रदान किया गया होगा, इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के अभिलेख में कोई रिकार्ड प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि कार्यालय के मैनुयल के अनुसार एफ०आई०आर० तीन साल तक ही रखा जाता है ।

ह०/-
(राम बहल)
7-4-94
सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
(एन०एस० यादव)
अनु सचिव, गोपन
उ०प्र० शासन ।

ह०/-
ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक,
फैजाबाद ।

नत्थी 'घ'

(देकिाये अता० प्र० सं० 138 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65पर)

क्र० सं०	इन्दिरा नगर कालोनी बी ब्लाक का आवास	अध्यासी का नाम	प्रस्तावित मूल कार्य का विवरण	अध्यासी द्वारा कार्य मांग की तिथि	आगणन स्वीकृति की तिथि	कार्य की वर्तमान स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बी-29	श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव	पेलमेट तथा छत के उपरी भाग का प्लास्टर कार्य	22-3-94	25-7-94	रु० 6,000/-
2	बी-29	श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव	पानी टैंक तथा किचन कनेक्शन का कार्य	तिथि अंकित नहीं है ।	24-9-94	रु० 6,574/-
3	बी-147	श्री पी० एल० श्रीवास्तव	अस्थाई गैराज का निर्माण कार्य ।	21-5-94	25-7-94	रु० 12,400/-

पी० एस० यू० पी०–एल० 2 विधान सभा (5)–1995–813 (डी० टी० पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा